खण्ड-314, अंक-3
मंगलवार, 27 फाल्गुन, शक संवत् 1896
(18 मार्च, 1975 ई0)

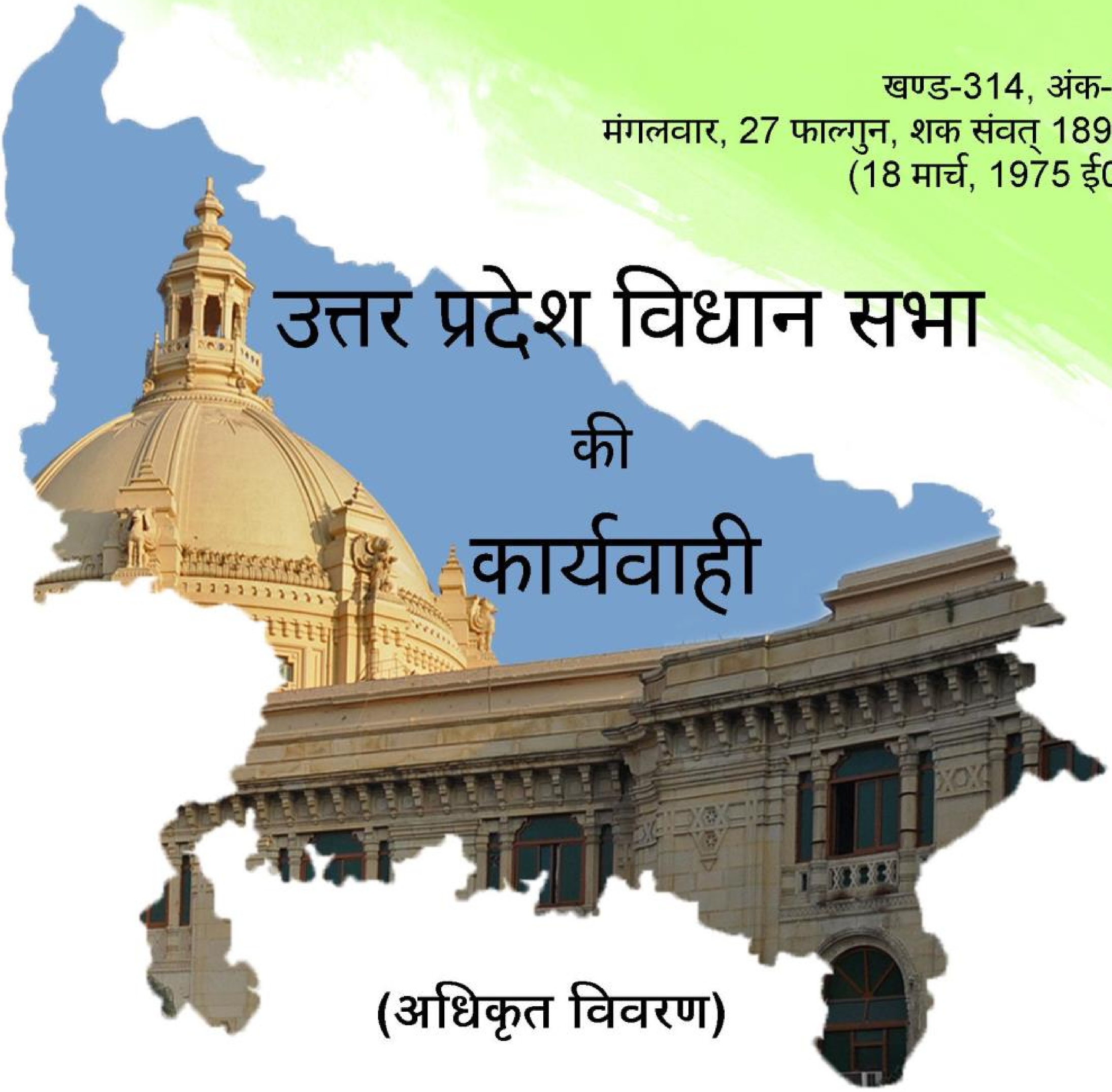

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 314 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1975

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, 18 मार्च, 1975

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन म अध्यक्ष, श्री वासुदेव सिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—356

अंगने लाल, श्री
अजीजुर्रहमान, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अजीत सिंह सेठी, श्री
अढ़ई राम, श्री
अनवार जमील उर्फ जिमी मियां, श्री (एडवोकेट)
अनिरुद्ध राय, श्री
अबुल फैज शाह, श्री
अब्दुल बाकी, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल रहमान खां 'नशतर', श्री
अब्दुल वहीद, श्री
अम्बिका प्रसाद सिंह, श्री
अम्मार रिजवी, श्री
अवधेश कुमार, श्री
अवेद्य नाथ, श्री
आगा जैदी, श्री
आबिद अली, श्री
आशा राम यादव, श्री
इन्द्रपाल सिंह, श्री
इन्द्रमोहनी, श्रीमती
इन्द्र लाल, श्री
ईश्वरी सिंह, श्री
उदयनाथ, श्री
उमानाथ, श्री
ऊदल, श्री
एदल सिंह, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश श्रीवास्तव, श्री
ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
कमला प्रसाद वर्मा, श्री
काजी जलील अब्बासी, श्री
काली चरण यादव, श्री
काशी नाथ मिश्र, श्री
काशी नाथ मेहरोत्रा, श्री
काशी प्रसाद, श्री
किशन लाल, श्री
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री
कुलतार सिंह, सरदार
कृपा शंकर आर्य, श्री
कृष्ण दत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्णवीर सिंह, श्री
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर
कृष्णा राय, श्री
केदार नाथ अग्रवाल, श्री
केशरी लाल, श्री
कैलाश सिंह, श्री
क्रान्ति कुमार, श्री
खचेड़ू सिंह मोहरिया, श्री
खूब चन्द, श्री
गंगा देवी विशारद, श्रीमती
गंगा प्रसाद, श्री
गंगा स्वरूप, श्री
गंजी प्रसाद, श्री

गजाधर प्रसाद आर्य, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गया सिंह, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरिजा किशोर मिश्र, श्री
गिरिजा शंकर पाठक, श्री
गुलाब चन्द, श्री
गुलाब सिंह, श्री
गुलाब सेहरा, श्री
गोपाल दत्त ओझा, श्री
गोपी नाथ कामेश्वरपुरी, श्री
गोरे लाल शाक्य, श्री
गोविन्द प्रसाद गैरोला, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गोविन्द सिंह मेहरा, श्री
गौरी शंकर, श्री (ऐडवोकेट)
चन्दन सिंह, श्री
चन्द्र नारायण सिंह, श्री
चन्द्र भान आजाद, श्री
चन्द्र शेखर, श्री
चन्द्र शेखर सिंह, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चरण सिंह, चौधरी
चरण सिंह, डाक्टर
चेतराम गंगवार, श्री
छज्जू सिंह, श्री
छेदा लाल चौधरी, श्री
जंगबहादुर, श्री (अतरौलिया, जिला आजमगढ़)
जंग बहादुर वर्मा, श्री (जिला बाराबंकी)
जंग बहादुर सिंह पटेल, श्री
जगदीश अवस्थी, श्री
जगदीश मिश्र, श्री
जगदीश नरायन त्रिपाठी, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ सिंह परमार, श्री
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री
जफर आजमी, श्री
जमुना प्रसाद बोस, श्री
जय नारायण सिंह, श्री
जयराज गौतम, श्री
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्र कुमार अग्रवाल, डाक्टर
जुगल किशोर यादव, श्री
ज्ञानेन्द्र स्वरूप, श्री
झाम लाल अहिरवार, श्री
झिलमिट, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेज सिंह, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री
त्रिवेनी, श्री
दधीच सिंह, श्री
दया किशन पाण्डेय, श्री
दया राम भास्कर, श्री
दशरथ सिंह, श्री
दीना नाथ सेवक, श्री
दीपनारायण पाण्डेय, श्री
दुर्योधन, श्री
दुलारा देवी, श्रीमती
देव कुमार यादव, श्री
देव बहादुर सिंह, श्री
देवी सिंह, श्री
धरम राम, श्री
धर्म चन्द्र मिश्र, श्री
धर्मपाल सिंह, श्री
धर्मपाल सिंह, डाक्टर
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला बिजनौर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
धीरेन्द्र सहाय, श्री
ध्रुव नारायण सिंह, श्री
नजीर अहमद, श्री
नजु राम, श्री
नन्द राम, श्री
नन्हें लाल, श्री
नरेन्द्र सिंह भण्डारी, श्री
नाथू राम, श्री
नारायण दास, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नारायण सिंह, श्री
नारायण हरी शर्मा, श्री
नियाज हुसन खां, श्री
निर्भय नरायन सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
निसार अहमद अन्सारी, श्री
पुरुषोत्तम कौशिक, श्री
पुरुषोत्तम दास, चौधरी
पूरन चन्द, श्री
प्यारे लाल, श्री (जिला अलीगढ़)
प्यारे लाल, श्री (जिला मेरठ)
प्यारे लाल वर्मा, श्री (जिला एटा)
प्रकाश नारायण गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण, श्री
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री
प्रभाकर सिंह, बाबू
प्रभु नारायण, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेमदत्त, श्री
प्रेम सुन्दर नरायण सिंह, श्री
फजलुर्रहमान अन्सारी, श्री
फरजन्द अली बेग, श्री
फिंगी प्रसाद विशारद, श्री
बंशीधर, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बनवारी राम यादव, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलवीर सिंह यादव, श्री
बल्देव, श्री
बांके लाल, श्री
बादाम सिंह, श्री
बाबू लाल तिवारी, श्री
बाबूलाल वर्मा, श्री
बाबू सिंह यादव, श्री
बाल कृष्ण सनवाल, श्री
बृजपाल सिंह यादव, श्री
बेचन राम, श्री
बेनी प्रसाद वर्मा, श्री
बेनी बाई, श्रीमती
बैजनाथ यादव, श्री

भगवत दयाल, श्री
भगवती चरण निर्मोही, श्री
भगवती प्रसाद, श्री
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भाभी, श्री
भारत सिंह, श्री
भारत सिंह चौहान, श्री
भीखा लाल, श्री
भीषम, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भूपसिंह केन, श्री
भोला दत्त सकलानी, श्री
मंगरे सिंह, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मनीराम, श्री
मन्जूर अली खां, श्री (उर्फ शम्भू खां)
मन्ना लाल, श्री
मन्नी लाल, श्री
मन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मलखान सिंह, डाक्टर
मलखान सिंह सैनी, श्री
मलिक मोहम्मद जमीर अहमद खां, श्री
महाबीर प्रसाद, श्री
महाबीर सिंह, श्री
महेन्द्र रिपुदमन सिंह, राजा
महेश सिंह, श्री
माखन लाल मिश्र, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री
मानबहादुर सिंह, श्री
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुलतान सिंह यादव, चौधरी
मुलायम सिंह यादव, श्री
मुहम्मद असरार अहमद, श्री

मुहम्मद मसूद अली खां, श्री
मुहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री
मुहम्मद हयात, श्री
मेघनाथ सिंह शिशोदिया, श्री
मोती लाल देहलवी, श्री
मोहन लाल कपूर, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद अयूब सिद्दीकी, श्री
मोहम्मद अमलम, श्री
मोहम्मद रफी खां, श्री
मोहम्मद शकील अहमद, श्री
मोहसिना किदवाई, श्रीमती
यशपाल सिंह, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ ललन जी)
रघुनाथ, श्री
रघुबीर सिंह, श्री
रघुराज सिंह, श्री (जिला गोंडा)
रघुराज सिंह, श्री (जिला देवरिया)
रणंजय सिंह, राजा
रणधीर सिंह, श्री
रफीउल्ला, श्री
रमाकान्त द्विवेदी, श्री
रमेश चन्द्र श्रीवास्तव, श्री
राघवेन्द्र सिंह, श्री
राज किशोर तिवारी, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजपाल, श्री
राजबहादुर, श्री
राज बहादुर चन्द, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री
राजेन्द्र प्रसाद गुप्त, श्री
राजेन्द्र प्रसाद दौनेरिया, श्री
राजेन्द्र शाह, श्री
राजेन्द्र सिंह, श्री
राम अधार, श्री
राम औतार सिंह भदौरिया, श्री
राम गरीब, कैप्टेन
राम चन्द्र बक्श सिंह, श्री
राम चरन शाह, श्री
राम जनम राय, श्री
रामजी सिंह, श्री
रामजी लाल केन, श्री
राम दुलारे, श्री
राम देव, श्री
राम नाथ, बाबा
राम नारायण पाठक, श्री
राम निहोर, श्री
राम पति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
राम पाल सिंह, श्री
राम पाल सिंह यादव, चौधरी
राम पूजन पटेल, श्री
राम प्यारे तिवारी, श्री
राम प्रकाश त्रिपाठी, श्री
राम बचन, श्री
राममूर्ति, श्री
राम रतन सिंह, श्री
राम रति बिन्द एडवोकेट, श्री
रामरती देवी, श्रीमती
राम रेखा यादव, श्री
राम लखन, श्री (जिला इटावा)
राम लखन, श्री (जिला बस्ती)
राम लाल राही, श्री
राम शिरोमणि दुबे, श्री
राम संजीवन, श्री
राम समझावन, श्री
राम समुझ तिवारी, श्री
राम सुन्दर पाण्डेय, श्री
राम सेवक धोबी, श्री
राम स्वरूप भारतीय, श्री
राम हर्ष चौधरी, श्री
रामायण राय, श्री
रुद्र प्रसाद, श्री
रूप राम, श्री
रेवती शरण मौर्य, श्री
लक्ष्मण सिंह, श्री
लक्ष्मी नरायण पांडेय, श्री

लक्ष्मी प्रसाद वर्मा, श्री
लटूरी सिंह, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालूराम, श्री
विजयपाल सिंह, श्री
विद्याधर, श्री
विमल प्रसाद तिवारी, श्री
विश्राम, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीर सिंह मेंगर, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र स्वरूप भटनागर, श्री
वेद प्रकाश अग्रवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शतरुद्ध प्रकाश, श्री
शफीकुर्रहमान बर्क, श्री
शान्ति देवी यादव, श्रीमती
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शारदा प्रसाद रावत, श्री
शारदा भक्त सिंह, श्री
शिव कुमार पाण्डेय, श्री
शिव कुमारी दुबे, श्रीमती
शिव कैलाश, श्री
शिवचरन लाल, श्री
शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर
शिवपाल सिंह, श्री
शिव प्रसाद गुप्त, श्री
शिव लाल, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शिव सम्पत्ति राम, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्याम बिहारी सिंह, श्री
श्यामलाल रावत, श्री
श्रीनारायण, श्री (उर्फ भुलई भाई)
श्रीपाल सिंह, कुंवर
श्रीशचन्द्र, श्री
सच्चिदानन्द बाजपेयी, श्री
सत्तार अहमद, श्री
सत्यपाल मलिक, श्री
सत्यपाल सिंह यादव, श्री
सत्य प्रकाश, श्री
सत्यवीर सिंह, श्री
सन्त सिंह यूसुफ, श्री
सन्तोष कुमारी पाठक, श्रीमती
सरस्वती टम्टा, श्रीमती
सरस्वती प्रताप सिंह, श्री
सलाहउद्दीन उस्मानी, श्री (उर्फ नब्बन)
सीताराम निषाद, श्री
सुक्खन सिंह, श्री
सुखदा मिश्रा, श्रीमती
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुरेन्द्र प्रताप नारायन, श्री
सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र, श्री
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री
सुल्तान सिंह यादव, श्री
सैयद मुर्तजा अली खां, नवाब
सोहन लाल, श्री (जिला बदायूं)
सोहन लाल धुसिया, श्री
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती
हरिकेवल, श्री
हरिराम, श्री
हरीश कुमार गंगवार, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकमसिंह, श्री
हेमराज, श्री
हेमवती नन्दन बहुगुणा, श्री

नोट—लघु उद्योग मन्त्री, श्री इस्तफा हुसैन एवं स्वायत्त शासन मन्त्री, श्री जगदीश शरण अग्रवाल भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, 18 मार्च, 1975

अल्प-सूचित तारांकित प्रश्न

स्थानीय निकाय कर्मचारियों के लिये अतिरिक्त महंगाई भत्ते की मांग

**1—श्री भोला दत्त सकलानी (जिला देहरादून)—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन के इस निर्णय के बावजूद कि शहरी क्षेत्र के स्थानीय निकायों के कर्मचारियों एवं अधिकारियों जिन पर वेतन आयोग की संस्तुतियां लागू हों, को अन्य राजकीय कर्मचारियों, अधिकारियों एवं अध्यापकों की भांति ही महंगाई भत्ता दिया जायेगा, वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग, राजाज्ञा संख्या वे0आ0 3109/दस—156—73, दिनांक 19 नवम्बर, 1974 के अनुसार 1 अप्रैल, 1974 से देय अतिरिक्त महंगाई भत्ते की वृद्धि स्वीकृत करने के आदेश भी स्वायत्त शासन विभाग द्वारा प्रसारित नहीं किये गये हैं ? यदि हां, तो इस विलम्ब का क्या कारण है और इसके लिये कौन उत्तरदायी है ?

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री जगदीश शरण अग्रवाल)—

स्थानीय निकाय कर्मचारियों को राज्य कर्मचारियों के समान 300 रुपये वेतन सीमा तक 20 प्रतिशत तथा 300 से ऊपर 1200 रुपये तक 15 प्रतिशत अतिरिक्त महंगाई भत्ता दिये जाने के आदेश जारी किये जा चुके हैं। दिनांक 1 अप्रैल, 1974 से राज्य कर्मचारियों को जो अतिरिक्त महंगाई भत्ता दिये जाने के आदेश दिये हुये हैं उनके अनुरूप आदेश स्थानीय निकायों के कर्मचारियों के सम्बन्ध में अभी तक नहीं जारी हो सके हैं, क्योंकि इस अतिरिक्त महंगाई भत्ता को देने से स्थानीय निकायों पर, जो पहले ही से अपने कर्मचारियों को बढ़ा हुआ वेतन व महंगाई भत्ता देने के कारण अतिरिक्त व्यय भार से दबी हुई है, लगभग एक करोड़ वार्षिक का व्यय-भार और पड़ेगा जिसे वहन करने में वे अपनी सोचनीय वित्तीय स्थिति में पूर्णतया असमर्थ हैं। उनका वेतन आदि का व्यय-भार 11 करोड़ से बढ़कर करीब 24 करोड़ हो गया है। अतएव यह विचार किया जा रहा है कि स्थानीय निकायों के ऐसे संसाधन उपलब्ध कराये जायं अथवा शासन द्वारा उन्हें कितनी और किस प्रकार की सहायता की व्यवस्था की जाय जिससे कि वे इस तरह समय-समय पर स्वीकृत किये जाने वाले अतिरिक्त महंगाई भत्ते के भार को वहन कर सकें।

श्री भोला दत्त सकलानी—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह घोषणा करने से पहले उन्होंने नगरपालिकाओं की आर्थिक स्थिति का जायजा लिया था ?

श्री जगदीश शरण अग्रवाल—

मान्यवर, इस सिद्धान्त को स्वीकार किया था वह बहुत पहले 1972-73 में किया था, उस वक्त यह आशा थी कि यह जो स्थानीय निकाय हैं, अपने साधनों को बढ़ा कर अपनी आर्थिक स्थिति को अच्छी कर लेंगे। लेकिन अभी तक वह उस लेवल पर नहीं आ पाये हैं इसलिये कठिनाई अनुभव हो रही है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी-गढ़वाल)—

माननीय मन्त्री जी ने कहा, मान्यवर, कि यह सिद्धान्त सन् 1972-73 में स्वीकार किया गया था, लेकिन आज भी मन्त्री-महोदय कहते हैं कि संसाधन नहीं हैं, और उनके बारे में प्रयास किया जा रहा है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि 1972-73 में जो सिद्धान्त आपने स्वीकार किया था, और यह जो आपने घोषणा की थी, उस घोषणा से पहले तमाम संसाधनों के बारे में जानकारी की थी? अगर नहीं की थी, तो बगैर उन पर विचार किये यह घोषणा कैसे कर दी?

श्री जगदीश शरण अग्रवाल—

मान्यवर, यह विचार किया था, स्थानीय निकायों की स्थिति को भी देखा था। शासन ने भी जो उसमें सहायता की जा सकती थी, की। मान्यवर, जैसा अभी मैंने निवेदन किया कि इम्पलाईज को जो 300 रु० पाते हैं, उनको 20 प्रतिशत तक और 3 सौ से ऊपर 12 सौ तक को 15 प्रतिशत महंगाई भत्ता देने के लिये आदेश जारी कर चुके हैं, और उसका पालन भी हो चुका है। उसमें ऋण की व्यवस्था, अनुदान की व्यवस्था, साधनों को बढ़ाने की व्यवस्था पर विचार किया जा रहा है। लेकिन इसके बाद एक स्टेज ऐसी आई जब उस पर थोड़ा सा रोक लगाना पड़ा।. अब जो थोड़ी सी वृद्धि हुई है, उसके लिये शासन ने आदेश जारी नहीं किये। क्योंकि पहले के आदेशों के पालन में स्थानीय निकायों को थोड़ी सी कठिनाई का अनुभव हुआ। तो जब तक उन पर विचार न कर लिया जाय कैसे वह पूर्ति करेंगे, तो इस वक्त जो थोड़ा सा बढ़ा है, पहले से कम है। जैसा मैंने निवेदन किया पहले वाला जिसमें 8, 10 करोड़ की वृद्धि थी, अब जो है उसमें केवल एक करोड़ का सवाल है। इसके लिये प्रयास कर रहे हैं, यह देख रहे हैं कि स्थानीय निकायों की अरनिंग कैपेसिटी जो है, वह बढ़े इसके लिये उनको निरन्तर आदेश जा रहे हैं। उस पर कुछ सुझाव आये हैं, उसमें कर वृद्धि का भी है उसे देख रहे हैं, कुछ इस बात का भी प्राविधान किया जा रहा है कि शासन कुछ ऋण दे और कुछ सहायता दे। जिन स्थानीय निकायों से ऋण की प्रार्थना आ रही है, उस पर विचार कर रहे हैं।

श्री मोहन लाल कपूर (जिला मेरठ)—

माननीय मन्त्री जी के उत्तर के सम्बन्ध में यह जानना चाहता हूं कि जो आदेश हैं, उसमें नगरपालिकाओं को लिखा जा सकता है कि वह अपने संसाधनों से दे दें। तो आपको इन आदेशों को निर्गत करने में क्या आपत्ति है?

एक सदस्य—

आप (श्री कपूर) अपना बिल्ला किस बात का लगाये हैं?

श्री मोहन लाल कपूर—

'देखना है, जोर कितना तेरे बाजुवे कातिल में है' बहुगुणा जी और आपकी सरकार की वजह से लगाए हूं। थोड़ी देर बाद आपको मालूम हो जाएगा। देखना यह है कि कितना दम आप में कुलचने का है।

तो मंत्री जी यह आदेश निर्गत क्यों नहीं कर देते कि नगरपालिकाएं इसे अपने संसाधन से पेमेन्ट कर दें। जो कर सकते हैं वे कर देंगे, जो नहीं कर सकेंगे, उनके बारे में बाद में देखा जाएगा।

श्री जगदीश शरण अग्रवाल—

इसलिये नहीं कर रहे हैं कि पहले जब आदेश निर्गत हुए हैं, उस समय कठिनाइयां अनुभव हुईं, इसलिये अनिवार्य रूप से नहीं किया है। किन्तु यदि कोई स्थानीय निकाय, अपने संसाधन में इतना सम्पन्न है कि दे सकते हैं तो शासन को कोई आपत्ति नहीं है।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो संसाधन जुटाने के लिये विचार किया जा रहा है, उस सम्बन्ध में जो सुझाव आये हैं अथवा और मंगाकर इस पर आखिरी निर्णय कब तक हो जायेगा ?

श्री जगदीश शरण अग्रवाल—

मैं ऊदल जी का बहुत आभारी हूं। मैं बहुत जल्द इस पर निर्णय करूंगा। यह शासन के विचाराधीन है और बहुत तेजी से है। बहुत कम से कम समय लगाकर हम उस पर निर्णय लेने जा रहे हैं।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क (जिला मुरादाबाद)—

मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या-क्या सुझाव आये हैं, क्या कृपा कर के बताने का कष्ट करेंगे?

श्री जगदीश शरण अग्रवाल—

विभिन्न निकायों ने विभिन्न सुझाव भेजे हैं, उनकी तालिका बहुत लम्बी होगी।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त प्रश्न]

फैजाबाद जेल के अन्दर भारतीय लोक दल के नेताओं के ऊपर निर्मम प्रहार

*1—श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनवरी, 1975 में फैजाबाद जेल के अन्दर भारतीय लोक दल के नेताओं के ऊपर निर्मम प्रहार किया गया ? यदि हां, तो घटना का पूर्ण विवरण क्या है ? भारतीय लोक दल के नेतागण कौन-कौन थे और उनको किन-किन धाराओं में बन्द किया गया ?

न्याय मन्त्री (श्री राज मंगल पाण्डेय)—

प्रश्न में उल्लिखित मामला न्यायिक जांच आयोग के विचाराधीन है।

इटावा जिले में क्रैश प्रोग्राम में सम्भावित गबन एवं अनियमितता

*2—श्री मुलायम सिंह यादव (जिला इटावा)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इटावा जनपद में क्रैश प्रोग्राम के अन्तर्गत लगभग 30 लाख से अधिक रुपयों के घोटाले का मामला हाल ही में प्रकाश में आया है ? यदि हां, तो उसका सम्पूर्ण विवरण क्या है और इसके लिये कौन-कौन अधिकारी व कर्मचारी दोषी हैं तथा इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

सामुदायिक विकास मन्त्री (श्री बलदेव सिंह आर्य)---

हाल ही में इटावा जनपद में क्रैश प्रोग्राम में सम्भावित गबन तथा गम्भीर अनियमिततायें एवं व्यपहरण के मामले प्रकाश में आये हैं। सतर्कता अधिष्ठान द्वारा इस सम्बन्ध में जांच की जा रही है। मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा द्वारा भी जांच करने के आदेश भेजे गये थे, लेकिन क्रैश अभियन्ता के बाद पर न्यायालय द्वारा कुछ अभिलेख सील बन्द कर दिये जाने के कारण उनके द्वारा जांच पूरी नहीं हो सकी। थाना अजीतमल में मस्टर रोलों के फरजी पाये जाने के सम्बन्ध में धारा 409/468 भारतीय दन्ड विधान के अन्तर्गत सर्वश्री भगवान चन्द अग्रवाल अभियन्ता व श्रीराम कन्सौलिया के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर जांच हो रही है। जांच के उपरान्त जो भी कार्य-वाही आवश्यक होगी, की जायेगी।

श्री मुलायम सिंह यादव---

क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिला परिषद्, इटावा को क्रैश-प्रोग्राम के अन्तर्गत कुल कितना रुपया दिया गया था और उससे कितनी सड़कें बनवाई गईं?

श्री बलदेव सिंह आर्य---

मान्यवर, जिला परिषद् का जो रिकार्ड था, वह तो जांच में है। इसलिये उसका ब्यौरा देना मेरे लिये सम्भव नहीं है।

श्री मुलायम सिंह यादव---

तो यही बता दें कि इन सड़कों पर किन-किन अधिकारियों, ओवरसियरों एवं मेट ने काम किया है?

श्री बलदेव सिंह आर्य---

दो नाम जो मेरे पास उपलब्ध हैं, वे मैंने बता दिये हैं। एक श्री भगवान चन्द अग्रवाल, अभियन्ता और दूसरे श्री राम कंसौलिया, ओवरसियर हैं। दो के बारे में रिपोर्ट मेरे पास है।

श्री मुलायम सिंह यादव---

इतना बड़ा घपला है, लगभग 20 लाख रुपये का घपला मालूम हो गया है। कोई स्पष्ट जवाब नहीं आ पा रहा है। भगवान दास इन्जीनियर हैं इनके अलावा दुबे ओवरसियर हैं, उसका अकेले का घपला 10 लाख रुपये का हुआ है।

मन्त्री जी बता दें कि पी0 डब्ल्यू0 डी0 का जो शैड्यूल्ड रेट था वह कितना था और क्रैश प्रोग्राम द्वारा जिला परिषद् ने जो सड़कें बनवायी हैं, उनका रेट क्या था और दोनों में अन्तर है, तो क्यों?

श्री बलदेव सिंह आर्य---

मान्यवर, इटावा जिले में क्रैश प्रोग्राम में जितना कार्य हुआ है सबके बारे में जांच चल रही है। मेरे पास वह सब रेकार्ड मौजूद नहीं है जिसके मुताबिक माननीय सदस्य को उत्तर दे सकूं। लेकिन यह बात सही है कि इटावा जिले में क्रैश प्रोग्राम में अनेक अनियमिततायें गबन की यहां तक शिकायत है कि तारकोल अधिक लिया गया और कम लगाया गया और अधिक पैसे लिये गये, मस्टर रोल गलत तैयार किये गये। रुपया गलत ढंग से वसूल किया गया। ये सारी बातें जांच में हैं। जांच की रिपोर्ट आ जाने के बाद हम माननीय सदस्य को यह आश्वासन देते हैं कि शासन किसी के साथ कोई रियायत नहीं करेगा।

श्री गोरे लाल शाक्य (जिला इटावा)—

क्या माननीय मन्त्री जी यह बतायेंगे कि कैश प्रोग्राम के अन्तर्गत जो कम मूल्य के टेंडर थे, उनको रद्द करा कर ऊंचे मूल्य के टेंडर को स्वीकार करवाने की भूतपूर्व मन्त्री ने सिफारिश की है, या नहीं ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

मान्यवर, मुझे इसकी तो कोई जानकारी है नहीं।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

अभी माननीय मन्त्री जी के उत्तर से पता चला, इटावा के बारे में माननीय सदस्य ने सवाल किया, इटावा में कितना रुपया कैश प्रोग्राम में खर्च हुआ इसका भी हिसाब मन्त्री जी के पास नहीं है। मेरी निश्चित जानकारी है, 1971 के बाद केन्द्रीय सरकार से करोड़ों रुपया सारे उत्तर प्रदेश में ग्रामीण योजना की तहत में कैश प्रोग्राम के अन्तर्गत सड़कों को बनाने के लिए मिला ?

श्री अध्यक्ष—

यह जनरल है।

श्री काशीनाथ मिश्र—

लाखों रुपया मारे इन्जीनियर खा गये। तो मैं आपके जरिये जानना चाहता हूं कि आप उत्तर प्रदेश के स्तर पर कोई जांच बिठायेंगे कि केन्द्रीय सरकार ने जो रुपया ग्रामीण योजना में खर्च करने के लिये दिया था, उसमें काम हुआ या नहीं ? यह बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। केन्द्रीय सरकार का लाखों रुपया प्रान्त के इन्जीनियर खा जायं और सरकार बैठी रहे। जांच न करायें। यह हमारा अधिकार है।

श्री अध्यक्ष—

यह व्यापक प्रश्न है। सवाल इटावा के बारे में है।

श्री बलदेव सिंह आर्य—

जैसा मैंने अभी निवेदन किया इटावा के सिलसिले में उसी तरह अन्य जिलों में ऐसी अनियमिततायें जो पायी गयी हैं, सतर्कता अधिष्ठान को उन अनियमितताओं की जांच के लिए कहा गया है, और वह जांच हो रही है। जब तक उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा तब तक कोई दूसरी जांच बैठाना कहां तक ठीक होगा यह कहना बड़ा असम्भव है।

श्री भारत सिंह चौहान (जिला इटावा)—

माननीय मन्त्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि कैश प्रोग्राम के अन्तर्गत इटावा जिले में हुए लाखों रुपये के घपले के सम्बन्ध में जिला परिषद्, इटावा के अध्यक्ष ने कब-कब अजीतमल और कोतवाली थानों में, 409 धारा में रिपोर्ट दर्ज करायी और जिला परिषद्, इटावा के अध्यक्ष की शिकायत पर इटावा के जिला अधिकारी ने कप्तान पुलिस को धारा 409 के अन्तर्गत केस कायम करके, दोषी लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करने की बात लिखी इस पर इटावा के पुलिस कप्तान ने तथा कोतवाली के थानेदारों ने क्या कार्यवाही की ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

मान्यवर, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है कि माननीय गजेन्द्र सिंह और भारत सिंह जी ने शिकायतें, अनियमितता और गबन के बारे में की थीं और अध्यक्ष, जिला परिषद्, इटावा ने भी लिखा था। अजीतमल थाने में 409 और 468 में रिपोर्ट दर्ज कर

दी गई है, और पुलिस छानबीन कर रही है। यह केस पंजीकृत कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त सतर्कता अधिष्ठान इस सम्बन्ध में अपनी जांच कर रहा है। दोनों की जांच चल रही है और जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है कि लाखों रुपयों का गोलमाल है। मैं इससे इन्कार नहीं करता हूं।

श्रीमती सुखदा मिश्रा (जिला इटावा)--

मान्यवर, मन्त्री जी ने स्वयं स्वीकार किया है कि वहां घोटाला है और सी0 आई0 डी0 द्वारा जांच हो रही है। हम चाहते हैं कि मन्त्री जी समय दे दें क्योंकि सी0 आई0 डी0 न जाने कब रिपोर्ट देगी। माननीय काशीनाथ जी ने कहा है कि करोड़ों रुपयों का घोटाला है। इसलिये मन्त्री जी जल्द रिपोर्ट मंगा लें।

श्री बलदेव सिंह आर्य--

मान्यवर, मेरा तो यही प्रयास होगा कि जल्द से जल्द सतर्कता अधिष्ठान से रिपोर्ट प्राप्त करके आगे कार्यवाही करूं।

श्री कमला प्रसाद वर्मा (जिला बहराइच)---

जैसा कि मन्त्री जी ने कहा कि इटावा जिले में क्रैश प्रोग्राम में घपला मालूम हुआ है उसी प्रकार से अनेक जिलों में अनियमितताओं की शिकायतें हुई हैं। इसमें सरकार को क्या कठिनाई है कि प्रदेश में इसके लिये एक जांच कमेटी बिठा दे?

श्री अध्यक्ष---

यही सवाल माननीय काशीनाथ जी ने किया था, उसका जवाब वह दे चुके हैं।

श्री राम अधार (जिला आजमगढ़)---

जब मन्त्री जी ने स्वीकार किया है कि गबन था तो सम्बन्धित अधिकारियों और कर्मचारियों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

मान्यवर, जो अभियन्ता हैं वह पहले सार्वजनिक निर्माण विभाग में ओवरसियर थे और वहां डेपुटेशन पर आये थे। उनकी सेवायें समाप्त कर दी गई थीं। लेकिन उन्होंने मुंसिफ कोर्ट में वाद उपस्थित कर दिया कि उनकी अवधि काम करने की दिनांक 31 दिसम्बर, 1974 तक है उस समय तक उनको रहना चाहिये। उनका अलग मामला चल रहा है। उनके खिलाफ केस दर्ज है और उन पर वैसे ही कार्यवाही होगी जैसे किसी मुलजिम के खिलाफ होती है।

(माननीय अध्यक्ष द्वारा प्रश्न 3 के पुकारे जाने पर)

श्री भारत सिंह चौहान--

अध्यक्ष महोदय, यह मसला बहुत अहम है। एक घंटे की चर्चा दे दीजिये। अध्यक्ष महोदय, सरकार का कोई उत्तर नहीं आया। इस पर 1 घंटे की चर्चा का समय दिया जाय।

श्री अध्यक्ष--

नहीं देंगे। प्रश्न यह है इस पर आपने देखा कि जो कार्यवाही है, कागज सब सील कर दिये गये हैं और कार्यवाही हो रही है।

श्री भारत सिंह चौहान--

मान्यवर, यह बहुत अहम मसला है। इस पर 1 घंटे की चर्चा का समय दिया जाय।

श्री अध्यक्ष--

इस पर एक घंटे की चर्चा का समय नहीं दिया जा सकता है।

श्री भारत सिंह चौहान--

मान्यवर, अगर आप इस पर एक घंटे की चर्चा का समय नहीं देते हैं, तो मैं इस बात पर वाक आउट करता हूं।

(श्री भारत सिंह चौहान सदन त्याग कर चले गये।)

श्री अध्यक्ष--

मैं समय नहीं देता हूं।

श्री मुलायम सिंह यादव--

मान्यवर, इस पर 1 घंटे की चर्चा का समय दिया जाय, नहीं तो मैं भी वाक आउट करता हूं।

(श्री मुलायम सिंह यादव सदन त्याग कर चले गये।)

महिला चिकित्सालय, गोरखपुर में नवजात शिशु की मृत्यु

*3--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री को जिला सोशलिस्ट पार्टी, गोरखपुर की ओर से दो तार दिनांक 14 एवं 15 फरवरी, 1975 को प्राप्त हैं, जिसमें डफरिन लेडी हास्पिटल, गोरखपुर में चिकित्सा एवं उपचार के अभाव में नवजात शिशु की मृत्यु एवं लाश को भी गायब करने का जिक्र है? यदि हां, तो शासन ने इस सम्बन्ध में अब तक कौन सी कार्यवाही की? घटना का पूरा विवरण क्या है और जांच के क्या परिणाम निकले?

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री प्रभु नारायण)--

जी नहीं। परन्तु तार दिनांक 20 फरवरी, 1975 इस सम्बन्ध में प्राप्त हुआ था।

दिनांक 13 फरवरी, 1975 को एक प्री-मेच्योर नवजात शिशु महिला चिकित्सालय, गोरखपुर में अपनी मां के साथ जिसकी हालत गम्भीर थी, भर्ती हुई। मां तथा बच्चे को यथासम्भव उपचार दिये जाने पर भी रात 11.25 बजे शिशु की मृत्यु हो गई। मां की हालत सुधर गई। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने रिपोर्ट दी है कि उक्त शिशु की लाश गायब नहीं हुई वरन् मरीजा के महिला अटेन्डेन्ट ने उक्त लाश को अस्पताल से प्राप्त किया और इसकी पुष्टि बच्चे के पिता द्वारा भी लिखित रूप में की गई है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मन्त्री जी ने जो उत्तर दिया है वह सत्यता से बहुत दूर है, दूर ही नहीं बल्कि सत्यता पर पर्दा डालने की एक घिनौनी साजिश है। मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि जब सभी चीजें ठीक हैं, तो आखिर शिकायत किस बात की है, जिसकी वजह से यह शिकायत असेम्बली में आई और माननीय मन्त्री जी को जवाब देना पड़ा?

श्री प्रभुनारायण--

मान्यवर, जहां तक कि 14 एवं 15 फरवरी, 1975 के तार के सम्बन्ध में बात है, वह तार जो है, सोशलिस्ट पार्टी का तार नहीं था। वह तार श्री राम नरेश दुबे के नाम आया था। 20 फरवरी को जो तार मिला था, वह सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से आया था। राम नरेश दुबे जी ने जो 14 फरवरी को तार दिया था उस तार में उन्होंने कहा था कि "गोरखपुर के डफरिन अस्पताल में मरीजों से रुपया की वसूली न देने पर सेवा, दवा में कटौती, जनजीवन खतरे में, जांच और उचित कार्यवाही की जाय।" इस सम्बन्ध में जांच हो रही है। जांच की कार्यवाही जारी है। शासन की तरफ से निदेशक को आदेश कर दिये गये हैं कि उसकी जांच करा कर शीघ्र रिपोर्ट दें। 20 फरवरी को जो तार मिला था, उस 20 फरवरी के तार के सिलसिले में पूरी रिपोर्ट आ चुकी है और उस सम्बन्ध में माननीय सदस्य चाहते हैं तो मैं उनको सूचना दे दूंगा।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

अध्यक्ष जी, घटना यह है कि जब नवजात शिशु को लेकर महिला अस्पताल में पहुंचती है, डाक्टरनी को बुलाया जाता है, वह 10 रुपया मांगती है, 10 रुपया नहीं दिया गया तो उसकी भर्ती नहीं हुई। श्री राम नरेश दुबे जो सोशलिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी हैं, जब वह गये तब उस औरत को ऐडमिट किया गया, परन्तु उसके बाद उसकी देख-रेख नहीं की गई, बच्चा मर गया। बच्चे की लाश नहीं मिली है। मन्त्री जी ने बड़ी होशियारी से जवाब यह दिया है कि जैसा कि चिकित्साधिकारी, गोरखपुर ने कहा है, अपने दायित्व से मन्त्री जी बच रहे हैं।

श्री अध्यक्ष--

वह क्या जानें ?

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, जब मैंने प्रश्न किया है, कि क्या सच है कि उस दायी को सस्पेंड कर दिया गया है ? उसको बन्द करके बयान लिया गया। फर्जी बयान लिया गया। जिस डाक्टरानी ने 10 रुपये मांगे थे वह लखनऊ के चक्कर लगा रही हैं ? क्या माननीय मन्त्री जी इसकी जांच करायेंगे और उसकी रिपोर्ट को सदन के सामने रखेंगे ?

श्री प्रभु नारायण--

जो स्थिति है, वह इस तरह से है। प्रश्न से सम्बन्धित घटना की जांच एक दूसरे तार दिनांक 20 फरवरी, 1975 के आधार पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी से करवायी गयी। मुख्य चिकित्साधिकारी ने रिपोर्ट दी है कि श्रीमती गुलाब कली देवी पत्नी श्री मदन सिंह गम्भीर हालत में 13 फरवरी, 1975 को 11.45 बजे दिन महिला चिकित्सालय, गोरखपुर में भर्ती हुई थीं। रोगी के भर्ती होने के समय श्री मदन सिंह (रोगी के पति) मौजूद नहीं थे और वे दूसरे दिन (14-2-75) लगभग 4 बजे सायंकाल अपनी स्त्री के पास आये। अस्पताल में भर्ती के एक दिन पूर्व उनको नवजात शिशु पैदा हुआ था। आब्सट्रैक्टेड लेबर का हिस्ट्री रिकार्ड किया गया था। नवजात शिशु भर्ती के समय बहुत ही कमजोर हालत में था और प्री-मेच्योर रिकार्ड किया गया था। बच्चे की गर्दन में 3/45 कान्ट्रीयजन के निशान थे, जो कि आब्सट्रैक्टेड लेबर के कारण बताया गया है। उक्त महिला एवं नवजात शिशु का महिला अस्पताल, गोरखपुर में पूर्णरूप से उपचार किया गया, जिसको स्वयं मुख्य चिकित्सा-

चिकारी ने भी अस्पताल में जाकर देखा और वे स्वयं भी इस बात से सन्तुष्ट थे। चूंकि नवजात शिशु प्रि-मेच्योर एवं कमजोर हालत में चम्पारन, जिला बिहार से लाया गया था। अतः महिला अस्पताल, गोरखपुर में समस्त चिकित्सा उपचार दिये जाने के बावजूद भी उसे बचाया नहीं जा सका। उसी रात को बच्चे की 11.45 मिनट पर मृत्यु हो गयी।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने यह भी सूचित किया है कि दो सोशलिस्ट पार्टी के कार्यकर्त्ताओं ने दिनांक 14 फरवरी, 1975 को मुझसे शिकायत की कि अस्पताल की एक दायी ने उस दिनांक को कार्यरत चिकित्साधिकारी के लिये रोगी के पति से 10 रुपये लिया है। रोगी गम्भीर हालत में हैं तथा उसे उचित चिकित्सा उपचार नहीं दिया जा रहा है। उस समय ज्येष्ठ चिकित्सा अधीक्षक, महिला चिकित्सालय, गोरखपुर, शहादत देने के लिये जिले के बाहर गयी हुई थीं। मैं दिनांक 14 फरवरी, 1975 को लगभग 12 बजे दोपहर को सोशलिस्ट पार्टी के कार्यकर्त्ताओं के साथ महिला चिकित्सालय गया। मैंने रोगी का जांच किया तथा उसे गम्भीर हालत में पाया तथा उन्होंने व्यक्तिगत रूप से चिकित्सा उपचार जो उसे दिया जा रहा था, सन्तोषजनक पाया। अन्ततः रोगी की हालत सुधर गयी तथा उसे दिनांक 23 फरवरी, 1975 को शल्य चिकित्सा हेतु जिला चिकित्सालय, गोरखपुर हस्तांतरित कर दिया गया था। उन्होंने चिकित्सा अधीक्षक (पी0पी0 स्कीम) जो ज्येष्ठ अधीक्षिका की अनुपस्थित में महिला चिकित्सा इन्चार्ज थीं, उन्हे निर्देश दिया कि दाई द्वारा दस रुपया लिये जाने के आरोप की जांच करके ज्येष्ठ अधीक्षिका, चिकित्सा के आने पर उनके सामने इसे रक्खें। इस सम्बन्ध में जो जांच हुई है उसके फलस्वरूप दाई को दन्डित करने के लिये आदेश पारित कर दिये गये हैं। जहां तक माननीय सदस्य का यह कहना है कि बच्चे की मृत्यु के सम्बन्ध में, जो सूचना उपलब्ध है, उसके आधार पर मैं यह सूचना देना चाहता हूं कि उक्त नवजात शिशु का शव, बच्चे की मां के साथ उपस्थित फीमेल अटेन्डेन्ट श्रीमती गुर्ंची देवी तथा श्री राम अधार सिंह के समक्ष उनको दे दिया गया, जिन्होंने उसको राजघाट ले जाकर 14 फरवरी, 1975 को जल प्रवाह किया। रोगी के पति श्री मदन सिंह को भी इस बात का ज्ञान है, और उनके द्वारा भी उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गोरखपुर तथा अधीक्षक पुलिस अस्पताल, गोरखपुर के सामने लिखित रूप में लाश की प्राप्ति की पुष्टि दिनांक 15 मार्च, 1975 को की है। अतः यह कहना असत्य है कि नवजात शिशु की लाश गायब कर दी गयी है।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद (जिला गोरखपुर)—

क्या माननीय मन्त्री जी इस बात की जांच करायेंगे कि डाक्टरानी ने 10 रुपये उससे मंगवाये थे और उसकी रिपोर्ट सदन के सामने प्रस्तुत करेंगे? जो माननीय मन्त्री जी ने रिपोर्ट पढ़ी है वह निराधार है।

श्री प्रभु नारायण—

मान्यवर, जो सूचना सी0एम0ओ0 की है, उनसे जो शिकायत की गई थी, वह दाई के सिलसिले में की गई थी, लेकिन जैसा माननीय सदस्य कह रहे हैं, कि दाई ने डाक्टरानी के लिये 10 रुपये की मांग की थी, अगर माननीय सदस्य लिख कर दे देंगे तो मैं इसकी भी जांच करवा लूंगा।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी गढ़वाल)—

मान्यवर, माननीय सदस्यों ने जो तथ्य बताये हैं, वे बड़े गम्भीर हैं और जो जांच कराई गई वह भी उसी डाक्टर से कराई गई जिसके विरुद्ध शिकायत थी। तो यह जांच सन्देह पैदा करती है। यह भी कहा गया कि लाश राजघाट में दफना दी गई। तो मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि यह सूचना कैसे आ गई। फिर बताया गया है कि पुलिस के सामने बच्चे के पिता से लिखवाया जाता है कि मुझे कोई शिकायत नहीं है। ये तमाम चीजें सन्देह पैदा करती हैं। आपने एक छोटे कर्मचारी को तो सजा दे दी लेकिन डाक्टरनी अपनी जगह पर बैठी हुई हैं। क्या उसका वहां से स्थानान्तरण करके माननीय मन्त्री जी इसके लिये कोई निष्पक्ष जांच कराने की कृपा करेंगें ?

श्री प्रभु नारायण—

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जितने एलीगेशन्स लगाये हैं, इसके 2 प्रश्न हैं। एक तो बच्चे की लाश उसके परिवार वालों को न मिलना, लाश का गायब हो जाना और दूसरा है डाक्टरनी के बारे में शिकायत कि दाई द्वारा रुपये मांगे गये। ये दोनों अलग-अलग बातें हैं। जहां तक लाश का प्रश्न है, जो औरत के साथ में अटेन्डेन्ट थी, उसको दी गई, यह पुलिस केस भी हो गया था, उनके द्वारा तफतीश भी की गई, डाक्टर का भी बयान है, सी0एम0ओ0 के सामने भी बयान हुए हैं। इसलिये जहां तक लाश के गायब करने का प्रश्न है, उसके बारे में तो जांच पूरी हो गई है। जहां तक दाई द्वारा 10 रुपये मांगे जाने का प्रश्न है, जैसा मैंने कहा, यदि माननीय सदस्य लिख कर दे देंगे तो मैं उचित जांच करवा कर उचित कार्यवाही करूंगा।

बांदा जिले के सदर अस्पताल में श्री चन्द्रशेखर की मृत्यु

*4—श्री देव कुमार यादव (जिला बांदा)—

क्या यह सही है कि श्री चन्द्रशेखर पुत्र श्री भीखा लाल हरिजन के बच्चे की मृत्यु दिनांक 22/23 फरवरी, 1975 की रात सदर अस्पताल, बांदा में नर्सों व डाक्टरों की लापरवाही के कारण हो गयी है ? यदि हां, तो तथ्य क्या हैं ? क्या डाक्टर जिसकी इमरजेन्सी ड्यूटी रात में थी, गैरहाजिर था ? क्या इस सम्बन्ध में किसी विधायक ने इमरजेन्सी रजिस्टर में कोई शिकायत भी अंकित की थी ? यदि हां, तो उसका क्या विवरण है और उसमें क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री प्रभु नारायण—

जी नहीं। शिशुचन्द्र शेखर की मृत्यु दिनांक 23 फरवरी, 1975 के अपरान्ह 3.30 बजे "टिटेनस" रोग से हुई है।

रोगी के चिकित्सा में कोई लापरवाही नहीं बरती गई।

प्रश्न नहीं उठता।

जी नहीं। इमरजेन्सी ड्यूटी के डाक्टर अपने निवास स्थान जो अस्पताल के आहते में ही है, में उपस्थित थे। सदर अस्पताल, बांदा में डाक्टरों के लिये अलग कोई ड्यूटी रूम नहीं है।

जी हां। श्री देव कुमार यादव, विधायक ने दिनांक 22 फरवरी, 1975 की रात्रि 10.30 बजे ड्यूटी पर तैनात डाक्टर व नर्स के विरुद्ध इमरजेन्सी रजिस्टर में शिकायत

अंकित की थी कि रात की ड्यूटी पर तैनात डाक्टर उपस्थित नहीं थे और नर्स सो रही थी। अंकित शिकायत में यह भी कहा गया था कि रोगी के चिकित्सा के बारे में पूछे जाने पर नर्स ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया और डाक्टर को बुलाने के लिये कहे जाने पर अनिच्छुकता के साथ डाक्टर को बुलाने गई और अल्प समय में ही लौट आई। मांगने पर उसने शिकायत पुस्तिका प्रस्तुत नहीं की।

उक्त नर्स को चेतावनी दी गई है।

श्री देव कुमार यादव--

मान्यवर, मैं बड़े अफसोस के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि शासन का यह काम नहीं है कि अपने कर्मचारियों की सफाई के रूप में बयान पढ़े। उस दिन जिस दिन की यह घटना है, करीब 10 बजे रोगी का बाप मेरे घर आया और बताया कि डाक्टर वहां पर मौजूद नहीं था। कम्पाउन्डर से पूछने पर उसने बताया कि डाक्टर गैरहाजिर है और नर्स सो रही है। कोई इलाज करने को राजी नहीं हुआ। मैंने जो शिकायत की थी क्या उसका पूरा विवरण माननीय मन्त्री जी सदन में पढ़ने की कृपा करेंगे?

श्री प्रभु नारायण--

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो शिकायत की है वह अंग्रेजी में की है। उसको मैं पढ़े देता हूं।

श्री अध्यक्ष--

किसी माननीय सदस्य के लिये अंग्रेजी में लिख कर देना उचित नहीं है, इसकी मैं इजाजत नहीं देता हूं।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

माननीय मन्त्री जी स्वीकार करते हैं कि इमरजेन्सी ड्यूटी पर डाक्टर था। लेकिन कहां था? अपने मकान के अन्दर। माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कौन सा कारण है कि जिला अस्पताल, बांदा में आपने अभी तक कोई ड्यूटी रूम का प्राविजन नहीं रखा है?

श्री प्रभु नारायण--

प्रदेश में बहुत से अस्पतालों की स्थिति यह है कि जहां इमरजेन्सी ड्यूटी रूम नहीं है। यह प्रश्न जब मेरे सामने आया तो मैंने यह आदेश पारित किया कि जहां पर फिजीशियन बैठते हैं, अस्पताल में वह कमरा ही, जब काम के घंटे खत्म होते हैं, इमरजेन्सी ड्यूटी रूम में तब्दील कर दिया जाय। सारे अस्पतालों को यह आदेश भेजे जा रहे हैं और वहां पर डाक्टर को 24 घंटे इमरजेन्सी के लिये मौजूद रहना चाहिये।

श्री दशरथ सिंह (जिला गोंडा)--

जब विधायक ने कम्प्लेन्ट की तो नर्स को साधारण सी हिदायत की गयी है। अगर कोई साधारण व्यक्ति होता तो मेरा ख्याल है कि नर्स उससे बात भी नहीं करती।

श्री अध्यक्ष--

यह तो काल्पनिक प्रस्थापना कर रहे हैं।

श्री दशरथ सिंह--

माननीय विधायक की शिकायत के उपरान्त केवल एक साधारण सी चेतावनी दी गयी। अगर वह विधायक न हो कर कोई साधारण व्यक्ति होता तो मेरा ख्याल है कि नर्स उससे बात भी नहीं करती।

श्री अध्यक्ष--

यह तो कल्पना पर प्रस्थापना कर रहे हैं।

श्री दशरथ सिंह--

तो मेरा प्रश्न यह है कि जब डाक्टर तक की गैरहाजिरी की बात थी, तो किसी और अधिकारी से जांच क्यों नहीं करायी गयी ?

श्री प्रभु नारायण--

जो जांच करायी गयी उससे मालूम हुआ कि डा0 वाई0 के0 जोशी ने अपने निवास स्थान पर उपस्थित होने की बात कही। डा0 जोशी 11 बजे रात में एक प्वायजन्ड मरीज को देखने अस्पताल आये और उस रोगी की इत्तला पुलिस को भी की थी। अब सवाल यह है कि नर्स ने ठीक कहा या नहीं कहा क्योंकि वह अनमनस्क मन से गयी थी और फिर जल्दी ही लौट आयी। नर्स का यह कहना है कि चूंकि वह केरल की है इसलिये बात ठीक समझ नहीं पाती। लेकिन उसके कैरेक्टर रोल में एन्ट्री कर दी जायगी।

(व्यवधान)

श्री देव कुमार यादव--

जहां तक मेरी जानकारी है वह टिटनस का मरीज था। उस बच्चे को ए0 टी0 एस0 का इन्जेक्शन नहीं दिया गया। उस मरीज को कौन-कौन सी दवा दी गयी या नहीं दी गयी माननीय मन्त्री जी इसकी जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री प्रभु नारायण--

अवश्य करूंगा।

लखनऊ केन्द्र में नर्सिंग प्रक्षिण हेतु सैनिक परिवार के अभ्यर्थी

*5--कुंवर श्रीपाल सिंह (जिला सुल्तानपुर)--

क्या यह सही है कि मार्च, 1975 से चालू होने वाले सत्र के लिये स्वास्थ्य विभाग द्वारा नर्सिंग प्रशिक्षण हेतु दिसम्बर, 1974 में लखनऊ केन्द्र में आयोजित प्रतियोगितात्मक परीक्षा के परीक्षाफल में सैनिक परिवार के अभ्यर्थियों के लिये कोटा निर्धारित नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों और इसके लिये कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं ?

श्री प्रभु नारायण--

जी हां। इस प्रशिक्षण के लिये कोई कोटा इसलिये निर्धारित नहीं किया गया है क्योंकि इस सम्बन्ध में शासन का कोई नीति निर्णय नहीं है। अत: किसी अधिकारी के दोषी होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

कुंवर श्रीपाल सिंह--

इससे पहले सैनिक परिवार वालों के लिये एक कोटा रहा करता था। यदि हां, तो वह अब क्यों बन्द किया गया है ?

श्री प्रभु नारायण--

पहले भी कोटा नहीं था।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

जब सैनिक परिवारों के लिये हर जगह कोटा निर्धारित हो रहा है, तो स्वास्थ्य विभाग में भी इस तरह का कोटा निर्धारित करने पर माननीय मन्त्री जी विचार करेंगे ?

श्री प्रभु नारायण--

अवश्य निश्चित करूंगा।

[18 मार्च, 1975 के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

खुर्जा, बुलन्दशहर तथा सिकन्दराबाद मार्ग पर स्थित चुंगी चौकियों द्वारा अतिरिक्त चुंगी की कथित वसूली

*1--श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि मोटर ठेला वालों से अक्तूबर, 1974 से 15 जनवरी, 1975 तक प्रत्येक चुंगी पर (खुर्जा-बुलन्दशहर-सिकन्दराबाद मार्ग पर) दो रुपये ठेला चुंगी के अलावा लिया गया ? यदि हां, तो क्यों और वह कितनी रकम है ?

श्री जगदीश शरण अग्रवाल--

खुर्जा, बुलन्दशहर तथा सिकन्दराबाद मार्ग पर स्थित नगरपालिका, खुर्जा, बुलन्दशहर तथा सिकन्दराबाद की चुंगी चौकियों पर अक्तूबर, 1974 से 15 जनवरी, 1975 तक निर्धारित कर के अतिरिक्त कोई अन्य धनराशि मोटर ठेलों से नहीं वसूली गयी।

सवाल के अन्य भाग का प्रश्न नहीं उठता है।

श्री हिम्मत सिंह--

ग्रान्ट ट्रंक रोड पर खुर्जा-बुलन्दशहर, सिकन्दराबाद पड़ते हैं, यहां पर एन0 डी0 एफ0 के नाम पर जिलाधिकारियों के आदेश पर 2 रुपये प्रति ठेला चन्दा इकट्ठा किया गया और इस तरह से 20-22 हजार रुपया इकट्ठा हुआ किन्तु बहुत थोड़ा सा रुपया उन अधिकारियों ने जमा किया, तो जिन अधिकारियों ने यह कार्य करने के आदेश दिये हैं, उनके अतिरिक्त अन्य किसी अधिकारी से क्या सरकार इसकी जांच करवायेगी ?

श्री जगदीश शरण अग्रवाल--

ऐसे कोई आदेश नहीं दिये गये। मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाता हूं कि अगर उनकी जानकारी में ऐसी बात है अगर वे सन्तुष्ट हों कि यह सही है तो वे मुझे लिख कर भेज दें, मैं अवश्य जांच करा लूंगा।

श्री हिम्मत सिंह--

यह आदेश नहीं दिये गये, यह जानकारी कहां से आयी ?

श्री जगदीश शरण अग्रवाल--

मैं शासन का एक जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते कह रहा हूं। सारी पत्रावली मेरे सामने है। मैंने जानकारी प्राप्त की है, उसके आधार पर कह रहा हूं।

श्री हिम्मत सिंह--

जब एन0 डी0 एफ0 का नाम हमने प्रश्न में किया ही नहीं तो आपके पास जानकारी उसकी कैसे आ गयी ?

श्री जगदीश शरण अग्रवाल--

उत्तर दिया जाय तो मुश्किल , न दिया जाय तो मुश्किल। हमने यह भी जानकारी प्राप्त की कि क्या किसी अन्य रूप में वसूल किया गया। उसकी जानकारी हमारे पास आयी।

बुलन्दशहर जिले में खाद का आबंटन

*2--श्री हिम्मत सिंह--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बुलन्दशहर जिले में इस रबी की फसल के लिये कितनी खाद (उर्वरक) सरकारी तथा सहकारी एजेन्सियों के द्वारा जिला बुलन्दशहर में बांटी गयी और बांटने का टार्गेट (लक्ष्य) क्या था ? क्या यह सही है कि सरकार ने तकावी पर खाद देना जिले में मना कर दिया है ?

कृषि मन्त्री (श्री वीरेन्द्र वर्मा)--

बुलन्दशहर जिले में इस वर्ष रबी की फसल के लिये सरकारी तथा सहकारी एजेन्सियों के द्वारा बांटी गयी खाद तथा बांटने के लक्ष्यों का विवरण संलग्न तालिका में दिया गया है।

जिले में तकावी पर खाद दिये जाने की कोई मनाही नहीं की गयी।

(देखिये नत्थी "क" आगे पृष्ठ 356 पर)

श्री हिम्मत सिंह--

तकावी के आधार पर कितनी खाद बांटी गयी ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

मान्यवर, 25,64,000 रुपया खाद और बीज के लिये स्वीकृत हुआ था।

श्री हिम्मत सिंह--

मैं यह पूछ रहा हूं कि बांटा कितना गया ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

वह सूचना माननीय सदस्य के पास तालिका में उपलब्ध है।

श्री हिम्मत सिंह--

तालिका में दिखायी गई क्या सारी खाद तकावी के आधार पर दी गयी ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

तकावी के आधार पर कितनी बंटी है इसकी सूचना अलग से उपलब्ध नहीं है।

श्री हिम्मत सिंह--

बुलन्दशहर जिले के लिये जो लक्ष्य निर्धारित था, वह पूरा न होने का क्या कारण है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

मान्यवर, जितना लक्ष्य था अलग-अलग विभागों का इसमें दिया गया है। उसमें कृषि विभाग का नत्रजन का 948 टन का लक्ष्य था और बांटा गया है 1969 टन। फास्फेट का लक्ष्य था 238 टन का और बांटा गया है 682 टन। पोटास का लक्ष्य 122 टन का था और बांटा गया 351 टन। जहां तक प्रदेश सहकारी संघों की बात है, उसके जरिये जितना लक्ष्य था और पिछले साल के मुकाबले में इस साल कम अवश्य बांटा है। सहकारी संघ का लक्ष्य 3796 टन था और उसने बांटा है 1957 टन। इसी प्रकार गन्ना सहकारी संघ का लक्ष्य था 1233 टन और उसने नत्रजन बांटा है 55 टन। कृषि औद्योगिक निगम का लक्ष्य था 2373 टन और उस ने बांटा है 667 टन।

श्री हिम्मत सिंह--

प्रदेश सहकारी संघ, गन्ना सहकारी संघ और कृषि औद्योगिक संघ का जो लक्ष्य निर्धारित था, उसका करीब-करीब 50 परसेन्ट खाद नहीं बंटा है, तो उसका आधार क्या था, जिससे पूरे साल में भी किसानों को पूरी खाद नहीं मिली ?

श्री अध्यक्ष--

माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि लक्ष्य पूरा क्यों नहीं हुआ ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं माननीय सदस्य को जानकारी करा देना चाहता हूं कि गत वर्ष इन तीनों वर्ग के फर्टिलाइजर जितनी मात्रा में आपके जिले को दिये गये थे उससे अधिक ही इस साल बांटा गया है। मान्यवर, मैं आपकी सूचना के लिये यह भी बतला दूं कि जो यह कहा गया है कि कम बंटा है, तो कम नहीं है बल्कि पिछले वर्ष से अधिक ही बंटा है। पिछले साल 6810 मीट्रिक टन बांटा गया था नत्रजन और इस साल बांटा गया है 7474 मीट्रिक टन। यह बात सही है कि फास्फेट जितना पिछले वर्ष बांटा गया था उससे इस वर्ष कम बंटा। पोटास करीब-करीब उतना ही बंटा है।

श्री ऊदल--

क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रदेश सहकारी संघ, गन्ना सहकारी संघ और कृषि औद्योगिक संघ को बांटने के लिये जो खाद का एलाटमेन्ट हुआ था उतना नहीं बंट सका, तो बकिया जो खाद थी वह कहां गयी ? क्या इसके बारे में माननीय मन्त्री जी जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

खाद तो अभी उनके पास ही है। लेकिन जो वितरण नहीं हो सका उसका कारण यह है जैसा कि मैंने आपको जानकारी दी कि जनवरी के महीने में उनको प्राप्त हुआ अभी जो आंकड़े मैंने आपको दिये हैं वे 31 जनवरी तक के वितरण के ही आंकड़े हैं और 31 जनवरी के बाद भी वे बांटते रहे हैं। इसलिये 31 जनवरी तक जो नहीं बांटा गया है वह उनके पास शेष रह गया है।

श्री अध्यक्ष--

यही आपको पहले ही बतला देना चाहिये था।

श्री हिम्मत सिंह---

लक्ष्य इसलिये पूरा नहीं हो सका क्योंकि तकावी पर आपने खाद नहीं बांटी जिससे किसान उसे खरीद नहीं सके और इसीलिये आपके पास खाद पड़ी है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा---

यह बात सही नहीं है। जैसा कि मैंने बतलाया कृषि विभाग को 948 मीट्रिक टन बांटना था और उसने बांटा है 1969 टन और वह सब कैश पर देते हैं तकावी पर नहीं। दुगुना उन्होंने बांटा है, इसलिये आपकी यह बात सही नहीं है कि तकावी न देने की वजह से खाद कम खरीदी गयी। पिछले वर्ष 25 लाख 64 हजार तकावी दी गयी थी।

राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषधि निर्माणशाला को निगम में परिवर्तित करने का विचार

*3---श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला पौड़ी-गढ़वाल)---

क्या चिकित्सा मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि आयुर्वेदिक औषधि निगम बनाने का कोई निर्णय 1973-74 में लिया गया है? यदि हां, तो कितनी लागत से वह बनाया गया और कहां पर उसका मुख्यालय है? यदि नहीं बनाया गया, तो क्यों?

श्री प्रभु नारायण---

वर्ष 1973-74 में आयुर्वेदिक औषधि निगम बनाने का कोई निर्णय नहीं लिया गया। अतः लागत तथा मुख्यालय बताने का प्रश्न नहीं उठता। राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषधि निर्माणशाला को उत्तर प्रदेश राज्य आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषधि निगम में परिवर्तित करने की एक योजना शासन के विचाराधीन है।

श्री शिवानन्द नौटियाल---

मान्यवर, जैसा माननीय मन्त्री जी ने अपने उत्तर में बताया, जो योजना विचाराधीन है, तो वह कब तक कार्यान्वित हो जायगी और कितनी लागत आयेगी?

श्री प्रभु नारायण---

जो योजना विचाराधीन है, उस योजना में 50 लाख रुपये का कैपिटल लगेगा। जिसमें से 12-13 लाख रुपये की बिल्डिंग मौजूद है, औषधि निर्माणशाला की। इसके साथ-साथ 12-13 लाख रूपये की परि-सम्पत्ति भी है और इसी के साथ-साथ 16 लाख रुपये का गवर्नमेंट की तरफ से अनुदान दिया जाता है, जो औषधि बनाने के सिलसिले में खर्च होता है। इस तरह से करीब-करीब रुपये की पूर्ति हो जायगी। लेकिन फिर भी क्रेडिट इंस्टीट्यूशन की सहायता लेकर कार्यवाही आगे बढ़ाने की बात है।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)---

मान्यवर, क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जो योजना शासन के विचाराधीन है और जो आयुर्वेदिक औषधियां बनाने में जड़ी बूटियां काम आती हैं, इनके लिये उद्यान बनाने के लिये कितना रुपया उन्होंने निर्धारित किया है और कूपी पक्व रसायन के लिये कितना रखा है?

(उत्तर नहीं दिया गया)।

श्री अध्यक्ष---

आप सवाल पूछिये। (हंसी)।

श्री रामायण राय (जिला देवरिया)--

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी के उत्तर के सम्बन्ध में, जैसा उन्होंने बताया, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि जिस निर्माणशाला की आप चर्चा कर रहे हैं क्या उसमें आयुर्वेदिक औषधियां बनाना प्रारम्भ हो गयी हैं या किसी किराये की बिल्डिंग में बन रही हैं ?

श्री अध्यक्ष--

आप इसमें निगम से सम्बन्धित प्रश्न पूछिये।

श्री शिवानन्द नौटियाल--

मान्यवर, क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह औषधिशाला कहां है और कितने रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से औषधियां बन रही हैं ?

श्री अध्यक्ष--

आप दूसरा प्रश्न करने लगे।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

मान्यवर, आपने हमारे सवाल का जवाब नहीं दिलवाया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि आयुर्वेदिक चिकित्सा दो आधार पर होती है एक रासायनिक चिकित्सा और वानस्पतिक चिकित्सा। 2 प्रकार की औषधियां लगती हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इन वनस्पतियों का निर्यात विदेशों को हो रहा है और वह वहां से 10 गुने दामों पर वापस आ जाती हैं। रासायनिक चिकित्सा जिसमें गंधक, पारद आते हैं उन पर और वनस्पतियों पर कितना खर्च करने की योजना है ?

श्री अध्यक्ष--

सवाल यह नहीं है। सवाल तो था निगम बनाने के बारे में, लागत आदि के बारे में। आप दूसरा सवाल कर रहे हैं।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

मान्यवर, मैं बतला दूं.....

श्री शिवानन्दन नौटियाल--

मान्यवर, औषधि निर्माणशाला का निर्माण हो चुका है इसलिये मैं पूछना चाहता हूं कि औषधियों का निर्माण प्रति वर्ष कितना-कितना हो रहा है ? और कौन सी ऐसी योजना आप बनायेंगे जिससे प्रदेश की सारी औषधियों की आवश्यकता को पूर्ण किया जा सके ?

श्री काशीनाथ मिश्र--

मान्यवर, सवाल तो निगम के बारे में था और वह दूसरे सवाल पूछने लगे।

(हंसी)

श्री अध्यक्ष--

काशीनाथ मिश्र की आपत्ति ठीक है।

(श्री अध्यक्ष द्वारा प्रश्न संख्या 4-5 पुकारे जाने पर)

श्री काशीनाथ मिश्र--

मान्यवर, मैंने अभी सवाल पूछा ही नहीं है।

श्री अध्यक्ष--

आपने जो बात कही उसको मैंने कहा है, सवाल की इजाजत नहीं दी है।

(हंसी)

राजकीय अस्पतालों के पर्चे के शुल्क में वृद्धि तथा चिकित्सा सेवा पर प्रति व्यक्ति व्यय होने वाली धनराशि

*4--श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती) तथा श्री राजेन्द्रप्रसाद चौधरी (जिला गोंडा)--

क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय अस्पतालों में रोगियों को पर्चा बनवाने के लिये पड़ने वाला शुल्क 10 पैसे के बजाय 50 पैसे कर दिया गया है? यदि हां, तो कब से तथा क्यों?

श्री प्रभुनारायण--

जी हां, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा ग्रामीण चिकित्सालयों में 10 पैसे के स्थान पर 25 पैसे तथा अन्य राजकीय चिकित्सालयों तथा औषधालयों में 50 पैसे शासनादेश (दिनांक 4 जनवरी, 1975) की प्राप्ति के दिनांक से कर दिया गया है। यह जन समुदाय को अच्छा तथा प्रभावी उपचार उपलब्ध कराने तथा राज्य के वित्तीय साधनों को बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया है।

*5--श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी तथा श्री राजेन्द्र प्रसाद चौधरी--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि राज्य में चिकित्सा सेवा पर प्रति व्यक्ति औसत वार्षिक व्यय क्या है?

श्री प्रभुनारायण--

वर्ष 1973-74 में राज्य में चिकित्सा सेवा पर प्रति व्यक्ति व्यय 4 रुपये 40 पैसे हुआ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मान्यवर, यह सेल्फ-कन्डेमनेशन स्टेटमेंट है। लेकिन आप एक बात बता दें कि 10 पैसे से 50 पैसे आपने किस आधार पर किया है? क्या लोगों की आय पांच गुनी बढ़ गयी है इसलिये या और कोई कारण है? आपने गरीब और धनी में कोई अन्तर किया है क्या?

श्री प्रभुनारायण --

मान्यवर, इस सम्बन्ध में शासन का यह निर्णय है कि जो वित्तीय तौर पर दवाइयां अस्पतालों को दी जा रही हैं, उसके अलावा जो एडीशनल पैसा मिलेगा उसकी एडीशनल दवाइयां दी जायेंगी। जो बजट में प्राविधान है, उससे एडीशनल इस पैसे से दवाइयां उस अस्पताल को दी जायेंगी।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

मान्यवर, 10 पैसे से 50 पैसे बढ़ा दिया गया? तो एडीशनल दवा उससे मिलेगी तो वह अमीरों के लिये होगी या गरीबों के लिये होगी। मैं पूछना चाहता हूं कि अमीरों से जो पैसा जायेगा और गरीबों से जो पैसा जायेगा उसको मालूम करने के लिये कि किससे कितना आया इसका कोई आपने माप-दन्ड बनाया है?

श्री प्रभु नारायण—

मान्यवर, मैं ऐसा समझता हूं कि माधव बाबू के अमीर दोस्त अस्पतालों में कम जाते होंगे ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी ने बताया कि यह जो 10 पैसे से 50 पैसे बढ़ा दिया गया है उससे एडीशनल दवाइयां देंगे । तो मैं पूछना चाहता हूं कि जब 10 पैसे लेते थे तो उस समय कुल कितनी आय होती थी और अब 50 पैसे कर दिया है तो इससे कितनी आय अब अनुमानित है ?

श्री प्रभुनारायण—

मान्यवर, पहले 14 लाख की आये है और अब 50 लाख रुपये की आय होगी ।

श्री कृष्णा राय (जिला देवरिया)—

मान्यवर, अब मन्त्री जी ने 50 पैसे कर दिया है । तो गरीबों का दारुलशफा में जो अस्पताल है, उसमें 13 तारीख को पर्ची लिखा है क्या इसका आपको ज्ञान है ?

श्री अध्यक्ष—

यह तो अलग प्रश्न हो गया ।

एक सदस्य—

मान्यवर, 8 आने तो ले लिये पर्ची बनवाई लेकिन दवा नहीं मिली । हमारा कहना यह है कि दारुलशफा में जो अस्पताल है उसमें 8 आने का पर्चा बनवाया गया लेकिन दवा नहीं मिली ।

श्री अध्यक्ष—

यह दारुलशफा वाला मामला बाद में देख लेंगे ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, मैं माननीय मन्त्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि डेस्टीट्यूट्स के लिये जो इनके पहले आदेश है कि उन्हें पर्चा नहीं बनवाना पड़ेगा, तो क्या वह फ्री है या उन्हें भी पर्चा बनवाना पड़ेगा ?

श्री प्रभु नारायण—

मान्यवर, माधो बाबू ने जो प्रश्न उठाया है उसको देखकर ही उत्तर दे पाऊंगा लेकिन मेरा ख्याल है कि डेस्टीट्यूट्स के सम्बन्ध में कोई रास्ता निकालना पड़ेगा ।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

मान्यवर, सरकारी अस्पतालों में एक तोला सोडा बाईकार्ब और एक आउंस कैलसियम सिरप और दो लीटर पानी मिलाकर सैकड़ों मरीजों को दवा दी जाती है ।

मेरठ शहर को "बी" श्रेणी का नगर घोषित करने की मांग

*6—श्री मोहन लाल कपूर—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि मेरठ निवासियों की ओर से मेरठ को 'बी' श्रेणी का नगर घोषित करने का प्रतिवेदन वर्ष 1974 में शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

नोट— [तारांकित प्रश्न संख्या 5 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।]

श्री जगदीश शरण अग्रवाल--

जी नहीं, ऐसा कोई प्रत्यावेदन प्राप्त हुआ नहीं प्रतीत होता। ज्ञातव्य है कि मेरठ को 'बी' श्रेणी का नगर घोषित करने का मामला भारत सरकार से सम्बन्धित है। अतएव, इस सिलसिले में राज्य सरकार द्वारा कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

*7--श्री हिम्मत सिंह---

[3रे मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या 8 पर स्थानान्तरित।]

जिला नियोजन कार्यालय, बदायूं से सम्बन्धित उप-विकास आयुक्त, बरेली मंडल की रिपोर्ट

*8--श्री मुहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद बदायूं के नियोजन विभाग में फैली हुई अनियमितताएं, भ्रष्टाचार आदि के सम्बन्ध में उप विकास आयुक्त, बरेली मन्डल ने प्रश्नकर्ता की बात का समर्थन करते हुये सरकार को लगभग 35 पेज की कोई रिपोर्ट अभी हाल में भेजी है। यदि हां, तो सरकार ने रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही की और क्या सरकार उस रिपोर्ट की एक प्रति सदन के पटल पर रखेगी?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

उप विकास आयुक्त, बरेली मन्डल से जनपद बदायूं के जिला नियोजन कार्यालय के सम्बन्ध में 33 पृष्ठ की एक रिपोर्ट दिनांक 9 अक्तूबर, 1974 को प्राप्त हुई थी?

यह बात सही नहीं है कि उक्त रिपोर्ट में अनियमितताओं तथा भ्रष्टाचार आदि के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता द्वारा उल्लिखित सभी बातों का समर्थन किया गया हो।

इस रिपोर्ट के प्राप्त होने के उपरान्त मुख्यालय से एक अधिकारी विस्तृत जांच करने के लिये बदायूं भेजा गया था। इस अधिकारी की जांच रिपोर्ट के आधार पर माननीय सदस्य को उत्तर भेज दिया गया है।

उप विकास आयुक्त की रिपोर्ट गोपनीय है तथा उसकी प्रतिलिपि सदन के पटल पर रखना जनहित में नहीं है।

*9-10--श्री अठई राम--

[1ले मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या 7-8 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

गोरखपुर जिले की ग्राम सभा हरसेवकपुर नं० 2 के ग्राम प्रधान के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*11--श्री मधुकर दिघे (जिला गोरखपुर) तथा श्री शारदा प्रसाद रावत (जिला गोरखपुर)--

क्या पंचायती राज मन्त्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम सभा हरसेवकपुर, नं० 2, विकास खंड चरगांवा, जिला गोरखपुर के ग्राम प्रधान के अवैधानिक कार्यों के खिलाफ उसी ग्राम के उप प्रधान तथा अन्य पंचों ने दिनांक 1 अक्तूबर, 1973 एवं उसके पूर्व की तिथियों पर निदेशक, पंचायत राज, उत्तर प्रदेश व सरकार को कतिपय लिखित शिकायतें की थीं? यदि हां, तो उन शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

दिनांक 1 अक्तूबर, 1973 एवं उससे पूर्व उप प्रधान एवं अन्य सदस्यों का केवल एक शिकायती पत्र निदेशक, पंचायतराज को प्राप्त हुआ जो जिलाधिकारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा गया। इसमें मुख्यतः भूमि प्रबन्धक समिति से सम्बन्धित शिकायतें थीं जिन पर परगनाधिकारी सदर द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

निलम्बित आबकारी निरीक्षकों के निर्वाह भत्ते का भुगतान

*12—श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

क्या आबकारी मन्त्री कृपया बतायेंगे कि कितने आबकारी निरीक्षक इस समय निलम्बित हैं और कितने समय से निलम्बित हैं, उनमें से कितने लोगों को आरोप-पत्र दे दिये गये हैं और कितनों को नहीं ? यदि कुछ लोगों को आरोप-पत्र नहीं दिये गये हैं तो क्यों और उनमें से कितनों को निलम्बन काल का जीवन निर्वाह भत्ता मिल रहा है ? यदि कुछ लोगों को जीवन निर्वाह भत्ता नहीं मिल रहा है, तो उसका क्या कारण है ?

आबकारी मन्त्री (डाक्टर चरणसिंह)—

चार आबकारी निरीक्षक इस समय निम्नलिखित दिनांकों से निलम्बित हैं :

दिनांक 3 जून, 1966,
दिनांक 13 अक्तूबर, 1972,
दिनांक 21 दिसम्बर, 1972,
दिनांक 17 अक्तूबर, 1974,

तीन निरीक्षकों के विरुद्ध न्यायालय में मुकदमें चल रहे हैं। चौथे निरीक्षक के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जा रही है और आरोप-पत्र दिया जा चुका है।

तीन निरीक्षकों को निर्वाह भत्ता पहले से ही मिल रहा है, शेष एक को निर्वाह भत्ता भुगतान किये जाने के आदेश आबकारी आयुक्त द्वारा जारी कर दिये गये हैं।

जिला कृषि अधिकारी, गोरखपुर के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*13—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला कृषि अधिकारी, गोरखपुर (श्री ब्रज भूषण राय) इस जिले में कब से कार्यरत हैं ? इस बीच उनके विरुद्ध भ्रष्टाचार की कितनी शिकायतें शासन को प्राप्त हुई और उन पर क्या कार्यवाही की गई ? क्या मुख्य मन्त्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि इस बीच उनका कितने बार स्थानान्तरण हुआ और किन कारणों से स्थानान्तरण सम्बन्धी आदेश कार्यान्वित नहीं हो पाये ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

दिनांक 24 जून, 1972 से।

5 शिकायतें प्राप्त हुईं जिनकी जांच कराई गई है।

केवल एक बार, इसे उनकी पारिवारिक कठिनाइयों के कारण स्थगित किया गया।

श्री रमेश चन्द्र शर्मा की स्वरूप रानी नेहरू चिकित्सालय, इलाहाबाद में मृत्यु

*14—श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि 5 नवम्बर, 1974 की शाम को इलाहाबाद में स्वरूप रानी अस्पताल में बैरिस्टर श्री रमेश चन्द्र शर्मा का असामयिक निधन किन परिस्थितियों में हो गया ? क्या इस सम्बन्ध में कोई विवाद उत्पन्न हो गया था ? यदि हां, तो सरकार इस पर विस्तृत प्रकाश डालने की कृपा करेगी ?

श्री प्रभु नारायण--

श्री रमेश चन्द्र शर्मा, एडवोकेट, जो गुर्दे की खराबी के कारण उपचार हेतु स्वरूप रानी नेहरू चिकित्सालय, इलाहाबाद में दिनांक 1 नवम्बर, 1974 को भर्ती हुये थे, का दिनांक 5 नवम्बर, 1974 को निधन हो गया था। इस बारे में और कुछ कहना इस समय जनहित में उचित न होगा।

सेनेटरी इन्सपेक्टरों की चीफ फूड इन्सपेक्टरों के पदों पर पदोन्नति में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति का प्रतिशत

*15--श्री अनवार जमील (जिला फर्रुखाबाद)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में जिला स्तर पर नियुक्ति हेतु शासन द्वारा स्वीकृत करीब 46 चीफ फूड इन्सपेक्टरों के पदों पर सेनेटरी इन्सपेक्टरों की पदोन्नति की जा रही है। यदि हां, तो क्या उक्त पदोन्नति में राजाज्ञा संख्या 15-5-73-रा0स्वी0, दिनांक 20 मार्च, 1974 के आधार पर अनुसूचित एवं जन-जातियों के लोगों को क्रमश: 18 प्रतिशत एवं 2 प्रतिशत के आरक्षण के हिसाब से पदोन्नत किया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री प्रभु नारायण--

प्रश्नगत शासनादेश में निर्धारित रीति से 18 प्रतिशत अनुसूचित जातियों तथा 2 प्रतिशत अनुसूचित जन जातियों के सेनेटरी इन्सपेक्टरों की चीफ फूड इन्सपेक्टरों के पदों पर पदोन्नति के आदेश जारी किये जा चुके हैं। शेष प्रश्न नहीं उठता।

नगर महापालिकाओं की पेयजल योजना हेतु विश्व बैंक द्वारा आर्थिक सहायता

*16--श्री ऊदल--

क्या सरकार बतायेगी कि प्रदेश की नगर महापालिकाओं एवं पालिकाओं को पानी सप्लाई करने हेतु वाटर वर्क्स के लिये विश्व बैंक किसी बृहद योजना के ऊपर विचार कर रहा है और करीब 50 करोड़ रुपये भी देने को कहा है? यदि हां, तो योजना की रूप-रेखा क्या है और कब से शुरू होगी? क्या विश्व बैंक की टीम लखनऊ की प्रदेश सरकार से बात करने हेतु सितम्बर-अक्तूबर, 1974 में आई थी?

श्री जगदीश शरण अग्रवाल--

जी हां।

62 करोड़ रुपये के कार्य-क्रम पर, जिसमें पांचों महानगरियों तथा बुन्देलखंड व पहाड़ी क्षेत्रों के लिये पेयजल योजनायें शामिल हैं, विश्व बैंक द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान करने पर विचार विमर्श हुआ है।

प्रदेश की पांचों नगरमहापालिकाओं में जल सम्पूर्ति एवं जलोत्सारण योजनाओं के लिये 37 करोड़ रुपये तथा पहाड़ी क्षेत्रों और बुन्देलखंड के गांवों में जल सम्पूर्ति योजनाओं के लिये 25 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत के कार्य सम्मिलित हैं।

धन प्राप्त होने की दशा में कार्य प्रारम्भ करना सम्भव होगा।

जी हां।

इटावा जिले की क्रय-विक्रय समिति में अनियमितता

*17—श्री मुलायम सिंह यादव—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि 1974 में भर्थना, जिला इटावा की क्रयविक्रय समिति में हजारों रुपयों के घुटाले की जांच जिला नियोजन अधिकारी ने की थी ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या-क्या आरोप सही पाये और सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

सहकारिता मन्त्री (श्री नारायण सिंह)—

जी हां। प्रारम्भिक जांच से कुछ अनियमितताओं का आभास मिला। समिति के अभिलेखों का विशेष सम्प्रेक्षण कराये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

पिथौरागढ़ जिले के बेरीनाग ब्लाक के बी० डी० ओ० के विरुद्ध सरकारी धन के दुरुपयोग की शिकायत

*18—श्री शिवानन्द नौटियाल—

क्या सामुदायिक विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि पिथौरागढ़ जिले के बेरीनाग ब्लाक में बी० डी० ओ० और अन्य उच्च अधिकारियों के विरुद्ध सरकारी धन के अनियमित प्रयोग एवं अपहरण के कितने केसेज हैं और उन अधिकारियों के विरुद्ध अब तक क्या अनुशासनात्मक कदम शासन ने उठाये हैं ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

बेरीनाग ब्लाक के बी० डी० ओ० के विरुद्ध सरकारी धन के अनियमित प्रयोग के एक मामले के बारे में जिलाधिकारी, पिथौरागढ़ से आख्या प्राप्त हुई थी, जो अपूर्ण पाई गई ? इसको पूर्ण करके पुनः भेजने हेतु जिलाधिकारी को लिखा गया है।

*19—श्री रघुबीर सिंह—

[चौथे गुरुवार में तारांकित प्रश्न संख्या 68 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जिला सहकारी बैंक, बस्ती में तथा कथित गबन

*20—श्री बाबू लाल वर्मा (जिला बहराइच)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गत 3 वर्षों के अन्दर जिला सहकारी बैंक, बस्ती में भारी धन का दुरुपयोग और गबन का मामला पकड़ा गया जो अब तक सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसके तथ्य क्या हैं और इस मामले की जांच कौन कर रहा है ?

श्री नारायण सिंह—

जी नहीं।

जौनपुर जिले से वाराणसी को स्थानान्तरित स्वास्थ्य निरीक्षिकाओं का टी० ए० व वेतन

*21—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या चिकित्सा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 1 जून, 1974 से 31 अगस्त, 1974 के मध्य कितनी स्वास्थ्य निरीक्षिकाओं का स्थानान्तरण जनपद जौनपुर से जनपद वाराणसी में किया गया तथा उनमें से कितनी ऐसी हैं जिनको दिनांक 7 नवम्बर, 1974 तक न तो उनका स्थानान्तरण का टी० ए० दिया गया न ही उन्हें अपने स्थानान्तरित स्थान पर वेतन ही दिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री प्रभु नारायण--

कथित अवधि के मध्य दो निरीक्षिकाओं का स्थानान्तरण जनपद जौनपुर से जनपद वाराणसी में किया गया। इनमें से एक को स्थानान्तरण यात्रा भत्ता का भुगतान 7 नवम्बर, 1974 तक इस कारण नहीं किया जा सका क्योंकि उन्होंने अपना स्थानान्तरण भत्ता बिल प्रस्तुत नहीं किया। दूसरी स्वास्थ्य निरीक्षिका का स्थानान्तरण उनके निजी अनुरोध पर किया गया था अत: उन्हें यात्रा भत्ता दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता है। इन दोनों स्वास्थ्य निरीक्षिकाओं को वेतन का भुगतान 7 नवम्बर, 1974 तक कर दिया गया था।

*22--श्री वीरेन्द्र वर्मा--

[मन्त्री पद ग्रहण करने के कारण निरस्त।]

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, माधोगढ़, जिला जालौन के डाक्टर का निलम्बन

*23--डाक्टर मलखान सिंह (जिला जालौन)--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री को जानकारी है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, माधोगढ़, जिला जालौन के डाक्टर को माह सितम्बर 1974 में रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया और वह अब भी ड्यूटी पर है? यदि हां, तो क्यों?

श्री प्रभु नारायण--

जी हां। डाक्टर गुप्ता का स्थानान्तरण प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, अमरोधा जिला कानपुर कर दिया गया है और उनके निलम्बन आदेश भी जारी कर दिये गये हैं।

शाहजहांपुर जिले की तिलहर तहसील के अन्तर्गत कतिपय ग्राम प्रधानों के विरुद्ध आरोप-पत्र

*24--श्री मोहम्मद रफी खां (जिला शाहजहांपुर)--

क्या पंचायती राज मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर की तहसील तिलहर के कितने ग्राम प्रधानों के विरुद्ध शिकायती पत्र जिनमें गम्भीर आरोप ग्राम समाज की भूमि का दुरुपयोग करने, रिश्वत लेने व नियमित कार्य न करने के, मन्त्री जी व जिलाधिकारी, शाहजहांपुर को दिनांक 1 मार्च, 1974 से 30 सितम्बर, 1974 तक प्राप्त हुये और उनकी जांच किस अधिकारी द्वारा करवाई गई और दोषी प्रधानों के विरुद्ध क्या कार्यवाही हुई?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

इस अवधि में तहसील तिलहर के दो ग्राम प्रधानों के विरुद्ध शिकायती पत्र प्राप्त हुये। प्रधान, ग्राम सभा भरई के विरुद्ध शिकायती-पत्र पर तहसीलदार द्वारा जांच कराई गई। प्रधान को निलम्बित कर आरोप-पत्र दिया गया है। दूसरी शिकायत प्रधान, ग्राम सभा शिवदासपुर के विरुद्ध थी जिसकी जांच क्षेत्र विकास अधिकारी द्वारा कराई गई और उसके आधार पर दोषी पाये जाने पर प्रधान को आरोप-पत्र दिया गया है।

देवरिया जिला परिषद् के अभियन्ता के विरुद्ध सतर्कता अधिष्ठान की जांच

*25—श्री हरिकेवल (जिला देवरिया)—

क्या पंचायती राज मन्त्री बतायेंगे कि देवरिया जनपद के जिला परिषद् के अभियन्ता को लाखों रुपयों के गबन के आरोप के सम्बन्ध में 1968 में निलम्बित किया गया था और गुप्तचर को कार्यवाही का आदेश दिया गया था? यदि हां, तो क्या उसकी जांच रिपोर्ट प्राप्त हो गई और उन्हें बहाल कर दिया गया? यदि नहीं, तो यह किस प्रकार और किसके आदेश से 1968 से अब तक कार्यालय में बाकायदा कार्य कर रहे हैं?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

सम्बन्धित अभियन्ता को 1968 में नहीं किन्तु जनवरी, 1971 में निलम्बित किया गया तथा जांच में विलम्ब लगने के कारण अगस्त, 1972 में उन्हें पदाच्युत कर दिया गया। इनके विरुद्ध शिकायतों पर सतर्कता जांच चल रही है जो अभी समाप्त नहीं हुई है।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम की धारा 47(2) के अन्तर्गत अभियन्ता के पद पर इनकी 1968 के उपरान्त क्रमागत नियुक्ति के विषय में लोक सेवा आयोग से पत्र-व्यवहार चल रहा है और आयोग की संस्तुति प्राप्त होने तक इन्हें अपने पद पर रहने दिया गया है।

उप-निबन्धक सहकारी समितियां फैजाबाद के कार्यालय के सहायक लेखाकारों के वेतन का भुगतान

*26—श्री वेद प्रकाश अग्रवाल (जिला फैजाबाद)—

क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 20 अक्तूबर, 1974 को फैजाबाद स्थित मन्डल कार्यालय सहकारी समितियों के कार्यालय में सहायक लेखाकार कौन-कौन थे, जिनके वेतन का नवीन वेतन-मान में वेतन निर्धारित रूप से नहीं किया गया? वेतन निर्धारित न करने का क्या कारण है? क्या यह सही है कि उल्लिखित लेखाकार को दिसम्बर, 1974 के पूर्व लगभग 5 माह का वेतन नहीं दिया गया? वेतन न देने का कारण क्या है तथा वेतन कब तक दे दिया जायेगा?

श्री नारायण सिंह—

सहकारी समिति उप निबन्धक, फैजाबाद के कार्यालय में दिनांक 20 अक्तूबर, 1974 को कार्यरत सभी सहायक लेखाकारों के वेतन नये वेतन-मान में निर्धारित कर दिये गये हैं।

चूंकि "उल्लिखित लेखाकार" के बारे में कोई विवरण आदि नहीं दिया गया है। अतः उनको देय वेतन आदि के बारें में सूचना देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

छात्र संघर्ष समिति, पन्तनगर विश्वविद्यालय का ज्ञापन

*27—श्री ओम प्रकाश सिंह (जिला मिर्जापुर)—

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि छात्र संघर्ष समिति, पन्तनगर, (पन्तनगर विश्वविद्यालय) द्वारा विश्वविद्यालय में व्याप्त अनियमितताओं के सम्बन्ध में कोई ज्ञापन अक्तूबर, 1974 से दिसम्बर, 1974 के मध्य प्राप्त हुआ? यदि हां, तो ज्ञापन में मुख्य बातें क्या हैं? तथा उस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

जी हां, शासन की प्रति संलग्न है। शासन के स्तर पर किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं पायी गयी।

(देखिये नत्थी "ख" आगे पृष्ठ 357–358 पर।)

निदेशक, पशुपालन के विरुद्ध सतर्कता जांच रिपोर्ट

*28—श्री तेज बहादुर गंगवार (जिला पीलीभीत)—

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि सन् 1970 में कुछ विधायकों द्वारा निदेशक, पशुपालन के खिलाफ उनके भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में लिखित शिकायतें की गयीं थीं और उनकी जांच विजिलेन्स द्वारा कराये जाने को लिखा गया था? क्या विजिलेन्स द्वारा जांच करायी गयी? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है?

श्री नारायण सिंह—

जी हां, 1970 में निदेशक पशुपालन के खिलाफ भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में लिखित शिकायती-पत्र प्राप्त हुये थे। इसकी जांच विजिलेन्स द्वारा कराई गई थी। सतर्कता विभाग में इस रिपोर्ट पर विचार हुआ और यह निर्णय लिया गया कि निम्नलिखित कार्यवाही के अतिरिक्त अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है :—

आगरा विश्वविद्यालय के कार्य के सम्बन्ध में वातानुकूलित दर से यात्रा भत्ता के पशुपालन निदेशक अधिकारी थे। उन्होंने इसी प्रकार यात्रा भत्ता मांगा था। किन्तु उन्होंने यह प्रमाणित नहीं किया था कि वातानुकूलित श्रेणी में यात्रा की। लेकिन आगरा विश्वविद्यालय ने फी बगैर इस प्रमाण-पत्र के वातानुकूलित यात्रा भत्ता दे दिया। पशुपालन निदेशक से फर्स्ट क्लास और वातानुकूलित दर का फर्क 24.90 पैसे विश्वविद्यालय को वापस करा दिया गया। इसी प्रकार सरकारी गाड़ी में कुल 27 किलोमीटर का चार्ज रु0 13.45 पैसे उन्हें निजी प्रयोग के लिये देना था। जो उन्होंने जमा कर दिया।

मेडिकल आफिसर, विशुनगढ़ जिला फर्रुखाबाद का कत्ल

*29—श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)—

क्या चिकित्सा मन्त्री को यह जानकारी है कि दिनांक 1/2 जुलाई, 1973 को एम0 ओ0, विशुनगढ़, जिला फर्रुखाबाद, थाना छिबरामऊ का कत्ल डकैती में हो गया? यदि हां, तो उनके परिवार को पेंशन, बकाया वेतन, प्राविडेन्ट फन्ड, ग्रेच्यूटी इत्यादि दिये जाने की कोई कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री प्रभु नारायण—

जी हां। उनके परिवार को पेन्शन, बकाया वेतन, प्राविडेन्ट फन्ड, ग्रेच्यूटी आदि के भुगतान किये जाने के समस्त वांछित कागजात महालेखाकार, उत्तर प्रदेश को भेज दिये गये हैं।

*30—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

[3रें शुक्रवार में तारांकित प्रश्न संख्या 13 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

कृषि सेवा वर्ग-2 में पदोन्नित किये गये व्यक्तियों का लोक सेवा आयोग से अनुमोदन

*31--श्री कल्याण सिंह (जिला अलीगढ़)--

क्या कृषि मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में कृषि विभाग में वर्ष 1961 से मई, 1974 तक की अवधि में कौन-कौन व्यक्ति कृषि सेवा वर्ग-2 में पदोन्नत किये गये हैं ? क्या यह सच है कि अभी तक कृषि विभाग ने उपरोक्त पदोन्नतियों का अनुमोदन लोक सेवा आयोग द्वारा नहीं कराया है जिसके कारण उनकी आगे की पदोन्नतियां रुकी पड़ी हैं ? यदि हां, तो किन कारणों से और सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

इस अवधि में 656 अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग 3 के सदस्य तथा 273 ग्राम सेवक पदोन्नत किये गये। वर्ग-3 से पदोन्नत सदस्यों में से 10 के बारे में आयोग का अनुमोदन प्राप्त हो गया है। अन्य के मामलों में आयोग का अनुमोदन प्राप्त करने के सम्बन्ध में कृषि निदेशक समुचित कार्यवाही कर रहे हैं।

कानपुर जिले की साधन सहकारी समिति रतनियांपुर में भ्रष्टाचार

*32--चौधरी रामपाल सिंह यादव (जिला कानपुर)--

क्या सहकारिता मन्त्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर जिले में साधन सहकारी समिति लि0, रतनियांपुर में अनियमितताओं, नियमोल्लंघन और नियंत्रित वस्त्र वितरण में भ्रष्टाचार, चोरबाजारी तथा गोलमाल के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी (सहकारिता), डेरापुर ने अपने पत्र-संख्या 448, दिनांक 20 अगस्त, 1974 द्वारा जिला सहायक निबन्धक सहकारी समिति, उत्तर प्रदेश, कानपुर को इसकी सूचना भेजी और यह भी संस्तुति की है कि संचालक मण्डल भंग करके समिति का आलेख धारा 36 के अन्तर्गत पुलिस की सहायता से प्राप्त कराया जाये ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री नारायण सिंह--

सहायक विकास अधिकारी (सहकारिता) डेरापुर का सन्दर्भित पत्र जिला सहायक निबन्धक को नहीं प्राप्त हुआ परन्तु सहायक विकास अधिकारी ने मासिक मीटिंग में उक्त समिति के विरुद्ध मौखिक रूप से यह शिकायत की थी कि उन्हें समिति के अभिलेख जांच हेतु उपलब्ध नहीं किये जा रहे हैं। इस शिकायत पर समिति का कोटा जिला सहायक निबन्धक, सहकारी समितियां, कानपुर द्वारा बन्द कर दिया गया था। तत्पश्चात् जब समिति के अभिलेख उपलब्ध हुए तो उसकी जांच करने पर कोई गम्भीर अनियमितता प्रकाश में नहीं आई, अतः सहायक विकास अधिकारी, डेरापुर ने समिति के कोटे को पुनः देने की अनुशंसा की जिसके आधार पर कोटा दे दिया गया।

कानपुर जिले के भीखादेव कहिजरी के प्रधान के विरुद्ध गबन सम्बन्धी जांच रिपोर्ट

*33--चौधरी रामपाल सिंह यादव--

क्या पंचायत राज मन्त्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर जिले के विकास खंड, रसूलाबाद के अन्तर्गत भीखादेव कहिजरी के प्रधान बाबूलाल द्वारा ग्राम पंचायत के हजारों रुपयों के गबन के सम्बन्ध में परगनाधिकारी, डेरापुर इस समय जांच कर रहे हैं ? यदि हां, तो यह जांच कब से प्रारम्भ की गयी और उक्त जांच रपट क्या है और क्या सरकार उसे सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

जी हां, प्रधान के विरुद्ध जांच फरवरी 9, 1974 से प्रारम्भ हुई। जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई है उसका परीक्षण हो रहा है। उसके उपरान्त रिपोर्ट से अवगत करा दिया जायगा।

आगरा जिले के विकास खण्ड खैरागढ़ के सहायक विकास अधिकारी (कृषि) का निलम्बन

*34--श्री कल्याण सिंह--

क्या कृषि मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उप कृषि निदेशक, कृषि (प्रशिक्षण), उत्तर प्रदेश के पत्रांक संख्या ए0बी0(2)-6689/के0-256, दिनांक लखनऊ, 14 नवम्बर, 1973 के सन्दर्भ में किन-किन निलम्बित सहायक विकास अधिकारी (कृषि), ब्लाक संख्या (खेरागढ़) जिला आगरा के सम्बन्ध में उपकृषि निदेशक, आगरा से आख्या मंगायी गयी थी और उपरोक्त मामलों में दिनांक 10 जुलाई, 1974 तक शासन ने क्या कार्यवाही की है? उक्त सहायक विकास अधिकारी, कृषि किस-किस तिथि से निलम्बित हैं और अभी तक उनको बहाल न किये जाने के कारण क्या हैं तथा उनको कब तक बहाल कर दिया जायेगा?

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

दिनांक 29 जनवरी, 1970 से निलम्बित एक सहायक विकास अधिकारी (कृषि) के सम्बन्ध में आख्या मंगाई गई। इनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हो रही है। उन्होंने "कारण बताओ नोटिस" का अन्तिम उत्तर अभी तक नहीं दिया है।

उन्नाव जिले की ग्राम पंचायत, हैदराबाद को टाउन एरिया बनाने की मांग

*35--श्री भगवती सिंह विशारद (जिला उन्नाव)--

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम पंचायत, हैदराबाद (विकास क्षेत्र मियागंज, जनपद उन्नाव) को टाउन एरिया बनाने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है? यदि हां, तो उक्त ग्राम पंचायत को टाउन एरिया में कब तक परिवर्तित कर दिया जायेगा?

श्री जगदीश शरण अग्रवाल--

जी हां।

टाउन एरिया के सृजन हेतु वांछित सूचनायें एकत्र की जा रही हैं। पूर्ण सूचनायें प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायगा।

मिर्जापुर जिले के नगर विकास खण्ड में दिया गया उर्वरक का परमिट

*36--श्री आशाराम यादव (जिला मिर्जापुर)--

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर विकास खंड जनपद, मिर्जापुर में 18 नवम्बर, 1974 को कितनी खाद की परमिटें किसानों को दी गयीं? क्या यह सही है कि एक व्यक्ति को 10-10 परमिटें भी दी गयी हैं? यदि हां, तो इसके लिये कौन उत्तरदायी है और उस दोषी कर्मचारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी?

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

नगर विकास खन्ड जनपद मिर्जापुर में दिनांक 18 नवम्बर, 1974 को 296 बोरी विभिन्न प्रकार के उर्वरकों के कुल 126 परमिट कृषकों को दिये गये।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता है।

*37--श्री बाबू लाल वर्मा--

[7वें बुधवार में तारांकित प्रश्न संख्या 1 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रामपुरा, जिला जालौन के डाक्टर द्वारा किया गया फर्जी नसबन्दी आपरेशन

*38--डाक्टर मलखान सिंह--

क्या चिकित्सा मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या उन्हें जानकारी है कि जिला जालौन के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रामपुरा के डाक्टर ने वर्ष 1972, 1973 एवं 1974 में तमाम नसबन्दी के फर्जी केस करके रिपोर्ट दी तथा प्रमाणित किये। यदि हां, तो सरकार ने उस डाक्टर के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

श्री प्रभुनारायण--

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रामपुरा के चिकित्साधिकारी द्वारा वर्ष 1972 में 67, वर्ष 1973 में 2 तथा वर्ष 1974 में 3 नसबन्दी आपरेशन किये गये। उक्त केसों में से अब तक 10 केसों की जांच की गई है जिसमें 4 केस फर्जी पाये गये। शेष केसेज की जांच कराई जा रही है। उक्त डाक्टर के विरुद्ध कार्यवाही विचाराधीन है।

*39--श्री चन्द्र शेखर सिंह--

[4थे गुरुवार में तारांकित प्रश्न संख्या 67 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*40--श्री वीरेन्द्र वर्मा--

[मन्त्री पद ग्रहण करने के कारण निरस्त]

देवरिया जिला परिषद् में राष्ट्रीय बचत योजना से सम्बन्धित तथाकथित शिकायती-पत्र

*41--श्री हरिकेवल---

क्या पंचायती राज मन्त्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जनपद के जिला परिषद् में बाइस हजार रुपये की राष्ट्रीय बचत योजना का प्रमाण-पत्र का भुगतान करा कर उसे जिला निधि में जमा न करने की 1970 से 1972 के बीच जिलाधिकारी, देवरिया का कोई शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक कौन सी कार्यवाही की जा रही है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

जिलाधिकारी, देवरिया का ऐसा कोई शिकायती-पत्र प्राप्त नहीं हुआ।

सहारनपुर जिले की ग्राम सभा अध्याना में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच

*42--श्री श्रीनारायण (जिला देवरिया)--

क्या पंचायती राज मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सहारनपुर जिले की तहसील नकुड़ की ग्राम सभा अध्याना में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं की जांच सितम्बर, 1974 में करायी गयी ? यदि हां, तो आरोप क्या थे ? क्या तथ्य प्रकाश में आये तथा उन पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

जी हां, प्रधान के विरुद्ध आरोप, जांच का परिणाम तथा की गई कार्यवाही का विवरण संलग्न सूची में दिया गया है।

(देखिये नत्थी "ग" आगे पृष्ठ 359-360 पर।)

*43--श्री श्रीनारायण--

[3रे सोमवार में तारांकित प्रश्न संख्या 30 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

कानपुर नगर महापालिका की भूमि पर अतिक्रमण

*44--श्री जगदीश अवस्थी (जिला कानपुर)--

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री कृपया बतलायेंगे कि कानपुर नगर के अन्तर्गत कलेक्टरगंज से मुहाल सुतरखाना, मोतीमुहाल, गड़रिया मुहाल होती हुयी महात्मा गांधी मार्ग में मिलने वाली सड़क के किनारों पर नगर महापालिका की कितने वर्ग मीटर भूमि पर अतिक्रमण कर रक्खा है और उसे हटाने के लिये नगर महापालिका के द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जगदीश शरण अग्रवाल--

कानपुर नगर में कलेक्टरगंज के पुल से घसियारी मन्डी, महात्मा गांधी मार्ग तक 3,649 फिट लम्बे मकानों की लाइन में 15 फिट चौड़े तथा नहर के किनारे की ओर के 20 फिट चौड़े फैले हुये अतिक्रमण को हटा दिया गया है।

विकास क्षेत्र अधिकारी, दोस्तपुर, जिला सुल्तानपुर के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*45--डाक्टर जितेन्द्र कुमार अग्रवाल (जिला सुल्तानपुर)--

क्या पंचायती राज मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें श्री जय बिहारी श्रीवास्तव, प्रधान, नगर जनसंघ, सुल्तानपुर का विकास क्षेत्र अधिकारी, दोस्तपुर, सुल्तानपुर के विरुद्ध अनियमिततायें करने के आरोप सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र दिनांक 26 दिसम्बर, 1973 व 23 मार्च, 1974; 16 मई, 1974 तथा 21 अगस्त, 1974 को सहायक निबन्धक एवं जिलाधिकारी, सुल्तानपुर को प्रेषित पत्रों की प्रतिलिपियां प्राप्त हुयी हैं ? यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

शिकायती पत्र दिनांक 26 दिसम्बर, 1973; 16 मार्च, 1974; 23 मार्च, 1974 तथा 21 अगस्त, 1974 प्राप्त हुए। शिकायतों पर जांच सहायक निबन्धक सहकारी समितियां द्वारा की गई। शिकायतकर्ता की इस शिकायत पर कि जांच उनकी

मौजूदगी में नहीं की गई। जिलाधिकारी, सुलतानपुर ने परगनाधिकारी, कादीपुर को अब जांच अधिकारी नियुक्त किया है। प्रसंगगत मामले की जांच सम्बन्धित लिपिक के अवकाश पर रहने तथा निलम्बन के कारण और शिकायतकर्ता के निर्धारित तिथियों पर मौके पर उपस्थित न रहने के कारण, अभी पूर्ण नहीं हुई है।

आजमगढ़ जिले की कतिपय विकास खण्डों की हरिजन बस्ती में कूप निर्माण

*46—श्री राम सुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)—

क्या सामुदायिक विकास मन्त्री दिनांक 17 दिसम्बर, 1974 के तारांकित प्रश्न संख्या 13 के उत्तर के सन्दर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि सम्बन्धित कुओं का निर्माण दिसम्बर, 1974 में पूरा हो गया है तथा फतेहपुर मड़ाव विकास खंड के अन्तर्गत ग्राम मुस्तफाबाद के पुराने कुओं की मरम्मत करके नवीन कुआं दिखाकर धन प्राप्त करने वाले कर्मचारी के विरुद्ध कौन सी कार्यवाही की गयी ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

सभी कुएं नवनिर्मित हैं पुराने कुओं की मरम्मत करके नवीन कुएं नहीं दिखाये गये हैं। इसकी जांच करा ली गई है। अत: किसी कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

मुरादाबाद शहर में आवास एवं विकास परिषद् द्वारा भवनों का निर्माण

*47—श्री ओम प्रकाश (जिला मुरादाबाद)—

क्या आवास एवं विकास मन्त्री प्रश्नकर्ता की व्यक्तिगत जानकारी को आधार मानते हुये स्पेशल टेक्निकल आडिट सेल से यह जांच कराने की कृपा करेंगे कि जनपद मुरादाबाद में आवास एवं विकास परिषद् द्वारा हाल ही में निर्मित भवनों में निर्धारित मात्रा में सीमेन्ट तथा अन्य भवन निर्माण सामग्री नहीं इस्तेमाल की गयी है ? यदि हां, तो जांच कब तक करा ली जायेगी ?

श्री जगदीश शरण अग्रवाल—

मुरादाबाद सिविल लाइन्स योजना के अन्तर्गत आवास एवं विकास परिषद् द्वारा हाल ही में निर्मित भवनों में सीमेन्ट तथा अन्य भवन निर्माण सामग्री निर्धारित मात्रा में प्रयोग की गई है। अत: स्पेशल टेक्निकल आडिट सेल से जांच कराने की आवश्यकता नहीं है।

अतारांकित प्रश्न

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सकीट, जिला एटा के कर्मचारी का बकाया वेतन

1—डाक्टर मलखान सिंह—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि चिकित्सा अधिकारी, सकीट, जिला एटा के कार्यालय में कितने ऐसे कर्मचारी हैं, जिन्हें माह सितम्बर, 1972 से दिसम्बर, 1972 तक का वेतन तथा अगस्त, 1972 से मई, 1974 तक का वेतन-वृद्धि एरियर नहीं दिया गया है और क्यों ?

श्री प्रभुनारायण--

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मकीट, जिला एटा में केवल एक कर्मचारी को सितम्बर, 1972 से दिसम्बर, 1972 तक के वेतन तथा अगस्त, 1972 से मई, 1974 तक के वेतन वृद्धि के एरियर का भुगतान नहीं किया गया है क्योंकि उक्त अवधि के बिल पूर्व सम्परीक्षा किये जाने हेतु महालेखाकार को भेज दिये गये हैं।

बहराइच जिले की टाउन एरिया कमेटी, इकौना को दिया गया अनुदान

2--श्री कमला प्रसाद वर्मा--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बहराइच जिले की इकौना गांव सभा को टाउन एरिया पिछले तीन वर्ष के अन्दर ही घोषित किया गया है ? यदि हां, तो वर्ष 1974 में सरकार द्वारा कितने रुपयों की सहायता की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जगदीश शरण अग्रवाल--

जी हां।

टाउन एरिया कमेटी, इकौना को वर्ष 1974 में 10,000 रु0 का सड़क अनुदान स्वीकृत किया गया था।

मुरादाबाद जिले की स्वास्थ्य निरीक्षिकाओं द्वारा भवन के किराये की अदायगी

3--श्री सुल्तान सिंह यादव (जिला मुरादाबाद)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जनपद मुरादाबाद में कितनी स्वास्थ्य निरीक्षिकाएं हैं और उनमें से कितनी सरकारी भवन में रह रही हैं ? यदि हां, तो कितनी स्वास्थ्य निरीक्षिकायें किराया अदा कर रही हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रभु नारायण--

14 स्वास्थ्य निरीक्षिकायें हैं जिनमें से 6 स्वास्थ्य निरीक्षिकायें सरकारी भवन में रह रही हैं। 5 स्वास्थ्य निरीक्षिकायें किराया अदा कर रही हैं और एक से किराया वसूल किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

फर्रुखाबाद जिले की नगरपालिका छिबरामऊ के सदस्य, श्री बृज किशोर वर्मा के विरुद्ध शिकायत

4--श्री अनवार जमील--

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फर्रुखाबाद की नगरपालिका छिबरामऊ के एक सदस्य को नगरपालिका अधिनियम सन् 1914 की धारा 40 के अन्तर्गत सदस्यता से पृथक करने हेतु करीब दो वर्ष से कार्यवाही की जा रही है परन्तु अभी तक सरकार व कमिश्नर, इलाहाबाद डिवीजन महोदय द्वारा इस सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है ? यदि हां, तो निर्णय कब तक लिया जायेगा ?

श्री जगदीश शरण अग्रवाल--

नगरपालिका, छिबरामऊ के सदस्य श्री बृज किशोर वर्मा के विरुद्ध अध्यक्ष नगरपालिका ने अप्रैल, 1973 में एक शिकायती पत्र दिया था जिसमें उनके कार्यवाहक अध्यक्ष की हैसियत से किये गये कार्यों के विरुद्ध शिकायत की गई थी। शिकायत के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट, फर्रुखाबाद ने उक्त सदस्य से स्पष्टीकरण मांगा है जिसको सदस्य ने अभी तक नहीं दिया है। स्पष्टीकरण प्राप्त होते ही इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

5—श्री अनवार जमील—

[समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

बदायूं जिले की कु० शारदा शर्मा, ए० डी० ओ० (डब्ल्यू०) के वेतन का निर्धारण

6—श्री मुहम्मद असरार अहमद—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद बदायूं के ए० डी० ओ० (डब्ल्यू०) को नये वेतन-क्रम के अधीन वेतन दिया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

जनपद बदायूं में कार्यरत कु० शारदा शर्मा, ए० डी० ओ० (डब्ल्यू०) को नवीन वेतन-क्रम में प्रारम्भिक वेतन दिया जा रहा है।

कु० शारदा शर्मा, ए० डी० ओ० (डब्ल्यू०), महिला मंगल योजना की समाप्ति के फलस्वरूप फालतू होने पर शिक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग में खपाई गयी थीं। चूंकि स्वास्थ्य विभाग से उनका वेतन अभी तक निर्धारित नहीं हुआ है इसलिये सामुदायिक विकास विभाग द्वारा इनका वेतन नवीन वेतन-क्रम में प्रारम्भिक वेतन निर्धारण कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा वेतन निर्धारण होने पर ही सामुदायिक विकास विभाग द्वारा पुनः वेतन निर्धारण सम्बन्धी आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) एवं पंचायत निरीक्षक (उद्योग) का स्थानान्तरण और उनका यात्रा-भत्ता

7—श्री काशी नाथ मेहरोत्रा (जिला हरदोई)—

क्या पंचायती राज मंत्री कृपया बतायेंगे कि गत अप्रैल, 1974 से नवम्बर, 1974 तक कितने सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) एवं पंचायत निरीक्षक (उद्योग) के स्थानान्तरण किये गये और इनमें कितने यात्रिक भत्ते सहित अपने निवास के जिलों को स्थानान्तरित हुये ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

इस अवधि में कुल 41 अधिकारियों को स्थानान्तरित किया गया, जिनमें से तीन यात्रिक भत्ते सहित अपने निवास के जिलों को स्थानान्तरित हुये ?

8—श्री काशी नाथ मेहरोत्रा—

क्या पंचायती राज मंत्री कृपया यह भी बतायेंगे कि कितने सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) एवं पंचायत निरीक्षक (उद्योग) अपनी प्रार्थना पर यात्रिक भत्ते सहित, याचिका जिलों को स्थानान्तरित किये गये ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

10 (दस)

जिला परिषद्, बदायूं द्वारा ककोड़े मेले पर किया गया व्यय व मेले से आय

9—श्री मुहम्मद असरार अहमद—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला परिषद् बदायूं को दिनांक 1 अप्रैल, 1971 से अब तक मेला ककोड़े पर प्रबन्ध करने के सम्बन्ध में प्रत्येक वर्ष कितना खर्च करना पड़ा और किस-किस मद से कितनी-कितनी आय हुई ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

जिला परिषद् बदायूं द्वारा ककोड़े मेले में किये गये व्यय तथा वर्षवार व मदवार आय के सम्बन्ध में सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 36 पर ।)

टाउन एरिया राबर्ट्सगंज को नोटीफाइड एरिया बनाने की मांग

10--श्री सूबेदार प्रसाद (जिला मिर्जापुर)--

क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया बतायेंगे कि राबर्ट्सगंज टाउन एरिया को नोटीफाइड एरिया बनाये जाने की कोई योजना है ? यदि हां, तो कब से ?

श्री जगदीश शरण अग्रवाल--

जी नहीं ।

मिर्जापुर जिले की तहसील राबर्ट्सगंज के अन्तर्गत पेय जल योजना और सूखा काल में पेयजल की आपूर्ति

11--श्री सूबेदार प्रसाद--

क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया बतायेंगे कि मिर्जापुर जिले के तहसील राबर्ट्सगंज क्षेत्र में एल0 एस0जी0 डी0 द्वारा पेयजल स्कीम किन-किन स्थानों पर चालू है तथा उस पर अब तक कितना धन व्यय किया गया और उसकी प्रगति क्या है ?

श्री जगदीश शरण अग्रवाल--

राबर्ट्सगंज तहसील में स्वायत्त शासन अभियन्त्रण विभाग द्वारा निम्नलिखित स्थानों पर पेय जल योजना पर कार्य कराया जा रहा है और उन पर अब तक 73·984 लाख रुपया व्यय किया गया है :--

1--राबर्ट्सगंज पेयजल पुनर्गठन योजना

2--कोन ग्राम समूह पेयजल योजना

3--कोटा ग्राम समूह पेयजल योजना

4--बरहौली ग्राम समूह पेयजल योजना

5--कसाही ग्राम समूह पेयजल योजना

6--पगिया ग्राम समूह पेयजल योजना

7--सिवद्वार ग्राम समूह पेयजल योजना

8--कड़िया 28 ग्राम समूह पेयजल योजना

9--मुक्खा ग्राम समूह पेयजल योजना

उक्त योजनाओं की प्रगति आख्या संलग्नक 'क' में दर्शायी गयी है ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 362-363 पर)

12—श्री सूबेदार प्रसाद—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पेयजल की पूर्ति पर वर्ष 1959 से जून, 1974 तक राबर्ट्सगंज में सूखा काल में किन-किन स्थानों के लिए कितना धन व्यय किया गया ?

श्री जगदीश शरण अग्रवाल—

राबर्ट्सगंज तहसील में वर्ष 1969 से जून, 1974 तक सूखा काल में †संलग्न तालिका 'ख' में दिखाये गये 162 ग्रामों तथा पुरवों में पेयजल की अस्थायी रूप से आपूर्ति की गयी तथा उस पर कुल 20.014 लाख रुपया व्यय हुआ है ।

टी० बी० तथा अन्य रोगियों के लिये निर्धारित भोजन दर में वृद्धि की मांग

13—श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि प्रदेश के राजकीय टी० बी० अस्पताल में भर्ती एक मरीज के भोजन पर एक दिन में कितना निर्धारित व्यय किया जाता है ? महंगाई देखते हुये क्या सरकार इसमें वृद्धि करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रभु नारायण—

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना काल से पूर्व स्थापित प्रदेश के राजकीय टी० बी० अस्पतालों में शैय्याओं के लिये रु० 1.50 पैसे प्रति रोगी प्रति दिन तथा चतुर्थ पंचवर्षीय योजना काल में स्थापित टी० बी० शैय्याओं के लिये रु० 2 प्रति रोगी प्रति दिन की दर से भोजन का व्यय निर्धारित है ।

टी० बी० के रोगियों के लिये भोजन की दर में वृद्धि करने का मामला शासन के विचाराधीन है । परन्तु निश्चित अवधि बताना सम्भव नहीं है ।

14—श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि प्रदेश के राजकीय अस्पताल में भर्ती एक मरीज के एक दिन के भोजन पर कितना निर्धारित व्यय होता है ? भीषण महंगाई को देखते हुये क्या सरकार इसमें कोई वृद्धि करेगी और कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रभु नारायण—

एक दिन के भोजन पर एक भर्ती मरीज पर एक रुपया 25 पैसे प्रतिदिन के हिसाब से निर्धारित व्यय होता है । प्रदेश के वित्तीय साधनों को देखते हुए फिलहाल वृद्धि करने पर सरकार विचार नहीं कर रही है ।

15—श्री छेदा लाल चौधरी—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त ।]

---

†छापी नहीं गयी ।

बदायूं जिले के प्रत्येक ब्लाक प्रमुखों एवं विकास खन्ड अधिकारियों द्वारा लिया गया दैनिक यात्रा भत्ता

16—श्री मुहम्मद अमरार अहमद—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बदायूं के किस-किस ब्लाक के किस-किस ब्लाक प्रमुख एवं क्षेत्र विकास अधिकारी ने अलग-अलग कितना-कितना रुपया दैनिक यात्रा भत्ता दिनांक 2 मार्च, 1973 से 1 नवम्बर, 1974 तक प्रतिमास प्राप्त किया ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

वांछित सूचना† संकलन है ।

गोंडा नगरपालिका द्वारा वसूल किया गया जल कर और आयुक्त, फैजाबाद मण्डल द्वारा नगरपालिका को जब्त करने की संस्तुति

17—श्री त्रिवेणी सहाय—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गोंडा नगरपालिका द्वारा सन् 1961 से वाटर टैक्स की वसूली की जा रही है ? यदि हां, तो वह वसूली सन् 1971 से 1974 तक प्रति वर्ष कितने रुपये की है ?

श्री जगदीश शरण अग्रवाल—

जी हां। वर्ष 1971 से 1974 तक की जलकर की वसूली निम्न प्रकार है :—

		रु0
(1)	1971–72	26,819.00
(2)	1972–73	13,185.00
(3)	1973–74	18,870.00

18—श्री त्रिवेणी सहाय—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री को यह ज्ञात है कि नगरपालिका गोंडा को जब्त करने की संस्तुति, आयुक्त, फैजाबाद ने राज्य सरकार को कर दी है ? यदि हां, तो यह संस्तुति कब की गयी और इस सम्बन्ध में राज्य सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री जगदीश शरण अग्रवाल—

जी हां। आयुक्त, फैजाबाद मण्डल की संस्तुति शासन को दिनांक 1–1–1975 को प्राप्त हुई। नवीन प्रक्रिया के अनुसार प्रश्नगत मामले की पत्रावली अवकाश प्राप्त न्यायाधीश (श्री बेग) को परामर्श हेतु प्रस्तुत की जा रही है ।

लखनऊ में नवल किशोर रोड पर प्रसूति गृह का निर्माण

19—श्री अवधेश कुमार (जिला गोरखपुर)—

क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा लखनऊ में नवल किशोर रोड पर एक मैटरनिटी केन्द्र बनाने के लिये राज्य सरकार को लगभग 33 लाख

---

† छापी नहीं गयी ।

रुपये प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो कितने धन की अनुमति कब मिली तथा उसको व्यय करने की क्या योजना है ?

श्री प्रभु नारायण--

इण्डिया पापुलेशन प्रोजेक्ट, उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत लखनऊ में नवल किशोर रोड पर एक 30 शैय्या वाले प्रसूति गृह का निर्माण प्रस्तावित है। इसके साथ एक नगरीय परिवार नियोजन कल्याण केन्द्र का भी निर्माण होगा। इस पर 7,53,589 रु0 का व्यय अनुमानित है जिसकी प्रतिपूर्ति भारत सरकार के माध्यम से विश्व बैंक द्वारा की जायेगी। भवन का निर्माण सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा शीघ्र ही प्रारम्भ कर दिया जायेगा।

विभिन्न सहकारी दुग्ध संघों का प्रादेशिक कोआपरेटिव डेरी फार्म फेडरेशन द्वारा कोषागार से आहरित धनराशि का अप्रयुक्त रहना

20--श्री कल्याण सिंह--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि शासन द्वारा वर्ष 1966-67 में स्वीकृत "ग्रामीण डेरी विस्तार कार्यक्रम" तथा "ग्रामीण डेरी केन्द्रों की स्थापना" नामक दो कार्य क्रमों के अधीन प्रदेश में किन-किन दुग्ध संघों तथा उनके डेरी फेडरेशन ने वर्ष 1966-67 से 1971-72 तक वर्षवार कितनी-कितनी धनराशि कोषागार से आहरित की और कितनी-कितनी धनराशि दुग्ध संघों तथा डेरी फेडरेशन्स ने उक्त कार्यक्रमों पर व्यय की ? कितनी धनराशि कोषागार को लौटा दी गयी और कितनी धनराशि सहकारिता विभाग, उत्तर प्रदेश के पास बुक ड्राफ्ट्स के रूप में अथवा प्रादेशिक सहकारी बैंक लि0 के पास उक्त संघों तथा फेडरेशन्स के लेखों में माह नवम्बर, 1972 तक पड़ी रही, इसके कारण क्या है ? कौन उत्तरदायी है और सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री नारायण सिंह--

"ग्रामीण डेरी विस्तार" कार्यक्रम तथा "ग्रामीण डेरी केन्द्रों की स्थापना" कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1966-67 से 1971-72 तक विभिन्न सहकारी दुग्ध संघों/प्रादेशिक कोआपरेटिव डेरी फेडरेशन के हेतु जो धनराशि वर्षवार/संस्थावार राज्य कोषागार से आहरित हुई तथा कुल धनराशि जो माह नवम्बर, 1972 तक शासन को वापिस की गई और संस्थाओं के बैंक खाते में अवशेष रही, की सूची† संलग्न है। विभाग के पास आर0 टी0 आर0 के रूप में 1,16,900 रु0 की राशि माह नवम्बर, 1972 में थी।

जहां तक आहरित धनराशियों के अप्रयुक्त अवशेषों का प्रश्न है, स्थिति यह है कि यह मुख्यत: समितियों की कैन, कैटिलक्रश, वसा जांच की संयंत्र, फर्स्ट एड बाक्स आदि की खरीद तथा दुग्ध कक्ष निर्माण केलिये दी गई थी। इनकी खरीद व निर्माण बाजार की परिवर्तित एवं चढ़ती कीमतों के कारण न हो पाई जिसके लिये कोई उत्तरदायी नहीं है। अत: किसी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

---

† छापी नहीं गयी।

मुख्य मन्त्री द्वारा जनसंघ को कुचल देने की धमकी देने के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री राम अधार (जिला आजमगढ़)---

मान्यवर, एक व्यवस्था का सवाल है।

श्री अध्यक्ष---

इस समय कोई व्यवस्था का सवाल नहीं है। पहले विशेषाधिकार की अवहेलना के सम्बन्ध में सूचना है। माननीय माधव प्रसाद त्रिपाठी तथा अन्य माननीय सदस्यों ने यह प्रश्न उठाया है कि कल दिनांक 17-3-75 को सदन में मुख्यमंत्री श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा द्वारा मेज पर मुक्का मार कर यह घोषणा की गई है "जनसंघ को कुचल दिया जायेगा"। उनका यह कथन स्पष्ट रूप से चुनौती एवम् धमकी का है। मुख्य मंत्री महोदय द्वारा अपनी शासन की शक्ति के बल पर प्रतिपक्षी दलों को डराने, धमकाने, कुचलने तथा संसदीय शासन पद्धति को समाप्त करने की नियत से जानबूझ कर कहा गया है। यह उनके फासिस्ट विचारों का परिचायक है, आदि आदि।

मुख्य मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)---

मान्यवर, क्या आपने प्रोसीडिंग्स मंगाकर देख ली है।

श्री अध्यक्ष---

इस सम्बन्ध में जो कार्यवाही है, उसको भी मैं पढ़े देता हूं।

"श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

मैं स्वयं देखूंगा, जनसंघ और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ गड़बड़ी कराना चाहते हैं और मैं देखूंगा कि कैसे गड़बड़ी होती है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---

तो आपकी बात को हम कैसे वजन दे सकते हैं कि जनसंघ और आर0 एस0 एस0 को मिटा देंगे। इसकी चिन्ता नहीं है। आपने कहा कि हमारा कोई षडयंत्र नहीं था। तो इसमें सरकार का हाथ था। विद्यार्थियों पर. . . . ."

इसके उत्तर में मुख्य मंत्री श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा ने कहा---

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

"मैंने कोई धमकी नहीं दी है। मैं पुनः साफ करना चाहता हूं। माननीय मलिक जी प्रोसीडिंग्स उठाकर देख लें। उनकी सूचना थी कि मैंने साजिश की है और मेरी सूचना है कि यह आर0 एस0 एस0 और जनसंघ ने कराया है। अपनी-अपनी सूचना सदन में दी गई है। मैंने यह जरूर कहा है कि शांति व्यवस्था बनाये रखने में काफी जोर लगायेंगे।"

*श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

मान्यवर, यह घटना आपके सामने घटित हुई है। यह जो आवरण दिया गया है और यह जो सारा प्रसंग हुआ है उसके दो अंश हैं--एक तो मुक्का दिखाना, 'यूं' करके (माननीय सदस्य ने मुक्के का प्रदर्शन किया) इस सदन के सामने. . . . . (हंसी) यह कोई मजाक

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी]

की चीज नहीं है, मैं बहुत सीरियस हूं। ताकत आपके हाथ में है आप लूट लें प्रदेश को, लेकिन डेमोक्रेसी को मत लूटिये। पहले तो इन्होंने कहा कि जनसंघ और आर० एस० एस० को कुचल देंगे, लेकिन यह अंश जैसा लिखा हुआ है, वह सही होगा। लेकिन मान्यवर, इसको आपको कानून की दृष्टि से देखना होगा कि इसमें 323 बनता है क्योंकि इशारा करके कह दिया तो 323 बनता है। लेकिन इस मुक्के का प्रदर्शन करना, इनके मस्तिष्क में गुस्से का परिचायक है कि इनको नष्ट कर दूंगा। यह जो इन्डीकेशन है, जो इनके कहने का ढंग है वह निन्दनीय है और यह ब्रीच आफ प्रिविलेज में आता है। हमारा यह स्टेटस नहीं है कि मुक्के को बनाकर हिटलरशाही प्रवृत्ति में इस तरह से कहना। इससे सदन का अपमान हुआ है, इससे यह पता चलता है कि इनके मन में प्रजातन्त्र और जनतन्त्र के प्रति आस्था नहीं है। (व्यवधान) मान्यवर, इस पर आपको निर्णय देना है कि जिस मनोवृत्ति का परिचय मुख्य मंत्री ने दिया है, जिस ढंग से एक्सप्रेस किया है फिस्ट बांधकर, यह कहां तक उचित था। अगर इस पर आप निर्णय नहीं देंगे तो रोज ऐसे ही होगा। इस प्रकार से मुक्का बांधना और अपनी मुखाकृति बनाना और मुखाकृति बनाना ही नहीं उसके परिणाम स्वरूप अपने गुस्से का प्रदर्शन करना, क्या यह ब्रीच आफ प्रिविलेज में नहीं आता। इस पर आप अपनी व्यवस्था दीजिये।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

अध्यक्ष जी, माननीय नेता जनसंघ का जो मेरे खिलाफ प्रस्ताव आया है, उसकी आधार-शिला तो स्वयं ही टूट गई जैसा कि प्रोसीडिंग्स से पता चलता है। मैंने तो उसी वक्त अपना स्पष्टीकरण दे दिया था बिना रिपोर्ट देखे हुये और जैसा आपने देखा, मैंने ऐसा नहीं कहा। इससे यह सिद्ध होगा कि आवेश में वह थे जो उन्होंने सुना, या आवेश में मैं था जो मैंने कहा। जहां तक मुखाकृति बनाने का सम्बन्ध है, मैं हसूं तो भी मुश्किल पड़ती है और अगर न हसूं तब भी मुश्किल पड़ती है। तो मैं रो तो सकता नहीं क्योंकि कोई आदमी नहीं कह सकता कि इस सदन में रोना मुनासिब काम होगा। जहां तक न्याय और व्यवस्था कायम रखने का सम्बन्ध है, उसको मैं पूरे जोर के साथ कह सकता हूं कि न्याय और व्यवस्था कायम रखना हमारा उत्तरदायित्व है और वह हम उसको बनाये रखेंगे। रहा इशारा करने की बात, तो इस सम्मानित सदन में कई माननीय सदस्य इस तरह से करते हैं। (इशारा करके बताया)। तो वह ऊंगली से इशारा करके मेरी एक आंख फोड़ेंगे या दो आंख फोड़ेंगे, ऐसा मैंने कभी नहीं कहा। इसलिये जरा-जरा सी बात पर इतनी आलोचना करने और गुस्सा होने की जरूरत नहीं है और न ही मेरी कोई ऐसी मंशा ही थी। दोनों पक्षों की जो सूचना थी उसके आधार पर यह बात कही गई और अगर उनका आधार ठीक है तो वह अपना काम करें।

मैंने कल भी कहा था जैसा कि जय प्रकाश जी की सभा करने की बात थी, तो उदय प्रताप कालेज में सभा हुई। क्यों नहीं हमने उसको रोका, क्यों नहीं झगड़ा करा पाये और क्या कारण है कि इतनी बड़ी आम सार्वजनिक सभा में हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप कर पाये। जब यह बात हमारे सामने आई तो अपने दल के लोगों को स्पष्ट कह दिया कि किसी की सभा में कोई गड़बड़ी करेगा वह कांग्रेस वाला ही क्यों न हो उसे रोका जायगा और पुलिस उसके साथ वही व्यवहार करेगी जो किसी तरह से दूसरे की सभा में गड़बड़ी करता है और उसके साथ

व्यवहार किया जाता है। मैं यह मानता हूं कि आवेश में माननीय जनसंघ के नेता ने वह सुना जो मैंने नहीं कहा और मैं प्रार्थना करूंगा कि वह कार्यवाही को देखें और अपना मन्तव्य निकालें।

श्री राम अधार--

मैंने स्वयं सुना है और हाउस की कार्यवाही में भी है कि "मैं आर० एस० एस० के लोगों को देखूंगा, जनसंघ को देखूंगा।"

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

ऐसा नहीं है। यह कहा था कि गड़बड़ी देखूंगा। आपने दूसरा अर्थ लगा दिया।

चौधरी चरण सिंह (जिला मेरठ)--

माननीय नेता मदन ने जो अपने बयान के मुताल्लिक फरमाया है और जो आपने पढ़ कर सुनाया है उसके मुताल्लिक दो रायें नहीं हो सकतीं। मेरी याददाश्त सही न हो लेकिन मैं यह कहूंगा कि मेरे मन पर ऐसी छाप पड़ी कि ऐसे अल्फाज आपने इस्तेमाल किये जिनका अर्थ यह निकलता था कि हम इनको कुचल देंगे।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

बिलकुल नहीं, चौधरी साहब।

चौधरी चरण सिंह--

मेरे मन पर यही असर पड़ा लेकिन अब उसका सवाल नहीं रहा। सवाल यह है कि आपने मुक्का दिखाया या नहीं ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

मुक्का मैंने नहीं दिखाया। मैंने टेबिल पर मारा।

चौधरी चरण सिंह--

नहीं आपने पहले मुक्का दिखाया और फिर टेबिल पर मारा।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

मैं चौधरी साहब का आदर करता हूं और उनके प्रति निष्ठा व्यक्त करते हुए मैं फिर कहता हूं कि मैंने टेबिल पर मारा था। अपने पड़ोसी से पूछ लीजिये। आई ऐम इन हिज हैण्ड्स।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मुझे इस बात का खेद है और मैं थोड़ा सा दुखी भी हूं। पिछले 18 वर्ष से मैं इस सदन में हूं। कई मुख्य मंत्री यहां रह चुके हैं। डाक्टर सम्पूर्णानन्द आये। पंत जी को मैंने देखा नहीं। गुप्ता जी आये, कमलापति त्रिपाठी आये और चौधरी चरण सिंह आये तथा और लोग आये लेकिन मैंने किसी का इस प्रकार का व्यवहार नहीं देखा। जैसा हम लोगों का डिटोरियेरेशन हो रहा है वैसा मुख्य मंत्री पद का भी डिटोरियेरेशन हो रहा है। ..... (व्यवधान)। .... मेरी अपील है कि आप इस पर गंभीरता से विचार करें। लिहाजा इन शब्दों का प्रयोग, मुख की ऐसी आकृति तथा इस प्रकार से यों करके मेज पर मुक्का पटकना किसी ने नहीं किया है। इससे बहुत गंभीर विषय यहां आये हैं। कौन सी नई बात मुख्य मंत्री कह रहे हैं ? न्याय और व्यवस्था का इन्तजाम करना

[श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी]

मुख्य मंत्री का कर्त्तव्य है। यह आपकी समझ में अब आया है कि मुख्य मंत्री का यह कर्त्तव्य है जब कि डकैती, मर्डर और राबरीज आप रोक नहीं हो पा रहे हैं और दिन दहाड़े इज्जत लूटी जा रही है।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

क्या यह विषय पर चर्चा हो रही है? जवाब तो मैं भी दे सकता हूं।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

आपने स्वयं देखा कैसे कानूनी पहलू से बात कही जा रही है। वह कहते हैं कि ऐसा मैंने नहीं किया, न यह लिखा गया लेकिन जिस पर मुक्का पड़ने वाला था उसने बड़े गौर से देखा और ऐसा करना अथवा कहना शोभा नहीं देता था उस पद की गरिमा को देखते हुए। जिस प्रकार हमारे साथ ऐसे शब्दों का प्रयोग कर के व्यवहार किया गया, वह छोड़ दिया। प्रजातंत्र के हम भी घटक हैं। हमारी भी एक पार्टी है, हमारा भी एक आइडियल है, एक प्लान है, हमारी अपनी एक व्यवस्था है। ये चाहते हैं कि प्रजातंत्र से जनसंघ को निकाल दिया जाय ताकि जनसंघ न रहे। "कुचल देंगे" और "देखेंगे" आदि शब्दों का प्रयोग करके आप किसी पार्टी की कद्र करते हैं? मान्यवर, मैं जानता हूं कि किस तरह से विरोधी दलों पर गुंडा ऐक्ट लागू किया जाता है। बेल के लिये आप 25 रोज तक मामला लटका देते हैं। क्या आज शासन का यही रूल आफ ला रह गया है? क्या यही व्यवस्था है? यह व्यवस्था आपके ही राज में होगी और किसी के शासन में नहीं रह सकती है। आपने चोटें हमारे ऊपर लगा रखी हैं। यह विषय तो आगे आयेगा लेकिन आप इस समय यह व्यवस्था दें कि इस तरह से उन्होंने जवाब दिया और मुट्ठी बांधते हुए जवाब दिया, तो क्या यह ब्रीच आफ प्रिविलेज का प्रश्न नहीं बनता?

श्री रामभूति (जिला बरेली)--

मान्यवर, मैं माननीय नेता जनसंघ से यह अपील करना चाहता हूं कि यह इस सदन की परम्परा रही है कि जब कोई माननीय सदस्य किसी बात को कहते हैं तो यह देखा जाता है कि ऐसा कहने में उनकी नीयत कैसी थी। मुख्य मंत्री जी ने जब कोई अनिश्चित बात कह भी दी पर उनकी नीयत खराब नहीं थी, तो इस बात को अब आगे नहीं बढ़ाना चाहिये। यह मान लेना चाहिये कि उनकी नीयत साफ है और जनसंघ के सदस्यों को जो बिल्ले लगाये हैं वह भी उतार देना चाहिये।

दूसरी बात माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह फरमायी कि जब वे हंसते हैं तो हम लोगों को बड़ा नागवार होता है। मैं तो यह कहता हूं कि जब वे हंसते हैं तो हमारे दिल को बड़ी खुशी होती है और हम चाहते हैं कि वे हमेशा मुस्कराते रहें ताकि उनकी सेहत अच्छी रहे। और सारे सदन का वातावरण अच्छा रहे।

*श्री सत्यपाल मलिक (जिला मेरठ)--

जो माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा है उसके विरोध में मुझे कुछ नहीं कहना है। मैं यह मानता हूं कि उन्होंने कहा कि मैंने मुक्का नहीं दिखाया, यह बात सही है। उन्होंने कहा कि

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मैंने मुक्का मेज पर मारा। लेकिन यदि विरोध पक्ष को कोई व्यक्ति मेज पर मुक्का मारता है तो उसका मतलब दूसरा होता है और जब प्रदेश के एक मुख्य मंत्री मेज पर मुक्का मारते हैं तो उनके उस मुक्के के पीछे तमाम अफसर, पुलिस और पी० ए० सी० आदि की ताकत रहती है। वह भी इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करके मेज पर मुक्का मारते हैं कि एक दल विशेष गड़बड़ी करना चाहता है तो हम देखेंगे और गुस्से और आवेश में आकर वे यह सेन्टेन्स कह देते हैं। तो इस तरह से यह एक बड़ा अहम मसला बन जाता है। उनके मुक्के के पीछे हुकूमत की ताकत रहती है जो कि आपकी भाव-भंगिमा को देखते हुये पागल हो जाती है। मुख्य मंत्री जी इसलिये अफसोस जाहिर करें कि गुस्से में कोई बात विरोधी दलों को या विरोध करने वालों जनता को नहीं कहेंगे। यदि ऐसा कहा जायेगा तो जो आपके पीछे ताकत है उसे कुछ भी करने केलिये छूट मिल जायेगी। आपने जो काम किया वह कोई असंसदीय काम नहीं किया किन्तु तकनीकी लिहाज से आपकी वह बात गलत हो सकती है जिसका नतीजा गलत हो सकता है। यदि आप इस तरह से अफसोस जाहिर कर देंगे तो आगे के लिये ठीक हो जायेगा।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी गढ़वाल)--

मान्यवर, जो मुक्के की बात आ रही है और उसका इन्टरप्रिटेशन हो रहा है उसमें हमको भी भ्रम हो गया। जब माननीय मुख्य मंत्री जी ने शुरू में कहा तो हमको यह आशायें हो गई कि मुख्य मंत्री जी बड़ी गम्भीरता से इसे ले रहे हैं और जो गड़बड़ मचाने वाले तत्व हैं, उनको दबाना चाहते हैं। मैं कहूंगा कि इस प्रकार का नाटक रोज होता रहता है फिर क्यों शिकायत करते हैं ?

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मान्यवर, वह जो प्रिविलेज का प्रश्न था उसे अब मैं प्रेस नहीं करता हूं। आपने कह दिया कि मेरी नीयत नहीं थी। लेकिन मैं अपील करता हूं कि भविष्य में इस प्रकार का प्रदर्शन, जिस ढंग से वह किया गया उसके कारण जो प्रभाव होगा जैसा हमारे माननीय मलिक जी ने बताया कि क्या प्रभाव शासन पर पड़ेगा, नहीं होना चाहिये। माननीय नेगी जी के जो शब्द हैं, उनसे लगता है कि उनके दिमाग में भी वही बातें आईं जो हमारे दिमाग में आई। वह भी सीरियस हैं कि किस तरह से कुचला जाय। वह हमारे घोर विरोधी हैं। जो मैंने नतीजा निकाला था वह उन्होंने भी निकाला कि हमें कुचलना चाहते हैं। चूंकि मुख्य मंत्री जी कहते हैं तो मैं प्रिविलेज वाली बात को वापस लेता हूं लेकिन भविष्य में आशा करता हूं कि शासन की तरफ से इस प्रकार की हरकत नहीं आयेगी।

श्री अध्यक्ष--

अब आगे चलिये।

श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्त (जिला देवरिया)--

अध्यक्ष महोदय, स्पष्टीकरण की बात तो नहीं उठाता हूं मगर एक बात कहना चाहता हूं उधर से लोग पोस्टर लगा कर आये हैं-'देखना है जोर कितना बाजुये कातिल में है'। तो मुझे भी एक शेर याद आगया है--

'नकाबे रुख उलट कर आप
महफिल से गुजर जायें,
जिसे जीना हो जी जाए
जिसे मरना हो मर जाए।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

नियम 56 में जो सूचना आई हैं उसमें एक माननीय बाबूलाल वर्मा, श्री आशाराम यादव, श्री सत्यप्रकाश, श्री हिम्मत सिंह, श्री शारदा भक्त सिंह, श्री लक्ष्मी प्रसाद वर्मा, श्री इन्द्रपाल सिंह, श्री मीखालाल, श्री हरिकेवल प्रसाद, बाबा राम नाथ, श्री मधुकर दिघे, श्री जमुना प्रसाद बोस, श्री गोरेलाल शाक्य, श्री जंगबहादर वर्मा, श्री राम प्रकाश त्रिपाठी, श्री अवधेश कुमार और श्री अंगने लाल जी द्वारा दस्तखत किये हुए हैं जो ग्रामीण अंचलों में सस्ते गल्ले की दुकानें न खुलने से जनता में व्याप्त संकट के बारे में है। तो यह जो रबी की कटाई प्रारम्भ नहीं हुई है जिसके परिणामस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में गल्ला नहीं उपलब्ध है, इस समस्या के समाधान के लिये है। ग्रामीण अंचलों में गल्ला नहीं है जिससे वहां पर असंतोष है।

(व्यवधान)

यह आपका जो प्रश्न है यह वितरण संबंधी है कि प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में सस्ते गल्ले की दुकानें न खुलने से जनता में परेशानी व्याप्त है। (व्यवधान) (श्री बाबू लाल वर्मा के खड़े होने पर) पहले आप सुन लीजिये आपका प्रश्न है कि सस्ते गल्ले की दुकानें खुलें।

श्री बाबू लाल वर्मा (जिला बहराइच)--

अध्यक्ष महोदय, आज.....

श्री अध्यक्ष--

अभी तो मैं आपकी बात कह रहा हूं। आपका मन्तव्य है एक ने नहीं, सब ने कहा है कि 'ग्रामीण अंचलों में सस्ते गल्ले की दुकानें न खुलने से जनता में संकट है। तो दुकानें खोली जायं यह समस्या है। आप वितरण प्रणाली पर बहस चाहते हैं, ठीक है लेकिन यह कार्य-स्थगन का विषय नहीं है।

श्री सत्य प्रकाश (जिला बरेली)--

बहुत खराब स्थिति है.....

श्री अध्यक्ष--

वही जो मैं कह रहा हूं उसे गौर से सुनिये। मैं भी यही कह रहा हूं वितरण व्यवस्था के बारे में.....

श्री बाबूलाल वर्मा--

मान्यवर, यह जो माडर्न बेकरी की डबलरोटी मिली हुई है (डबलरोटी दिखाई) यह मान्यवर सरकार के नियंत्रण में है। सरकार इसको पैसा देती है। उनको आटा और मैदा देती है जिसको बड़े-बड़े लोग खाते हैं। तो इस रोटी के अंदर प्लास्टिक मिला हुआ है न जाने और क्या-क्या मिला हुआ है। यह कोटे का दुरुपयोग करते हैं। यह सरकार हजारों बोरियां आटा, मैदा माडर्न बेकरी को देती है। लेकिन ग्रामीण अंचलों में लोगों की बड़ी दुर्दशा है। अभी मैं परसों इटावा गया था। एक हरिजन महिला ने वहां आत्महत्या कर ली है, क्योंकि उसके पास बच्चों को खिलाने के लिये अन्न नहीं था। इसी प्रकार मिर्जापुर में 10 लोग बिना खाने के भूख से मर गये हैं। बांदा में एक आदमी जो मरा है, उसका पोस्टमार्टम हुआ है और

उसके बाद उसके पेट से पीपल के पत्ते निकले हैं । मैं आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूं, मैंने स्वयं अपने क्षेत्र में अपनी आंखों से देखा है, वहां पर लोग घास की जड़ें खा रहे हैं, पीपल के पत्ते खा रहे हैं। मैंने नदी के किनारे देखा मछुवे लोग मछलियां पकड़-पकड़ कर अपना पेट भर रहे हैं। प्रदेश में इससे बढ़कर कोई समस्या नहीं हो सकती है। माडर्न बेकरी को हजारों बो मैदा और आटा दिया जा सकता है, लेकिन गांव में आप क्या कर सकते हैं। अभी 5 नवम्बर, 74 को इन्होंने सभी ग्राम प्रधानों के नाम एक चिट्ठी भेजी थी जिसमें मुख्य मंत्री ने कहा था कि हम प्रत्येक न्याय पंचायत स्तर पर सस्ते गल्ले की दुकान खोलेंगे, लेकिन आज हालत यह है कि पूरे प्रदेश में गेहूं और चावल तो मिलता ही नहीं, मोटा अनाज भी गांव में उपलब्ध नहीं है। उपलब्ध है तो दो रुपये किलो मकई मिल रही है। वहां पर सस्ते गल्ले की दुकानों की कोई व्यवस्था नहीं है .....

श्री अध्यक्ष--

एक हमारे पास सर्वश्री शतरुद्ध प्रकाश, रामरति बिन्द और राम अधार ने काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के बारे में दिया है, जिस पर कल ही चर्चा हो चुकी है। अब एक माधव प्रसाद त्रिपाठी ने छात्र आन्दोलन में फूट डालने और कुचलने हेतु, उसके सम्बन्ध में दिया है। (श्री बाबूलाल वर्मा द्वारा डबल रोटी दिखाकर बोलते रहने पर) यह प्रदर्शन की जगह नहीं है, आप बैठें। माधव प्रसाद त्रिपाठी जी ने एक सवाल उठाया है .....

*श्री शतरुद्ध प्रकाश (जिला वाराणसी)--

कल जो चर्चा हो चुकी है मैंने उसके अतिरिक्त अपनी सूचना में कुछ नई बातें कही हैं .....

श्री अध्यक्ष--

कल इस पर हो चुका है, अब यह नहीं उठ सकता है। कल हो चुका है। सब कल हो चुका है।

श्री शतरुद्ध प्रकाश--

वहां पर शान्ति और व्यवस्था का कोई खतरा नहीं है।.....

(व्यवधान)

वहां पर पुलिस और पी0 ए0 सी0 अत्याचार कर रही है, रात्रि में छात्रों को छात्रावास से उठाया जा रहा है--

श्री अध्यक्ष--

रोज-रोज एक ही सवाल आप कैसे उठायेंगे। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जिस पर कल चर्चा न हो चुकी हो।

श्री शतरुद्ध प्रकाश--

वाइस चांसलर ने पुलिस, युनिवर्सिटी के लिये नहीं बुलाई है। कल सरकार ने यह बयान दिया है, किन्तु वाइस चांसलर ने पी0 ए0 सी0 नहीं बुलाई थी। जबकि वाइस चांसलर ने नहीं बुलाई है तो ऐसा क्यों किया। युनिवर्सिटी जब 14 मार्च को बन्द कर दी गई है, तो वहां पर छात्रसंघ के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने कुलपति और जिलाधीश से इस सन्दर्भ में बात की और उससे बाद में मालूम यह हुआ कि वाइस चांसलर ने पूरी यूनिवर्सिटी में पुलिस और पी0 ए0 सी0 को नहीं बुलाया है, जबकि कल मुख्य मन्त्री जी ने कहा था

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शतरुद्ध प्रकाश]

मैं स्वयं वाइस चांसलर, डाक्टर श्रीमाली से मिला। उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही। सीधी बातचीत हुई। छात्रसंघ के अधिकारियों से बातचीत हुई। वहां शान्ति व्यवस्था कायम है।

श्री अध्यक्ष--

आप यह कह सकते हैं आश्वत ढंग से कि बिना वायस चांसलर के कहे पुलिस बुलायी गयी है। यह कल माननीय मुख्य मन्त्री ने कहा था। अगर यह कहें कि माननीय मुख्य मन्त्री जी ने या शासन ने पुलिस बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी में अपने आप भेज दिया तब तो कोई मामला बनता है। यह तो कल माननीय मुख्य मन्त्री ने कहा था कि हमने अपनी तरफ से नहीं भेजा। डाक्टर श्रीमाली साहब, जो वायस चांसलर हैं, उन्होंने मांग की और वहां के स्थानीय अधिकारियों ने भेजा, कलेक्टर ने भेज दिया, जो एस0 पी0 हैं उन्होंने भेजा होगा। अगर आप यह कहें कि बिना वाइस चांसलर के कहे वहां पुलिस गयी है . . .

चौधरी चरण सिंह (जिला मेरठ)--

आप का कहना यह है, माननीय शतरुद्ध प्रकाश का, कि डाक्टर श्रीमाली साहब ने अपनी स्वयं की रक्षा के लिये पर्सनल प्रोटेक्शन के लिये अपने आवास के लिये पुलिस बुलायी थी। मालूम होता है कि वहां के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट वगैरह ने सारे विश्वविद्यालय के कम्पाउन्ड के लिये पुलिस भेज दी है शायद इस आशंका से कहीं झगड़ा न हो जाय। यूनिवर्सिटी का इतना बड़ा कम्पाउन्ड है। उन्होंने अपनी व्यवस्था के लिये कहा था।

श्री अध्यक्ष--

विश्वविद्यालय बन्द किया, वाइस चांसलर ने बन्द किया होगा। जब उन्होंने हुक्म दिया कि लड़के होस्टल छोड़ कर चले जायं, कल यह बात . . .

श्री शतरुद्ध प्रकाश--

मेरा निवेदन यह है कि वाइस चांसलर ने पर्सनल सीक्योरिटी के लिये पुलिस को बुलाया था। यूनिवर्सिटी के अन्दर देखा जाय। मैं स्वयं देख कर वहां से आया हूं। वाइस चांसलर लाज में नहीं बल्कि मेडिकल कालेज के कम्पाउन्ड के अन्दर, सेंट्रल आफिस के मैदान में एकदम पी0 ए0 सी0 के तम्बू लगे हैं। एक हजार से ज्यादा पी0 ए0 सी0 और 50 से ज्यादा तम्बू हैं। रिसर्च स्कालर जो दिन में रिसर्च करते हैं उनको पुलिस वालों की तरफ से धमकी दी जा रही है कि होस्टल खाली कर दो नहीं तो किसी वक्त रात को खाली करवा दिया जायगा। वाइस चांसलर ने वहां ऐसी कोई आज्ञा नहीं दी है कि यूनिवर्सिटी का ऐडमिनिस्ट्रेशन पुलिस को सौंप दिया हो। डी0 आई0 जी0, एस0 पी0, शहर कोतवाल सारे के सारे यूनिवर्सिटी के अन्दर हैं। शहर में जुर्म हो रहे हैं, कोई पुलिस वाला जिम्मेदारी लेने के लिये तैयार नहीं है। वहां पर भी पी0 ए0 सी0 की जरूरत नहीं है। वहां पर क्यों पी0 ए0 सी0 लगायी गयी है इस पर सरकार को कोई बयान देना चाहिये। कोई अपनी बात कहनी चाहिये। वहां कोई ऐसी बात नहीं है। विद्यार्थियों के मन में भय पैदा हो रहा है। टेंशन पैदा हो रहा है। बिना किसी जरूरत के वहां पी0 ए0 सी0 क्यों रखी गयी है। यह पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश का सवाल है।

श्री अध्यक्ष--

चाहे विश्व भर का सवाल हो। वहां के वाइस चांसलर ने पुलिस बुलायी है। कल सारी बातें हुईं। कल आप नहीं थे। आज आप ने बात कह दी। और क्या आप चाहते हैं? वाइस चांसलर ने पी0 ए0 सी0 पूरी यूनिवर्सिटी के अन्दर नहीं बुलायी है तो वाइस चांसलर को निकाल दें।

श्री शतरुद्ध प्रकाश--

यह सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मामला है। बहुगुणा जी तय नहीं कर सकते कि वाइस चांसलर रहेगा या नहीं।

श्री अध्यक्ष--

यह जानते हैं कि सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी का मामला है फिर भी नियम 56 में . . .

श्री शतरुद्ध प्रकाश--

यह कानून व्यवस्था का सवाल है। पी0 ए0 सी0 की वहां कोई जरूरत नहीं है। पी0 ए0 सी0 से टेंशन पैदा हो रहा है।

श्री अध्यक्ष--

अगर वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी बन्द कर देता है, पुलिस जाती है, लड़कों से कहती है कि होस्टल से चले जाओ, नोटिस दे दिया कि चले जाओ, लड़के नहीं जाते हैं तो फिर क्या किया जाय?

श्री शतरुद्ध प्रकाश--

पी0 ए0 सी0 की जरूरत है या नहीं सरकार को कोई जानकारी होगी या नहीं?

श्री अध्यक्ष--

अनावश्यक ढंग से एक चीज को बार-बार उठाने से क्या फायदा?

श्री शतरुद्ध प्रकाश--

जनता के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है।

श्री अध्यक्ष--

यह सब बजट पर भाषण में कह सकते हैं। जो अवसर मिलेगा उसमें कहिये।

माननीय माधव प्रसाद जी, आपने दिया है वह कि छात्र आन्दोलन में फूट डालने और प्रतिपक्ष को कुचलने के हेतु स्टूडेंट विंग के गठन के सम्बन्ध में है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

मान्यवर, मैं समझता हूं कि इसको सुनने के बाद मुख्य मन्त्री जी जहां पहले एक मुक्का दिखाते वहां अब दो दिखाने लगेंगे।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)--

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि . . . .

श्री अध्यक्ष--

वह प्रकरण समाप्त हो गया है। क्या आप उसको उठाना चाहते हैं?

*श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, राज्य सरकार द्वारा छात्र आन्दोलन में फूट डालने, हिंसा तथा लूटपाट की कार्यवाहियों को प्रोत्साहित कर आन्दोलन को बदनाम करने तथा हिंसा एवं तोड़-फोड़ कराके और उसका बहाना लेकर प्रतिपक्ष को कुचलने के घृणित उद्देश्य से उत्तर प्रदेश के गुप्तचर विभाग के इन्सपेक्टर जनरल, श्री जौहरीमल जैन की देख-रेख में एक स्टूडेंट विंग का गठन किया है। इससे प्रदेश में एक भीषण संकट की दशा उत्पन्न हो गई है। इस आधार पर प्रान्त के सभी आयुक्त मुख्यालयों में गुप्तचर अधिकारियों की नियुक्ति कर दी गई है। इन्हें केवल यही काम दिया गया है कि छात्रों के बीच अपने भेदिये फिट करके उनमें फूट डाली जाय। सुनिश्चित सूत्रों से यह भी जानकारी मिली है कि मुख्य मन्त्री, श्री बहुगुणा ने श्री जौहरी को इस विभाग का सर्वेसर्वा बना दिया है। इस गतिविधि का मुख्य, केन्द्र वाराणसी तथा गोरखपुर को बनाया गया है जहां कि जन आन्दोलन तीव्र है।

ज्ञात हुआ है कि इस प्रयत्न के अधीन मुख्य मन्त्री द्वारा गोरखपुर के जिलाधिकारी, श्री फरहत अली को विशेष निदेश देकर एक लाख रुपया दिया गया जोकि श्री अली द्वारा आन्दोलन को बदनाम करने एवं कमजोर करने के लिये छात्रों को खरीदने पर व्यय किया गया।

यह भी सूचना है कि लोकल इन्टेलीजेन्स यूनिट के कर्मचारियों को विश्वविद्यालय में छात्र बना दिया गया है जिसमें उन्हें घुसपैठ में आसानी हो। उन्हें छात्र संघों के चुनाव में भाग लेने तथा प्रत्याशी भी बनने के निर्देश हैं।

गुप्तचर अधिकारी छात्र एवं जन आन्दोलन को बदनाम करने के लिये असामाजिक एवं गुन्डा तत्वों को भी संगठित कर रहे हैं। उन्हें रुपया इसलिये दिया जा रहा है कि जिससे शान्ति आन्दोलन में यह हिंसा करें और उसका बहाना लेकर प्रतिपक्षी जनों को बन्दी बनाया जा सके। इससे जनतन्त्र एवं संसदीय शासन पद्धति के लिये एक भीषण संकट उत्पन्न हो गया है।

हिंसा, तोड़-फोड़ के वातावरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। काशी विश्वविद्यालय में छात्रों के नाम पर किया गया उत्पात उन्हीं तत्वों की योजना थी। इस कार्य के लिये 'सीक्रेट सर्विस फण्ड' के 5 लाख रुपये में से खर्च किया जा रहा है।

इससे सम्पूर्ण प्रदेश में एक भयावह स्थिति उत्पन्न हो गई है। संकट की दशा व्याप्त होकर शान्ति एवं व्यवस्था के लिये संकट उत्पन्न है।

अस्तु, लोक महत्व के इस सुनिश्चित अविलम्बनीय प्रश्न पर सदन का कार्य स्थगित करने की सूचना देता हूं।

मैं केवल चन्द वाक्य कहकर समाप्त करूंगा। (व्यवधान)

श्री काशीनाथ मिश्र—

अध्यक्ष महोदय, मैं व्यवस्था का प्रश्न उपस्थित करना चाहता हूं। कायदा यह है कि ऐडजर्नमेन्ट मोशन जब आप इन आर्डर डिक्लेयर कर देंगे तब माननीय सदस्य मोशन

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

को पढ़ेंगे। जब तक इसको इन आर्डर डिक्लेयर न करें तब तक माननीय सदस्य उसको नहीं पढ़ सकते हैं। यह कैसे इसको पढ़ रहे हैं। जब आप इन आर्डर डिक्लेयर कर देंगे तब माननीय सदस्य बोलेंगे और 1/5 आदमी खड़े होंगे। लेकिन आपने कोई व्यवस्था नहीं दी और माननीय सदस्य बोलने लगे। क्या माननीय सदस्य पढ़ सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष--

यह कार्य-स्थगन का विषय नहीं है। माननीय सदस्य एक बात कहना चाहते हैं।

श्री काशीनाथ मिश्र--

मान्यवर, किसी नियम के अन्तर्गत ही कहेंगे। किस नियम के अन्तर्गत यह कहना चाहते हैं ?

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मान्यवर, कभी भी कार्य-स्थगन प्रस्ताव (व्यवधान) . . .

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)--

व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष--

व्यवस्था में क्या व्यवस्था हो सकती है? आप कृपया बैठिये। यह कार्य-स्थगन का विषय नहीं है।

अब माननीय सदस्य कुछ कहते हैं, हमने उनको इजाजत दी, कुछ कह रहे हैं, या किसी को इजाजत दी और उसने कह दिया जिसमें आरोप है तो उसको पूरी तरह से पढ़ा जाना चाहिये ताकि उसका जवाब शासक दल दे सके कि यह निराधार है या जहां तक आधार सहित हों, क्योंकि अब उन्होंने पढ़ दिया, जैसे माननीय राजमंगल जी पाण्डेय के बारे में पढ़ दिया, बाद में वह सब ओझा जी बोले और उसमें खण्डन का मौका मिल गया। अब मान लीजिये यह पूरा ही पढ़ें, आधा ही पढ़ें इनको रोक दें, लेकिन कुछ तो कह चुके, तो उस पर इस दल को भी मौका नहीं मिलता है कि अपनी सफाई कर सकें।

श्री काशीनाथ मिश्र--

मान्यवर, आपने स्वयं पढ़ा होगा उसको तभी तो आपने कहा होगा कि पढ़िये या न पढ़िये ?

श्री अध्यक्ष--

अब तो अव्यवस्था है इस पर।

श्री काशीनाथ मिश्र--

अगर अव्यवस्था है तो उसको इक्सपंज कर दीजिए।

श्री अध्यक्ष--

जो निकालने की बात है उसको देखेंगे। आपकी तरह से हम अगर व्यवस्था देने लगें तो शासन की तरफ सब आरोप लगाने लगें।

श्री काशीनाथ मिश्र--

मान्यवर, इन्होंने जो पढ़ा है अब इस पर इनको बोलवा लीजिये उसके बाद हम बोलेंगे।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, मैं यह निवेदन कर रहा था कि आज देश और सारे प्रदेश की स्थिति बड़ी गम्भीर है, इन जन आन्दोलनों के रूप में वह कीर्तिमान हो रही है, चाहे वह छात्र के साथ, चाहे समाज के अन्य वर्ग के साथ। आज दबाने की कोशिश की जा रही है। गुप्तचर विभाग को विश्वविद्यालय में भर्ती कराया, हर आयुक्त के मुख्यालय में मुकर्रर किया गया और जब कभी भी ऐसा मौका आये तो उपद्रव करे। इसके पीछे उद्देश्य क्या है? ताकि उन्हें मौका मिले, जिनको हम दबाना चाहते हैं उनको हम इसी बहाने से दबायें। हमारी मान्यवर, माननीय मुख्य मन्त्री जी से आपके माध्यम से एक अपील है। जो लोगों ने मुझे बताया, एक अखबार में मिला, मैं चाहता हूं कि इस अखबार पर मुकदमा चलाना चाहिये। इतनी बड़ी सरकार को बदनाम किया जाय, सरकार को चाहिये कि इस पर मुकदमा चलाया जाय।

श्री अध्यक्ष—

निश्चितता क्या है?

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मैंने तो मान्यवर, सरकार की नोटिस में इसलिये ला दिया कि सरकार चाहे तो इस पर मुकदमा चलाये। यह "पांचजन्य" है। ऐसे गम्भीर विषय पर जिसमें प्रजातन्त्र खतरे में है। सारे प्रदेश खतरे में, उपद्रव की स्थिति पैदा होने वाली है। मान्यवर, इसको आप एलाऊ करें। मैं इससे अधिक नहीं कहूंगा।

मुख्य मन्त्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)—

अध्यक्ष जी, लोकतन्त्र को किससे खतरा है, यह बात लोकतन्त्र, इस देश और इस देश के बाहर इस शताब्दी में देखा जा रहा है, किन विचारों से खतरा है, उसको भी जान चुका हूं। लोकतन्त्र को उस दल से खतरा हो ही नहीं सकता जिस दल के अधीन किसी भी राजनीतिक दल को अवैध घोषित नहीं किया गया हो, जिसमें सबको सार्वजनिक छूट हो कि वह जिस तरह से चाहे खुली बहस करे। जितने भी चार्जेज माननीय नेता जनसंघ ने लगाये हैं और जिस अखबार के आधार पर या जिस सूचना के आधार पर लगाये हैं वह पोलिटिकली मोटीवेटेड है, उसकी ठीक हिन्दी राजनैतिक दुर्भावना होगी, ठीक हिन्दी वह मैं आप पर छोड़ता हूं, हिन्दी उसकी दुरुस्त कर दें। मैलीशश की उसमें दुर्गन्ध आती है। उसमें ऐसी भावना है कि लांछन लगाये। इस सरकार का किसी भी ऐसे तत्वों के साथ सांठ-गांठ करने का इरादा नहीं है जो विद्यार्थियों में बेचैनी फैलावे। हमारी बड़ी इच्छा है कि समस्त उत्तर प्रदेश में शान्ति रहे। मैं बधाई देता हूं कि 90 फीसदी विद्यार्थियों ने बराबर लोगों के उकसाने के बावजूद भी शान्ति और व्यवस्था कायम रखने में हमारी सहायता देते आते हैं। साथ ही साथ जैसा कि जनसंघ के नेता ने कहा कि "पान्चजन्य" पर मुकदमा चलाये। तो मान्यवर, मैं इस लायक नहीं समझता कि इस पर मुकदमा चलाया जाये।

श्री अध्यक्ष—

माननीय मोती लाल देहलवी ने कानपुर के रिवर साइड पावर हाउस में केसा के विभिन्न अफसरों द्वारा 6 लाख रुपये का नुकसान किये जाने के सम्बन्ध में रोष एवं संकट के सम्बन्ध में दिया है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, मेरे में आपने क्या निर्णय दिया?

श्री अध्यक्ष--

अस्वीकार किया। श्री मोती लाल देहलवी का जो है उसके सम्बन्ध में अल्प-सूचित प्रश्न करें।

श्री मोती लाल देहलवी (जिला कानपुर)---

मान्यवर, मेरा प्रश्न बड़ा गम्भीर है, मुझे जानकारी है ....

श्री अध्यक्ष--

हो सकता है कि आपकी सूचना सही हो। अरे भाई, वह केसा से सम्बन्धित है। आप पहले मुझे सुने तब कहें। आप सुनते क्यों नहीं ?

श्री मोती लाल देहलवी--

मान्यवर, बड़ा गम्भीर मसला है ....

श्री अध्यक्ष--

हो सकता है कि आप जो कह रहे हैं वह गबन हुआ हो या हो रहा हो। सरकार की सीधे उसकी जिम्मेदारी नहीं है। प्रश्न के जरिये सरकार से जान लें और उसके बाद बयान के लिये कार्यवाही करें तो अच्छा होगा।

श्री बाबू लाल वर्मा--

अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि ...

श्री अध्यक्ष--

बाबू लाल वर्मा का नहीं लिखा जायेगा।

*श्री मोती लाल देहलवी--

मान्यवर, यहां अक्सर यह हो रहा है कि आप काम रोको प्रस्ताव को अस्वीकार कर अल्प-सूचित प्रश्न के लिये कह देते हैं। अल्प-सूचित प्रश्न आ नहीं पाता। नोट लगा देते हैं तब भी नहीं आ पाता है। जो कुछ भी हो वह आ नहीं पाता है। अगर यह किया जाता है तो जब तक प्रश्न कार्यवाही में आयेगा तब तक सरकार का नुकसान हो जायेगा और मान्यवर, यह शुद्ध रूप से भ्रष्टाचार का मामला है। लाखों रुपया इस सरकार का नुकसान हो रहा है। मान्यवर, यह बड़े अधिकारियों की मिलीजुली भगत से हो रहा है। जो ठेकेदार कम टेन्डर देता है उसको आर्डर मिल जाता है, लेकिन केसा कर्मचारियों ने उसके खिलाफ कोई ऐक्शन नहीं लिया। चेयरमैन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से भी कहा गया लेकिन उन्होंने भी कोई कार्यवाही नहीं की। सभी सुनते रहे ....

श्रीमन्, जब वे सरकार के नुकसान को नहीं बचाना चाहते हैं, तब आपके एवं विधान सभा की शरण लेनी पड़ती है। कई लाख रुपये का नुकसान हो चुका है और यह प्रश्न जो मैंने दिया है, लाखो रुपये के नुकसान को बचाने का है। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि सरकार के हित में और जनता के हित में इसको स्वीकार करें। इसमें बहुत बड़ा राज खुलेगा, इसलिए आपसे पुन: प्रार्थना है कि आप इसे स्वीकार कर लें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष--

पहले आप अल्प-सूचित प्रश्न कर लें और फिर नियम 51 में लें लें। यह नियम 56 का प्रश्न नहीं है।

एक सूचना माननीय अठईराम की है कि इलाहाबाद के विभिन्न विकास खंडों में कुयें के पानी के सूख जाने से उत्पन्न संकट के विषय में है। आप भी या तो अल्प-सूचित प्रश्न कर लें या नियम 51 में दे दें।

एक माननीय मुलायम सिंह यादव की है। उन्होंने कहा है इटावा जिले में असुरक्षा है। उसके बारे में तो बहुत बातें हो चुकी हैं। इस पर प्रश्न भी हो चुके हैं। आपको अपने विचार रखने का मौका भी मिलेगा, लेकिन अभी नहीं।

एक और सूचना माननीय कौशिक की है कि प्रदेश में भयंकर चर्मरोग से भयंकर संकट उत्पन्न हो गया है।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

मान्यवर, भारतवर्ष में और विशेषकर उत्तर प्रदेश में करोड़ों लोग खुजली के रोग से पीड़ित हैं, आज इस भयंकर रोग से करोड़ों आदमियों का जीवन खतरे में है। इसलिये मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप इसे कार्य-स्थगन के रूप में स्वीकार कर लें ?

श्री अध्यक्ष--

चूंकि यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिये इसे मैं सरकार के पास उचित कार्यवाही के लिए भेज रहा हूं।

(श्री बाबू लाल वर्मा के बराबर बोलते रहने पर।)

नियम 51 में भी मैं इसे स्वीकार नहीं करता हूं। आप इस तरह बराबर रुकावट डालते रहते हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपने व्यवहार को संयत करें। मैं आपको नहीं सुनूंगा। और न आपको बोलने की इजाजत ही है। जो आप बोल रहे हैं, वह लिखा नहीं जायगा।

उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1975 (क्रमागत)†

श्री अध्यक्ष--

उस दिन जो माननीय सदस्य इस विधेयक पर न बोल चुके हों और जो आज बोलना चाहते हों, वे कृपया खड़े हों।

(श्री बाबू लाल वर्मा के बोलते रहने पर)

माननीय बाबूलाल वर्मा का कुछ लिखा नहीं जायगा। ये बिना इजाजत के बोल रहे हैं। माननीय स्वायत्त शासन मन्त्री।

(व्यवधान)

---

†12 मार्च, 1975 की कार्यवाही से।

श्री प्रभाकर नाथ द्विवेदी (जिला प्रतापगढ़)--

[× × ×]

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

माननीय स्वायत्त शासन मन्त्री, आप जवाब दें। (श्री मोहन लाल कपूर के खड़े होने पर।) आप नेता हैं और बोलना चाहते हैं तो उनको (श्री बाबू लाल वर्मा) रोकें।

(श्री बाबू लाल वर्मा बोलते रहे।)

अब मैं आपको अन्तिम चेतावनी दे रहा हूं। आप कृपया आसन ग्रहण करें।

श्री बाबू लाल वर्मा (जिला बहराइच)--

हमको आप निकाल कर बाहर कर दीजिये।

श्री अध्यक्ष--

आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। आपको पूरे दिन के लिये मैं निकाल रहा हूं, आप जायं। अब अगर आप नहीं मानते हैं तो 2 मिनट के बाद इसके ऊपर की सजा आपको मिलेगी अगर एक बज गया तो इससे और ज्यादा सजा आपको मिलेगी। अगर एक बजे तक आप नहीं बैठते हैं तो आपकी चाहे सदस्यता खत्म करनी पड़े, चाहे पूरे सत्र भर के लिये निकालना पड़े.....। (श्री बाबू लाल वर्मा बैठ गये)। मैं जनसंघ के माननीय नेता से अनुरोध करूंगा कि इनको अनुशासन में रखें। वह बैठ गये इसलिये नहीं निकाला। उन्होंने खुद मांगा था कि हमको निकाल दिया जाय। (चौधरी चरण सिंह के खड़े होने पर) चौधरी साहब, उन्होंने खुद कहा था कि उनको निकाल दिया जाय।

चौधरी चरण सिंह (जिला मेरठ)--

आप जीत गये।

श्री अध्यक्ष--

उन्होंने खुद कहा था कि हमको निकाल दिया जाय। वह मेरा आदेश नहीं था।

[× × ×]

(श्री बाबू लाल वर्मा सदन से बाहर चले गये।)

श्री सत्यपाल मलिक (जिला मेरठ)--

अभी माननीय सदस्य काशीनाथ मिश्र ने जब माननीय बाबू लाल वर्मा बोल रहे थे तो क्रैक माइन्ड कहा था। उसे निकाल दिया जाय।

श्री अध्यक्ष--

मैंने कह दिया था कि किसी का लिखा नहीं जायगा चाहे इधर से बोलता हो चाहे उधर से बोलता हो, किसी का नहीं लिखा जायगा।

[×××] श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार निकाल दिया गया।

*श्री मोहन लाल कपूर (जिला मेरठ)—

अध्यक्ष महोदय, स्वतन्त्रता के पूर्व भी ये निकाय जनतन्त्र की एक प्रमुख छोटी इकाई थे। स्वतन्त्रता के पूर्व इनका महत्व था कि हमारे देश के बड़े-बड़े महापुरुष इन निकायों के अध्यक्ष रहे हैं। परन्तु स्वतन्त्रता के पश्चात् धीरे-धीरे इन स्थानीय निकायों को पंगु बनाया गया। इनकी आर्थिक स्थिति भी खराब होती गयी और आज यह निकाय इस स्थिति में नहीं हैं कि वे कुछ महत्वपूर्ण कार्य कर सकें। इन स्थानीय निकायों के जो छोटे कर्मचारी जैसे सेनेटरी इन्सपेक्टर हैं, ओवरसियर हैं, इनका प्रान्तीयकरण कर दिया गया है। इसका नतीजा यह हुआ है कि इन पर नगरपालिका के अध्यक्ष का, या प्रशासक का कोई नियन्त्रण नहीं रह गया है। वह कर्मचारी यह कहने लग गया है कि मेरा अधिक से अधिक ट्रान्सफर ही तो हो जायेगा। आज सफाई वगैरह के जो कार्य होने चाहिये वे नहीं हो पा रहे हैं। शहरों में गन्दगी छायी रहती है। नयी सड़कों को बनाना तो दूर रहा, पुरानी सड़कों की मरम्मत तक नहीं हो पा रही है।

मान्यवर, बेसिक शिक्षा का इन्तजाम जो अब तक नगर पालिका द्वारा होता था, जनता के प्रतिनिधियों द्वारा उसमें सहयोग दिया जाता था, वह भी उनसे ले लिया गया है। जब से यह शिक्षा का कार्य इनसे ले लिया गया है बेसिक शिक्षा की व्यवस्था ठीक से नहीं हो रही है।

मान्यवर, अब एक अध्यादेश जारी करके सरकार ने जल-कल का भी कार्य उनसे ले लिया है। इन स्थानीय निकायों का मुख्य कार्य है, रोशनी का प्रबन्ध करना, पीने के पानी का प्रबन्ध करना, सीवर आदि की व्यवस्था करना, बेसिक शिक्षा का इन्तजाम करना आदि-आदि। अब आप धीरे-धीरे सभी कार्य उनसे लेते जा रहे हैं। जल-कल का जो एक प्रमुख कार्य जिसे नगरपालिकायें करती हैं, जनता के प्रतिनिधि करते हैं, वह भी आपने उनसे ले लिया। इसका प्रबन्ध भी अब आप शासकों द्वारा करवाना चाहते हैं। यह कितना गलत तरीका है। जहां कहीं पर भी इस तरह के जो भी कार्य जन-प्रतिनिधियों से हटा-कर सरकार ने अपने शासकों द्वारा करवाये हैं वहां कार्य अच्छा नहीं हुआ है। मैं मन्त्री जी को बतना चाहता हूं कि मैं भी मेरठ नगरपालिका का 15-16 वर्षों तक सदस्य रहा हूं। मेरठ में सन् 1960 से भी पहले सीवर पाइप लाइन बिछाने का कार्य प्रारम्भ हुआ था आज 12 साल पूरे हो चुके परन्तु अभी तक सीवर लाइन नहीं पड़ी। वहां पर कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है। . अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे क्या बतलाऊं, आपके द्वारा मैं सरकार को बतलाना चाहता हूं कि सीवर लाइन लगाने के लिये पूरी सड़क तोड़ डाली गयी मेरठ में, जो अभी तक बन नहीं सकी है। मेरठ म्युनिसिपल बोर्ड की स्थिति दिवालिया की सही हो गयी है इसका सबसे बड़ा कारण लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है। यदि मैं आपको बतलाऊं कि सीवर डाल रहे हैं लेकिन 12 और 15 साल के अन्दर भी सीवर लाइन न पड़े तो इससे बढ़ कर हास्यास्पद बात मेरठ के लिये और क्या हो सकती है। मेरठ में अस्वच्छता बढ़ रही है, उसका यही एक कारण है। जल कल का एक ऐसा विशेष विभाग है जो हर व्यक्ति के लिये विशेष आवश्यक है। हर व्यक्ति को, हर बच्चे को, हर पशु को पीने के लिये पानी चाहिये। उसका प्रबन्ध भी सरकार अपने हाथ में लेकर, अपने द्वारा ही कराना चाहती है। इस प्रकार जल कल के कार्य को लेकर म्युनिसिपल बोर्ड के अधिकार क्षेत्र को कम किया जा रहा है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ऐसी अनेक निकायें या नगरपालिकायें हैं जिनके हाथ में बिजली का प्रतिष्ठान भी था और कुछ के हाथ में आज भी है। मैं ऐसा समझता हूं कि नगरपालिकायें इसका प्रबन्ध अच्छा करती हैं। अभी पिछले दिनों एक विधेयक आया था जिसके जरिये सरकार वाराणसी के विद्युत् प्रतिष्ठान को अपने हाथ में ले रही है। हम जानते हैं कि विद्युत् परिषद् में कितने करोड़ों रुपये का गबन हुआ है जब कि इनका इन्तजाम है। विद्युत् परिषद् तो इनसे चलता नहीं है और इस प्रकार की नगरपालिकायें जो हमारे देश और प्रदेश में हैं, वहां विकेन्द्रीकरण की प्रशासन व्यवस्था अच्छी है। विकेन्द्रीकरण की प्रशासन व्यवस्था इसलिये भी आवश्यक है कि जनतन्त्र की इकाई चलती रहे और जनतन्त्र की इकाई के लिये आवश्यक है कि जो जरूरी काम हैं वे उसके हाथ में रहें। अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं मन्त्री महोदय को कहना चाहता हूं कि यह बिजली का काम भी इतना ही जरूरी है। पहले तो मिट्टी के तेल से लालटेन जल जाता था। लेकिन अब बिजली का होना हर एक के लिये आवश्यक हो गया है। छोटी-छोटी गलियों में भी बिजली चाहिये। केवल इतनी बात नहीं है कि कोठियों में रहने वाले व्यक्तियों को ही बिजली चाहिये बल्कि आज उनको भी बिजली चाहिये जो कि साग सब्जी बेचने वाले हैं, जिनकी आमदनी छोटी है और चाहे वे कच्चे मकान में ही रहते हैं, उनको भी बिजली चाहिये। ऐसी स्थिति में मैं देख रहा हूं कि मेरठ में नगरपालिका और छावनी बोर्ड दोनों स्थित हैं।

छावनी में विद्युत् परिषद् बिजली का प्रबन्ध करती है और नगरपालिका क्षेत्र के अन्तर्गत नगरपालिका बिजली का प्रबन्ध करती है। मान्यवर, मैं आपको बतलाऊं कि वहां पर हाइडल विभाग की तरफ से जो प्रबन्ध है, वह अच्छा नहीं है लेकिन नगरपालिका का प्रबन्ध अच्छा है। वहां हमने राड्स वगैरह भी लगा रखे हैं। मान्यवर, आपके द्वारा मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि जहां कहीं किसी प्रतिष्ठान के लाइसेंस के समाप्त होने का प्रश्न आता है

(इस समय 1 बज कर 9 मिनट पर उपाध्यक्ष, कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा पीठासीन हुये।)

तो विद्युत् परिषद् वाले उसे अपने हाथ में ले लेते हैं। और मैं जानता हूं कि अब इने-गिने ही स्थान हैं जहां नगरपालिकाओं के हाथ में बिजली का इन्तजाम रह गया है। बाकी स्थानों का प्रबन्ध सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है। इस प्रकार से सरकार नगरपालिकाओं के लिये कार्यों की सीमा कम करके उनको उनके अधिकार क्षेत्र से वंचित करती जा रही है। एक तरफ विद्युत्, जल कल तथा शिक्षा के कार्य से भी उनको वंचित कर रही है और दूसरी तरफ सरकार उनकी आमदनी की सीमा को भी बांधती जा रही है। मैं यह कहना चाहता हूं कि जब इस प्रकार से अधिकारों को सीमित करके, अधिकार क्षेत्र को सीमित करके बिजली आदि को निकाल दिया जायगा तो उनकी आमदनी भी घट जायगी। आमदनी की तरफ आपका ध्यान बिल्कुल नहीं जा रहा है। मेरा कहना है कि आपको चाहिये कि आप ऐसे साधन निकालें जिससे आमदनी बढ़े। परन्तु इस प्रकार का प्रयास किसी म्युनिसिपल बोर्ड में नहीं हो रहा है।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि मेरठ म्युनिसपिल बोर्ड जो है वहां वेतन आदि देना भी मुश्किल बात हो गयी है। वहां आमदनी के साधन बढ़ाने की जरूरत है। आपको व्यवस्था करनी चाहिये कि किस प्रकार से वह अपने खर्चों को चलायें, अपने दायित्वों को निभायें, परन्तु आपने नहीं किया। राज्य सरकार को चाहिये कि इस प्रकार की नगर

[श्री मोहन लाल कपूर]

पालिकाओं की स्थिति को सुधारें क्योंकि स्थान-स्थान पर नगरपालिकाओं ने अपने-अपने करों को बढ़ाया है और नये कर लगा रही हैं। जिससे जनता को इन करों को देना दुश्वार हो रहा है, देना इसलिये दुश्वार हो रहा है कि उन्होंने करों को एक बड़ी सीमा तक बढ़ाया है। मैं जानता हूं, मेरठ में चुंगी की दरें 2-2- बार बढ़ायी गयीं हैं। इसी तरह से गृह कर बढ़ाया गया है। जल कर भी बड़ी सीमा के साथ बढ़ाया गया है। जल कर इस प्रकार से लगाया गया है कि वह हाउस टैक्स के बराबर है। हाउस टैक्स पर तो 2 परसेन्ट का रिबेट है पर जल कर पर कोई रिबेट नहीं है। मान्यवर, मैं तो कहता हूं कि यदि माननीय मन्त्री जी कभी मेरठ जाने का प्रोग्राम बनायें तो वे वहां देखेंगे कि मेरठ की स्थिति कितनी भयावह हो गयी है।

इसी तरह से अन्य नगरपालिकाओं की हालत है। बिजली, जो हाउसिंग की है वह तो 2 पैसे बढ़ायी गयी है परन्तु नगरपालिका ने 5 पैसे बढ़ा दिया है। एक सीमा तक तो बढ़ाया जा सकता है, पर जो बढ़ाया गया है वह सीमा से अधिक बढ़ा दिया गया है। जिस तरह से केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार को मदद देती है उसी तरह से सरकार को भी चाहिये इनको मदद दें। परन्तु मदद नहीं मिल रही है। एक बात और कहना चाहता हूं कि बहुत सी नगरपालिकाओं को आपने भंग कर रखा है। इसके साथ-साथ आप चुनाव भी नहीं करा रहे हैं। मेरे प्रश्न के उत्तर में कहा गया कि कुछ कठिनाइयां हैं इसलिये चुनाव नहीं कराये जा रहे हैं। मान्यवर, मेरा कहना है कि जानबूझ कर आज चुनाव नहीं कराये जा रहे हैं। प्रजातन्त्र की जो छोटी इकाइयां हैं उनको समाप्त करने की चेष्टा की जा रही है। जानबूझ कर मेरठ नगरपालिका में, वहां पर लिस्टें बन चुकी हैं। डिफाल्टर लिस्ट बन चुकी है, वार्ड बन चुके हैं परन्तु 5 साल से वह निलम्बित है और निलम्बित ही चलती आ रही है। मैं कहना चाहता हूं आपने 2 साल किया है, 2 साल की रोक लगा दी है। लेकिन मैं तो कहता हूं कि 6 महीने के बाद चुनाव अवश्य कराये जाने चाहिये। प्रशासक बैठा दिये जाते हैं, प्रशासक ठीक से काम नहीं करते हैं।

मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपसे कहना चाहता हूं कि प्रशासकों का वहां जमे रहना ठीक नहीं है। जिस समय मेरठ म्युनिसिपल बोर्ड निलम्बित किया गया उस समय वहां पर 3 लाख रुपये का घाटा था। मैं कहना चाहता हूं कि कुछ अवश्य राजनैतिक कारण थे जिसकी वजह से इसको भंग किया गया। पर मान्यवर, आज वहां 45 लाख रुपये का घाटा है। प्रशासक इसके लिये क्या जिम्मेदार नहीं है? सरकार इसके लिये क्या जिम्मेदार नहीं है? आज सारे शहर को सड़ा दिया गया है। सड़कें टूट गयीं हैं। बिजली का प्रबन्ध नहीं है। इस तरह से मैं कहना चाहता हूं कि प्रशासक ठीक काम नहीं करते हैं। और आप जो यह समझते हैं कि जहां-जहां प्रशासक चले जायेंगे, काम ठीक हो जायगा तो ऐसी बात भी नहीं है।

मेरा अनुभव यह बताता है कि जिन नगरपालिकाओं में प्रशासक बिठा दिये गये उनके द्वारा वहां पर एक टैक्सों की लूट शुरू हो जाती है और वहां भ्रष्टाचार फैल जाता है। मेरठ में भ्रष्टाचार और लूट बढ़ी है। जो सुविधा जनता को देना चाहिये वह नहीं देते हैं। इसलिये मेरा कहना है कि एक साल से 2 साल की अवधि जो किया है वह अत्यन्त अनुचित है। इसका मैं सख्त विरोध करता हूं।

मान्यवर, दूसरी बात नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया में जो 4 साल से 5 साल किया है उसको मैं विशेष आपत्तिजनक नहीं मानता हूं।

मैं अब विकास परिषद् के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। यह सौभाग्य की बात है कि हमारे मन्त्री जी विकास परिषद् के चेयरमैन रह चुके हैं। इसलिये इनको ज्यादा अनुभव है। मैं कहना चाहता हूं कि जो स्कीम आती है उसका एक डेट पे गजट कर देते हैं लेकिन 3-4 साल तक स्कीम पूरी नहीं हो पाती है। तीन-चार साल तक जनता का चार-चार, पांच-पांच हजार रुपया लेकर बैठ जाते हैं और उसको भू-खंड या फ्लैटों का आबंटन नहीं होता है। इसलिये स्कीम जो लावें उसमें कम समय लगना चाहिये। कालोनी 3-4 साल तक डेवलप नहीं होती है और विकास परिषद् जनता का रुपया रख लेती है और उनको सुविधा नहीं देती है जो कि अत्यन्त अनुचित है।

मान्यवर, दूसरा निवेदन है कि विकास परिषद् में आबंटन जो होता है वह ठीक ढंग से होना चाहिये। मेरठ में जिस समय आबंटन का मामला आया तो उसमें कुछ श्रेणियां आरक्षण के लिये होती हैं, जनता के प्रतिनिधियों के लिये होती हैं। तो उसमें कर्मचारियों के लिये अलग से कोटा कर दिया। यह कोटा पहले फिक्स नहीं था लेकिन पता नहीं किस समय यह फिक्स कर दिया गया। स्कीम में ही यह कोटा रखना चाहिये था। इसलिये मैं चाहूंगा कि इसकी जांच होनी चाहिये। इसमें पर्चियां भी नहीं डाली गयी थीं। इस तरह वहां एक ऐसा मैनीपुलेशन किया गया कि जिनको चाहिये था उनको नहीं मिला और जिनको नहीं मिलना चाहिये था उनको मिला।

तीसरी बात मान्यवर, जिस वक्त स्कीम अधिग्रहण करते हैं उस समय क्वार्टर का मूल्य कुछ लगाते हैं और जिस समय देते हैं उस समय दूसरा मूल्य लगाते हैं। मेरठ में जो स्कीम बनाई है उसमें क्वार्टर 30 और 35 हजार रुपये में लिखा है कि मिलेगा लेकिन आज 55 हजार रुपये में दे रहे हैं। तो यह 20 हजार रुपया क्यों बढ़ गया है। इस प्रकार जमीन जो देते हैं, योजना जब बनती है उस समय से लेकर और बाद में जब स्कीम में आबंटन किया जाता है उसमें इतना मूल्य बढ़ा देते हैं। मैं समझता हूं कि परिषद् की योजना अल्प वेतन भोगी जो लोग हैं उनको सस्ते दामों पर फ्लैट और जमीन मिल जाय इसलिये है। परन्तु उसका यह अर्थ नहीं है कि यह विकास परिषद् अपने खर्चे के लिये यहां से कोई लाभ उठाना चाहेगी। यह लाभ की मनोवृत्ति किसी कोलोनाइजर की हो सकती है, किसी एक व्यक्ति विशेष की हो सकती है जो अपनी जमीन बेच रहा हो लेकिन अगर आवास विकास परिषद् लाभ की मनोवृत्ति से अगर बेचता है तो यह अच्छी चीज नहीं है। इससे कोई विशेष लाभ जनता को नहीं होता। मेरठ में भी आपने अन्धाधुन्ध मूल्य बढ़ा कर भू-खंड और फ्लैट्स दिये हैं। इन शब्दों के साथ मैं कहना चाहता हूं कि मन्त्री जी इन सब बातों पर विचार करेंगे।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, इस संशोधन पर विचार करने के पहले मैं कुछ मूलभूत प्रश्नों को माननीय मन्त्री जी के सामने रखना चाहता हूं। हमारे प्रदेश की पांच नगर महापालिकायें आज प्रशासक के हाथ में हैं। पिछले वर्ष मैंने एक प्रश्न किया था तब यह विभाग माननीय मुख्य मंत्री जी के पास था। उन्होंने जवाब दिया था कि सितम्बर या अक्तूबर में इनका चुनाव होगा। फिर दोबारा माननीय मुख्य मन्त्री जी ने बयान दिया कि चुनाव जनवरी या फरवरी, 1975 में होगा। मान्यवर, मैं माननीय मन्त्री जी से यह कहना चाहता हूं कि यह जो स्वायत्त शासन की

[श्री ऊदल]

संस्थायें हैं, जिनको आप भी और सभी लोग जनतन्त्र की एक इकाई के रूप में मानते हैं अगर इनके अधिकारों का हनन होगा तो मैं समझता हूं आप प्रजातन्त्र को जिन्दा नहीं रख सकते। इसलिये मेरी पहली आपत्ति यही है कि इतने दिनों तक नगर महापालिकाओं को सस्पेन्ड करके प्रशासक के हाथ में दिया गया और दो बार वायदा करके भी आज तक चुनाव नहीं कराया गया। इसी प्रकार बहुत सी नगरपालिकायें और टाउन एरियाज सस्पेन्डेड हैं। जहां गलत काम होता हो या भ्रष्टाचार की शिकायत हो वहां आप दखल दें और सस्पेन्ड करें तब तो बात समझ में आती है लेकिन जहां ऐसी कोई बात नहीं है वहां आपका दखल देना ठीक नहीं है। मैं बनारस नगर महापालिका के बारे में तो कह ही सकता हूं जिसकी व्यवस्था आज से कई गुना अच्छी थी। वहां दखल देने की आवश्यकता नहीं थी।

मुख्य मन्त्री जी ने एक बार स्वायत्त शासन विभाग की स्टेंडिंग कमेटी से बताया था कि उन्होंने कोई कमेटी जजेज की बना दी है और अब सरकार विभाग नहीं करेगा बल्कि सारा मामला कमेटी या बोर्ड के सामने जायगा। मैं चाहता हूं कि उस पर अमल होना चाहिये। किसी भी नगर पालिका या जो इसी प्रकार की स्वायत्त संस्थायें हैं उनको केवल जिलाधिकारी के कह देने पर जब तक पूरी जांच पड़ताल न हो जाय, भंग नहीं किया जाना चाहिये। मान्यवर, महापालिकाओं और नगरपालिकाओं की जो हालत है वह आपने एक प्रश्न के उत्तर में सुनी। उनकी हालत अच्छी नहीं है। यह बात माननीय मन्त्री जी ने तनख्वाहों का जिक्र करते हुए बतायी। इससे बहुत से प्रश्न जुड़े हुए हैं। रोशनी की हालत अच्छी नहीं है। सफाई और सड़कों की हालत अच्छी नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि जो शहरी जनता है उसको ज्यादा से ज्यादा सुख सुविधा मिल सके, ज्यादा से ज्यादा सफाई हो सके, ठीक से पानी की व्यवस्था हो सके तो इन सभी प्रश्नों पर विचार करना चाहिये।

आज ही श्रीमन्, मैंने इस सम्बन्ध में एक प्रश्न किया था जिसके उत्तर में माननीय मन्त्री जी ने बतलाया कि 62 करोड़ रुपये के कार्य-क्रम पर जिसमें पांचों महानगरियों तथा बुन्देलखंड व पहाड़ी क्षेत्रों के लिये पेयजल योजनायें शामिल हैं, विश्व बैंक द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान करने पर विचार विमर्श हुआ है। प्रदेश की पांचों नगर महापालिकाओं में जल सम्पूर्ति एवं जलोत्सारण योजनाओं के लिये 38 करोड़ रुपये तथा पहाड़ी क्षेत्रों और बुन्देलखण्ड के गांवों में जल सम्पूर्ति योजनाओं के लिये 25 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत के कार्य सम्मिलित हैं। धन प्राप्त होने पर यह कार्य आरम्भ किया जायगा। इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि इस पर बहुत जल्दी फैसला होना चाहिये क्योंकि इसकी आवश्यकता इसलिये है कि शहरी आबादी जोरों से बढ़ रही है और इनको पानी देने की जो क्षमता है, वह पुरानी है। लोगों को पानी नहीं मिल पाता। लोग परेशान होते हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि जिन योजनाओं का जिक्र आपने किया है उनके बारे में यह बतलायें कि क्या आपका प्लान है क्या इनकी लागत है इन पर कब फैसला होगा और कब से आप इन पर काम शुरू करेंगे।

मान्यवर, आपके माध्यम से एक निवेदन और मन्त्री जी से करना चाहता हूं। देहाती क्षेत्रों में जो पेयजल की स्कीम चल रही है वह भी इसी स्वायत्त शासन विभाग के अन्तर्गत है। पेयजल की स्कीम कर्वी में और हमारे यहां गौंडा में और कुछ जिलों में बड़े पैमाने पर दस-दस बारह-बारह स्कीम्स वर्षों से चल रही हैं। तमाम कहने के बाद भी

आपके अधिकारी उन कामों को अन्जाम नहीं दे पाये हैं। उदाहरण के लिये मैं आपके सामने दो तीन स्कीमों का हवाला देना चाहता हूं। पिंडरा में इनकी एक योजना चल रही है। वहां टंकी नहीं बनी। वहां ट्यूबवेल गड़ गया, कनेक्शन आ गया लेकिन लाइन नहीं डाली। सिधौरा में भी इनकी योजना फेल हो गयी। एक चौकीदार को रखकर 150 रुपया आठ वर्ष तक देना पड़ा। मेरा निवेदन है कि आपके द्वारा जो योजनायें देहाती क्षेत्रों में या पहाड़ी क्षेत्रों में अब तक चलाई गयी हैं, जो 30-40 करोड़ के करीब की चल चुकी हैं, इन की जांच होनी चाहिये कि उनमें अब तक क्या सफलता मिली।

श्री उपाध्यक्ष--

बिल पर भी प्रकाश डालें।

श्री ऊदल--

उसी पर आ रहा हूं। अब मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस विधेयक में सबसे ज्यादा अधिकार यह लिया कि एक साल को बढ़ाकर दो साल कर दिया। यह ठीक नहीं है। जब आप वचनबद्ध हैं चुनाव कराने के लिये और इन संस्थाओं को जनता के प्रतिनिधियों के सुपुर्द कर देने के लिये तो कोई वजह नहीं मालूम होती कि इतना बड़ा अधिकार और इतना समय आप ले लें। मैं चाहता हूं कि आप इस पर पुनर्विचार करें। यह तो पास हो ही जायगा लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि आप कृपा करके कम से कम जो स्वायत्त शासन संस्थायें हैं इनकी देख-रेख अच्छी तरह से कर दें और ज्यादा से ज्यादा सुविधा इनको पहुंचा दें। साथ ही आप जल्दी से जल्दी चुनाव कराकर जनता के प्रतिनिधियों को पदासीन करें जिससे कि आये दिन यह शिकायत करने का मौका न मिले कि सरकार इन जनतान्त्रिक इकाइयों को खत्म करना चाहती है। मैं चाहता हूं कि आपकी यही मंशा होगी कि माननीय मन्त्री जी व्यापक तरीके से इसके ऊपर प्रकाश डालें।

श्री धर्मपाल सिंह (जिला अलीगढ़)--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1975 का समर्थन करता हूं। जो यह बिल मन्त्री जी लाये हैं ठीक ही है और जनहित में है लेकिन ऐसा भी न हो कि गलत आदमी जो स्वायत्त शासन इकाइयों में घुस जाते हैं वे इस बिल के आने पर उसका दुरुपयोग करें। मैं 7 साल नगरपालिका का सदस्य रहा हूं। मेरा तजुर्बा है कि चेयरमैन चुन जाने से पहले और बाद में बड़ा परिवर्तन होता है। नगर पालिका का चेयरमैन जब कोई चुना जाता है तो एक रूप होता है लेकिन चुन जाने के बाद वह अनेक प्रकार की शोषण की तथा दमन की क्रियायें अपनाता है और पब्लिक का कोई सदस्य शिकायत करता है तो साल दो साल तक उस शिकायत का कोई समाधान चेयरमैन नहीं कर पाता है। 5 साल में चुनाव करने की पद्धति वहां भी है। जिस तरह से मध्यावधि चुनाव विधान सभाओं तथा लोक सभा में कराये जाते हैं उसी तरह से वहां भी चुनाव पहले कराये जाने चाहिये। मैं नगरपालिका की स्थिति से पूरी तरह से अवगत हूं। हाथरस नगरपालिका के चेयरमैन ने जमीन के पट्टे अपने आदमियों तथा रिश्तेदारों को दिये। वहां पर सफाई मजदूरों के अलावा हरिजनों का कोई कोटा अन्य नौकरियों में नहीं है और अगर कोई रख भी लिया गया हो तो उसे निकालकर चेयरमैन अपने रिश्तेदारों को रख देता है।

श्री उपाध्यक्ष--

आप विधेयक पर बोलें। ये बातें तो बजट भाषण के वक्त भी कह सकते हैं।

श्री धर्मपाल सिंह--

मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहता हूं कि म्युनिसिपल बोर्ड, हाथरस में कर्मचारियों के वेतन दो-दो महीने तक नहीं दिये जाते हैं और दूसरी ओर किसी एक आदमी के मकान तक सीवर लाइन ले जाने के लिये 25 हजार रुपये खर्च कर दिये जाते हैं। इस तरह की अनियमित बातों के लिये चेयरमैन के खिलाफ ऐक्शन लिया जाना चाहिये क्योंकि वहां पर जनता की प्रोपर्टी का दुरुपयोग किया जा रहा है, हरिजन कर्मचारियों को निकाला जा रहा है और जो दो लाख के बांड हैं उनको बिना मियाद के पहिले ही गिरवी रख दिया गया। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

*श्री अवधेश कुमार (जिला गोरखपुर)--

उपाध्यक्ष महोदय, आपने जो इस विधेयक पर मुझे अपने विचार प्रकट करने का अवसर दिया, उसके लिये मैं आप के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं। यह संशोधन विधेयक जो इस समय सदन के समक्ष उपस्थित है उसको देखने से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि इस संशोधन विधेयक के द्वारा शासन अपनी पकड़ महापालिकाओं और टाउन एरिया कमेटियों के ऊपर जोरदार रखना चाहता है। जो यह स्वायत्तशासी संस्थायें हैं उनको यह शासन स्वायत्तशासी न रहने देकर उसे अपने हाथ में कठपुतली बना देना चाहता है। बड़े अफसोस की बात है कि उत्तर प्रदेश की पांचों महानगरियों की जो महापालिकायें हैं वे अवक्रमित हैं और लगभग 27 नगरपालिकायें भी अवक्रमित हैं। गोरखपुर की नगरपालिका 11 फरवरी, 1969 से अवक्रमित है। वहां के नागरिकों ने बार-बार इस बात की मांग की है कि नगरपालिका का प्रशासन चुने हुये प्रतिनिधियों के हाथ में सौंपा जाय। वहां के सभी राजनीतिक दलों ने और यहां तक कि कांग्रेस दल ने भी यह मांग की है कि वहां पर चुनाव शीघ्र कराये जायें लेकिन शासन के कान में जूं तक नहीं रेंगी और एक न एक बहाने से चुनाव टालता जा रहा है।

मुझे स्मरण है कि 1974 में जब राज्यपाल महोदय ने इस सदन को सम्बोधित किया था, उस समय उन्होंने कहा था कि सभी स्वायत्त शासी संस्थाओं के चुनाव शीघ्र करा दिये जायेंगे लेकिन वह बात केवल बात ही रह गयी और उसके पश्चात मुख्य मन्त्री महोदय ने जो मेरे कटौती के प्रस्ताव पर उत्तर दिया था उसमें उन्होंने कहा था तथा यह आश्वासन दिया था कि उत्तर प्रदेश की नगरपालिकाओं के चुनाव शीघ्र कराये जायेंगे लेकिन एक न एक बहाने से ये चुनाव टालते जा रहे हैं। एक संशोधन विधेयक इसके पहले भी आया था। मगर उसको भी मुख्य मन्त्री महोदय ने अपने प्रस्ताव द्वारा प्रवर समिति को सौंप दिया। बड़े अफसोस की बात है कि उस प्रवर समिति की आज तक केवल एक ही बैठक हो पायी है। इस विषय को टाला जा रहा है और इसलिये टाला जा रहा है ताकि उत्तर प्रदेश की सरकार इन संस्थाओं के ऊपर हावी रहे और जनता के प्रतिनिधि उसमें न आने पावें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मैं इस संशोधन विधेयक की कतिपय धाराओं की ओर माननीय मुख्य मन्त्री जी का ध्यान दिलाऊंगा जिनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि यह संशोधन विधेयक वास्तव में इन स्वायत्तशासी संस्थाओं के ऊपर शासन की पकड़ और मजबूत बनाने के लिये है । जैसे इस विधेयक की धारा 2 में लिखा गया है--उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 8-क की उपधारा (2) के प्रतिबन्धात्मक खन्ड में शब्द "एक वर्ष" के स्थान पर शब्द "दो वर्ष" रख दिये जायं। मैं विनम्रतापूर्वक यह निवेदन करना चाहता हूं कि पहले के अधिनियम में जो प्राविजन था उससे यह परस्पर विरोधी है। पहले का जो अधिनियम 8-क (2) है उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि "नई महापालिकाओं के गठन के लिये इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार आवश्यक निर्वाचन उपधारा (1) के अधीन प्रशासक की नियुक्ति के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के भीतर किये जायेंगे" इसके नीचे जो परन्तुक था उसमें एक वर्ष का ही समय दिया गया था जिसे अब बढ़ाकर दो वर्ष किया जा रहा है। यह केवल जनता की आंखों में धूल झोंकने का ही प्रयास है ताकि शासन इन संस्थाओं को अपने ही हाथ में रख सके। इसलिये मैं माननीय मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि यह दोनों परस्पर विरोधी हैं, दोनों प्रोवीजन परस्पर विरोधी हो रहे हैं इसलिये इसको वापस ले लें।

इसके अतिरिक्त यह जो टाउन एरिया अधिनियम लाया गया है उसमें भी इसी प्रकार की मनोवृत्ति का परिचय मिलता है। इसमें जो कार्यकाल 5 वर्ष कर दिया गया है वह सराहनीय है, उसका स्वागत है साथ ही उसमें जो प्रतिबन्ध लगाया है उसमें कार्य-काल की अवधि को बढ़ा कर 2 वर्ष कर दिया गया है। इससे जाहिर है कि टाउन एरियाज में भी एक बार उनका कार्य काल समाप्त होने पर उनको दो वर्ष तक और अपने चंगुल में रखने का कुचक्र है। इसको दो वर्ष के बजाय अधिक से अधिक 6 माह होना चाहिये। मैं माननीय मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि वह इसको देखें।

दूसरा इसमें जो उत्तर प्रदेश नगर-योजना और विकास अधिनियम, 1973 संशोधन आ रहा है इसमें स्वायत्तशासी स्वरूप समाप्त किया जा रहा है। इसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के साथ में सारे अधिकार दिये जा रहे हैं। मैं मन्त्री महोदय का ध्यान इसके पहले प्रोवीजन की ओर दिलाना चाहता हूं उसमें यह स्पष्ट रूप के लिखा है 37-(1) धारा 27 की उपधारा (2) और (3) में और धारा 36 की उपधारा (4) में निर्दिष्ट मामलों के अवधारण के लिये राज्य सरकार एक अधिकरण नियुक्त करेगी जिसमें एक सिविल न्यायिक अधिकारी होगा जो सिविल जज की पंक्ति से नीचे का नहीं होगा। परन्तु एक नया संशोधन आ रहा है और जो न्यायालय में जाने की बात थी, वह भी समाप्त की जा रही है। इसमें धारा 11 में मूल अधिनियम की धारा 37 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय अर्थात--"37 अपील पर अध्यक्ष का प्रत्येक विनिश्चय, और केवल अपील पर (यदि वह की जा सकती है और की जाय) किसी विनिश्चय के अधीन रहते हुये, धारा 15 या धारा 27 के अधीन उपाध्यक्ष या अन्य अधिकारी का आदेश अन्तिम होगा और उस पर किसी न्यायालय में आपत्ति नहीं की जायेगी"।

तो यह इस मनोवृत्ति का परिचायक है कि न्यायालय में चुनौती का अधिकार नहीं देंगे ? और अधिकरण समाप्त किया जायेगा और उसकी जगह पर अध्यक्ष को ही अधिकार दे रहे हैं। मैं मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि इससे आपकी इच्छा नहीं पूरी होती है

[श्री अवधेश कुमार]

और यह स्वायत्तशासी संस्थाओं के हित में नहीं है। इसलिये यह नहीं होना चाहिये, न्यायाधिकरण समाप्त करने की बात समाप्त नहीं होनी चाहिये। मैं चाहता हूं कि वह इस प्रकार का जो प्राविधान ला रहे हैं, उसको वह वापस ले लें। और मैं चाहता हूं कि वह शीघ्रातिशीघ्र सभी नगरपालिकाओं को चलायें और जो आज सुपरसीडेड हैं, जो महापालिकायें सुपरसीडेड हैं उनका चुनाव करायें और चुने हुये प्रतिनिधियों के हाथ में वहां का प्रशासन सौंपें। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री दीपनारायण पाण्डेय (जिला गोंडा)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1975 का समर्थन करता हूं। जैसा कि इस सदन को यह मालूम है कि 23 अक्तूबर, 1974 को राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि संशोधन अध्यादेश जारी किया था जिसमें निम्नलिखित अधिनियमों में संशोधन किया गया --

(1) नगर महापालिका ऐक्ट, (2) म्युनिसिपल ऐक्ट, (3) टाउन एरिया ऐक्ट, (4) उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम (व्यवधान), यह वे चार कैटेगरीज हैं जिसमें संशोधन किये गये हैं। श्री त्रिवेणी सहाय जी आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो मैं क्या कह सकता हूं। यह चार कैटेगरीज हैं।

मुख्यतया, जो संशोधन किये गये, वे चार हैं। अब मैं यह बताना चाहता हूं कि 26 दिसम्बर, 1974 को जब उपरोक्त संशोधन यहां आया तो वह प्रवर समिति को दे दिया गया। उसकी रिपोर्ट अभी नहीं आई है। कुछ लोगों ने आरोप लगाया, तो मुझे कहना पड़ता है कि सरकार चुनाव नहीं करवाना चाहती है। यह गलत है जो अध्यादेश हुआ था, उसमें यह प्राविधान किया गया था कि प्रत्यक्ष मतों के जरिये म्युनिसिपैलिटीज अध्यक्ष का चुनाव होगा। वह प्रवर समिति को सौंप दिया गया। उसके कई कारण थे। आज भी वह शासन के विचाराधीन है। प्रवर समिति की जब भी रिपोर्ट आ जायेगी, सरकार उसको कार्यान्वित करने में नहीं चूकेगी। यह आरोप कि हमारी सरकार चुनाव नहीं करवाना चाहती है, बिलकुल गलत है। अब तक यह होता आया है कि चुनाव में जो अध्यक्ष बनते रहे हैं वे पैसे वाले लोग होते थे। वे सदस्यों को खरीद लेते थे। अब सरकार ने इसके लिये इरादा किया है और उस दिशा में उसने कदम उठाया है कि ऐसे लोग चुने जायं, जो सही रूप में जनता के प्रति अपना उत्तरदायित्व समझें। अब तक ऐसा होता है कि अध्यक्ष लोग अपने सदस्यों के प्रति ही अपने को उत्तरदायी समझते रहे हैं और जिन लोगों को जनता से सम्बन्ध नहीं है, वे भी अध्यक्ष हो जाते हैं। आप लोगों ने जो सरकार के इरादे पर शंका व्यक्त की है, यह उस पर मेरा जवाब था। इसलिये यह जो अध्यादेश आया है, उसके उद्देश्यों की पूर्ति के लिये जो उद्देश्य अच्छे और नेक हैं, वर्तमान व्यवस्था की गई है। इसकी प्रवर समिति से जल्द से जल्द रिपोर्ट आ जाये, तो मैं सरकार से मांग करूंगा कि चुनाव होने चाहिये और वह प्रत्यक्ष मतों के द्वारा होने चाहिये। वह आपकी समिति तय करेगी। मैं इसका इन शब्दों के साथ समर्थन करता हूं और जो विरोधी दल के लोगों ने कहा है, उसका विरोध करता हूं।

(व्यवधान)

*श्री रामअधार (जिला आजमगढ़)--

माननीय उपाध्यक्ष जी, हमारे पुराने मित्र ने मेरे ऊपर बड़े आक्षेप लगाये हैं। यह सौभाग्य है और दुर्भाग्य मे कांग्रेस पार्टी के लोगों की बड़ी मजबूरी है कि सरकार द्वारा लाये गये वे जिस विधेयक पर बोलें, उसके समर्थन में बोलें। उन्हें सरकार का समर्थन करना ही है, भले ही अपनी आवाज को उन्हें कितना ही दबा देना पड़े। कांग्रेस पार्टी के लोग अगर अपने मन्त्रियों द्वारा लाये गये अध्यादेशों का समर्थन न करें तो भविष्य में उनको चुनाव टिकट नहीं मिलेगा और न ही उन्हें चुनाव के समय टाटा--बिड़ला का रुपया ही मिलेगा। यही उनकी हमेशा मजबूरी रहती है कि वे हर सही-गलत बिल का समर्थन करने को मजबूर रहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

आप विधेयक पर बोलें।

(व्यवधान)

श्री राम अधार--

आज सवाल यह है कि 5-5 नगर महापालिकाओं का चुनाव टाल दिया गया है। नगरपालिकाओं, टाउन एरिया कमेटीज़ को धीरे-धीरे अधिग्रहण करने का प्रयास चल रहा है। प्रदेश के सामने यह सबसे बड़ी समस्या है जिससे जनतन्त्र को खतरा पैदा हो गया है। क्या उत्तर प्रदेश की सरकार शेख मुजीबुर्रहमान की तरह यहां भी लोकतन्त्र को समाप्त कर देना चाहती है या फिर शशिभूषण ने जो नारा दिया है सीमित डिक्टेटरशिप का, यह उस दिशा की तरफ तेजी से बढ़ रही है। जब आप चाहते हैं कि सत्ता का विकेन्द्रीकरण हो तो आपको चुनाव टालने की क्या आवश्यकता पड़ी है। जब आपके प्रदेश में 5-5 नगर महापालिकाओं का प्रशासन नौकरशाही के हाथों में है, तो क्या कारण है कि अब भी इतने दिन बाद उनके चुनावों को टाला जा रहा है? आप सत्ता के विकेन्द्रीकरण की बात करते हैं, किन्तु इतने मन्त्री बैठकर भी शासन सुचारु रूप से नहीं चला पा रहे हैं। इसी कारण आप अपने प्रशासन भार को निगमों को दे रहे हैं और बेसिक शिक्षा की व्यवस्था को बेसिक शिक्षा अधिकारी को दे दिया है। उसका भी आपने अधिग्रहण कर लिया। जल कल योजना का भी अधिग्रहण कर रहे हैं। यह सरकार चुनाव से हट रही है।

सत्ता का विकेन्द्रीकरण न करके आप चौखम्भा राज्य की बात करते हैं। लेकिन धीरे-धीरे नगरपालिकाओं के कार्य को लिमिटेड करके, उनके कार्य अपने हाथ में ले रही है। हम चाहते हैं कि इस तरह के विधेयक की नौटंकी बन्द करके चारों तरफ जो उचित व्यवस्था होनी चाहिये, वह करनी चाहिये। गरीबों के रहने के लिये मकान की क्या व्यवस्था की। लखनऊ नगरमहापालिका में चारबाग या जहां भी चले जाओ भूखे नंगे लोग, बीमार लोग बाहर पड़े रहते हैं। माननीय मुख्य मन्त्री के राज्य में जहां समाजवाद अंकुरित हो गया है, हजारो लाखों लोग नगर महापालिका, म्युनिसिपल बोर्ड के अन्दर बरसाती के अन्दर जाड़े के अन्दर बाहर बैठे सोये रहते हैं। उनके लिये आपकी कोई योजना नहीं है। आप विधेयक ले आते हैं, अधिग्रहण करने के लिये। सरकार नगरपालिकाओं का चुनाव करवाये। इसके अन्दर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, को जो पावर दी गयी है, न्यायालयों में भी कोई विचार नहीं होगा, यह सीमित तानाशाही का ही परिचायक है। मैं समझता हूं

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राम आधार]

कि पूरा का पूरा विधेयक एक एक्सपेरिमेन्ट है। आगे जो पार्लियामेन्ट का चुनाव आने वाला है, चूंकि कांग्रेस पार्टी के लिये माहौल बड़ा खराब है, जय प्रकाश जी के आन्दोलन से पूरा उत्तर प्रदेश बारूद पर खड़ा है। इस आन्दोलन को देखकर कांग्रेस पार्टी चाहती है कि आने वाले चुनावों को टाले। फिर असेम्बली को चुनाव टाले। फिर एक एक्सपेरीमेंट जो बंगला देश में हुआ यहां भी शुरू कर दिया जाय। यह जनतन्त्र, समाजवाद का सवाल है। गरीबों के लिये गृह निर्माण करने के लिये योजना बनाएं। आप चाहते हैं कि हमारा आधिपत्य कायम रहे। इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं।

*श्री शतरुद्ध प्रकाश (जिला वाराणसी)--

उपाध्यक्ष महोदय, यह जो विधेयक है, जो सदन के अन्दर स्वायत्त शासन मन्त्री द्वारा पेश किया गया है, मेरा एक आरोप है सरकार पर कि जो नगर महापालिकायें हैं उनकी स्वायत्तता तो सरकार ने नष्ट कर दी है। स्वयत्तता नाम की चीज रह ही नहीं गयी है। नगरमहापालिका का जो फंक्शन है, जो उसकी कार्यप्रणाली है, उसको साफतौर से उत्तर प्रदेश की सरकार ने प्रभावित किया है, चाहे वह इंजीनियरिंग विभाग का मामला हो। चाहे इंजीनियरों के अलावा अन्य कर्मचारियों के वेतन का मामला हो, या सिवर के सम्बन्ध में परसोनेल निर्धारित करना हो, या जनता के द्वारा चुन कर आये हुए नगर प्रमख बैठेंगे या सरकार द्वारा नियुक्त किये हुए प्रशासक बैठेंगे इसको उत्तर प्रदेश सरकार तय करेगी। पिछले साल से मांग की जा रही है कि उत्तर प्रदेश की नगर महापालिकाओं के चुनाव होने चाहिये। लेकिन जब भी यह सवाल किया जाता है उत्तर प्रदेश की सरकार एक मंत्री खड़े हो कर कह देता है कि हम जल्द ही चनाव करवाने जा रहे हैं। अगर इस मांग को दोहराया जायगा तो फिर मंत्री साहब कह देंगे कि हम जल्द चुनाव करवाने जा रहे हैं। कौन सी तारीख को चुनाव करवाया जायगा यह तय नहीं है। लेकिन एक साल से चुनाव कराने की मांग चल रही है. . . .

श्री उपाध्यक्ष--

विधेयक के बारे में प्रकाश डालें। बजट पर जनरल डिबेट का भाषण कर रहे हैं।

श्री शतरुद्ध प्रकाश--

उसी के सम्बन्ध में आ रहा हूं। प्वाइन्ट बाई प्वाइंट आ रहा हूं। (व्यवधान) सदन में पहले बहुगणा जी भूमिका ही कहा करते हैं।

मुख्य मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)

हम कुछ बोले भी नहीं हैं।

श्री शतरुद्ध प्रकाश--

आप लोग भूमिका बांधते हैं तो हम भी बांधते हैं।

हम नकल नहीं कर रहे हैं। मेरा यह कहना था कि जो पिछले साल से चुनाव कराये जाने की मांग की जा रही है उसको डायरेक्ट इलेक्शन से करा दें। इससे निष्पक्ष चुनाव हो जायेंगे। आज जितने भी चुनाव हो रहे हैं वह निष्पक्ष ढंग से नहीं हो पा रहे हैं। बैलेट बक्सों के बारे में शिकायतें सुनने में आ रही हैं। डायरेक्ट इलेक्शन निष्पक्ष चुनाव का प्रतीक बन जायेगा। लेकिन यदि सही माने में नगर महापालिकाओं में गरीब और ईमानदार आदमी को प्रतिनिधित्व देना हो तो चुनाव प्रणाली में तब्दीली करनी होगी।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उपाध्यक्ष महोदय, डायरेक्ट इलेक्शन, इनडायरेक्ट इलेक्शन बहुत अच्छे हैं लेकिन सारी खामियां इनसे दूर नहीं हो जायेंगी। खामियों को दूर करने के लिये एक विधेयक लाना होगा। अगर सही प्रतिनिधित्व इनमें देना है तो एक नया बिल लाइये और चुनाव प्रणाली में तब्दीली कीजिये। एक उदाहरण देना चाहता हूं कि बनारस में चन्द्रग्रहण पड़ा तो वहां की नगर महापालिका को ट्रैफिक का भी प्रबन्ध करना पड़ा। नगर महापालिका ने 15 हजार रुपया खर्च किया।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय सदस्य विषयान्तर हो रहे हैं। इससे कोई तात्पर्य नहीं है। आप विधेयक पर ही अपने विचार व्यक्त करें।

श्री शतरुद्ध प्रकाश--

उपाध्यक्ष महोदय, यह बात कहना बहुत जरूरी है।

श्री उपाध्यक्ष--

आप विधेयक के सम्बन्ध में ही विचार व्यक्त करें। इस तरह से नहीं।

श्री शतरुद्ध प्रकाश--

मैंने सरकार के कान में बात डाल दी है।

श्री उपाध्यक्ष--

आप विधेयक के सम्बन्ध में ही अपने विचार व्यक्त कीजिये।

श्री शतरुद्ध प्रकाश--

चन्द्रग्रहण पर जो फिजूलखर्ची की गई है उसको रोका जाना चाहिये था। माननीय मोहन लाल कपूर जी ने जो संशोधन उपस्थित किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं।

श्री बाबू लाल वर्मा--

मान्यवर, इस विधेयक के अन्दर तीन बातें हैं। पहली तो यह कि जो आपने डायरेक्ट चुनाव की बात कही है लेकिन जो विधेयक आयेगा उसके सम्बन्ध में दो बातें चाहता हूं। एक तो यह कि यदि मन्त्री जी आश्वासन दें कि एक महीने में वह विधेयक आ जायेगा और तत्काल चुनाव करा देंगे। दूसरें सस्पेन्डेड म्युनिसिपैलिटीज का कार्यकाल दो साल करने की बात है। लेकिन मैं चाहता हूं कि उसको 6 महीने कर दिया जाय। मन्त्री जी इसको स्वीकार कर लें तो मैं अपना अननुमोदन का प्रस्ताव वापस ले सकता हूं।

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोण्डा)--

श्रीमन्, ऐसा है कि मन्त्री जी नये-नये आये हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

इससे आपको क्या परेशानी है ?

*श्री त्रिवेणी सहाय--

मैं मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि ऐसा है श्रीमन्, कल मैंने एक सवाल किया था, वह सवाल यह था कि गोण्डा नगरपालिका को जब्त करने के लिये कमिश्नर ने संस्तुति कर दी है। माननीय मुख्य मन्त्री जी आपने ऐसे मन्त्री भर दिये हैं, भरना इसलिये कहता हूं कि कभी-कभी इनसे गलती हो जाती है, मुझसे भी हो जाती है। सरकार की तरफ से जवाब यह दिया गया कि इस मामले को जज के सामने रख दिया गया है। आप मनमाने ढंग से हर जगह वही बात

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री त्रिवेणी सहाय]

करेंगे। हमारा यह कहना है कि जनतन्त्र में अध्यक्ष का चुनाव जनता के द्वारा होना चाहिये। सुपरसेशन के बारे में राज्य सरकार राय नहीं देगी। बहुत अच्छा है। मैं इसका स्वागत करता हूं और इसीलिये मैंने कहा है कि जो प्रवर समिति को भेजा गया है यह भी निर्णय था, उसको इसमें आना चाहिये था।

श्री उपाध्यक्ष--

यह जो विधेयक पेश किया गया है यह उत्तर प्रदेश नगर महापालिका का पेश किया गया है कि नगरपालिका का ?

श्री त्रिवेणी सहाय--

श्रीमन्, नगरपालिका का है।

श्री उपाध्यक्ष--

इस विधेयक को किससे सम्बद्ध करते हैं आप ?

श्री त्रिवेणी सहाय--

नगरपालिका से श्रीमन्। यह देखिये इसमें लिखा है उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा --

वह तो त्रिवेणी हैं ही।

श्री त्रिवेणी सहाय---

अब आप कहते हैं त्रिवेणी हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि आपने किस नियम के और किस अधिनियम के अन्दर ऐसा किया है। आप एक नये मन्त्री आये हैं और इस मन्त्रि-मन्डल में कोई नया कीर्तिमान मन्त्री नहीं है। सब मीठे-मीठे मन्त्री आकर बैठ लेते हैं। अब अग्रवाल साहब के बारे में एक अच्छा है। मैं यह चाहूंगा कि प्रदेश की जनता की यह इच्छा है कि जिन नगर पालिकाओं में कांग्रेस का बहुमत है, उन नगरपालिकाओं को आप भंग कर दीजिये। आप गोंडा की नगरपालिका को कभी नहीं भंग करेंगे। मान्यवर 19 मेम्बरों में से 10 मेम्बरों ने इस्तीफा दे दिया। अब चेयरमैन ने पर्चा छाप दिया कि मैंने इस्तीफा दे दिया, लेकिन वहां के जिला परिषद् के चेयरमैन ने कहा कि तुम रहो, जब तक बहुगुणा जी हैं तब तक कोई हटा नहीं सकता। मान्यवर, अगर 19 में से 10 ने इस्तीफा दे दिया तो 9 कैसे वोट करेंगे ?

आप चुनाव नहीं कराना चाहते हैं। आपसे मेरा अनुरोध है कि जैसा आपने पहले पास किया है कि नगर पालिकाओं का संशोधन कर देंगे। आपने जो नाटक रचा है वह नहीं चलेगा। मेरा कहना है कि अगर स्वायत्तशासन को आप ठीक करना चाहते हैं तो मान्यवर, यह बहुत बड़ा कलंक है। मेरा आपसे निवेदन है कि इस ओर आप कदम उठायें। स्वायत्त शासन की संस्थाओं को ठीक करने के लिये राज्य सरकार को निष्पक्ष होना पड़ेगा। यह नहीं होना चाहिये कि त्रिवेणी सहाय बैठे हुए हैं तो हटाया जायेगा और बाबा जी बैठे हैं तो नहीं हटाया जायेगा। इस तरह की बात नहीं होनी चाहिये। आप को निष्पक्ष होना पड़ेगा। आपने

जो फैसला किया है वह मुझे बहुत पसन्द आया है। आप जुडीशियल इन्क्वायरी बैठा देंगे तो उसमें बहुत समय लग जाता है। इसलिये मेरा कहना है कि आप इस विधेयक को पास कर ले लेकिन साथ ही साथ आप नगर पालिकाओं को सुधारने की बात भी करें। जिस तरह से राजनैतिक अखाड़ेबाजी यहां पर होती है वैसी अखाड़ेबाजी वहां पर नहीं होनी चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

*स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री जगदीश शरण अग्रवाल)---

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपके द्वारा उन माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं और आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने इस पर अपने विचार व्यक्त किये। मान्यवर, मैं इतना कहना चाहता हूं कि जब बहुत ही निर्दोष बिल है। इस बिल के केवल 2 संशोधन हैं। मान्यवर, मैं कुछ निवेदन करने के पहले एक क्षमा याचना चाहता हूं कि कुछ माननीय सदस्यों ने कुछ ऐसी बातें कहीं हैं जिनका इस बिल से कोई सम्बन्ध नहीं है। तो अगर उनका जिक्र मैं न करूं तो वे मुझे क्षमा करेंगे। माननीय ऊदल जी ने कहा कि ये स्थानीय निकाय प्राथमिक इकाइयां हैं। तो मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम भी यही चाहते हैं। मैं आपको सूचना देना चाहता हूं कि जितनी भी स्थानीय संस्थायें हैं उनमें केवल 23 सुपरसीडेड हैं और बाकी सब स्थानीय प्रतिनिधियों के हाथ में हैं।

मान्यवर, इससे बढ़कर इस दिशा में और क्या विश्वास दिला सकते हैं। हमारे माननीय मुख्य मन्त्री ने जो घोषणा इस सदन के समय की थी और जो प्राविधान कर चुके हैं, उनके अनुसार हमने भविष्य के लिये यह प्रणाली स्वीकार कर ली है कि अगर हमारे पास किसी भी स्थानीय निकाय को सुपरसीड करने का प्रश्न आता है या उसके लिये शासन के पास किसी स्थानीय अधिकारी की सिफारिश आती है, तो उसका निर्णय शासन नहीं लेगा। बल्कि उसे न्यायाधीश को सौंपेगा। और उस दिशा में हमने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के जो न्याय मूर्ति, एक्स-चीफ जस्टिस हैं, उनको नियुक्त किया है।

एक माननीय सदस्य बड़ी व्यंगपूर्ण भाषा में कह रहे थे कि मैं सदन में एक नया सदस्य हूं। कोई नया सदस्य यदि इस बात को कहता तो ठीक हो सकता था लेकिन यदि पुराने माननीय सदस्य भी मुझे नया सदस्य कहें तो बड़े दुःख की बात है। 1955 से मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है इस सदन का सदस्य होने का और मुझे, श्रीमन्, आपके आसन पर भी बैठने का अवसर प्राप्त हुआ है। कुछ उदारतापूर्ण शब्दों का प्रयोग करते हुये मुझे सम्बद्ध करते हुए मुझसे कुछ आशायें भी हैं, मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि मैं उन आशाओं के अनुरूप उतरने का प्रयास करूंगा। मैं यह भी विश्वास दिलाता हूं कि मैं राजनीतिक दलगत भावनाओं से उठकर, बल्कि एक कदम आगे चल कर कार्य करूंगा। स्वायत्त शासी इकाई ही एक ऐसा मंच है, स्थान है, एक ऐसी कार्य परिधि है, जिनमें हम राजनीतिक दलगत भावना से ऊपर उठ सकते हैं। हमें विचार करना होता है कि वहां पर कौनसी सड़क बननी है, वहां पर सफाई की क्या व्यवस्था होनी चाहिये और इसका राजनीति से कोई सम्बन्ध नहीं होना चाहिये चाहे हम जनसंघ के सदस्य हों, या कांग्रेस के सदस्य हों। सभी राजनीतिक दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर और एक जुट होकर, हमें इस ओर प्रयास करना चाहिये। मेरा भी यह प्रयास होगा और मैं सभी राजनीतिक पार्टियों के माननीय सदस्यों से प्रार्थना

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री जगदीश शरण अग्रवाल]

करूंगा कि वे मुझे इस सम्बन्ध में सहयोग दें। मैं उनसे याचना करूंगा और विनम्रतापूर्वक प्रार्थना भी करूंगा कि वे इस कार्य में मेरी सहायता करें ताकि वहां पर जो सफाई की व्यवस्था है, या और खराबियां हैं, जिनकी ओर संकेत किया गया है, वे दूर हो सकें और इस दिशा में शीघ्र ही एक ठोस कदम उठाने का प्रयास भी सरकार की ओर से होने वाला है।

माननीय सदस्य ने जो गोंडा के बारे में प्रश्न उठाया है, मैंने पहले ही क्षमा चाही है कि अगर समयाभाव के कारण मैं उनका जिक्र न करूं जिनका इस विधेयक से कोई सम्बन्ध न हो तो वे क्षमा कर दें। इसलिये अगर उनको इसके बारे में अनुपूरक प्रश्न करने का अवसर नहीं मिला तो मैं उनको आमन्त्रित करता हूं कि वे मेरे कक्ष में आ जायं या मुझे अपने कमरे में बुला लें, उनकी जितनी भी शंकायें इस बारे में होंगी, उनका समाधान कर दूंगा। इस बारे में इस समय सारे सदन का समय नष्ट करने का मैं दोषी नहीं बनना चाहता हूं।

माननीय कपूर साहब ने कहा कि हमने सर्विसेज का केन्द्रीयकरण कर दिया जिसका हमारी स्थानीय निकायों पर कुप्रभाव पड़ा है। इसमें 2 रायें हो सकती हैं। मैं केवल इसके इतिहास की ओर एक विहंगम दृष्टि डलवाना चाहता हूं। जब आज के माननीय नेता विरोधी दल शासन में थे, उस समय केन्द्रीयकरण का बिल सदन में आया था। उस समय मैं एक सदस्य था। वह बड़ी जल्दी में आया था और उस समय यह विचार था कि इससे सारा सुधार होने वाला है। अगर कोई कठिनाई आयेगी तो उसमें सुधार करने का भी प्रयास करूंगा और हम कुछ विचार भी कर रहे हैं। जितने लाभ होते हैं, उनको उठाते हैं और यदि कोई कठिनाई होगी, तो उसमें सुधार करने का प्रयास करूंगा।

माननीय कपूर जी ने कहा कि कहीं पर सड़कें बनती हैं और कहीं पर नहीं बनती हैं। यह बहुत बड़ा विरोधाभास है। मेरे पास स्थानीय निकायों की जो रोड ग्रांट्स हैं, सरकार द्वारा दी गई हैं, उनकी एक तालिका है। अब अगर मेरठ में सड़कें न बन सकीं तो उसके लिये मैं माननीय कपूर साहब से ही कहूंगा कि वह मुझे लिख कर दें, अगर कहीं सड़क ग्रान्ट का उपयोग नहीं हुआ है तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि उसमें उचित कार्यवाही की जायेगी।

अब, यह कहा गया कि नगरपालिकाओं से शिक्षा छीन ली। मैंने इसी सदन में निरन्तर सुना है अपने कानों से माननीय सदस्यों को यह कहते हुये कि नगरपालिकाओं द्वारा संचालित जो शिक्षा संस्थान हैं उनमें बड़ी दुर्व्यवस्था है। मुझे नगरपालिका का अध्यक्ष और सदस्य भी रहने का सौभाग्य हुआ है। तो नगरपालिका द्वारा संचालित शिक्षा संस्थाओं के बारे में और जिला परिषद् द्वारा संचालित शिक्षा संस्थाओं के बारे में भी इस सदन में बारबार मांग की गयी कि उनको नगरपालिकाओं और शिक्षा परिषदों से दूर किया जाय। बेसिक शिक्षा परिषद् बना। अभी उस आर्डर की स्याही भी नहीं सूखी है कि अब इस तरह का लांछन लगाया जाय कि हमने जानबूझ कर उनको अपंग बनाने के लिये ले लिया, यह हमारे साथ न्याय नहीं है। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि शासन इस दिशा में जागरूक है। आपकी भावनाओं का आदर करते हुये अगर हम देखेंगे कि इसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है, तो उस पर विचार किया ही जायगा।

जल कल के कार्य के बारे में भी कुछ कहा गया। कुछ माननीय सदस्यों ने तो यह कहा कि यह कार्य भी हम छीनने जा रहे हैं नगरपालिकाओं से। माननीय ऊदल जी ने कहा कि बड़ा शुभ कार्य है, इसको जल्दी से जल्दी किया जाय। मैं मानता हूं कि यह कार्य बहुत शुभ है और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं माननीय सदन को कि इसमें छीनने का कोई प्रश्न नहीं है। हम जो जल निगम और जल संस्थान की कल्पना कर रहे है, यह अभी हमारी थिंकिंग ही है इसलिये अभी इसमें आरोप और आक्षेप का मौका नहीं था, यह स्वेच्छा से बनाया जा रहा है। जो स्वेच्छा से इसके सदस्य बनना चाहेंगे उन्हीं को हम सुविधा देंगे। वर्ल्ड बैंक से हम इस दिशा में बातचीत कर रहे हैं। 62 करोड़ रुपये का हमारा यह कार्यक्रम है। सारे प्रदेश के लिये एक जल निगम बनाने की बात चल रही है। और जो माननीय सदस्यों ने इस बात का संकेत किया कि इस विषय को जल्दी आना चाहिये, तो मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उनकी अपेक्षा से भी जल्दी हम माननीय सदन के समक्ष कोई ठोस प्रस्ताव रखने वाले हैं।

इसके अतिरिक्त अभी मेरे एक मित्र ने हाउसिंग बोर्ड के विषय में कहा। मैं जनता में घूमता हूं, नगर-नगर और डगर-डगर में जाता हूं लेकिन हाउसिंग बोर्ड की आवंटन प्रणाली के बारे में शिकायत आज तक मैंने नहीं सुनी। माननीय कपूर जी जब आज बोल रहे थे तो उन्होंने मेरे ऊपर कृपा कर दी और इतना तो कह गये कि आवंटन प्रणाली में कोई दोष नहीं है। लेकिन फिर उन्होंने एक शिकायत की कि उसमें तीन साल लग जाते हैं, रुपया जमा करवा लिया जाता है, वह तीन साल के लिये पड़ा रहता है। आज उत्तर प्रदेश में आवास विकास की दिशा में बहुत ज्यादा कार्य हुआ है जिसकी दूसरे राज्यों और केन्द्र के मन्त्रियों ने सराहना की है। मैं इसको दोष मानता हूं राज्य आवास परिषद् का कि वह आपको आज तक अपनी कार्यवाहियों को बता नहीं सका, लेकिन मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि इस दिशा में बहुत तेजी से कार्य हुआ है। और अभी जो कहा गया कि जिन के मकान नहीं हैं उनकी सेवा की जाय तो उसका बेसिक नियम है कि जिनके मकान हैं उसको हम दे ही नहीं सकते। मकान उसको दिया जायगा। जिसके पास मकान नहीं है और दूसरे इस बात का प्रयास है कि जो सब से ज्यादा पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनके लिये अधिकाधिक मकान उपलब्ध किये जायं। और आज तक जो भी योजनायें बनी हैं उनमें 25 प्रतिशत मकान उन लोगों को दिये गये हैं जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुये हैं। हम यह भी परिकल्पना कर रहे हैं कि जितनी कम कीमत पर हम मकान बना रहे हैं उससे भी कम कीमत पर अर्थात् 4-5 हजार रुपये में ही हम मकान बनायें। उसके लिये हमने अन्य सारे राज्यों के मकानों के बारे में भी अध्ययन किया है, केन्द्र से भी परामर्श किया है और हम 250 मकान ऐसे कम कीमत वाले आगरे में बना रहे हैं।

कुछ माननीय सदस्यों ने यह भी कहा है कि इस विधेयक को इसलिये लाये हैं कि हमारा इरादा चुनाव कराने का नहीं है और एक साल की अवधि को दो साल क्यों किया जा रहा है। मान्यवर, मूलभूत बातों का जिक्र मैं पहले कर चुका हूं। एक विधेयक पहले ही इस सदन में प्रस्तुत किया जा चुका है जो प्रवर समिति के सामने है। यह भी कहा गया कि माननीय मुख्य मन्त्री जी ने उसे स्वयं प्रवर समिति में भेजा। जितने माननीय सदस्यों के संशोधन उस समय प्रवर समिति में भेजने के लिये आये थे वे आपके पास होंगे। उस समय कितने ही माननीय सदस्यों ने यह मांग की थी कि उसे प्रवर समिति में भेजा जाय। माननीय

[श्री जगदीश शरण अग्रवाल]

सदस्यों की भावनाओं का आदर करते हुये उसे माननीय मुख्य मन्त्री जी ने प्रवर समिति को भेजने में अपनी सहमति दी। अब इसमें उनका दोष यही हो सकता है कि उन्होंने माननीय सदस्यों की भावनाओं का आदर किया है।

मान्यवर, अभी एक विचार और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इलेक्शन के बारे में व्यक्त किया गया जिसमें पूर्व और पश्चिम का अन्तर था। एक तरफ कहा गया कि डायरेक्ट इलेक्शन ठीक है, दूसरी तरफ कहा गया कि इनडायरेक्ट इलेक्शन ठीक है। डायरेक्ट में गरीब आदमी आ सकता है, इनडायरेक्ट में धनी व्यक्ति ही आता है। यह नगरपालिका ऐक्ट, 1916 में बना था। इस बीच करीब 140 संशोधन उसमें हो चुके हैं। आज इस बात की आवश्यकता हो गयी थी कि उसमें परिवर्तन कर एक नया ऐक्ट सदन के सामने लाया जाय। उस पर सुचारु रूप से विचार हो सके, इसलिये वह प्रवर समिति के सामने है। अगर उसमें महीने, दो महीने, 4 महीने की देर भी होती है तो कोई आपत्ति की बात नहीं है, हम यही चाहते हैं कि जो भी संशोधन हम करें वे ऐसे हों जो समय की चट्टान से टकरायें नहीं और स्थानीय निकायों को अधिक शक्ति दे सकें।

यह बात भी कही गयी कि आर्थिक स्थिति सुधारने के लिये कोई प्रयत्न नहीं किया जा रहा है। शासन की ओर से इसके लिये कई कमेटियां समय-समय पर गठित की गयीं हैं और उनकी रिपोर्ट व सिफारिशें हमारे सामने हैं। उन पर समय-समय पर विचार किया गया है और उनको स्वीकार भी किया गया है।

रोड ग्रान्ट्स को भी माननीय सदस्य ने इससे लिंक कर दिया। हम ने किया है कि जो स्थानीय निकाय हाउस टैक्स लगायेंगी वही रोड-ग्रान्ट्स पायेंगी। हम स्थानीय निकायों को अपने पैरों पर ही खड़े करना चाहते हैं। उनके साधन बढ़ाना चाहते हैं। इन शब्दों के साथ मैं आशा करूंगा कि इस विधेयक में जो दो संशोधन माननीय सदस्यों ने दिये हैं वे उनको वापस ले लेंगे और इस विधेयक को पास करें ताकि जो उनकी भावनायें हैं उनके अनुरूप आगे कार्य किया जा सके।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1975 को जनता की राय जानने के लिये 1 माह तक जनता में परिचालित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1975 को सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जो अपनी रिपोर्ट 2 माह के भीतर दे दे तथा जिसे विधेयक की परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1975 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड–2 तथा 3

2—उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 8–क की उपधारा (2) के प्रतिबन्धात्मक खण्ड में, शब्द "एक वर्ष" के स्थान पर शब्द "दो वर्ष" रख दिये जायें।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2, 1959 की धारा 8–क का संशोधन

3—मूल अधिनियम में किसी बात के होते हुए, भी 17 सितम्बर, 1974 से ही—

इलाहाबाद महापालिका के प्रशासन के संबंध में अस्थायी उपबन्ध

(क) इलाहाबाद महापालिका के नगर प्रमुख, उप नगर प्रमुख, सभासद, विशिष्ट सदस्य और उक्त अधिनियम की धारा 5, 95 तथा 97 के अधीन संगठित अथवा नियुक्त समस्त समितियों, विशेष समितियों, संयुक्त समितियों तथा उप–समितियों के सदस्य और मुख्य नगराधिकारी, अपने-अपने पद रिक्त कर देंगे, तथा ऐसी समस्त समितियां, विशेष समितियां, संयुक्त समितियां और उप समितियां विघटित हो जायेंगी ;

(ख) उक्त अधिनियम की धारा 9 के अधीन नई महापालिका का सम्यक् रूप से पुनर्गठन होने तक, उक्त महापालिका, उसके नगर प्रमुख, उप नगर प्रमुख तथा उक्त अधिनियम की धारा 5 में निर्दिष्ट समितियों की और मुख्य नगराधिकारी की समस्त शक्तियां, कृत्य तथा कर्त्तव्य राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त नियुक्त अधिकारी में (जिसे आगे प्रशासक कहा गया है) निहित हो जायेंगे, और उसके द्वारा उनका प्रयोग, पालन तथा निर्वहन किया जायगा, तथा प्रशासक को विधि की दृष्टि से महापालिका, नगर प्रमुख, उप नगर प्रमुख, ऐसी समिति अथवा मुख्य नगराधिकारी, जैसा भी अवसर के अनुसार अपेक्षित हो, समझा जायगा ;

(ग) प्रशासक, राज्य सरकार के किन्हीं साधारण या विशेष आदेशों के अधीन रहते हुए, अन्तिम पूर्ववर्ती खण्ड द्वारा उसे प्रदत्त शक्तियों में से सब या किन्हीं के बारे में—

(1) उसके द्वारा उस निमित्त विनिर्दिष्ट रीति से संगठित समिति या अन्य निकाय से, यदि कोई हो, परामर्श कर सकेगा; अथवा

(2) इस प्रकार प्रदत्त शक्तियों को ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जिन्हें अधिरोपित करना वह उचित समझे, किसी ऐसे व्यक्ति को अथवा अन्तिम पूर्ववर्ती उपखण्ड के अधीन संगठित किसी ऐसी समिति या अन्य निकाय को जिसे वह इस निमित्त निर्दिष्ट करे, प्रतिनिहित कर सकेगा;

(घ) प्रशासक का ऐसा वेतन और भत्ते, जो उस निमित्त राज्य सरकार के साधारण या विशेष आदेशों द्वारा नियत किये जायें, महापालिका की निधि से दिये जायेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष—

खण्ड 2 पर श्री अवधेश कुमार जी का विरोध है ।

श्री अवधेश कुमार—

मान्यवर, मैं खण्ड 2 का विरोध करता हूं । माननीय मंत्री महोदय, इसे वापस ले लें ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 और 3 इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड 4 से 10

संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 2, 1914 की धारा 6(1) का संशोधन

4—संयुक्त प्रान्त टाउन एरिया अधिनियम, 1914 की धारा 6 में, उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय, अर्थात्:—

"(1) धारा 36 में जैसा उपबन्धित है, उसके सिवाय समिति का कार्यकाल पांच वर्ष होगा :

प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा सभी समितियों का या किसी समिति का कार्यकाल समय-समय पर इस प्रकार बढ़ा सकेगी कि बढ़ाये गये कुल कार्यकाल का योग दो वर्ष से अधिक न हो ।"

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30, 1974 द्वारा पुनः अधिनियमित

5—उत्तर प्रदेश राष्ट्रपति अधिनियम (परिष्कारों सहित पुनः अधिनियमन) अधिनियम, 1974 द्वारा पुनः अधिनियमित उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 में, खण्ड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जाय, अर्थात् :—

राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 11, 1973 की धारा 2 का संशोधन

"(घघ) 'अध्यक्ष' और 'उपाध्यक्ष' का क्रमशः तात्पर्य विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से होगा; "।

धारा 6 का संशोधन

6—मूल अधिनियम की धारा 6 में, उपधारा (6) में, शब्द "परिषद्" के स्थान पर शब्द "सलाहकार परिषद्" रख दिया जाय ।

धारा 15 का संशोधन

7—मूल अधिनियम की धारा 15 में—

(क) जहां कहीं भी शब्द "प्राधिकरण" आया हो उसके स्थान पर शब्द "उपाध्यक्ष" रख दिया जाय ;

(ख) उपधारा (1) में, शब्द "विनियमों" के स्थान पर शब्द "उपविधियों" रख दिया जाय;

(ग) उपधारा (5) में जहां कहीं भी शब्द "अधिकरण" आया हो उसके स्थान पर शब्द "अध्यक्ष" रख दिया जाय।

धारा 27 का संशोधन

8—मूल अधिनियम की धारा 27 में,—

(क) उपधारा (1) में,—

(1) शब्द "प्राधिकरण के उपाध्यक्ष द्वारा उस निमित्त सशक्त उसका कोई अधिकारी" के स्थान पर शब्द "उपाध्यक्ष या उसके द्वारा उस निमित्त सशक्त प्राधिकरण का कोई अधिकारी" रख दिये जायं;

(2) शब्द "प्राधिकरण का अधिकारी" के स्थान पर शब्द "उपाध्यक्ष या ऐसा अधिकारी" और शब्द "प्राधिकरण के उक्त अधिकारी" के स्थान पर शब्द "उपाध्यक्ष या ऐसे अधिकारी" रख दिये जायं;

(ख) उपधारा (2), (3), (4) और (5) में, जहां कहीं भी शब्द "अधिकरण" आया हो, उसके स्थान पर शब्द "अध्यक्ष" रख दिया जाय;

(ग) स्पष्टीकरण निकाल दिया जाय।

धारा 33 का संशोधन

9—मूल अधिनियम की धारा 33 में, उपधारा (4) में, शब्द "इस अधिनियम के प्रख्यापन से पूर्व" के स्थान पर शब्द "इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व" रख दिये जायें।

धारा 36 का संशोधन

10—मूल अधिनियम की धारा 36 में,—

(क) जहां कहीं भी शब्द "प्राधिकरण" आया हो, उसके स्थान पर शब्द "उपाध्यक्ष" रख दिया जाय;

(ख) उपधारा (4) में, शब्द और संख्या "धारा ३७ के अधीन अधिकरण" के स्थान पर शब्द "अध्यक्ष" रख दिया जाय और अन्त में शब्द "और ऐसे अवधारण पर किसी न्यायालय में आपत्ति नहीं की जायगी" बढ़ा दिये जायं।

श्री अवधेश कुमार—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड 4 द्वारा धारा 6 में प्रस्तावित उपधारा (1) की अन्तिम पंक्ति में शब्द "दो वर्ष" के स्थान पर अंक तथा शब्द "6 माह" रख दिये जायं।

श्री जगदीश शरण अग्रवाल—

श्रीमन्, मैंने तो कारण स्पष्ट कर दिये हैं। इस सम्बन्ध में मुझे कुछ और नहीं कहना है।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खण्ड 4 द्वारा धारा 6 में प्रस्तावित उपधारा (1) की अन्तिम पंक्ति में शब्द "दो वर्ष" के स्थान पर अंक तथा शब्द "6 माह" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खण्ड 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 11 से 17, खण्ड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

11--मूल अधिनियम की धारा 37 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय, अर्थात् :--

धारा 37 का प्रतिस्थापन

"37--अपील पर अध्यक्ष का प्रत्येक विनिश्चय, और केवल अपील पर (यदि वह की जा सकती हो और की जाय) किसी विनिश्चिय के अधीन रहते हुए, धारा 15 या धारा 27 के अधीन उपाध्यक्ष या अन्य अधिकारी का आदेश अन्तिम होगा और उस पर किसी न्यायालय में आपत्ति नहीं की जायगी।"

विनिश्चयों का अंतिम होना

12--मूल अधिनियम की धारा 55 में, उपधारा (2) के खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाय, अर्थात् :--

धारा 55 का संशोधन

"(क) धारा 15 की उपधारा (5) के अधीन या धारा 27 की उपधारा (2) के अधीन अपील के ज्ञापन पर फीस का उद्गृहीत किया जाना।"

13--मूल अधिनियम की धारा 56 में, उपधारा (2) के खण्ड (च) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिये जायें, अर्थात् :--

धारा 56 का संशोधन

"(छ) धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिये आवेदन पर दी जाने वाली फीस ;

(ज) दस्तावेजों तथा मानचित्रों के निरीक्षण या उनकी प्रतियां प्राप्त करने के लिये दी जानेवाली फीस ;

(झ) कोई अन्य विषय जिसे विनियमों द्वारा विहित किया जाना हो या किया जाय।"

14--मूल अधिनियम की धारा 57 में--

धारा 57 का संशोधन

(1) खण्ड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जाय, अर्थात् :--

"(खख) धारा 32 के अधीन अपराधों के शमन के लिये मार्गदर्शन करनेवाले सिद्धान्त ;";

(2) खण्ड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिये जायें, अर्थात् :—

"(घ) भवनों के नक्शे या जल प्रदाय, जलनिकास तथा मल वहन प्रणाली को तैयार करने के लिये वास्तुकलाविद्, नगर नियोजन इंजीनियरों, सर्वेक्षकों, नक्शानवीसों को अनुज्ञप्ति स्वीकृत करना तथा ऐसी अनुज्ञप्ति की स्वीकृति के लिये दी जाने वाली फीस ;

(ङ) जब तक धारा 9 में उल्लिखित परिक्षेत्रीय विकास योजनायें तैयार नहीं हो जातीं, तब तक उक्त धारा की उपधारा (2) के खण्ड (घ) में विनिर्दिष्ट विषय;

(च) कोई अन्य विषय जिसे उपविधियों द्वारा विहित किया जाना हो या किया जाय।"

15—मूल अधिनियम की धारा 59 में— धारा 59 का संशोधन

(क) उपधारा (1) में—

(i) खण्ड (क) में, शब्द तथा अंक, "ऐसी आवास या सुधार स्कीमों को छोड़कर जिनका कार्यान्वयन 12 जून 1973 के पूर्व प्रारम्भ हो गया था और जो राज्य सरकार के द्वारा इस निमित्त राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जायं" के स्थान पर शब्द तथा अंक, "उन आवास या सुधार स्कीमों को छोड़कर जो, उनमें समाविष्ट क्षेत्र को विकास क्षेत्र घोषित किए जाने के पूर्व उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, 1965 की धारा 32 के अधीन विज्ञप्ति की गई हों" रख दिये जायं तथा शब्द तथा अंक, "संयुक्त प्रान्त साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 6" के स्थान पर शब्द तथा अंक, "संयुक्त प्रान्त साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 6 और 24" रख दिये जायें ;

(ii) खण्ड (ख) में शब्द तथा अंक "संयुक्त प्रान्त साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 6" के स्थान पर शब्द तथा अंक "संयुक्त प्रान्त साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 6 और 24" रख दिये जायें ;

(iii) खण्ड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जाय, अर्थात्:—

"(ग) खण्ड (क) और (ख) के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यथास्थिति, यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, 1916, अथवा उत्तर प्रदेश

(निर्माण कार्य विनियमन) अधिनियम, 1958 अथवा उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 के अधीन कोई उपविधियां, निदेश और विनियम जो इस अधिनियम के प्रारम्भ के ठीक पूर्व प्रवृत्त हों, जहां तक वे इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों, तब तक प्रवृत्त बने रहेंगे जब तक कि इस अधिनियम के अधीन किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा परिवर्तित, निरसित या संशोधित न कर दिये जायें।" ;

(ख) उपधारा (3) में, प्रथम पैरा के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रख दिया जाय, अर्थात् :—

"ऐसे विकास क्षेत्र के सम्बन्ध में, जिसके अन्तर्गत उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 में यथापरिभाषित कोई सम्पूर्ण नगर है, विकास प्राधिकरण के गठन के दिनांक को, और उससे, विकास प्राधिकरण के गठन के दिनांक के ठीक पूर्व उस नगर की नगर महापालिका के अधिष्ठान के समस्त पद जो उत्तर प्रदेश पालिका केन्द्रीयित सेवा नियमावली, 1966 जिसे आगे इस धारा में केन्द्रीयित सेवायें कहा गया है, द्वारा नियंत्रित पद न हों किन्तु जो अनन्यतः उक्त अधिनियम के अध्याय 14 अथवा उत्तर प्रदेश (निर्माण-कार्य विनियमन) अधिनियम, 1958 के अधीन उसके कार्य-कलापों के सम्बन्ध में हों, ऐसे दिनांक से ही ऐसे पदाभिदान से जैसा प्राधिकरण अवधारित करे, विकास प्राधिकरण को अन्तरित हो जायेंगे, तथा उस नगर की नगरमहापालिका के अधीन सेवा करने वाले अधिकारियों तथा कर्मचारियों का जो किसी सेवा के सदस्य न हों चयन जिनकी संख्या इस प्रकार अन्तरित पदों की संख्या से अधिक न हो, उन पदों पर नियुक्त किये जाने के लिये, ऐसे निदेशों के अनुसार किया जायेगा जो राज्य सरकार द्वारा जारी किये जायें, और इस प्रकार चयन किये जाने पर वे विकास प्राधिकरण को अन्तरित हो जायेंगे और उसके अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी हो जायेंगे; और उसी अवधि के लिये, उसी पारिश्रमिक पर तथा सेवा की उन्हीं शर्तों तथा निबन्धनों पर पद धारण करेंगे जिन पर वे पद धारण करते होते, यदि प्राधिकरण का गठन न किया गया होता, और तब तक उसी प्रकार पद धारण करते रहेंगे जब तक कि ऐसी अवधि, पारिश्रमिक तथा

शर्तें और निबन्धन प्राधिकरण द्वारा सम्यक् रूप मे परिवर्तित नहीं कर दी जातीं।" ;

(ग) उपधारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय, अर्थात् :—

"(4) ऐसे विकास क्षेत्र के सम्बन्ध में, जिसके अन्तर्गत उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 में यथा-परिभाषित कोई सम्पूर्ण नगर है, विकास प्राधिकरण के गठन के दिनांक को और उससे, विकास प्राधिकरण के गठन के दिनांक के ठीक पूर्व उस नगर की नगर महापालिका के अधिष्ठान के समस्त पद जो केन्द्रीयित सेवाओं द्वारा द्वारा नियंत्रित हों, और अनन्यतः उसके उक्त कार्यकलापों के सम्बन्ध में हो, ऐसे दिनांक से ही ऐसे पदाभिधान से जैसा राज्य सरकार अवधारित करे, विकास प्राधिकरण को अन्तरित हो जायेंगे, किन्तु ऐसे पद केन्द्रीयित सेवाओं के सदस्यों द्वारा उसी प्रकार भरे जाते रहेंगे जिस प्रकार वे भरे जाते यदि वे प्राधिकरण को अन्तरित न किये गये होते, और उक्त अधिनियम तथा केन्द्रीयित सेवाओं से सम्बन्धित नियम तदनुसार संशोधित समझे जायेंगे।"

(घ) उपधारा (6) में—

(1) खण्ड (ग) में, शब्द, कोष्ठक तथा अंक "उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारी" के स्थान पर शब्द, कोष्ठक तथा अंक "उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी अधिनियमिति के अधीन गठित किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारी" रख दिये जायें ;

(2) खण्ड (ङ) में, शब्द, कोष्ठक तथा अंक "उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट स्थानीय प्राधिकारी" के स्थान पर शब्द, कोष्ठक तथा अंक "उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट किसी अधिनियमिति के अधीन नियुक्ति या गठित किसी प्राधिकारी" रख दिये जायें ;

(3) खण्ड (ङ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जाय, अर्थात् :—

"(च) इस अधिनियम के अधीन विकास क्षेत्र के रूप में घोषित किसी क्षेत्र के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश (निर्माण कार्य विनियमन) अधिनियम, 1958 की धारा 15 की उपधारा (2) के अधीन समस्त अपील जो ऐसी घोषणा के दिनांक को, नियन्त्रक प्राधिकारी के समक्ष विचाराधीन हों, अध्यक्ष को अन्तरित हो जायेंगी और

अध्यक्ष का विनिश्चय अन्तिम होगा और ऐसी समस्त अपील जो नियन्त्रित प्राधिकारी को सम्बोधित हों और जो उक्त घोषणा के पश्चात् अध्यक्ष द्वारा ग्रहण की गई हों, अध्यक्ष को प्रस्तुत की गई समझी जायेंगी और अध्यक्ष का विनिश्चय अन्तिम होगा।"

यू0 पी0 ऐक्ट संख्या 8, 1919 की धारा 68 का प्रतिस्थापन

16—यूनाइटेड प्राविंसेज टाउन इम्प्रूवमेन्ट ऐक्ट, 1919 की धारा 68 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय, अर्थात्—

"68—राज्य सरकार के किन्हीं निदेशों के अधीन रहते हुए, ट्रस्ट अपना धन कोषागार या किसी अनुसूचित बैंक में रख सकेगा या उसे भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 की धारा 20 में वर्णित किन्हीं प्रतिभूतियों में विनिहित कर सकेगा।"

निरसन

17—(1) उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1974 और उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (अल्पकालिक व्यवस्था) अध्यादेश, 1974 एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं, और तदनुसार प्रथम उल्लिखित अध्यादेश द्वारा यू0 पी0 म्युनिसिपैलटीज ऐक्ट, 1916 में किये गये संशोधन कभी नहीं किये गये समझे जायेंगे और उक्त अध्यादेश के प्रारम्भ होने तथा इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के बीच म्युनिसिपल बोर्ड के प्रेसीडेन्ट के पद में किसी आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिये यू0 पी0 म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, 1916, जैसा कि वह उक्त अध्यादेश द्वारा संशोधन के पूर्व था, के उपबन्धों के अनुसार किया गया कोई निर्वाचन विधि मान्य समझा जायगा और सदैव विधि मान्य होगा।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेशों के अधीन किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन किया गया कार्य या की गई कार्यवाही समझी जायगी मानो यह अधिनियम सभी सारवान समय पर प्रवृत्त था।

उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1975

नागर स्वायत्त शासन से सम्बन्धित अधिनियमितियों को आगे आये हुए प्रयोजनों के निमित्त संशोधित करने और इलाहाबाद महापालिका के प्रशासन के लिये कतिपय अस्थायी प्रबन्ध की व्यवस्था करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के छब्बीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अधिनियम, 1975 कहलायेगा।

(2) यह अध्याय, अध्याय 5 और अध्याय 6 तुरन्त प्रवृत्त होंगे, अध्याय 2 दिनांक 17 सितम्बर, 1974 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा, अध्याय 4 दिनांक 15 अगस्त, 1974 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा और अध्याय 3 दिनांक 23 अक्तूबर, 1974 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

श्री अवधेश कुमार--

मैं खण्ड 11 का विरोध करता हूं। माननीय मंत्री जी इसे वापस ले लें।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खण्ड 11, 12, 13, 14, 15, 16 17 तथा खण्ड 1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री जगदीश शरण अग्रवाल--

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1975 पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्तशासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1975 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड (संशोधन) अध्यादेश, 1975 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड (संशोधन,) विधेयक, 1975†

श्री बाबू लाल वर्मा (जिला बहराइच)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से सदन के सामने यह संकल्प प्रस्तुत करता हूं:--

"यह सदन उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड (संशोधन) अध्यादेश, 1975 का अननुमोदन करता है।"

श्री उपाध्यक्ष--

बोलने का मौका तो आपको दूसरे संशोधन में मिल जायगा, एक जगह बोल लीजियेगा। इससे समय की बचत हो जायगी।

लघु उद्योग मंत्री (श्री इस्तफा हुसैन)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1975 पर विचार किया जाय।

मान्यवर, यह थोड़े से संशोधनों वाला विधेयक है, इसमें खादी तथा ग्रामोद्योग कमीशन से, जिससे कि हमारे खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड को काफी पैसा मिलता है, आर्थिक सहायता मिलती है, उसके कहने पर कि हमें उत्तर प्रदेश सरकार को जो रुपया मिलता है उसकी गारण्टी दें तथा दूसरा और जो तकाजा था कि खादी ग्रामोद्योग बोर्ड को यदि डिजाल्व कर दिया जाय, भंग कर दिया जाय तो खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड की जितनी सम्पत्ति है वह सब हमारे प्रदेश की सरकार की हो जाय। उसको मिल जाय। यह दो तकाजे खादी ग्रामोद्योग कमीशन के थे हमें उनकी पूर्ति करनी थी। हमारी सरकार को गारण्टी देनी पड़ी थी जिसकी वजह से अपने काम में, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की जो योजनायें हैं उनके चलाने में हमें देर होती थी और हर साल खादी ग्रामोद्योग कमीशन के तकाजे की वजह से वह काम जल्दी नहीं हो

†25 फरवरी, 1975 की कार्यवाही में छपा है।

[श्री इस्तफा हुसैन]

पाता था इसलिये हमने इस संशोधन विधेयक में 2 बातों का प्राविधान किया है। मूल अधिनियम, 1960 का था। अब संशोधन करके यह प्राविधान कर रहे हैं।

तीसरे, इस बात के वास्ते और संशोधनों को कर रहे हैं, वह यह है कि हमारे प्रदेश के खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के जो उपाध्यक्ष थे और मंत्री थे उन्हीं को डेलीगेशन के अधिकार मिलते थे। अब हमने ऐसा किया है जिससे जो अधिकारी हैं, जो विभागीय काम करते हैं, ऐसे अधिकार हम इन अधिकारियों को दे रहे हैं जिससे काम में जल्दी होगी। और जो काम ठीक तरीके से नहीं हो सकता है, वह ठीक तरीके से होगा। इसी तरह के छोटे-छोटे संशोधन किये गये हैं, मसलन यह है कि अभी तक इसमें देखें कि खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड के चेयरमैन, उद्योग मंत्री होंगे। उद्योग मंत्री दो-दो हैं। इस वास्ते अब ऐसा किया है कि जो मंत्री खादी और ग्रामोद्योग का काम देख रहा होगा, वह होगा। इस प्रकार का प्राविधान किया गया है अगर राज्य मंत्री देख रहा होगा तो वह होगा और अगर राज्य मंत्री नहीं होगा तो जो देख रहा होगा वह होगा। यह 2–3 बातें हैं। इसमें कुछ छोटी-छोटी बातों का प्राविधान किया गया है जिसके लिये अब तक कोई प्राविधान नहीं था। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य इन छोटे से संशोधनों पर विचार करेंगे और इसको पारित करेंगे।

श्री बाबू लाल वर्मा—

उपाध्यक्ष महोदय, सरकारी गगन के तले, खादी का भ्रष्टाचार पले।

श्री उपाध्यक्ष—

पहले आप संशोधन रखें तब कहें।

श्री बाबू लाल वर्मा—

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1975 को जनता की राय जानने हेतु एक माह तक जनता में परिचालित किया जाय। मान्यवर, उसे मैं फिर दोहरा दूं—सरकारी गगन के तले, खादी का भ्रष्टाचार पले। जिस प्रकार मान्यवर, लोकनायक जय प्रकाश नारायण ने चम्बल की घाटी के डाकुओं का उद्धार करने का काम किया था और आज उसी प्रकार खद्दर पोश डकैतों को ठीक करने के लिये उनके बीच में भ्रष्टाचार को दूर करने के लिये वह जूझ रहे हैं। इस खादी के मामले में बापू जी की आत्मा थी और जिस बात को सोच कर बापू जी ने . . .

श्री उपाध्यक्ष—

मेरा निवेदन आप सुनें। आप इस विधेयक से संबंधित सिद्धान्तों पर चर्चा करें तो ठीक है। विषय से बाहर जायें तो वह मुनासिब नहीं है।

श्री बाबू लाल वर्मा—

मान्यवर, मैं खादी के संबंध में ही तो कह रहा हूं। बापू जी ने जिसके आधार पर प्रचार किया था मैं उसको बताना चाहता हूं जिस प्रकार महाभारत की लड़ाई में अभिमन्यु चक्र व्यूह को तोड़ने में सफल हुआ था ठीक उसी प्रकार महात्मा गांधी का चर्खा अंग्रेजों का चक्र तोड़ने में सफल हुआ। गांधी जी ने उसको इसलिये बनाया था कि खादी के आधार पर हम ग्रामों में स्वावलम्बी बनें, गांव के अन्दर कारखाने खुलें और गांव की तरक्की कर सकें। इसी आधार पर उन्होंने विकास करने का निर्णय लिया था। आज मान्यवर, इस खादी के नाम पर जो भ्रष्टाचार किया जा रहा है, वह मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं। इस खादी के अन्दर

दो बातें बताई गयी हैं—एक तो खादी कमीशन है जो खादी बोर्ड को पैसा देता है। इस खादी बोर्ड के दो काम हैं एक काम है कि खादी की चीज बनावें, खादी की चीज के अन्दर सूती, ऊनी और रेशमी कपड़ा है।

श्री उपाध्यक्ष—

विधेयक में ऊनी कपड़ा और सूती कपड़ा कहां बन रहा है, यह कहां है। माननीय सदस्य थोड़ा विषय को लेकर चलें तो ठीक है।

श्री बाबू लाल वर्मा—

मान्यवर, 1972–73 में आयोजेनतर एवं योजनागत में जो व्यय किया। इसमें लिखा हुआ है कि खादी ग्रामोद्योग बोर्ड को 1 लाख 76 हजार रुपया मिला और जो कर्मचारियों का खर्च है वह है 4 लाख 31 हजार रुपया। मान्यवर, मैं आपके द्वारा सरकार से कहना चाहता हूं कि इस बोर्ड को जितना पैसा मिलता है उतना धन कर्मचारियों पर खर्च किया जाता है। जिस प्रकार सरकार सड़क या पुल बनाती है और उसके बाद जितना पैसा मंत्री जी के उद्घाटन पर खर्च होता है उतना ही सड़क बनाने पर खर्च होता है। इसी प्रकार खादी बोर्ड के कार्यालय पर उतना ही खर्च होता है जितना कि खादी बोर्ड की योजनाओं पर लगता है। दूसरी बात मान्यवर, यह कहना चाहता हूं कि जमींदारों के जमाने में बड़े-बड़े चरागाह हुआ करते और पशु जाते थे और अपना पेट भरते थे घास खाकर। लेकिन अब तो वह चरागाह समाप्त हो गये और सरकार ने उनका विकास नहीं किया। लेकिन अब सरकार ने खादी बोर्ड रूपी चरागाह खोल रखे हैं जिनमें भ्रष्टाचार होता है जो छुट्टा लोग हैं, जो मंत्री नहीं बने या एम0 एल0 ए0 नहीं बने ऐसे सफेदपोश सांड उनमें चरने के लिये छोड़े जाते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय सदस्य मर्यादित शब्दों का प्रयोग करें।

श्री बाबू लाल वर्मा—

मैंने किसी व्यक्ति के लिये नहीं कहा है। यह अलंकारिक भाषा की बात है। मान्यवर, माननीय बहुगुणा जी तो चल दिये। मैं बताना चाहता हूं कि 1972/73 की जो आडिट रिपोर्ट है उस रिपोर्ट में 31 मार्च, 1974 तक पूरे होने वाले वर्ष में 70 लाख रुपये का घोटाला हुआ है। इसके आगे देखें बोर्ड की ओर से जो अनेक योजनाएं प्रारम्भ की गयीं वह मात्र पैसा हड़प करने के लिये बनायी गयीं, ऐसा सिद्ध हुआ। इसके आगे लिखा है कि बोर्ड की काफी राशि उधार में है और इसके बाद आप देखें कि 92 लाख की रकम किसी भी हिसाब में नहीं दिखाई गयी। ऊन का जो काम करना शुरू किया तो 1971/72 में ऊन का जो मंडल है, उसको 7 लाख 48 हजार 405 रुपया 72 पैसा घाटा हो गया। इसके बावजूद बोर्ड को 46 लाख 93 हजार का ऋण और प्रदान किया गया। यहां इतना घोटाला है कि यह पता चला कि 10 लाख 78 हजार रुपया तो है लेकिन शेष रुपया कहां चला गया, यह पता नहीं यह तो डाकुओं की टोली ही बता सकती है। ऊन के नाम पर जो भेड़ रूपी जनता है उसका ऊन उतारने के लिये उत्तर प्रदेश सरकार कितनी सिद्धहस्त है, इस बात को साबित करने के लिये यह आंकड़े पर्याप्त हैं।

[श्री बाबू लाल वर्मा]

अब मान्यवर, एक बात और मैं बताना चाहता हूं दियासलाई और कागज के बाबत। यह कांग्रेस की भलाई है, मैं यह इसलिये कह रहा हूं कि एक माननीय मंत्री हमारे क्षेत्र में गये थे उन्हें वहां का कलाकन्द सूखा मालूम पड़ता है और गले में फंसता मालूम होता है लेकिन यह दियासलाई और कागज उनके गले में नहीं फंसता। जब हमारे देश और प्रदेश में कागज की कमी हो गई, घोर अभाव हुआ तो अगर यह खादी बोर्ड ईमानदारी से काम करता तो इस कमी को दूर कर सकता था। कालपी में कारखाना खुला, वहां का भ्रष्टाचार बाद में बताऊंगा, लेकिन कागज की जो कमी पिछले साल थी कि पढ़ाई-लिखाई के लिये कागज उपलब्ध नहीं था, जो कापी 20 पैसे में मिलती थी वह एक रुपये की मिलती है। जो अखबार 8 पेज का छपता था वह 4 पेज का छपता है और माननीय सदस्य कहते हैं कि हमारा बयान अखबार में नहीं छपा। चरणसिंह जी का बयान जब अखबारों में छपा तो मुख्य मंत्री जी ने कहा कि मेरा भी बयान छपना चाहिये.....

श्री उपाध्यक्ष--

यह आप क्या कह रहे हैं.....

श्री बाबू लाल वर्मा--

मैं खादी बोर्ड की बात बता रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष--

आप विधेयक के सम्बन्ध में बात कहें।

श्री बाबू लाल वर्मा--

खादी बोर्ड की क्या आवश्यकता है, यही बात मैं बता रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष--

अगर यह सारी की सारी सूची माननीय मंत्री जी के पास भेज दें तो वह पढ़ लेंगे।

श्री बाबू लाल वर्मा--

माननीय वित्त मंत्री ने ढाई घंटे का बजट भाषण पढ़ा, तो क्या हुआ। यहां लघु उद्योग मंत्री जी बैठे हुये हैं, तो वह क्या काम कर रहे हैं। जो काम खादी कमीशन करता है, वही काम यह लघु उद्योग मंत्री करते हैं। एक काम के लिये दो विभागों की क्या आवश्यकता है? माननीय मंत्री जी इस्तीफा दें लघु उद्योग विभाग समाप्त किया जाय या खादी बोर्ड भंग किया जाय। खादी बोर्ड के उपाध्यक्ष को आप तनख्वाह देंगे और बाकी सदस्यों को भत्ता। इससे खर्चा तो बढ़ेगा। बोर्ड के अन्दर वही राज्य मंत्री हैं वही बोर्ड के मेम्बर हैं और उस बोर्ड की जो अलग-अलग कमेटियां हैं उनमें एक ही मेम्बर 11-12 कमेटियों के सदस्य हैं, जैसे श्री जगदीश शरण जी अग्रवाल, दूसरे राही साहब, जो पहले एम0एल0ए0 थे। यह सब लाभ कमाने और स्वार्थ की पूर्ति के लिये सब धंधा है। इसलिये मैं कहता हूं कि इस खादी बोर्ड को भंग कर दिया जाय। यह तो सफेद टोपी लगाने वाले लोगों के रोजगार का दफ्तर है। आप पैसा हमसे इसलिये मांग रहे हैं ताकि खादी कमीशन के जरिये आप ज्यादा घपला कर सकें। घपला ज्यादा करेंगे। उत्पादन कितना हुआ और घपला कितना हुआ इस पर नजर आप डालें। आप देखें कि लखनऊ में 60 सहकारी समितियां बनीं जिनमें 12 शिथिल हो गयीं और 20 मृतक हो गयीं। बहराइच में 87 समितियां बनीं जिनमें 28 शिथिल हुईं तथा

30 मृतक हो गयीं। आगरा में 110 समितियां बनी जिनमें 10 शिथिल बनीं लेकिन 56 मृतक हो गयीं।

यह सारा भ्रष्टाचार इसलिये पनपा है कहीं कोई समिति काम नहीं करती, फर्जी समितियां हैं और फर्जी रुपया लिया जा रहा है और हिसाब-किताब का कोई पता नहीं है। क्रशर के लिये आप यूनिट बनाते हैं लेकिन बोर्ड उसे नहीं चलाता, ठेके पर उसे आप दे देते हैं। गांधी जी का कहना था कि गांव में छोटे-छोटे कारखाने लगाये जायं, उनको रोजगार मिले और गरीबी दूर हो लेकिन जब आप यूनिट बना कर उसे ठेके पर देते हैं तो उससे गरीब आदमी का क्या भला होगा? मैं बतलाना चाहता हूं कि इस बोर्ड में बहुत कमियां हैं, उसकी कोई उपयोगिता रह नहीं गयी है, इसे हमेशा केलिये खत्म कर देना चाहिये और सारी इकाइयों को लघु उद्योग में जोड़ देना चाहिये और सरकार का उन पर नियंत्रण होना चाहिये वर्ना भ्रष्टाचार पनपता रहेगा और कांग्रेस के जिन लोगों को कहीं जगह नहीं मिल सकी उनको इस बोर्ड में भेज दिया जाता है ताकि वे भ्रष्टाचार रूपी घास खूब चर सकें। इस तरह से यह बोर्ड भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है और उसको आप रोक नहीं सकते चाहे यह कानून बना कर आप कितने ही बंधन क्यों न लगा दें। बंधन यह टूट जायगा। अगर चरना आप बन्द करना चाहते हैं तो बोर्ड को खत्म कर दिया जाय। (व्यवधान) इसीलिये सी0 बी0 आई0 धपलों की जांच कर रही है और कई धपले पकड़े गये हैं। अभी तो आप खत्म कर रहे हैं लेकिन जब मामले तय हो जायेंगे तो फिर से बना देंगे। खत्म करना है तो फिर यह विधेयक क्यों ला रहे हैं, इसे वापस लीजिये। कई मामलों में कहा जाता है कि यह राज्य का अथवा केन्द्र का मामला है। मेरा कहना है कि जिस प्रकार शरीर के अन्दर अलग-अलग अवयव हैं उसी प्रकार देश और राज्य एक ही हैं। लेकिन बहुगुणा जी की हालत यह है कि दो दृष्टि हैं एक लखनऊ में, एक दिल्ली में, कान दो हैं एक दिल्ली में तथा एक लखनऊ में, आवाज दो हैं एक दिल्ली में तथा एक लखनऊ में। एक नाटक में मैंने एक प्रहसन देखा। एक पति की दो पत्नियां थीं।

श्री उपाध्यक्ष –

सदन के बाद घर में यह कहानी कह दीजियेगा।

श्री बाबूलाल वर्मा –

मान्यवर, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब पतिदेव घर से निकले. . . . .

श्री मोहम्मद शकील अहमद (जिला लखनऊ)––

यह किस्से कहानियां सुनाने की जगह नहीं है। हमारा समय नष्ट किया जा रहा है। (व्यवधान)

श्री बाबू लाल वर्मा––

कृपा करके आप बैठें. . . . अच्छी कहानी है।

श्री मोहम्मद शकील अहमद––

आपके कहने से नहीं बैठूंगा। मान्यवर, इनसे कहें कि टू दि प्वाइन्ट बोलें। हम किस्से कहानी सुनने नहीं आये हैं. . . . . .

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय सदस्य बैठें ।

श्री बाबूलाल वर्मा--

फिर वह पतिदेव डगमगाते हुये आये .....

श्री मोहम्मद शकील अहमद--

मान्यवर, प्वाइन्ट आफ आर्डर। इनसे कहें कि हमारा समय नष्ट न करें। विषय पर ही बोलें ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप विषय पर ही बोलें ।

श्री बाबू लाल वर्मा--

आज जनता दुखी और परेशान है.....

(व्यवधान) ।

उनके चमचे हैं .....

श्री मोहम्मद शकील अहमद--

नानाजी देशमुख के चमचे नहीं हैं ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप शीघ्रता करें और अनावश्यक समय नष्ट न करें ।

श्री बाबू लाल वर्मा--

जिस प्रकार लगान की वसूली की जाती है उसी प्रकार खादी बोर्ड का पैसा भी वसूल किया जाय। जितने पैसे का भी गबन इस खादी बोर्ड में होता है उसे खादी बोर्ड के मेम्बरों से वसूल करना चाहिये ताकि बोर्ड का नुकसान न हो। ये खादी बोर्ड आज भ्रष्टाचार के अड्डे बने हुये हैं। मैं कहना चाहता हूं कि आज गांधी जी की इस खादी की चादर में सैकड़ों हजारों खटमल पैदा हो गये हैं जिनका सफाया जरूरी है.....

श्री उपाध्यक्ष--

आप समाप्त करें ।

श्री बाबू लाल वर्मा--

इसलिये मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि वित्त मंत्री इस संशोधन विधेयक को वापस ले लें। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का अननुमोदन करता हूं ।

*श्री आशाराम यादव (जिला मिर्जापुर)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1975 को सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जो अपनी रिपोर्ट 1 माह के भीतर दे दे तथा जिसे विधेयक की परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो।

मान्यवर, जैसा कि उन्हे माननीय सदस्यों ने बताया, यह खादी बोर्ड बड़ा व्यापक है । यह जो विधेयक लाया गया है उसमें कई कमियां रह गई हैं और जिसके कारण हम

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

चाहते हैं कि इसको प्रवर समिति के पास भेज दिया जाय। मान्यवर, यह खादी बोर्ड लोगों को उद्योग करने के लिये कर्ज देता है और उसके बाद उसकी वसूली पूरी नहीं होती है. . . . .

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

बोल लेने दें।

श्री आशाराम यादव--

हर साल जो आडिट रिपोर्ट आती है उसमें यह देखा जाता है कि हर साल घाटा ही घाटा है किन्तु फिर भी इस बोर्ड को रुपया ऋण के रूप में दिया जाता है। जैसे बाबूलाल जी ने कहा जो व्यक्ति एम0 एल0 ए0 या एम0 पी0 नहीं बना, उनको ही ऋण दिया जा रहा है। जब खादी बोर्ड म घाटा हो रहा है फिर दुबारा ऋण क्यों दिया जाता है। दूसरी चीज अगर कोई आदमी ईमानदारी से काम करना चाहता है तो वह उसमें सफल नहीं हो पाता है। उसका कारण है। मैं बताना चाहता हूं कि वह इसलिये सफल नहीं हो पाता है कि जिन उद्योगों को ऋण दिया जाता है और जो माल वहां से निकलता है उसी प्रकार का माल फैक्ट्रीज भी निर्मित करती है। जब कोई सामान फैक्ट्रीज बनायेगी तो वह सस्ता पड़ेगा बनिस्बत कुटीर उद्योग के। जिसका परिणाम यह है कि वह माल बिकता नहीं है फैक्ट्री का माल सस्ता होने के कारण कुटीर उद्योगों द्वारा निर्मित माल को मारकेट से बाहर कर देता है, वह मारकेट में बिकता नहीं है। इसलिये उनको लास होता है।

मैं, माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इसे प्रवर समिति में भेज दिया जाय और फिर इस प्रकार का संशोधन लायें कि जिन कुटीर उद्योगों के लिये यह खादी बोर्ड ऋण दे या जो खादी बोर्ड द्वारा उद्योग चलाये जाते हैं उस प्रकार का माल फैक्ट्रीज न बनायें, उनका उत्पादन फैक्ट्रीज में बंद कर दिया जाय। तभी तो उनको संरक्षण मिलेगा और उनके माल को खरीदने की गारंटी सरकार ले और उसे सरकार बेचे। तो इस प्रकार का विधेयक लाये जिसमें इस बात का प्रोवीजन हो। कुछ इस प्रकार के उद्योग हों जो सिर्फ यही चलाये मिल में उनका उत्पादन न हो। नही तो यह उद्योग कभी भी नहीं पनप सकेंगे और यह हमेशा दिवालियेपन में रहेंगे। इस बोर्ड में जो नेता लगे हुए हैं वह घाटे के लिये परवाह नहीं करते हैं वह कहते हैं और कि कांग्रेस के लोग हैं इसलिये हम पैसा ले आयेंगे। आप देखेंगे कि हर आडिट रिपोर्ट में घाटा होगा। लेकिन उसके बाद भी उनको ऋण दिया जाता है। आप संसार में कहीं ऐसा नहीं देखेंगे कि कोई संस्था घाटे में चल रही है उसे ऋण देते जायं। यह इसलिये है कि उसमें काम करने वाले जो लोग हैं वह भी भाई भतीजा बाद वहां पर करते हैं। वहां पर हारने वाले कांग्रेस के सदस्यों को लिया जाता है और वह ऋण ले आते हैं और फिर ऐश आराम कर रहे हैं और दूसरी तरफ जनता भूखी मर रही है। इसलिये मैं माननीय मंत्री महोदय से चाहता हूं कि वह इसे वापस लें और प्रवर समिति में भेज कर ऐसा नियम बनायें किसी माल इनके द्वारा निर्मित होता है उसको मिल वाले न बनायें।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जो खादी बोर्ड है यह करप्ट है यह भ्रष्ट है। उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में, और प्रान्तों में भी भ्रष्ट है। मेरा आग्रह है कि इसे खतम

[श्री आशा राम यादव]

कर दिया जाय। क्योंकि जब तक यह रहेगा भाई भतीजा वाद रहेगा और कांग्रेस के लोगों का नामिनेशन होता रहेगा और भ्रष्टाचार पनपता रहेगा। इस बोर्ड को खतम कर दिया जाय और जिस प्रकार से दूसरे उद्योगों को कर्ज दिया जाता है उस तरीके से छोटे उद्योगों को भी जो खादी बोर्ड ऋण देता है दिया जाय। उनके ऋण की वसूली भी उसी तरह से होनी चाहिये जैसे राजस्व की वसूली होती है। तो जो यह दो संशोधन दिये हैं इसके लिये आग्रह करता हूं कि प्रवर समिति को सौंपा जाय और उसमें इस तरह का नियम बनाया जाय। तो जिस चीज को माननीय बाबूलाल वर्मा जी ने कहा है 'कांग्रेस के आकाश तले खादी बोर्ड में भ्रष्टाचार पले' यह सही है। इसलिये इसको प्रवर समिति में भेजा जाय और फिर सही रूप में विधेयक सामने आये।

श्री रामचन्द्र बक्श सिंह (जिला बाराबंकी) –

मान्यवर, जो संशोधन लाया गया है किन्हीं मामलों में यह बहुत अच्छा। हर आदमी चाहता है कि इसका विकास हो। लेकिन यह बोर्ड सही मानों में उस हालत में पहुंच चुका है जैसा कि लघु उद्योग मंत्री ने भंग करने की बात कही है। मैं कहता हूं कि इसको प्रवर समिति में भेज दिया जाय और इस आशाय के साथ कि इसमें संशोधन लाने की जरूरत नहीं है बल्कि एक लाईन का यह एक विधेयक आ जाए कि उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड विधेयक निरस्त कर दिया जाए और सारे बोर्ड की सम्पत्ति लघु उद्योग विभाग में निहित करदी जाए और यह सारा का सारा काट दिया जाए। मैं यह इसलिये कहता हूं कि जब बोर्ड का जन्म हुआ था तो इसके पीछे कुछ उद्देश्य था हमारे प्रदेश की गरीब जनता को छोटे उद्योग लगाने के लिये प्रोत्साहन दिया जाए और कुछ राहत दी जाए और इसके जरिए उसका विकाश किया जाए। लेकिन जो अनुभव हुआ है उससे स्पष्ट है कि इस बोर्ड में बहुत ही जोरदार भ्रष्टाचार व्याप्त है और बहुत सी फर्जी संस्थाएं चल रही हैं, जिनके नाम पर इस प्रदेश की गरीब जनता की मेहनत की कमाई का लाखों–करोड़ों रूपया, कुछ निहित स्वार्थ वाले लोग खा जाते हैं। मैं किसी पर, किसी दल पर आक्षेप नहीं करना चाहता हूं, जैसा कि हमारे बाबूलाल वर्मा जी ने कहा है मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि कुछ निहित स्वार्थ के लोग, जो राजनैतिक प्रभाव का फायदा उठाते हैं, वे किसी भी दल के हो सकते हैं, हो सकता है ऐसे लोग सभी दलों से सम्बन्धित हों, वे सारे के सारे लोग इस बात का फायदा ले रहे हैं। अतः यह एक लाइन केवल विधेयक में आनी चाहिये कि यह पूरा निरस्त किया जाता है और सारे अधिकार व कर्त्तव्य उनके लिये जाते हैं।

इस विधेयक के नाम पर जितनी छूटें मिलती हैं, वह भी गम्भीर चिन्ता की बात है। उदाहरण के लिये इसके द्वारा संचालित ईंटें भट्टों से बिक्री–कर नहीं लिया जाता है। इसका मलतब यह है कि इस तरह से इस प्रदेश को लाखों रुपये का घाटा पहुंचाया जाता है। जिसे इधर-उधर के फर्जी टैक्स लगाकर इस प्रदेश की जनता को परेशान किया जाता है। इस बोर्ड को गलत तरीके से पैसा दे कर कुछ चुने हुए लोगों को फायदा पहुंचाया जाता है और सरकार द्वारा छूट दे कर, सरकारी खजाने को जो धन मिल सकता है, नहीं मिलता है। मैंने एक मिसाल केवल दी है, इसके अलावा भी बहुत सी चीजें हैं। मैं इसके ऊपर ज्यादा बातें न कहकर एक ही बात कहूंगा कि यह विधेयक और बोर्ड बिलकुल भंग कर दिया जाए और इसके सारे अधिकार और कर्त्तव्य लघु उद्योग विभाग में निहित कर दिए जाएं।

*श्री मोहम्मद शकील अहमद—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय लघु मंत्री जी ने जो संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। कुछ बातें यहां उठाई गई, जिन पर मुझे अफसोस है। यही कारण है जिनके कारण मैं बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। वैसे तो किसी बिल का विरोध भी किया जा सकता है और पक्ष भी किया जा सकता है। लेकिन एक असेम्बली के सदस्य से यह आशा की जाती है कि वह अपनी बात गम्भीरता और मर्यादा के साथ यहां रखेगा, खासकर उन लोगों से जो चुनकर आए हैं। लेकिन यहां खादी के बारे में जो चर्चा की गई, उसमें यह बात बिलकुल भुला दी गई। जो मूल सवाल है, जिस पर यह बिल आया है, उसको एक तरफ रख दिया गया है और तमाम अनरिलेवेन्ट बातें यहां कही गई हैं। इतना अवश्य है कि इस खादी बोर्ड को लेकर एक मुश्किल इन लोगों को अवश्य हुई है, जिनका जीवन में राजनैतिक आन्दोलन से कोई सम्बन्ध नहीं रहा है। वे, खादी का क्या मकसद है, क्या उद्देश्य है, इसको बिलकुल नहीं समझते हैं। इसलिये यह बोर्ड और बिल उनके लिए एक और चीज है, लेकिन हम लोगों के लिये यह एक जज्बाती चीज बन जाती है, जिन्होंने अंग्रेजी साम्राज्य काल में खादी को पहनकर अपने जीवन की कुर्बानियां दी हैं, जेलें काटी हैं और दूसरी चीजें की हैं।

जहां तक इसके भ्रष्टाचार का ताल्लुक है, अभी जो सदस्य बोले, उन्होंने गम्भीरता से इसको लिया है। इसमें बहुत भ्रष्टाचार हो रहे हैं, गड़बड़ियां हो रही हैं, और मैं समझता हूं कि इस को जरूर समाप्त होना चाहिये और उस पर जरूर कड़ी से कड़ी सख्ती करनी चाहिये। इसके अलावा जो मंत्री इसको न कर पाए, उसके सिलसिले में भी आवाज अवश्य उठनी चाहिये। यदि कोई आदमी बीमर हो जाए और वह डाक्टर के पास और अस्पताल जाए, और जाने के बाद वह मर गया। तो लोग यह चाहते हैं अब किसी आदमी को अस्पताल नहीं ले जाएंगे क्योंकि आदमी मर गया है इसलिये इलाज नहीं करना चाहिये। यह दलील है। अगर बुराइयां हैं खादी बोर्ड में तो उनको दूर करना चाहिये। उनके लिये एक कांक्रीट प्रोपोजल लाना चाहिये। एक और अजीब बात है, कहा गया कि कांग्रेस वाले खादी बोर्ड को चला रहे हैं। जयप्रकाश नारायण के कुछ लोग उसको चला रहे हैं। आचार्य कृपालानी शायद उसके हैं। कितने लोग उत्तर प्रदेश में उसको चला रहे हैं जो कांग्रेस के विरोधी हैं, जिनका कांग्रेस से सम्बन्ध नहीं रहा है। कौन किसका चमचा है हर एक जंजीर में झनकार, तलवारों की बातें हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

विधेयक के बारे में बात कहें।

श्री मोहम्मद शकील अहमद—

मुजाहिद जब अमल के जोश से मैदां में आते हैं। उन्हें चमचा कहें, टूडी कहें अरे तोबा माज अल्लाह बगावत का सबब जो सारे आलम को पढ़ाते हैं।

---

*वक्त ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मोहम्मद शकील अहमद]

खादी बोर्ड के अन्दर, जो बिल पेश हुआ है, उस बिल के ऊपर विचार होना चाहिये, जो उसके अन्दर कमजोरियां हैं, जो उसके अन्दर और चीजें हैं, जिनके कारण यह भ्रष्टाचार हो रहा है वह नहीं हो पाये। उसके लिए कांक्रीट प्रोपोजल आना चाहिये न कि यह बात होनी चाहिये कि खादी बोर्ड को ही भंग कर दें। इसलिये माननीय मंत्री जी ने जो बिल पेश किया है उसका समर्थन करता हूं।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)—

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, ... (व्यवधान) . . . .यह बीच में टोकेंगे। मिश्र जी जरा सुन लें। मैं वाचक तो हूं, उनकी तरह बंचक नहीं हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

ठीक है, आप विचार व्यक्त करें। सीधे बात नहीं होनी चाहिये।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

खादी ग्राम उद्योग के सम्बन्ध में जो संशोधन विधेयक पेश किया गया है उस पर जो अभी माननीय बाबूलाल वर्मा ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है उसके सन्दर्भ में कह रहा हूं, कि उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1975 को जनता की राय जानने हेतु 1 माह तक जनता में परिचालित किया जाय। खादी आजादी की लड़ाई का द्योतक है। यह सत्य है। उसकी शुभ्रता, उसकी पवित्रता और उसकी लोकप्रियता और सर्वग्राह्यता सर्वविदित है। आज ट्रेजरी बेंचेज पर बैठे लोग तो सत्य को कभी स्वीकार करना जानते ही नहीं। पहले बहुत से राजा रहे हैं। उनमें हजारों दोष थे लेकिन जनता में किसी बात की क्या प्रतिक्रिया है, प्रच्छन्न रूप से, गुप्त रूप से बातों को जानने के लिये घूमा करते थे। आप घूमें खादी पहनने वालों के प्रति जनता में एक घृणा उमड़ रही है।

श्री उपाध्यक्ष—

खादी पहनने वालों को उपदेश दे रहे हैं। विधेयक पर बोलें।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

जब तक उसका विश्लेषण नहीं करूंगा तब तक बात खुलेगी कैसे।

राष्ट्रपिता ने जिस ऊंची भावना से खादी ग्राम उद्योग की बात कही थी राष्ट्रपिता जो राष्ट्र के निर्माता थे उनके सपनों को साकार करने के लिए उनका स्वप्न था कि देश में ग्राम राज्य, राम राज्य की स्थापना हो, ग्राम राज्य और राम राज्य की स्थापना के लिये विदेशी हुकूमत को हटाने का उद्देश्य था जब तक विदेशी सत्ता हटेगी नहीं तब तक आर्थिक और सामाजिक विषमता दूर नहीं हो सकती, और उसके बाद देश में आर्थिक और सामाजिक न्याय प्राप्त हो। जहां तक घोटाले की बात है मैं अपनी बात नहीं कहता, मैं एक उदाहरण पेश कर रहा हूं, देश के महान गांधीवादी कन्हैयालाल माणिकलाल जो राजस्थान ग्राम उद्योग बोर्ड के चेयरमैन थे उन्होंने सुखाडिया शासन में अपना त्याग-पत्र देते हुये सुखाडिया को यही पत्र लिखा था कि मैं चोरों का जमादार बना दिया गया हूं इसलिये मैं इस पद से हट रहा हूं। माननीय द्वारका प्रसाद मिश्र जी के कार्यकाल में देखिये कि एक खादी वाले नेता थे। इस पर टिप्पणी की गई थी कि खादीवाला ने नहीं बल्कि खादी वालों ने धोखा किया है। आजकल समस्त पापों को छिपाने का आडम्बर खादी रह गई है। जो छोटे-छोटे जुलाहे थे उनकी रोजी चले। खादी कोई वस्त्र नहीं है बल्कि एक विचार

है। मैं सरकारी आंकड़े प्रस्तुत करूंगा जो महा निरीक्षक ने कहे हैं। यदि ग्रामीण लघु उद्योगों को ज्यादा धनराशि दी जायेगी तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि उससे गांव के लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। आज देश में सब से बड़ी समस्या भुखमरी की है। उसके लिये किसी न किसी तरह से लोगों को रोजगार में लगाया जाय। जो लोग बेरोजगार होते हैं वे अधिक क्राइम करते हैं? शिक्षित बेरोजगार अपराध करने को विवश हैं।

जापान जिसके पास कोई क्षमता नहीं है और प्राकृतिक सम्पत्ति भी नहीं है। वहां दो करोड़ से अधिक लोग लघु उद्योगों में लगे हुये हैं। यहां पर क्या ऐसे लोगों की कमी है? कोई कमी नहीं है। मुगलकाल में लघु उद्योगों की ऐसी स्थिति थी कि एक-एक मामूली जुलाहे 20/30 गज की ढोका की मलमल बांस की खोंपी में लपेट देता था।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय सदस्य बातचीत न करें। माननीय सदस्य बैठ कर बात करें।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

मैं खादी बोर्ड के बारे में बोल रहा हूं। ग्राम उद्योग के बारे में बोल रहा हूं। हम इस पक्ष में नहीं हैं कि लघु उद्योगों के बजाय बड़े-बड़े उद्योगों को प्रश्रय मिले। खादी बोर्ड के आधे से अधिक ऋणों का सही उपयोग नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश खादी बोर्ड द्वारा ग्राम उद्योगों के अनेक इकाइयों को दिये गये धन या अनुदान का आधे से अधिक उपयोग नहीं हुआ है। जो लोन और अनुदान दिये गये उनमें 57 प्रतिशत में घोटाला हुआ है। यह खादी बोर्ड के वरिष्ठ लेखा निरीक्षक ने तथ्य रखे हैं। 1962-63 में दिये गये ऋणों के समुचित उपयोग के प्रमाण-पत्र अभी तक नहीं बन सके हैं। उनका घोटाला अभी तक चल रहा है। नये वर्ष की स्थिति के बारे में मैं क्या कह सकता हूं।

अपने प्रदेश में 80 हजार फर्जी लघु उद्योग इकाइयां काम कर रही हैं। सही तथ्य क्या हैं यह तो जिनके हाथ में हुकूमत की बागडोर है वहीं जानें। 2,32,794 कार्य रत लघु इकाइयों में से 80 हजार फर्जी हैं। इनका कोई अस्तित्व नहीं है। लघु उद्योग मन्त्री के सामने मैं नाम लेकर रखता हूं। अपने जनपद के देवनारायण तथा प्रताप नारायण का उदाहरण देता हूं। अगर मेरी बात गलत हो जाये तो मैं इस्तीफा देने के लिये तैयार हूं। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से मान्यवर, लघु उद्योग मन्त्री जी से कि कौनसा कारण है कि भ्रष्टाचार के जरिये से जिसने लाखों रुपया इस प्रकार से चुरा खाये हैं सारा ऋण हड़प लिया उद्योग का कहीं धरातल पर नाम-निशान नहीं है। मान्यवर, इस देश में ऐसी कार्य-क्षमता वाले लोग हैं, जो उस लघु उद्योग का कार्य करते हैं, मेरे जनपद देवरिया के पडरौना नगर में श्रम जीवी कसेरा जाति के लोग फूल के वर्तन बनाते हैं प्रदेश भर में वे अद्वितीय कार्य करते हैं, अपने ढंग का एक मात्र कुटीर उद्योग है ग्रामोद्योग है लेकिन उस फूल के उद्योग का गला घोंट दिया गया। मान्यवर, पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो खाण्डसारी उद्योग को आज के 100 वर्ष पूर्व दूर-दूर तक प्रश्रय दिया गया था, उसकी कमर तोड़ दी गई है और उसकी कमर तोड़ने के बाद सरकार ने उसका समुचित बढ़ावा देने के लिये कोई उपाय नहीं किया। मान्यवर, मैं इन शब्दों के साथ यह संशोधन

[श्री पुरुषोत्तम कौशिक]

प्रस्ताव जो आया हुआ है, उसका समर्थन करता हूं और इसको जनता की राय जानने के लिये 1 माह तक जनता में परिचालित किया जाय।

श्री रामायण राय (जिला देवरिया)--

मान्यवर, मैं विरोधी दल के उन माननीय सदस्यों से विशेषकर आग्रह करना चाहता हूं जिनकी ओर से बराबर यह आग्रह की जाती है कि हमारे देश की अर्थ-व्यवस्था ऐसी होनी चाहिये जिसके चलते अधिक से अधिक लोगों को रोजगार दिया जा सके और मान्यवर जब उनकी ओर से अज्ञान में ऐसे बिल का विरोध किया जाता है तो मेरे जैसे आदमी का दुःखी होना स्वाभाविक है। मान्यवर, इस बिल के उद्देश्य में एक बात लिखी हुई है कि खादी बोर्ड जब तक था जाहिर है कि खादी कमीशन से उसको कोई अनुदान सीधे नहीं मिला इसके लिये राज्य सरकार को उसके प्रतिभू का काम करना पड़ता था राज्य सरकार को गा न्टियर बनना पड़ता था। राज्य सरकार जब तक उसको गारन्टी नहीं देती थी तब तक खादी बोर्ड को कोई भी केन्द्रीय सरकार से अनुदान प्रदान नहीं होता था। एक व्यवस्था थी, उस अव्यवस्था को दूर करने के लिये यह संशोधन विधेयक इस सदन के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जब यह संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया जाय तो और भी बहुत सारी बातें जैसे कि आप में से कई माननीय सदस्यों ने कहीं कि खादी बोर्ड में भ्रष्टा-चार था, बहुत हद तक उसमें सही बातें भी हो सकती हैं। तो उन तमाम बातों को दृष्टिगत रखते हुये जो मूल अधिनियम था, उसकी केवल 5, 6, 12, 26, 31, 32, 33 धाराओं में 2-3 मोटे-मोटे संशोधन किये जा रहे हैं।

पहला संशोधन तो यह है मान्यवर, कि गैर सरकारी सदस्यों की पदावधि क्या होगी, उनका पीरियड कितने दिन का होना चाहिए ? ऐसा तो नहीं है कि इस संशोधन के जो संचालक लोग है उनकी सीमा ही का कोई ठिकाना न हो, वह अनिश्चित काल तक इस संशोधन के माध्यम से तरह-तरह के शोषण करते रहें। तो उसकी एक निश्चित सीमा. उसकी पदावधि का निश्चय इस बिल में किया गया है। मैं समझता हूं कि उसके पीछे भावना क्या है। इसका आपके द्वारा स्वागत होना चाहिये। कहा गया है कि केवल 2 वर्ष और किन्हीं दशाओं में किसी सरकारी सदस्यों को उसका पीरियड बढ़ाना होगा तो किसी भी हालत में एक वर्ष से अधिक गैर-सरकारी सदस्य को काम करने का मौका नहीं मिलेगा। फिर दूसरी भी व्यवस्था की गई है। ट्रान्जिशनल पीरियड में बोर्ड भंग हो जाय और नये बोर्ड की स्थिति में उसका कार्य कैसे चले तो सरकार ने प्रशासक की नियुक्ति की व्यवस्था की है। मैं समझता हूं कि इस का स्वागत करना चाहिये और इसकी मंशा जो है उसका स्वागत करना चाहिये।

तीसरी बात की गयी है कि किन-किन परिस्थितियों में बोर्ड को विघटित किया जा सकता है। उसका प्राविधान इस बिल के माध्यम से किया गया है। मैं ऐसा समझता हूं कि 1975 का जो यह संशोधित बिल है निश्चित रूप से चाहे वह भ्रष्टाचार का मामला हो, चाहे निष्क्रियता का मामला रहा हो, जिन भावनाओं से प्रेरित होकर इस बिल की आलोचना की गयी है उन तमाम भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुये यह बिल लाया गया है। इसलिये आपको इस बिल का स्वागत करना चाहिये। आपको हर मौके पर विरोध नहीं करना चाहिये। एक कहावत है कि डाइन जो होती है वह भी एक घर छोड़

कर चली जाती है, जब कि वह समाज में सबसे घृणित मानी गयी है। उन्होंने कहा कि बोर्ड को भंग कर दिया जाये। अरे भाई बोर्ड भंग हो चुका है। बोर्ड भंग हो चुका है और उसकी सम्पत्ति सरकार में अवस्थित हो गयी है और जब बोर्ड पुन: गठित किया जायगा तो उसके लिये सरकार को जामिन होने की आवश्यकता नहीं होगी।

(श्री राम चन्द्र बक्श सिंह के खड़े होने पर)

आप मेरा समय न लीजिये। मैंने आपका समय नहीं लिया है। कृपा करके आप बैठें। बोर्ड भंग है, उसके भंग होने के बाद राज्य सरकार इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिये यह नया बिल लायी है। अगर आप इसकी खामियों की ओर संकेत करते तो कुछ समझ में आता। एक माननीय सदस्य ने कहा कि खादी बोर्ड में नीचे से ऊपर तक भ्रष्टाचार फैला हुआ है। मैं ऐसा समझता हूं कि चाहे इस दल के लोग हों या उस दल के लोग हों अधिकांश लोग खादी का प्रयोग करते हैं। माननीय माधव प्रसाद त्रिपाठी जी को भी मैं कभी-कभी खादी पहने हुए देखता हूं। काफी लोग पहनते हैं। खादी के साथ हमारे स्वतन्त्रता संग्राम का इतिहास जुड़ा हुआ है। खादी के साथ एक विशेष प्रकार की अर्थनीति जुड़ी हुई है जिसके लिये बराबर विरोधीदल का आग्रह होता है। हमारे नेता विरोधी दल मौके बेमौके कहा करते हैं कि सरकार बड़े-बड़े कारखाने लगा रही है। खादी की महानता और उसकी महत्ता को स्वीकार करते हुये तथा उसके उद्देश्यों के निमित्त यह सारे प्राविधान किये जा रहे हैं। मेरा कहना है कि बिना प्रयोजन के आलोचना करना उचित नहीं है। त्रिवेणी सहाय जी आप घबड़ाइये नहीं। आपको मालूम होना चाहिये कि खादी बोर्ड के कौन पदाधिकारी हैं किन-किन की देख-रेख में इसका संचालन होता है। आप आलोचना कीजिये। आलोचना करने का आपका अधिकार है लेकिन खादी के साथ जो इतिहास जुड़ा हुआ है उसको दृष्टिगत रखते हुये अगर यह बिल लाया गया है तो अच्छा है। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री राम चन्द्र बक्श सिंह—

माननीय राय साहब ने कहा कि कुछ लोग अज्ञानी हैं। ऐसा मालूम होता है कि ज्ञान का सारा ठेका माननीय राय साहब ने ले रखा है। मैंने तो कहा था कि बोर्ड भंग है इसके पुनर्गठन की बात न की जाय।

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोन्डा)—

जो विधेयक सदन में प्रस्तुत है उसके सम्बन्ध में माननीय मन्त्री जी ने कहा कि बोर्ड भंग कर दिया गया है। बोर्ड के जो नियम पहले थे जो अधिनियम था उसकी धारा 32 में इस बात का प्राविधान था कि जब किसी बोर्ड को भंग किया जायगा तो उसका कारण बताओ नोटिस दिया जायगा और उसके बाद जब सैटिस्फैक्शन हो जायगा तब बोर्ड को भंग किया जायगा। आर्डिनेन्स के माध्यम से आपने इस क्लाज को खत्म करके अपने अधिकार में ले लिया है। आपकी मंशा तो यह रही है कि बोर्ड को खत्म कर दिया जाय। मैंने इस विधेयक के एक-एक अक्षर को पढ़ा है। इसके 2 सेक्शन्स हैं। पहला और दूसरा जो इस बात के लिये हैं कि मन्त्री और उप-मन्त्री किस तरह से वहां पर बैठेंगे। वे तो अपनी जगह पर सही हैं लेकिन बाकी जो संशोधन हैं वे क्या बताते हैं। क्या कहते हैं ? जरा इनकी ओर भी

[श्री त्रिवेणी सहाय]

आपको ध्यान देना होगा। पहला जो संशोधन है 3 में इस बात का प्राविधान है कि बोर्ड के सदस्य होने के लिये कौन लोग चुने जा सकते हैं और कौन नहीं। उसमें यह कहा गया है कि जो लोग भ्रष्ट हैं चरित्रहीन हैं. वे नहीं चुने जायेंगे, जो इन्साल्वेन्ट हैं वे नहीं चुने जायेंगे। 6 में यह दिया है कि गैर-सरकारी जो लोग बैठ गये हैं, उनकी क्या अवधि होगी, उसको आपने बांध दिया है। आपने उसमें 2-3 साल की बात का प्राविधान कर दिया है। 6(क) में प्रशासक को बैठाने की बात कही गई है। 4 में आपने प्राविधान किया कि खादी बोर्ड की निधि संचित निधि में न जाकर अब वह बैंक में जमा होगी। आगे यह कहा गया है कि राज्य सरकार बोर्ड को जब चाहे तब गजट में प्रकाशित करके भंग कर सकती है।

मैं जानना चाहता हूं कि यह प्राविधान किन परिस्थितियों में किया गया है। मैं खादी बोर्ड का बड़ा हिमायती हूं, यह वही खादी है जिसको पहन कर महात्मा गांधी ने आजादी हासिल की थी। इसके धागे-धागे से हमारा प्रेम जुड़ा हुआ है हमें इस पर गर्व है? इससे प्रकट होता है कि आपने खादी बोर्ड को देखा है, समझा है और इसमें ऐसे लोग बैठ गये हैं जो बोर्ड को ही कलंकित कर रहे हैं और ऐसा मालूम होता है कि उसी भावना से प्रेरित होकर आपने इसमें चेन्ज किया है। जो इन्साल्वेंट नहीं हैं, अच्छे लोग हैं, वे खादी बोर्ड में रहें। आपने अब यह प्राविधान किया है कि इनमें प्रशासक बैठाया जाय। आज जो बोर्ड का विरोध हो रहा है मैं तो कहता हूं कि बोर्ड के विरोध करने वालों को इसका विरोध नहीं करना चाहिये। जनतन्त्र में जहां तक सम्भव हो सके जनता के लोगों को बैठाने का प्रयास होना चाहिये नहीं तो परिणाम क्या होंगे?

आज जो भ्रष्टाचार की सीमा हर जगह हो गई है। बिजली बोर्ड घाटे में, ऐग्रो घाटे में, म्युनिस्सपल बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, सरकार सब बेईमानी कर रहे हैं तो क्या सब को निकाल दिया जाय? नहीं। जनतन्त्र से इस युग में जनता के प्रतिनिधियों को जगह-जगह बैठ कर हावी होने की आवश्यकता है। पिछले 25 साल में जो नौकरशाही यहां पनपी है, जिसने इस देश के रक्त और मांस को चूस लिया है क्या उसको मौका देंगे कि फिर से वह हमारे ऊपर हावी हो। लेकिन आपका जो रवैया है उससे हमें चिढ़ है। आपने सोचा कि उसका यही हाल है कि अगर नगरपालिका गड़बड़ करती है तो ले आओ चूरामणि को। वह बोतलानन्द थे। क्या इसका हल यही है?

(व्यवधान)

(परिवहन मन्त्री तथा श्री गंगा प्रसाद में कुछ कहा सुनी होने पर)

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय सदस्य जरा शान्ति से बैठें। माननीय गंगा प्रसाद जी शान्ति से बैठें।

श्री त्रिवेणी सहाय--

जैसा कि अभी एक माननीय सदस्य ने कहा हमारे दल में भी सब लोगों ने यह मांग की कि देश में लघु उद्योगों का विकास किया जाय और इसकी अपनी डायरेक्टोरेट बने।

(व्यवधान)

(परिवहन मन्त्री तथा श्री गंगा प्रसाद में गरमागरमी जारी रहने पर)

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय गंगा प्रसाद जी, बार-बार मैं आपको इशारा कर रहा हूं, यह कोई लड़ाई की जगह नहीं है। अगर आपको इस तरह से करना है तो सदन के बाहर जायं।

परिवहन मन्त्री (श्री राज मंगल पांडेय)--

मान्यवर, मैं कहना तो नहीं चाहता था लेकिन इतने लोगों के सामने अभी-अभी माननीय सदस्य मुझे घुड़की, धमकी दे कर गये हैं। स्कूटर के लिये मैंने कहा कि आपको इसी कोटा में मिल चुका है। (व्यवधान)।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय गंगा प्रसाद जी आप कायदे से बैठें।

श्री गंगा प्रसाद (जिला एटा)--

[* * * * * *]

श्री उपाध्यक्ष--

आपका यह आचरण गैरमुनासिब है। (व्यवधान) आप अपना स्थान ग्रहण करें।

(शोर)

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)--

(शोर के कारण सुनाई नहीं दिया।)

श्री गंगा प्रसाद--

[* * * * * *]

श्री उपाध्यक्ष--

आप व्यवधान पैदा न करें। आप अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री गंगा प्रसाद--

[* * * * * *]

श्री काशीनाथ मिश्र--

[* * * * *]

श्री उपाध्यक्ष--

आप बैठें। जो माननीय सदस्य बिना आज्ञा के बोले हैं वह प्रोसीडिंग का अंग नहीं है।

[***] श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार निकाल दिया गया।

श्री राजमंगल पांडेय--

(व्यवधान के बीच) मैं माननीय सदस्य के खिलाफ विशेषाधिकार का प्रश्न लाना चाहता हूं, इन्होंने अभी कहा है कि क्या यह इनके बाप का है .... (शोर)

एक सदस्य--

क्या इनकी यह निजी सम्पत्ति है ..... (व्यवधान)

(इस समय 3 बजकर 40 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

श्री अध्यक्ष--

आप कृपया बैठें, जो चीज डिप्टी स्पीकर साहब के सामने हुई है उसे बाद में देखेंगे, अभी माननीय त्रिवेणी सहाय जी को मैंने बुलाया है।

श्री त्रिवेणी सहाय--

मैं यह कह रहा था कि 1960 में खादी बोर्ड वाला अधिनियम आया ..... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

मेरे सामने अभी कोई चीज नहीं हुई है, कृपया माननीय त्रिवेणी सहाय जी को बोलने दें।

श्री त्रिवेणी सहाय--

मान्यवर, धीरे-धीरे प्रदेश के करीब 23 उद्योग खादी उद्योग बोर्ड को सौंपे गये। यह खादी उद्योग बोर्ड कई छोटे-छोटे काम कर रहा है। लेकिन जो उसका पिछला रिकार्ड है उसको देखने से पता चलता है कि जो भी पैसा दिया गया उसका सदुपयोग नहीं हुआ। मेरे सामने गंदी रिपोर्ट्स हैं, इसमें कहीं यह चीज देखने को नहीं मिलती कि जो भी पैसा लघु उद्योगों के नाम पर दिया गया उसका सही उपयोग हुआ है। जो भी पैसा दिया गया है उसमें लोगों ने घपला किया है। आज आवश्यकता तो इस बात की थी कि लघु उद्योग के द्वारा हम ऐसे काम करें, ऐसे आदर्श स्थापित करें जिससे यह उद्योग उच्च श्रेणी में पहुंच सके। आज खादी उद्योग भी ऐसे आदमियों के हाथ में है जिनके बारे में अनेकों बातें कही जाती हैं। अगर वे बातें 100 फीसदी नहीं तो कुछ तो अवश्य सत्य हैं। इसलिये मान्यवर, इस अधिनियम में बहुत सी तब्दीलियां करने की जरूरत है और इसी उद्देश्य से यह संशोधन रखा गया है। इसमें आमूल चूल परिवर्तन किये बिना सुधार की आशा नहीं की जा सकती। इस अधिनियम में काफी त्रुटियां रह गयीं जिन पर विचार करने की आवश्यकता है। उन कमियों को दूर करने के लिये हमको ठंडे दिल से इस पर विचार करना होगा। क्या इन कमियों को दूर करने के लिये बोर्ड के अधिकारों को आप अपने हाथ में लेना चाहते हैं? तो बोर्ड कैसे काम कर सकता है? मान लीजिये आज आपकी सरकार है और आपके लोग बोर्ड में बैठे हुए हैं, और कल हमारी सरकार आ जाय तो जो क्लाज आपने रखा है उसमें कारण बताओं वाली बात नहीं है, जिसका नतीजा यह होगा कि एक कलम की नोक से हम सबको खत्म करके अपने आदमियों को बोर्ड में बैठाने की कोशिश करेंगे। इसलिये मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह जो भूत आपके बीच में बैठा हुआ है, इस तरह से आप भस्मासुर को वरदान दे रहे हैं। इसका नतीजा यह होगा कि एक दिन यही भस्मासुर आपके वरदान की वजह से शंकर जी के माथे पर ही अपना हाथ रख देगा। इसलिये आप भस्मासुर को बढ़ावा न दें वरना इससे आगे चल कर आप परेशान हो जायेंगे। इस नौकरशाही के

खिलाफ आपको लड़ना होगा और लड़ने के लिये अपनी बुद्धि, चित्त और मन को ठीक करना होगा। आज यहां पर जन नेता जय प्रकाश जी जैसे लोगों को लाना जरूरी है और इसीलिये लोग इस तरह के नारे लगाते हैं कि समूचे प्रदेश के लोगों को किसी की ईमानदारी पर भरोसा नहीं रह गया है। बिहार में भ्रष्टाचार के विरोध में नारे लगते हैं। आज जो हमारे जन प्रतिनिधि हैं उनका स्तर इतना नीचे गिर गया है कि वे बेईमानी करते हैं और वे यह नहीं सोचते कि हम क्या हैं और किस लिये जनता ने हमें चुन कर विधान सभा में भेजा है। इस लिये आज जगह-जगह श्री जयप्रकाश के नारे लग रहे हैं। (व्यवधान)

*श्री ईश्वरी सिंह (जिला बुलन्दशहर)---

माननीय अध्यक्ष जी, मैं इस उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1975 का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। इसकी भाषा से ही विदित है कि खादी और ग्राम उद्योग की उन्नति के लिये ही यह संशोधन बिल लाया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं इसके महत्व की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। पूज्य महात्मा गांधी जी ने सारे देश में श्रम, हस्तकला तथा स्वदेशी आन्दोलन को जानदार बनाने के लिये ही खादी बोर्ड तथा ग्राम उद्योग संस्थाओं को कायम किया था। श्रम का महत्व और हस्तकला यानी हाथ की दस्तकारी और स्वदेशी आन्दोलन के महत्व को देखते हुए महात्मा गांधी ने इस देश में इस प्रकार की संस्थाओं को कायम किया था जिसमें खादी और ग्राम उद्योगों की उन्नति हो सके। ग्रामों में जिन चीजों का भी उत्पादन होता है उसका एक अच्छे रूप में उत्पादन हो और उसे अच्छे उद्योग में परिणत किया जा सके। इसी उद्देश्य से इस बोर्ड की स्थापना की गयी थी। लेकिन आज यह देखा गया है और जिससे कुछ लोगों को आश्चर्य हुआ, मुझे तो कतई आश्चर्य नहीं हुआ कि जो कुछ लोग खादी का भी विरोध करते हैं और ग्राम उद्योग को ताकतवर बनाने की बात करते हैं। महात्मा गांधी जैसे व्यक्ति को जो लोग मार सकते हैं वे उसकी पैदा की हुई चीज खादी को नष्ट करने की बात भी कह सकते हैं। हम लोगों को आश्चर्य कतई नहीं है, कि इस देश में जनसंघ और आर0एस0एस0 जो पूज्य महात्मा गांधी जैसी हस्ती को नष्ट कर सकता है वह अपने प्रचार से इस खादी ग्रामोद्योग को भी नष्ट कर सकता है।

(शेम शेम की आवाजें)

हमारे कुछ साथियों ने इन संशोधनों का विरोध किया और यह सिफारिश की इस तरह के बोर्डों को खत्म किया जाना चाहिये।

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)---

यह आरोप कब तक लगाये जायेंगे? गांधी जी को समाप्त करने वाले हम नहीं, कांग्रेस के हैं। आप सदन के अन्दर यह क्या कह रहे हैं ...

श्री उमानाथ (जिला जौनपुर)---

यह तो डिक्लेयर हो गया है कि गांधी जी की हत्या किसने की है। इसमें किसका हाथ है। आप गांधी जी के नाम पर कब तक यहां रहेंगे ... कुर्सियों पर रहेंगे

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री दशरथ सिंह (जिला गोण्डा)--

ललित नारायण मिश्र की हत्या किसने करवायी है। महात्मा गांधी की हत्या किसने करायी है, यह सब जानते हैं। आप हमें बदनाम क्यों करते हैं ?

श्री ईश्वरी सिंह--

मान्यवर, मैं याद दिलाना चाहता हूं कि जो भी वह कर चुके हैं, यह हजारों साल तक रहने की बात है। इतिहास इस बात का गवाह है। यहां पर चाहे जितनी दलीलें दी जायं।

(मेजों को थपथपाने की आवाजें)

गंगा में जब तक पानी रहेगा तब तक यह कलंक धुल नहीं सकता है।

श्री उमानाथ--

लाल बहादुर शास्त्री का कत्ल कैसे हो गया। यह जो तमाम कत्ल हुये किसकी वजह से हुये। जनसंघ और आर0एस0एस0 को कहने से, इल्जाम लगाने से कुछ नहीं होगा.....

श्री ईश्वरी सिंह--

श्रीमन्, महत्व की बात है ! महत्व को यह पूंजी के पुजारी नहीं जानते, नहीं समझ सकते।

(मेजों को थपथपाने की आवाजें)

पूंजी के पुजारी यह नहीं समझ सकते, आप हमको क्षमा कीजियेगा। उनकी विचारधारा दूसरी है, उनके दृष्टिकोण दूसरे हैं।

एक सदस्य--

आर0 एस0 एस0 का नाम जो लिया गया, वह तो अपनी बात छिपाने के लिये है।

श्री ईश्वरी सिंह--

जैसा कि कहा गया कि जो एम0एल0ए0 हार जाते हैं। उनको रखने के लिये यह रखा गया है तो माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से मैं यह कहना चाहता हूं और सम्मानित सदस्यों को स्पष्ट करना चाहता हूं कि इस कार्य में कोई बाधा नहीं है। अगर कोई योग्य है और वह हार गया है तो वह हारने के बाद बेकार नहीं होता। हमारा दृष्टिकोण है कि हम उसकी योग्यता का इस्तेमाल करें। हमारा दृष्टिकोण है कि हम उसकी योग्यता को सामाजिक कार्यों में इस्तेमाल करें। चाहे वह खादी का काम हो या और कोई काम हो। हमारे यहां ऐसी बात नहीं है कि एम0एल0ए0 हारने के बाद तोड़ फोड़ के काम में लग गया, उसको देश के तोड़-फोड़ के काम में लगा दिया गया। हमारी पार्टी उसे तोड़-फोड़ के काम में नहीं लगाती है और उसकी योग्यता का उपयोग रचनात्मक कार्यों में करती है।

मान्यवर, हमारे जो साथी इसका विरोध कर रहे हैं वह महात्मा गांधी के सिद्धान्तों के अनुसार कार्य नहीं करने देना चाहते हैं। उनके महत्व, जो उन्होंने हस्तकला को महत्व दिया था उस महत्व को तोड़ना चाहते हैं। और जो छोटे-छोटे ग्रामों में लोगों को रोजगार देने के लिये कदम है इसको समाप्त करना चाहते हैं। इंग्लैंड की बात को लेकर जो आन्दोलन किया गया था, जो कपड़ा वहां से आता था। वहां की मिलों को फेल

करने के लिये यहां गांधी जी ने स्वयं प्रचार किया है। बहुत से भाइयों ने कहा कि इस बोर्ड को खत्म कर देना चाहिये। तो मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि भाई आपके हित की जो आवाज है और जो भाषा बोलते हैं उसमें जमीन आसमान का फर्क है। इसलिये मुझे कहना पड़ता है कि आपके दिमाग का संचालन और कहीं से होता है। इन शब्दों के साथ मैं दूसरी तरफ जो भाई बैठे हैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि बिल की अहमियत की गम्भीरता को समझें और उस पर छींटाकशी की तरह न बोले? मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि सम्मानित सदस्य इसे स्वीकार करेंगे।

*श्री रामअधार (जिला आजमगढ़)—

मान्यवर, इस विधेयक के अन्दर जो संशोधन है उससे मैं कुछ हद तक सहमत हूं लेकिन इसमें सबसे बड़ी त्रुटि यह है कि जो लिखा है कि राज्य सरकार खादी बोर्ड को जब चाहे ले लेगी। तो मान्यवर, यह बात सही है कि करोड़ों रुपये का इसमें घाटा हुआ और उसके बाद सरकार यह सोचती है। तो कुछ नये नियम निकलते हैं तो मैं उसका विरोधी नहीं हूं। मैं समझता हूं कि खादी का सम्बन्ध दिल्ली से लेकर हजरतगंज तक और छोटे-छोटे पुरवों तक है। लेकिन खादी का जो कार्य करने का तरीका है वह ठीक नहीं है। घरों के अन्दर बैठी हुयी औरतें सूत तैयार करती हैं। जब देहात की औरतें सूत लेकर आती हैं और दुकानों को देती हैं तो उसमें बड़ा भ्रष्टाचार है। दुकानदारों को पूरा अधिकार है कि 100 नं0 के सूत को 30 या 40 नं0 का बना दें और इस प्रकार औरतों की मजदूरी का काटा जा रहा है। इसलिये मान्यवर इस तरह की व्यवस्था दें कि उस सूत को नापने के लिये कोई ऐसी मशीन हो जिसके अन्दर सही सूतों की नाप हो सके। जैसे मऊ में साड़ियां बनती हैं तो वह लोग पता लगा लेते हैं कि किस नं0 का सूत होना चाहिये। लेकिन इसमें ग्रामों में यह नहीं है।

मान्यवर, जहां तक घोटाले की बात है जो घोटाला 7 या 8 करोड़ का है और इसकी भी वसूली की व्यवस्था मान्यवर होनी चाहिये। हम लोग इस उद्योग के विरोधी नहीं हैं। महात्मा गांधी ने जब इसका प्रचार किया तो मैनचेस्टर के जो कपड़े बनकर आ रहे हैं वह समाप्त हों यह कहा था जिससे कि ग्रामों में उद्योग फैले। लेकिन हम दियासलाई या सूत में भ्रष्टाचार को नहीं चाहते हैं।

30 जनवरी, 1948 को महात्मा गांधी की हत्या दिल्ली में हुई। 8 जनवरी, को वे दिल्ली में जाते हैं तो चेला लोग गद्दी पा लेते हैं। इसलिये दिल्ली के प्लेट फार्म पर लोकनायक जय प्रकाश नारायण के अलावा कांग्रेस के नेता महात्मा गांधी को लेने नहीं आये थे। मैं आरोप नहीं लगाता हूं कि ललित नारायण जी की हत्या कांग्रेस के लोगों ने करवा दिया, नागर की हत्या, लाल बहादुर शास्त्री की हत्या कांग्रेस ने करवा दिया। लोग इस तरह के आरोप भी कांग्रेस के लोगों के बारे में लगाते हैं। मैं चाहता हूं कि जब बहस हो तो इस तरह की बात कहकर.....

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री त्रिवेनी--

श्रीमन् खादी पर बोल रहे हैं या गांधी जी की हत्या पर बोल रहे हैं।

श्री राम अधार--

[* * *]

श्री अध्यक्ष--

व्यक्तिगत बातें नहीं कहनी चाहिये।

श्री राम अधार--

मैं अपने शब्द वापस लेता हूं।

श्री त्रिवेनी--

वह व्यक्तिगत आरोप लगा रहे हैं। मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाता हूं।

श्री अध्यक्ष--

आप जब कह सकते हैं तो दूसरा भी कह सकता है।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

यह एक ही जिले के हैं। बुद्धि में कोई कम नहीं है।

श्री राम अधार--

श्री त्रिवेनी हमारे बड़े भाई हैं। उन पर मैं कोई आरोप नहीं लगाता।

श्री अध्यक्ष--

बड़े भाई या छोटे भाई का सवाल नहीं है। यह सब माननीय सदस्य हैं। त्रिवेनी राय जी के लिये जो कहा है वह नहीं लिखा जायगा।

श्री राम अधार--

मैं कह रहा था कि हम इसके विरोध में नहीं हैं। हम चाहते हैं कि बोर्ड काम करे लेकिन जो भ्रष्टाचार है वह मिटे और यह उद्योग गांव-गांव तक फैले। अगर आप मिल के बने टाटा, बिड़ला के कपड़े को सस्ता बिकवायेंगे तो आप यह भी व्यवस्था करें कि खादी बोर्ड का कपड़ा सस्ता बने। अगर आप खादी बोर्ड को ईस्ट इंडिया कम्पनी बनाना चाहें तो यहां हमारा विरोध है। मान्यवर, बम्बई अधिवेशन के अन्दर कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया कि खादी पहनना आवश्यक नहीं होगी तो यह इस फैसले को बदलवायें अगर उनको गांधी जी के फोटो से प्रेम है।

श्री जगदीश अवस्थी (जिला कानपुर)--

काफी देर से इस विधेयक पर बहस हो रही है। विरोध पक्ष के हमारे माननीय सदस्यों ने बहुत जोर में आकर इस बात की मांग की कि बोर्ड ही भंग कर दिया जाय। मैं समझता हूं कि विरोध पक्ष में जो लोग बैठे हैं वह यह नहीं समझ पाये हैं कि बोर्ड का क्या-क्या महत्व था। कुछ माननीय सदस्य, खास तौर से त्रिवेणी सहाय जी ने एक बात कही कि नौकरशाही बढ़ती जा रही है, उस पर अंकुश होना चाहिये। उनकी भावनाओं का मैं आदर करता हूं। कुछ सदस्यों ने कहा कि कुछ भ्रष्टाचार की शिकायतें हो सकती हैं। यह सम्भव

[***] श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार निकाल दिया गया।

है। इसको कैसे दूर किया जाय, कैसे आगे काम किया जाय इसके लिये सरकार ने थोड़ा सा समय मांगा है और मैं अनुभव करता हूं कि अब वक्त आ गया है कि खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड का ठीक से संचालन किया जाय। इसका जो पवित्र उद्देश्य है वह यह कि गांव में जो कारीगर हैं जिनके पास साधन नहीं हैं उनको ऋण और अनुदान देकर उनकी सहायता की जाय। इस बोर्ड का मुख्य उद्देश्य तीन प्रकार के काम करना है। एक तो यह कि जो कारीगर हैं उन्हें अनुदान देकर उनकी सहायता की जाय।

दूसरे उन लोगों को जो कारीगर हैं और गांवों में रहते हैं उनको सहकारी संस्थायें बनाकर ऋण देना तथा तीसरे उन लोगों को जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं उनकी संस्थायें बनाकर उनके माध्यम से जनसेवा करना है। खादी बोर्ड का मुख्य कार्य कमीशन से प्राप्त धन का संस्थाओं, समितियों एवं व्यक्तिगत कारीगरों में ठीक-ठीक वितरण करना है। यह कहा गया है कि इस बोर्ड में ऐसे मेम्बर रहे हैं जिन्होंने खादी बोर्ड में घपला किया है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि खादी बोर्ड के पहले उपाध्यक्ष श्री राम स्वरूप जी रहे, जिनका नाम खादी संसार में मशहूर था ठाकुर देवकरण सिंह जी तथा भक्तदर्शन जी रहे, जिनके बारे में सन्देह की कोई गुन्जाइश ही नहीं है। लेकिन जहां तक कमियों का सवाल है, वह हो सकती है और उसके बारे में जांच पड़ताल होनी चाहिये और उसके लिये शासन सचेष्ट एवं सजग है और मैं विरोध पक्ष के माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि इस प्रश्न पर शान्ति एवं गम्भीरतापूर्वक इस पर सोचें कि यह प्रदेश पिछड़ा हुआ है और हम चाहते हैं कि गावों की तरक्की हो और विकास हो और अगर इस बोर्ड को ही समाप्त कर देंगे तो हम विकास की ओर कैसे आगे बढ़ेंगे। खादी बोर्ड पर शासन प्रतिवर्ष लगभग 60-70 लाख रुपया व्यय करता है रख-रखाव के लिये। जितना धन कमीशन से प्राप्त होता है उसकी गारन्टी न दे पाने के कारण कुछ दिक्कत होती थी उस दृष्टि से इसमें संशोधन रखा गया है तथा जो निहित स्वार्थी बोर्ड में हो गये थे उन पर भी अंकुश लगाया गया है। लेकिन मैं माननीय मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा जैसा त्रिवेणी सहाय जी ने कहा कि खादी बोर्ड का जो उपाध्यक्ष होता है उसको उतने अधिकार नहीं हैं जितने होने चाहिये। अगर आप चाहते हैं कि खादी बोर्ड एक स्वायत्तशासी संस्था के रूप में पूर्णरूप से स्वतन्त्र होकर कार्य कर सके, उसके लिये अधिक अधिकार उपाध्यक्ष को दिये जाने चाहिये ताकि नियन्त्रण हो सके। साथ ही साथ खादी बोर्ड के सदस्यों को भी कोई अधिकार प्राप्त नहीं है।

मैं माननीय मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि भविष्य में विचार करके मूल अधिनियम में इस प्रकार का प्राविधान होना चाहिये ताकि सदस्यों एवं उपाध्यक्ष को अधिकार मिल सकें और जो गड़बड़ी होती है उसको दूर किया जा सके। इस सम्बन्ध में मैं एक बात यह भी कहना चाहता हूं इन गड़बड़ियों में खादी बोर्ड के सदस्यों का उतना दोष नहीं है जितना उसमें निहित स्वार्थी लोगों का। कुछ संस्थाओं ने जो खादी बोर्ड के अन्तर्गत है हो सकता है कि उन्होंने धन का दुरुपयोग किया हो, परन्तु शासन उनके विषय में सचेष्ट है और जांच-पड़ताल हो रही है। अगर कोई बीमार है तो उसको मार देना कोई उपाय नहीं है, उपाय तो यह होना चाहिये कि उसका ठीक से इलाज हो। तो इस प्रकार की भावना व्यक्त करना कि खादी बोर्ड को समाप्त कर दिया जाय यह ठीक नहीं है। इसमें संशोधन किया

[श्री जगदीश अवस्थी]

गया है कि खादी बोर्ड जब पुर्नगठित होगा तो इसमें कुछ ऐसा काम होना चाहिये ताकि जो ग्रामीण योजनायें हैं वह ठीक से चलें। अभी जब केन्द्रीय सरकार ने 'हाफ-ए-मिलियन जाब' की योजना चलाई थी तो खादी बोर्ड ने ग्रामीण अंचलों में ग्राम उद्योग को चलाने के लिये कुछ लोगों के प्रशिक्षण की योजना चलाई और बेकार नौजवानों का प्रशिक्षण के लिये चयन हुआ और यह चेष्टा की गई कि कुछ अनुदान देकर यह रोजगार चला सकें। लेकिन मुझे मालूम हुआ है कि जिन नौजवानों को प्रशिक्षित किया गया था उनको कच्चा माल नहीं मिलता। उनसे यह कहा जाता है कि चूंकि वह संस्था वाले नहीं हैं, वह समिति वाले हैं नहीं, इसलिये कच्चा माल नहीं मिलेगा।

आपके माध्यम से मैं माननीय मन्त्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि उन नौजवानों को जिनको आपने खादी बोर्ड के अन्तर्गत प्रशिक्षित किया है, उनसे वायदा किया है कि काम में लगाया जायेगा, आज उनको लाइसेंस नहीं मिल रहे हैं कच्चा माल नहीं मिलता है तो कैसे काम चल सकेगा? मैं अनुरोध करूंगा कि ऐसी व्यवस्था माननीय मन्त्री करें जिससे उनको कच्चा माल मुहइय्या हो सके और जो बोर्ड में प्रशासनिक कमजोरियां हैं उनको वह दूर करें जिनको मन्त्री महोदय भली प्रकार समझते हैं। उनको दूर करने के लिये सख्ती से कदम उठाया जाय और ऐसे कर्मचारी तथा अधिकारियों को जिनके वर्षों से निहित स्वार्थ हो गये हैं उनको निश्चित रूप से दण्डित किया जाना चाहिये। इन शब्दों के साथ में इस संशोधन विधेयक का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि सभी माननीय सदस्य एक स्वर से जो विधेयक यहां प्रस्तुत किया गया है उसका समर्थन करेंगे।

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)--

अध्यक्ष महोदय, अभी जो संशोधन विधेयक आया है उसका मैं समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। यह संशोधन विधेयक जिस नीयत से आया है उसमें तो किसी को एतराज नहीं हो सकता। (व्यवधान) अध्यक्ष जी, सवाल इस बात का नहीं कौन खद्दर का विरोधी है और कौन हिमायती है तथा सवाल इस बात का भी नहीं है कि खादी ग्राम उद्योग बोर्ड को खत्म कर दिया जाय या न किया जाय बल्कि विरोध पक्ष से जो संशोधन आया है उसका अर्थ यही है कि हम सब लोग इस राय के हैं कि खादी बोर्ड रहना चाहिये। खादी के पीछे एक अर्थ नीति है और उस अर्थनीति को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने चलाया था और आज उस अर्थनीति के साथ विश्वासघात करने का काम सत्ता पक्ष की यह सरकार कर रही है और इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का अधिवेशन जो पिछले वर्ष हुआ था उसमें कांग्रेस के नवयुवकों की ओर से यह कहा गया यह अनिवार्य नहीं होना चाहिये कि हर व्यक्ति जो कांग्रेस का मेम्बर हो खद्दर पहने ही और उस प्रस्ताव के जरिये उसे आप्शनल कर दिया गया.....

*श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव (जिला जौनपुर)---

कांग्रेस के संविधान में ऐसा कोई भी संशोधन नहीं किया गया है और इस वक्त भी खादी पहनना अनिवार्य है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मैं माननीय सदस्य ओम प्रकाश जी से बहस नहीं करना चाहता लेकिन इतना ही कहूंगा कि वह भ्रम में हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में एक प्रस्ताव लाया गया था। पारित हुआ या नहीं यह मैं नहीं जानता, लेकिन अखबारों में मैंने पढ़ा था कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के फोरम पर यह सवाल आया था कि खादी पहिनना अनिवार्य नहीं है। बंगाल के नौजवान यह प्रस्ताव लाये थे।

श्री ईश्वरी सिंह--

मेरे पास यह संविधान है। ओझा जी अपनी गलती सुधार लें। ऐसी कोई बात है नहीं।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मैं अधिक इस विवाद में नहीं पड़ना चाहता। गांधी जी की दुहाई देने वाले ही आज गांधी जी के सिद्धान्तों की हत्या कर रहे हैं और वह सत्ता पक्ष में बैठने वाले ही लोग हैं। धर्म शास्त्र के अनुसार सामान्य रूप से कहा जाता है कि मरने वाले व्यक्ति की जो आखिरी इच्छा होती है वह उसकी विल होती है और उस पर अमल किया जाता है और इसीलिये फांसी की सजा पाने वाले की भी विल पूछी जाती है और महत्मा गांधी ने मरने के चन्द दिन पहले यह कहा था कि सत्ताधारी लोगों से कि कांग्रेस को भंग कर दो। लोक दल की स्थापना करो, लोक सेवा की स्थापना करो। गांधी जी की अन्तिम वाणी को न मानने वाले ये ही लोग हैं। यह बड़ी विडम्बना की बात है? मान्यवर, मैं निवेदन कर रहा था कि जो खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के बावत संशोधन लाया गया है उसका कोई अर्थ नहीं है। इसका जो मकसद है, जिसके बारे में माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किये हैं उससे उनके विचार मेल नहीं खाते हैं। बोर्ड के सामने आज यह प्रश्न है कि जिसको पैसा दिया जाता है उसके पास कच्चा माल नहीं है और जिसके पास कच्चा माल है उसको लाइसेन्स नहीं दिया जाता। इसकी जो मशीनरी है, वह सारी की सारी भ्रष्ट है, करेप्ट है और आउट आफ डेट हो गई है इस उद्योग की जो मंशा है, उसको पूरा करने में हमेशा असफलता ही मिली है।

यह बड़े आश्चर्य की बात है कि गांधी आश्रम में काम करने वाले कार्यकर्ता हैं वे शक्ल और सूरत से तो समझदार हैं लेकिन वे राजनीतिक विचारा धारा से ओत प्रोत हैं। उनको 100 या 110 रुपये माहवार वेतन दिया जाता है। कभी आपने उन लोगों की न्यायोचित मांगों को देखा है। जब कभी उन्होंने इन न्यायोचित मांगों को लकर आन्दोलन करने की कोशिश की गोरखपुर में, मगहर में, मेरठ में और प्रदेश के दूसरे कोनों में तो उनको दबाने की कोशश की गई। बोर्ड के जितने भी वेस्टेड इन्टरेस्ट के लोग यहां पर बैठे हुये हैं उन्होंने इन कार्यकर्त्ताओं के आन्दोलन को दबाने की कोशिश की। इस विषय में भी यदि कोई चर्चा यहां पर होती कोई वेतन मान उन के लिये निर्धारित किया जाता तो कोई बात थी। इसी तरीके से उनकी कई अन्य समस्यायें हैं। इसम यह भी लिखा हुआ है कि प्रशासक नियुक्त कि या जाय। माननीय ईश्वरी सिंह जी ने स्वीकार किया है कि जो व्यक्ति चुनाव हार जाते हैं उन्हीं को इन संस्थाओं में रखा जाता है और दूसरे दल के

[श्री जनार्दन प्रसाद ओझा]

जो लोग हार जाते हैं तो वे सामाजिक कार्यकर्ता नहीं हैं। सामाजिक कार्यकर्त्ता केवल कांग्रेस के ही हैं। यह जो माननीय सदस्य ने बात कही उसको बड़ी गम्भीरता से देखना पड़ेगा.... (व्यवधान)।

हमारे कानपुर के माननीय सदस्य कहते हैं कि विपक्ष के जो लोग हारते हैं वे तोड़-फोड़ कराते हैं और सत्ता पक्ष के लोग हारने के बाद खादी बोर्ड ऐसी ही अन्य संस्थाओं में रचनात्मक कार्य करते हैं। तो यह एक अच्छी ही बात है। हम जनता से कहें कि वह उनको हराती जाय ताकि रचनात्मक कार्य प्रदेश में हो सके। मान्यवर मैं निवेदन कर रहा था कि खादी बोर्ड का जो यह मामला है उसका सीधा सम्बन्ध अर्थनीति से है। देश के छोटे-छोटे हजारों लोग इसमें लगे हुये हैं इसलिये इस पर हम सभी लोगों को एक जगह पर बैठ-कर विचार करना चाहिये और इस खादी बोर्ड को रीकांस्टीट्यूट करना चाहिये। हमारा सत्ता पक्ष के लोगों पर और उनकी नीयत पर कोई शुबहा नहीं है किन्तु उनकी कार्य-प्रणाली पर हमें जरूर शुबहा है। इसलिये जो संशोधन विधेयक लाया गया है उसका मैं विरोध करता हूं और खादी बोर्ड के हित में इस प्रकार की परम्परा डाली जाय ताकि हम लोगों को यह कहने का अवसर न मिले कि अपने राजनीतिक उद्देश्य के लिये लाया जा रहा है और अपने चन्द मित्रों को ऐडजस्ट करने के लिये यह मामूली संशोधन लाया गया है। इसलिये अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में जो तमाम मसले हैं, जो तमाम पहलू हैं जिनके सम्बन्ध में विभिन्न प्रकार के लोगों से, टेक्नीशियन्स से राय जानने की आवश्यकता है, के लिये वितरित किया जाय। और विभिन्न प्रकार की राय आने के बाद एक बड़ा विधेयक सदन में प्रस्तुत किया जाय इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव--

अध्यक्ष महोदय, जो यह संशोधन बिल प्रस्तुत किया गया है उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। इस संशोधन पर बहस के सिलसिले में बहुत सी चर्चायें हुईं। खादी के बारे में एक बुनियादी सिद्धान्त है और उसके सिलसिले में विभिन्न पार्टियों ने सवाल यहां उठाये हैं। मैं यह समझता हूं कि यह जो वर्तमान संशोधन विधेयक है वह इस परिधि से बाहर की बातें थीं। चूंकि चर्चा आ गई है इसलिये मैं चाहूंगा कि हम लोग अपने दिमाग साफ कर लें। जहां तक जो बातें संशोधन विधेयक में लाई गई हैं वह बहुत ही आवश्यक थीं। श्रीमन्, मैं आपके द्वारा इस सदन को याद दिलाना चाहता हूं कि इस सदन में इसी सत्र में खादी बोर्ड के सिलसिले में एक प्रश्न यहां पर उठाया गया था और उस समय चर्चा के समय कुछ सन्देह भी उठाये गये थे। मैं समझता हूं कि सदन की भावना को ध्यान में रखते हुये ही सरकार ने यह विधेयक प्रस्तुत किया है और उस वक्त जो शंकायें आईं उनको दूर करने के लिये यह संशोधन लाया जा रहा है जिसको यह पूरा करेगा, उनको निर्मूल करेगा। एक मोटी सी बात है कि अगर किसी आदमी को मालूम है कि वह कितने लम्बे अर्से तक उसमें बना रहेगा तो स्वभावत: उसमें भ्रष्टाचार की गुन्जायश हो जाती है। लेकिन जब एक आदमी जानता है कि एक निश्चित कार्य काल है तो उसमें वह कुछ कर दिखाने की कोशिश करता है। तो इस बात की पुराने अधिनियम में यह गुन्जायश नहीं थी।

इसके साथ-साथ आपने इसके उपाध्यक्ष को वेतन देने की व्यवस्था की है। श्रीमन् मुझे बहुत सी गैर-सरकारी संस्थाओं में काम करने का मौका मिला है और मैंने देखा है कि

अगर बिना वेतन की बात हो और भत्ता बनाने की व्यवस्था हो। तो मैं जानता हूं कि बहुत से पदाधिकारियों का जितना अगर वेतन रखा होता तो वह भत्ते से कम होता? यानी भत्ता ज्यादा बनता है लेकिन उसकी व्यवस्था न होने से यह होता है। मैं समझता हूं सरकार ने इस व्यवस्था को करके उपाध्यक्ष को पूर्णकालिक पद बना कर अच्छा किया है क्योंकि अध्यक्ष तो कोई मन्त्री होगा या उपमन्त्री या राज्य मन्त्री होगा लेकिन उपाध्यक्ष जो है वह पूरे समय के लिये काम करने वाला व्यक्ति होगा। तो स्वाभाविक है कि अगर वह पूरे समय काम करता है तो उसको योग्यता के हिसाब से उसे रैमुनरेशन दे दिया जाना चाहिये। यह बात पहले वाले में बुनियादी तौर से गलत थी। श्रीमन, मैं जानता हूं कि तमाम गैर-सरकारी संस्थायें जो हैं जिसमें हमारे विरोधी भाई भी हैं उनमें भी यह व्यवस्था होनी चाहिये। उपाध्यक्ष का पद सम्मान का होता है। (व्यवधान) खादी पहनने के बारे में श्रीमन आप जानते हैं कि हम लोग विरोधी दलों में भी रहे हैं, प्रजासोशलिस्ट पार्टी में बहुत अर्से तक मैं रहा तो उस पार्टी में भी यह व्यवस्था थी की खादी पहनी जाय। उसमें विरोधी पक्ष वाले भी बहुत से रचनात्मक कार्य करते हैं।

तो मैं चाहूंगा कि खादी को कम से कम पार्टी का प्रश्न न बनाया जाय। हमारे बहुत से जनसंघ के दोस्त या बी0 के0 डी0 के साथी जो दूसरे दलों से आये हैं जिनका समाजवाद से ताल्लुक नहीं है उनका खादी के प्रति मोह और ममत्व नहीं है। लेकिन अधिकांश सदस्य ऐसे हैं जिन्होंने एक आन्दोलन के रूप में इसको माना है। यह हो सकता है, जैसे कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति गेरुवा वस्त्र धारण कर सन्यासी का रूप धारण कर सकता है, आज, 420 आदमी सन्यासी का रूप धारण कर 420 का धंधा करते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप स्वामी विवेकानन्द जैसे लोगों पर, जो गेरूवा वस्त्र पहनते थे इस तरह का लांछन लगायें। जिन्होंने आजादी के पहले और बाद में जबकि सत्ता में नहीं थे, सत्ता के बाहर रहे हैं, उन्होंने जिस समय कोशिश की होगी कि इसमें आयें तो उन्होंने खादी पहनी होगी। भले ही दिखावे के लिये पहनी होगी। ये लोग राय साहब के जमाने में टोपी और शेरवानी पहनते थे और आज खादी के वस्त्र धारण करना चाहते हैं। इसमें खादी का कोई दोष नहीं है, यह तो खादी की महत्ता को ही व्यक्त करता है। इसलिये खादी का महत्व अपनी जगह पर ही रखा जाये, चाहे उसके नाम पर कुछ लोग अपने अनाचार और भ्रष्टाचार को छिपाने की कोशिश करते हों। मैं ओझा जी से कहूंगा क्योंकि उनका और उनकी पार्टी का सम्बन्ध खादी से घनिष्ठ रूप से रहा है और मैं बी0 एल0 डी0 के भी कुछ लोगों से निवेदन करूंगा कि क्योंकि उसमें भी कम से कम 2 दर्जन आदमी ऐसे हैं जैसे मधुकर दिघे वगैरह हैं, कि वे लोग खादी के प्रश्न को पार्टी का प्रश्न न बनायें और इस प्रश्न को पार्टी रहित होकर एक व्यापक दृष्टिकोण से देखें। ओझा जी ने पहले तो सही बात कही थी, किन्तु बाद में बहक गये और उसका विरोध करने लगे। मैं उनसे चाहूंगा कि वे अपनी पहले वाली बात पर ही रहें और इसका समर्थन करें।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

बहक तो ओम प्रकाश जी रहे हैं।

श्री अध्यक्ष--

यह वैसी गम्भीर बात नहीं है, यह तो चलता ही है।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क (जिला मुरादाबाद)--

अध्यक्ष महोदय, जो खादी बोर्ड के सिलसिले में तरमीमी बिल पेश किया गया है, मैं उससे एक हद तक इत्तिफाक करता हूं। उसकी वजह यह है कि इस खादी के पीछे एक तवारीख है। हिन्दुस्तान की तहरीके आजादी बहुत कुछ हद तक खादी के साथ लड़ी गई। गांधी जी ने, जब हिन्दुस्तान के अन्दर अंग्रेजों का कब्जा था और गुलामी की जंजीर हमारी गर्दन में पड़ी हुई थी, अपने हथियारों में से एक हथियार खादी का भी इस्तेमाल किया था और देश के लोगों से कहा था कि वे मैनचेस्टर का कपड़ा इस्तेमाल न करके अपने हाथ का बना हुआ और अपने देश का बना कपड़ा ही इस्तेमाल करें। लिहाजा जब देश की आजादी के लिये यह एक इतनी अहम चीज है, जिसको कि हमारे नेता गांधी जी ने चलाया है और हिन्दुस्तान जिस चीज से आजाद हुआ है, उसको खत्म कतई नहीं करना चाहिये। लेकिन साथ ही साथ मैं यह भी गुजारिश करूंगा कि जहां तक कमी और भ्रष्टाचार का ताल्लुक है या जो दूसरी खामियां हैं, उनको दूर अवश्य किया जाना चाहिये। मैं आज देखता हूं और पूरा देश आज जानता है कि कांग्रेस पार्टी के लोग ही जो कि इन्दिरा गांधी जी के चेले हैं या महात्मा गांधी जी के चेले हैं, वे ही आज उस खादी को नहीं अपना रहे हैं। उसका इस्तेमाल न करके, विदेशी कपड़ा चाहे वह टेरीलीन या अन्य कोई कीमती कपड़ा हो उसका इस्तेमाल खूब करते हैं। यहां तक कि हमारे मन्त्री लोग भी खादी का कपड़ा नहीं पहनते हैं, उनको पहनना चाहिये और दूसरे लोगों को भी पहनना चहिये।

एक सदस्य--

राजा साहब (श्री अजीत प्रताप सिंह) देखिये क्या पहने हैं।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क--

राजा महाराजाओं की बात छोड़िये वे तो राजा हैं ही। जो राजा नहीं हैं वह भी टेरीलीन पहन रहे हैं। खादी हिन्दुस्तान की घरेलू संस्था है और उसकी अहमियत इतनी ज्यादा है कि इस से हजारों लाखों बल्कि करोड़ों आदमी काम में लग सकते हैं और इससे देश की तरक्की हो सकती है। मैं तो यहां तक कहने के लिये तैयार हूं कि हिन्दुस्तान के अन्दर सब को खादी पहननी चाहिये विदेशी कपड़े का बायकाट करके सब को खादी ही पहननी चाहिये और सब को एकसां लिबास बनाना चाहिये। अगर हम इसको तय कर लें तो देश में रोजगार का बहुत बड़ा मसला हल हो सकता है। आज हमारी मां बहनें और भाई जो देहात में रहते हैं या छोटे कस्बों में रहते हैं उनको बहुत बड़ा रोजगार मिल सकता है। अफसोस हमारे देश का ध्यान इस तरफ नहीं है कि वह इस खादी की तरक्की के लिये गौर करें और जो भ्रष्टाचार खादी बोर्ड के अन्दर है उसको दूर करने की कोशिश करें। लेकिन जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि हमारे जिम्मेदार लोग और इस तहरीक को चलाने वाले जो लोग हैं जिनके हाथ में देश की बागडोर है, वही इसकी मुखालिफत करते हैं। जब तक किसी चीज का बनाने वाला या चलाने वाला उस पर अमल नहीं करेगा उस वक्त तक दूसरे लोग उस पर अमल नहीं कर सकते हैं। इसलिये हमारे देश में जो घरेलू सनत है वह खत्म होती चली जा रही है।

श्री अध्यक्ष –

अब समाप्त कर दें।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क—

इससे पहले नारायण दत्त तिवारी जी ने खांडसारी के सिलसिले में बिल पेश किया था। उस सनत को भी खत्म किया जा रहा है। आज यह सनत भी खत्म हो रही है। इसलिये मन्त्री जी से गुजारिश है कि जिन्होंने इस तकनीकी बिल को पेश किया है वह एक ऐसा प्रोग्राम बनायें जिससे देश के अन्दर छोटे बड़े सभी लोग खादी पहनना शुरू कर दें। इस सिलसिले में एक कमेटी बनाई जाये जिसमें सारे मामलात को डिस्कस करने के बाद हाउस में लाया जाय।

श्री अध्यक्ष—

माननीय बाबू लाल वर्मा और माननीय आशाराम यादव को तीन-तीन मिनट बचेगा। पांच मिनट श्री राम प्रकाश त्रिपाठी ले लें।

श्री राम प्रकाश त्रिपाठी (जिला फर्रुखाबाद)—

माननीय अध्यक्ष जी जहां तक उत्तर देने का प्रश्न है वह तो बाबूलाल जी दे सकेंगे जिन्होंने मूव किया हैं। मैं जो थोड़ी देर से इस पर विवाद सुन रहा हूं मैं देख रहा हूं कि यह विवाद विषय से हट कर खादी के ऊपर विवाद आरम्भ हो गया है। हमारे कुछ भाई खादी का प्रचार करने में और कुछ भाई खादी का विरोध करने में लग गये। जहां तक इस संशोधन का सम्बन्ध है इस संशोधन के द्वारा राज्य सरकार ने खादी ग्राम उद्योग बोर्ड के माध्यम से कुछ आर्थिक दृष्टिकोण ही अपनाया होगा उस आर्थिक दृष्टिकोण से ही बोर्ड द्वारा किये जाने वाले घपलों के सम्बन्ध में राज्य सरकार ने कुछ ठोस कदम उठाया और उस ठोस कदम के द्वारा राज्य सरकार ऐसा चित्र प्रस्तुत कर सकी जैसा कि दोनों ओर के भाई कह रहे थे कांग्रेस के भाइयों ने कहा कि खादी को कुछ नकली लोगों ने पहनना आरम्भ कर दिया है। उन्होंने इसलिये पहनना आरम्भ कर दिया है क्योंकि खादी पहनने वालों को आपने प्राथमिकता देना आरम्भ कर दिया।

क्योंकि आपने देशभक्ति का एक लेबिल बना लिया। केवल खादी पहनने वाले को ही चेयर मिलेगी विभिन्न पदों पर उनको ही रखा जायेगा। इसलिये जितने नकली लोग थे, जो समाज को लूटना चाहते थे, उन्होंने इस से लाभ उठाया। आपने खादी के नीचे छिपा हुआ दिल नहीं देखा है। जैसे कि कह देते हैं कि गांधी जी की हत्या कर दी जनसंघ वालों ने तो वे खादी की भी हत्या कर देंगे। गांधी जी के नाम की कब तक इस तरह से घसीटने की कोशिश की जाती रहेगी। बहुत दिनों तक उनका गीत "रघुपति राघव राजा राम" को बेचा गया। उनकी अस्थियां कलश में रख कर देश के कोने-कोने में घुमाई गई और गांधी जी के नाम पर वोट मांगे और लोगों को बहका-बहका कर वोट मांगे गये। कहा गया कि इससे कुटीर उद्योग बढ़ेंगे। क्या गांधी जी ने यह भी कहा था कि इसमें लाखों करोड़ों रुपयों का घोटाला होता रहेगा। आप क्योंकि गांधी जी कह गये थे इसलिये परम्परा को हाथ में नहीं लगाना चाहते हैं। जहां तक इस संशोधन की बात है उसका तो उत्तर माननीय बाबू लाल जी ही देंगे। मैं तो इतना कह कर संशोधन का समर्थन करता हूं। सरकार सोच विचार कर तथा लोगों की राय जानकर नया बिल सदन में लाये।

श्री बाबू लाल वर्मा—

मान्यवर, कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका गलत प्रयोग किया गया और गलत व्यक्तियों ने किया। इसीलिये उनका अर्थ बिगड़ गया। उसी माने में खादी आती है। जैसे नेता शब्द बड़ा अच्छा है। लेकिन लोगों ने इसको गलत प्रयोग करके इसको बिगाड़ दिया। गुरु शब्द है वह बहुत अच्छा है लेकिन इसको गरू घंटाल कहते हैं तो यह कितना दूषित हो गया है। इसी तरह से बहन जी शब्द है। यह बड़ा पवित्र शब्द है। भाई को बहन अपने सतीत्व की रक्षा के लिये राखी बांधती है और भाई भी उसकी रक्षा के लिये सदैव तत्पर रहता है। लेकिन आजकल बहन जी शब्द गलत प्रयोग करके कितना दूषित कर दिया है। इसी तरह से खादी शब्द का दुरुपयोग किया गया है। गलत लोगों ने इसको धारण किया जिससे खादी का रूप बदल गया। आज जो व्यक्ति खादी पहनता है उसको लोग समझते हैं कि यह भ्रष्टाचारी है और खादी के आवरण में ढंक कर अपने पापों को छिपाना चाहता है। इसलिये खादी शब्द को दूषित कर दिया गया और इसका पहनना भी दूषित हो गया। इसलिये मेरा कहना यह है कि खादी बहुत पवित्र है लेकिन इसको पहनने वालों ने इसको दूषित कर दिया। खादी बोर्ड में बड़ा भ्रष्टाचार है। इससे गांधी जी की आत्मा को ठेस पहुंचती है। इसलिये इसको वापस ले लीजिये। इससे कोई लाभ नहीं होगा। गांव के लोगों की गरीबी दूर हो, इस तरह का कोई नया ढंग अपनाइये। खादी बोर्ड का काम बन्द कर दीजिये। मैं इसका अननुमोदन करता हूं।

श्री इस्तफा हुसैन—

अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1975 के बारे में माननीय सदस्यों ने अपने-अपने विचार रखे हैं कुछ ने विरोध में तर्क की बातें कही हैं और उसके साथ-साथ एक ही सांस में यह भी कहा है कि जैसे कि हमारे ओझा जी ने कहा कि हम सब विरोध करते हैं, अगर यहां के सदस्य लोग जो विरोध करते हैं उनकी मंशा यह नहीं है कि यह विधेयक या खादी बोर्ड खत्म कर दिया जाय बल्कि सभी यह चाहते हैं कि खादी बोर्ड के जरिये से जो काम होना था वह सब अच्छे तरीके से होने लगे। मैं उन तमाम सदस्यों का जिन्होंने इस विधेयक के पक्ष में आज यहां अपनी बातें कही हैं, समर्थन किया है उनका शुक्रिया अदा करता हूं। उन्होंने जो बातें कही हैं, उनसे सब बातें स्पष्ट हो जाती हैं कि हमारे इस विधेयक के लाने की मंशा क्या है। इस विधेयक के लाने की मंशा ऐसी है जोकि कोई पेचीदी बात नहीं कही गई है। बहुत साफ-साफ लफ्जों में कहा गया है कि खादी बोर्ड का काम अच्छी तरीके से हो, अच्छी तरीके से काम न होने की क्या वजह है, उसको दूर करना है, कुछ ऐसे उपाय करें कि अच्छी तरीके से काम हो।

सारे मेम्बरों की राय मालूम होती है जिसके जरिये से न केवल खादी बल्कि गांव में छोटे-छोटे उद्योग धन्धे, कुटीर उद्योग धंधे चलते हैं उनके जरिये से गरीबों के और असहाय लोगों के वास्ते रोजी का सामान मिलता है। उसके वास्ते सब लोग व्याकुल हैं कि काम अच्छी तरीके से हो और यही हमारी मंशा है कि काम खादी बोर्ड के जरिये से ऐसा हो जिसके जरिये से गरीब लोग ऐसे-ऐसे उद्योग चलाये जिसमें कि कोई बिजली की जरूरत न हो और ऐसे कच्चे माल से काम हो जोकि वहां पर आसानी से उपलब्ध हो। तो खादी बोर्ड और ग्रामोद्योग ऐसे हैं जिनके जरिये से छोटे-छोटे लोगों को जीविकोपार्जन का काम मिलता है। गांव के अन्दर जो गरीब लोग हैं और ऐसे लोग हैं जोकि कास्तकार हैं, खेतिहर तो हैं लेकिन उनको इतनी आमदनी नहीं होती है कि काम चल सके।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक---

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बात पूछना चाहता हूं खादी बोर्ड के बारे में।

अध्यक्ष---

आप जो पूछना चाहें, मन्त्री जी से पूछ लें।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक---

मन्त्री जी से ही पूछ रहा हूं खादी के बारे में।

श्री अध्यक्ष---

आप भी तो खादी पहने हैं।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक---

एक भोजपुरी कवि ने कहा है, मान्यवर, कि---मेहरी पहने सुपरफाइन, नेता पहने खादी। राम राज्य के राह भुलइलैं, पहने अवसरवादी।

श्री इस्तफा हुसैन---

मैं यह निवेदन कर रहा था कि खादी बोर्ड के जरिये से तथा ग्रामोद्योग के जरिये से हम गरीबों की सहायता किस तरीके से करें, अच्छी तरीके से करें, उसी का उपाय इस छोटे से संशोधन के जरिये से हो रहा है। जहां तक कि भ्रष्टाचार का ताल्लुक है और जो अनियमिततायें हैं, उनको दूर करने के लिये मैंने अध्यक्ष जी यह उपाय किया है कि एक उच्चस्तरीय कमेटी बना दी है जिसमें कि एक एडिशनल डायरेक्टर, डिप्टी सेक्रेटरी फाइनेन्स, डिप्टी सेक्रेटरी इन्डस्ट्रीज वगैरह 5 सदस्य हैं। वह 31 मार्च तक अपनी रिपोर्ट दे देंगे। उस कमेटी के जो अख्तियारात हैं वे बहुत ज्यादा वजू हैं; संगठन से लेकर सदस्यों का क्या रोल होना चाहिये, समिति का क्या रोल होना चाहिये, संस्थाओं का क्या रोल होना चाहिये और जो खराबियां हैं उनको दूर करने के क्या तरीके हैं सब पर विचार करने के वास्ते वह कमेटी गठित की गई है। इसके अतिरिक्त जो माननीय सदस्यों ने आडिट रिपोर्ट के बारे में कहा है; कभी-कभी आडिट रिपोर्ट के बारे में चर्चा यहां पर हो जाती है। मैंने आदेश दिया है कि एक स्पेशल आडिट करा लिया जाये और जो आडिट आब्जेक्शन हैं वह दूर हो जायें। इस बिल को एक प्रवर समिति या पब्लिक में एक माह के लिये भेजा जाये इसका मैं विरोध करता हूं क्योंकि यह कोई इतना अहम मसला नहीं है। इसमें कोई बुनियादी नीति की बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष---

आप इसे वापस ले रहे हैं।

श्री बाबू लाल वर्मा---

मैं इसे वापस नहीं लेता।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड (संशोधन) अध्यादेश, 1975 का यह सदन अननुमोदन करता है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1975 को जनता की राय जानने हेतु 1 माह तक जनता में परिचालित किया जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1975 को सदन की एक प्रवर समिति के सिपुर्द किया जाय जो अपनी रिपोर्ट 1 माह के भीतर दे दे तथा जिसे विधेयक की परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1975 पर विचार किया जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड 2 से 7

उ0 प्र0 अधि-नियम संख्या 10, 1960 की धारा 5का संशोधन

2--उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड अधिनियम, 1960 (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 5 की उपधारा (1) में,--

(1) खण्ड (क) में, शब्द "उद्योग मन्त्री, उत्तर प्रदेश" के स्थान पर शब्द "प्रभारी मन्त्री, खादी तथा ग्राम उद्योग' राज्य सरकार" रख दिये जायें;

(2) खण्ड (ख) में, उप-खंड (1) में, शब्द "उद्योग उप-मन्त्री, उत्तर प्रदेश, यदि कोई हो," के स्थान पर शब्द "राज्य मन्त्री या जहां कोई राज्य मन्त्री न हो तो उप-मन्त्री, यदि कोई हो, खादी तथा ग्राम उद्योग, राज्य सरकार" रख दिये जायें।

धारा 6 के स्थान पर नई धारा 6, 6-क तथा 6-ख का रखा जाना

3--मूल अधिनियम की धारा 6 के स्थान पर निम्नलिखित धारायें रख दी जायें, अर्थात्--

"6--कोई व्यक्ति बोर्ड का सदस्य चुने जाने या होने के के लिये सदस्य होने के लिये अनर्हता अनर्हित होगा, यदि वह--

(क) ऐसे अपराध के लिये सिद्ध-दोष हुआ हो जिसमें राज्य सरकार की राय में नैतिक अधमता समन्वित हो; या

(ख) अननुमोचित दिवालिया हो; या

(ग) विकृत चित्त का हो और किसी सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित कर दिया गया हो; या

(घ) धारा 12 की उपधारा (2) में की गई व्यवस्था को छोड़कर, बोर्ड के अधीन किसी लाभप्रद पद पर हो; या

(ङ) स्वयं या किसी भागीदार, सेवायोजक या कर्मचारी द्वारा बोर्ड के साथ, उसके द्वारा या उसकी ओर से किसी संविदा या सेवायोजन में, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आर्थिक या किसी अन्य प्रकार का कोई अंश या हित रखता हो ; या

(च) किसी ऐसी कम्पनी या सहकारी या अन्य समिति का निदेशक या सचिव, प्रबन्धक या अन्य अधिकारी हो जो बोर्ड, के साथ, उसके द्वारा या उसकी ओर से की गई किसी संविदा या सेवायोजन में कोई अंश या हित रखता हो।

स्पष्टीकरण--किसी व्यक्ति के बारे में केवल इस कारण से कि वह किसी ऐसी कम्पनी या सहकारी या अन्य समिति में अंशधारी है जिसका कि ऐसा अंश या हित है, यह नहीं समझा जायगा कि उसका बोर्ड के साथ, उसके द्वारा अथवा उसकी ओर से की गई किसी संविदा या सेवायोजन में कोई अंश या हित है।

गैर-सरकारी सदस्यों की पदावधि

6-क--(1) बोर्ड का कोई गैर-सरकारी सदस्य दो वर्ष की अवधि के लिये पद धारण करेगा जब तक कि राज्य सरकार उसकी पदावधि गजट में विज्ञप्ति द्वारा पहले ही समाप्त न कर दे :

प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार समय-समय पर गजट में विज्ञप्ति द्वारा ऐसे सदस्य की पदावधि में कुल मिलाकर एक वर्ष से अनधिक अवधि तक की वृद्धि कर सकती है।

(2) उप-सभापति की पदावधि उपधारा (1) के अधीन गैर-सरकारी सदस्य के रूप में उसकी पदावधि के साथ समाप्त होगी।

(3) उप-सभापति या कोई गैर-सरकारी सदस्य किसी भी समय राज्य सरकार को सम्बोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकता है और ऐसा त्याग-पत्र स्वीकार कर लिये जाने पर यह समझा जायगा कि उसने अपना पद रिक्त कर दिया है।

(4) उप-सभापति या किसी गैर-सरकारी सदस्य के पद में आकस्मिक रिक्ति राज्य सरकार द्वारा नई नियुक्ति करके भरी जायगी, और इस प्रकार नियुक्ति उप-सभापति या अन्य सदस्य उप-सभापति या सदस्य की, जिसके स्थान पर वह इस प्रकार नियुक्त किया जाय, शेष पदावधि के लिये पद धारण करेगा।

कतिपय दशाओं में प्रशासक की नियुक्ति

6-ख--जहां सभी गैर-सरकारी सदस्यों की पदावधि या बढ़ाई गई पदावधि समाप्त हो जाय या पहले ही समाप्त कर दी जाय और उनके स्थान पर नये गैर-सरकारी सदस्य नियुक्त न किये जायें तो नये गैर-सरकारी सदस्यों की नियुक्ति होने तक --

(क) बोर्ड, उसके सभापति, उप-सभापति तथा समितियों के सभी कृत्य तथा कर्त्तव्य राज्य सरकार द्वारा तदर्थ नियुक्त अधिकारी

में (जिसे आगे प्रशासक कहा गया है) निहित हो जायेंगे और उनका निर्वहन तथा पालन, राज्य सरकार के नियन्त्रणाधीन रहते हुये, उसके द्वारा किया जायगा, और प्रशासक को विधि की दृष्टि से बोर्ड, सभापति, उप-सभापति या समिति, जैसा भी अवसर के अनुसार अपेक्षित हो, समझा जायगा ;

(ख) प्रशासक का वेतन और भत्ते, यदि कोई हों, जो उस निमित्त राज्य सरकार के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा नियत किये जायं, बोर्ड की निधि से दिये जायेंगे ;

(ग) राज्य सरकार प्रशासक को सलाह देने के लिये अथवा बोर्ड के ऐसे कृत्यों का निर्वहन और कर्त्तव्यों का पालन करने के लिये, जिसे वह उस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, कोई समिति या अन्य निकाय गठित कर सकती है।"

धारा 12 का संशोधन

4—मूल अधिनियम की धारा 12 में, उपधारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-धारा रख दी जाय, अर्थात् :—

"(2) ऐसे सामान्य अथवा विशेष आदेशों के अनुसार जो राज्य सरकार समय-समय पर तदर्थ जारी करे, बोर्ड से उप-सभापति को पारिश्रमिक दिया जायेगा और अन्य गैर-सरकारी सदस्य यात्रा तथा दैनिक भत्ता पाने के हकदार होंगे।"

धारा 26 का संशोधन

5—मूल अधिनियम की धारा 26 में —

(क) पार्श्व शीर्षक, तथा उपधारा (1) में, जहां कहीं भी शब्द "संचित निधि" आये हों, उनके स्थान पर शब्द "निधि" रख दिया जाय;

(ख) उपधारा (2) तथा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारायें रख दी जायें, अर्थात् :—

"(2) बोर्ड की निधि की समस्त धनराशि किसी अनुसूचित बैंक में, दो पृथक लेखों के अधीन, जो क्रमश: 'खादी लेखा' तथा 'ग्राम उद्योग लेखा' कहलायेंगी, ऐसी रीति से जमा की जायगी जो बोर्ड आदेश द्वारा निदेशित करे।

(3) बोर्ड अपनी विभिन्न योजनाओं के लिये भी, जब आवश्यक हो, इसी प्रकार का लेखा खोल सकता है।

(4) बोर्ड के लेखों का संचालन उप-सभापति द्वारा या सचिव द्वारा अथवा बोर्ड के ऐसे किसी अन्य अधिकारी द्वारा जिसे बोर्ड संकल्प द्वारा तदर्थ प्राधिकृत करे, किया जायगा।"

धारा 31 का संशोधन

6—मूल अधिनियम की धारा 31 में, उपधारा (4) में शब्द 'तदर्थ बनाये गये विनियमों के अनुसार' के स्थान पर शब्द 'ऐसे सामान्य अथवा विशेष आदेशों के अनुसार जो राज्य सरकार समय-समय पर तदर्थ जारी करे,' रख दिये जायं।

धारा 31-क का संशोधन

7—मूल अधिनियम की धारा 31-क में, शब्द 'उप-सभापति', या सचिव' के स्थान पर शब्द 'उप-सभापति, सचिव या किसी अन्य अधिकारी' रख दिये जायें।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खण्ड 2, 3, 4, 5, 6 और खंड 7 इस विधेयक के अंग माने जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड 8

धारा 32 का प्रतिस्थापन

8--मूल अधिनियम की धारा 32 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय, अर्थात्,--

बोर्ड का विघटन

"32--(1) यदि राज्य सरकार की यह राय हो कि बोर्ड इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करने में असफल रहा है अथवा किसी अन्य कारण से बोर्ड को बनाये रखना आवश्यक नहीं है तो वह गजट में विज्ञप्ति द्वारा बोर्ड को ऐसे दिनांक से विघटित कर सकती है जिसे विज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट किया जाय।

(2) बोर्ड को विघटित करने के सम्बन्ध में उपधारा (1) के अधीन विज्ञप्ति प्रकाशित होने पर,--

(क) बोर्ड के सभापति, उप-सभापति और सभी सदस्य, विघटन के दिनांक से अपना पद रिक्त कर देंगे ;

(ख) इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन समस्त अधिकार और कृत्य जिनका प्रयोग तथा निर्वहन बोर्ड द्वारा अथवा उसकी ओर से किया जा सकता हो, विघटन के दिनांक से राज्य सरकार द्वारा या ऐसे व्यक्ति अथवा संस्था द्वारा जिसे वह तदर्थ निर्दिष्ट करे राज्य सरकार के नियन्त्रणाधीन रहते हुये प्रयुक्त तथा निर्वहित किये जायेंगे ; और ऐसी समस्त विद्यमान संविदायें, करार तथा अन्य लिखतें जिनमें बोर्ड पक्षकार हो अथवा जो बोर्ड के पक्ष में हों, राज्य सरकार द्वारा या ऐसे व्यक्ति अथवासंस्था द्वारा जिसे वह तदर्थ नियुक्त करे अथवा उसके विरुद्ध प्रवृत्त किये जा सकते हैं अथवा उन पर कार्यवाही की जा सकती है, और बोर्ड द्वारा अथवा उसके विरुद्ध विचाराधीन समस्त वाद, अपीलें तथा अन्य विधिक कार्यवाहियां, राज्य सरकार द्वारा या ऐसे व्यक्ति अथवा संस्था द्वारा जिसे वह तदर्थ निर्दिष्ट करे, अथवा उसके विरुद्ध जारी रखी जा सकती है, अभियोजित की जा सकती हैं अथवा प्रवृत्त की जा सकती हैं;

(ग) बोर्ड की निधि तथा उसमें निहित अन्य सम्पत्तियां राज्य सरकार में निहित हो जायेंगी; और

(घ) समस्त दायित्व, जो वैध रूप में विद्यमान हों, तथा बोर्ड के विरुद्ध प्रवर्तनीय हों, राज्य सरकार के विरुद्ध उस सीमा तक

प्रवर्तनीय होंगे जिस सीमा तक बोर्ड की निधि और सम्पत्तियां उसमें निहित हों।

(3) उपधारा (1) या उपधारा (2) में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार किसी भी समय, धारा 4 के अधीन पुन: बोर्ड की स्थापना कर सकती है, और तदुपरान्त --

(क) अधिकार और कृत्य तथा उपधारा (2) के खंड (ख) में अभिदिष्ट संविदाओं, करारों और अन्य लिखतों और वादों, अपीलों तथा अन्य विधिक कार्यवाहियों के सम्बन्ध में अधिकार और दायित्व भी, बोर्ड में पुनर्निहित हो जायेंगे।

(ख) उपधारा (2) के खंड (ग) में अभिदिष्ट निधि तथा अन्य सम्पत्तियां जो राज्य सरकार के पास खंड (घ) में अभिदिष्ट दायित्वों को पूरा करने के पश्चात् शेष रह जायं, बोर्ड में पुनर्निहित हो जायेंगी।"

श्री अध्यक्ष--

खण्ड 8 इसमें संशोधन है।

श्री मुहम्मद मफीउर्रहमान अन्सारी (जिला वाराणसी)--

मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड 8 द्वारा मूल अधिनियम में प्रतिस्थापित की जाने वाली धारा 32 की उपधारा (2) के खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रख दिया जाये :

"(ख) इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन समस्त अधिकार और कृत्य जिनका प्रयोग तथा निर्वहन बोर्ड द्वारा अथवा उसकी ओर से किया जा सकता हो, विघटन के दिनांक से, राज्य सरकार द्वारा या ऐसे एकल व्यक्ति अथवा संस्था द्वारा जिसे वह तदर्थ निर्दिष्ट करे राज्य सरकार के नियन्त्रणाधीन रहते हुये प्रयुक्त तथा निर्वाहित किये जायेंगे, और ऐसी समस्त विद्यमान संविदायें, करार तथा अन्य लिखतें जिसमें बोर्ड पक्षकार हो अथवा जो बोर्ड के पक्ष में हो, राज्य सरकार द्वारा या, यथास्थिति, ऐसे व्यक्ति अथवा संस्था द्वारा अथवा उसके विरुद्ध प्रवृत्त किये जा सकते हैं, अथवा उन पर कार्यवाही की जा सकती है, और बोर्ड द्वारा अथवा उसके विरुद्ध विचाराधीन समस्त वाद, अपीलें तथा अन्य विधिक कार्यवाहियां, राज्य सरकार द्वारा या, यथा स्थिति, ऐसे व्यक्ति अथवा संस्था द्वारा अथवा उसके विरुद्ध जारी रखी जा सकती हैं, अभियोजित की जा सकती हैं अथवा प्रवृत्त की जा सकती हैं।"

श्री इस्तफा हुसैन--

मुझे स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड 8 द्वारा मूल अधिनियम में प्रतिस्थापित की जाने वाली धारा 32 की उपधारा (2) के खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रख दिया जाय :

"(ख) इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन समस्त अधिकार और कृत्य जिनका प्रयोग तथा निर्वहन बोर्ड द्वारा अथवा उसकी ओर से किया जा सकता हो, विघटन के

दिनांक से, राज्य सरकार द्वारा या ऐसे एकल व्यक्ति अथवा संस्था द्वारा जिसे वह तदर्थ निर्दिष्ट करे राज्य सरकार के नियन्त्रणाधीन रहते हुये प्रयुक्त तथा निर्वाहित किये जायेंगे, और ऐसी समस्त विद्यमान संविदायें, करार तथा अन्य लिखतें जिसमें बोर्ड पक्षकार हो अथवा जो बोर्ड के पक्ष में हो, राज्य सरकार द्वारा या, यथास्थिति, ऐसे व्यक्ति अथवा संस्था द्वारा अथवा उसके विरुद्ध प्रवृत्त किये जा सकते हैं अथवा उन पर कार्यवाही की जा सकती है, और बोर्ड द्वारा अथवा उसके विरुद्ध विचाराधीन समस्त वाद, अपीलें तथा अन्य विधिक कार्यवाहियां, राज्य सरकार द्वारा या, यथास्थिति, ऐसे व्यक्ति अथवा संस्था द्वारा अथवा उसके विरुद्ध जारी रखी जा सकती हैं, अभियोजित की जा सकती हैं, अथवा प्रवृत्त की जा सकती हैं।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि संशोधित खंड 8 इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 9 से 11

9—मूल अधिनियम की धारा 33 निकाल दी जाय। धारा 33 का निकाला जाना

10—इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के ठीक पूर्व पद धारण करने वाले बोर्ड के ऐसे गैर-सरकारी सदस्य जिन्होंने दो वर्ष से अधिक के लिये पद धारण कर लिया हो (जो अवधि इस अधिनियम द्वारा यथाप्रतिस्थापित मूल अधिनियम की धारा 6-क में विनिर्दिष्ट है) इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के तुरन्त पश्चात् उस रूप में पदधारी न रह जायेंगे, और मूल अधिनियम की धारा 6-ख के उपबन्ध तदनुसार लागू होंगे। संक्रमण कालीन उपबन्ध

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या, 4 1975

11—(1) उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड (संशोधन) अध्यादेश, 1975 एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है। निरसन तथा अपवाद

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश द्वारा, यथासंशोधित मूल अधिनियम के अधीन की गई कोई बात अथवा किया गया कोई कार्य इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्सम उपबन्धों के अधीन की गई बात अथवा किया गया कार्य समझा जायगा।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 9, 10 और 11 इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1975

उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड अधिनियम, 1960 का अग्रेतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के छब्बीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम 1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 1975 कहलायेगा।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 1, प्रस्तावना एवं शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री इस्तफा हुसैन—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1975 जैसा कि संशोधित हुआ है, पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1975 जैसा कि संशोधित हुआ है, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष—

नियम 51 के अन्तर्गत आज 10 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। एक माननीय त्रिवेनी, ओम प्रकाश और काशीनाथ मिश्र की हैं, जो आजमगढ़, गाजीपुर, जौनपुर एवं वाराणसी जिलों में ओलावृष्टि से रबी की फसल को हुई क्षति से सम्बन्धित हैं। पूर्व स्वीकृत जो सूचना है, उसमें उनके नाम भी जोड़ दिये जायेंगे।

श्री त्रिवेनी (जिला आजमगढ़)—

मान्यवर, वहां की स्थिति बड़ी भयंकर है। लालगंज का इलाका बरबाद हो गया है।

श्री अध्यक्ष—

ओला वृष्टि से ही तो नुक्सान हुआ है, कहीं पर बड़ा पड़ा है कहीं पर छोटा पड़ा है लेकिन नुक्सान ओलावृष्टि से ही हुआ है।

श्री त्रिवेनी—

मान्यवर, लालगंज और चोलापुर आदि में कितने ही जानवर मर गये हैं, जो वहां की परिस्थिति है वह अन्य स्थानों से बिलकुल भिन्न है।

श्री अध्यक्ष--

मात्रात्मक भेद हो सकता है ?

श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव (जिला जौनपुर)--

मान्यवर, मेरी भी प्रार्थना है कि इसको अलग से स्वीकार कर लें।

श्री अध्यक्ष--

ओला वृष्टि से ही तो क्षति हुई है। जो पहले से स्वीकृत सूचना है, उसमें माननीय त्रिवेनी राय का नाम भी जोड़ दिया जायगा, इसको अलग से स्वीकार किया जाय, यह सम्भव नहीं है।

श्री त्रिवेनी--

श्रीमन्, वहां की स्थिति भिन्न है। कहीं पर 8 आने, कहीं पर 6 आने की क्षति हुई है लेकिन यहां पर तो 16 आने क्षति हुई है। इसलिये इसको अलग से स्वीकार करने की कृपा करें ?

श्री अध्यक्ष--

मैं इसमें आना, दो आना, आठ आने, सोलह आने का फर्क नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि क्षति हुई है। अब मन्त्री जी कहेंगे कि कहां कितनी क्षति हुई है। यह उन पर छोड़िये।

एक और है माननीय हरिकेवल प्रसाद का, जिला परिषद्, देवरिया द्वारा पेड़ काटे जा रहे हैं। राज्य सरकार से इसका सम्बन्ध नहीं है, स्थानीय निकाय का मामला है। और माननीय हरिकेवल प्रसाद ने दो दिये हैं, इसलिये भी यह अमान्य है।

एक माननीय आशाराम यादव और माननीय ओम प्रकाश सिंह का है थाना हलिया, जिला मिर्जापुर के दरोगा श्री सिद्दीकी द्वारा हरिजनों पर अत्याचार के बारे में। यह अल्पसूचित प्रश्न का विषय है।

श्री आशाराम यादव (जिला मिर्जापुर)--

वहां हरिजन अनशन कर सकते हैं। उनकी लड़कियों के साथ बलात्कार किया गया।

श्री अध्यक्ष--

जो आपने दिया है उसमें तो यह नहीं लिखा है। मैं पढ़े देता हूं :--

"श्री सिद्दीकी ने दिनांक 2 मार्च, 1975 को मुनगा धरकार नामक हरिजन को बुरी तरह पीटा और 100 रुपये छीन लिये। इसी तरह गोमती कोल को भी मारा पीटा गया.....।"

तो इसमें तो कोई ऐसी बात है नहीं।

एक माननीय सत्य प्रकाश और माननीय श्री नारायण ने दिया है। कैसरबाग स्थित श्री गया प्रसाद मेहरोत्रा की कोठी में कुछ व्यक्तियों द्वारा अनधिकृत रूप से कब्जा करने का प्रयास। तो यह न्यायालय का विषय है। मैं सदन के सदस्यों का ध्यान इस ओर आकृष्ट करूंगा कि एक-एक व्यक्ति का मामला जिसके लिये अदालत का उपचार मौजूद है उसको यहां नहीं उठाना चाहिये।

श्री सत्य प्रकाश (जिला बरेली)—

इसमें मुख्य बात यह है ....

श्री अध्यक्ष—

कुछ भी हो, न्यायालय की तुला को प्रभावित करने के लिये विधान सभा का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।

श्री सत्य प्रकाश—

कुछ उचित कार्यवाही ही हो जाय।

श्री अध्यक्ष—

यह तो हम कर सकते हैं।

माननीय राम प्रकाश त्रिपाठी ने फर्रुखाबाद जनपद के बेसिक शिक्षा परिषद् के शिक्षकों का वेतन न भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में दिया है। इस पर आप अल्प-सूचित प्रश्न करें। अगर उससे आपको सन्तोष नहीं होगा तो आगे देखेंगे।

श्री राम प्रकाश त्रिपाठी (जिला फर्रुखाबाद)—

आवश्यक कार्यवाही के लिये भेज दीजिये।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है। माननीय बाबा रामनाथ और माननीय हरिकेवल प्रसाद ने देवरिया जिले में पूर्व जमींदारों द्वारा हमला करने के बारे में दिया है ...

बाबा रामनाथ (जिला मैनपुरी)—

देवरिया जिले में जो कुछ हुआ मरहा गांव में, नृशंस हत्या की गयी है। अगर यह भी स्वीकार नहीं होता है तो विधान सभा में कौन सा सवाल रखेंगे? उसके परिवार के आदमियों को मारा गया। पचासों आदमी हमारी पार्टी के यहां आये। हरिजनों और मुसलमानों के साथ किस प्रकार अत्याचार किया जा रहा है। यह नहीं सुनेंगे तो फिर किस लिये हम यहां बैठें? इससे ज्यादा महत्व का प्रश्न और क्या हो सकता है?

श्री अध्यक्ष—

इस पर आप पहले अल्प-सूचित प्रश्न कर लें।

एक मुलायम सिंह जी का है इटावा जिले में चोरी, डकैती आदि के बारे में। बजट पर सामान्य चर्चा में उसे कहा जा सकता है .....

श्री मुलायम सिंह यादव (जिला इटावा)—

लगातार 15–20 दिन में कई घटनायें हुई हैं .....

श्री अध्यक्ष—

आप अल्पसूचित प्रश्न कर लें।

एक माननीय काशीनाथ मिश्र का है—बलिया जिले में अध्यापकों के शिक्षा अधिकारी के कार्यालय के बरामदे में क्रमिक अनशन।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

50–50 की संख्या में अध्यापक क्रमिक अनशन कर रहे हैं, 70 लाख रुपया बेसिक शिक्षा अधिकारी पर बकाया है, शिक्षा अधिकारी का दफ्तर भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है .....

श्री अध्यक्ष--

आपने स्वयं लिखा है कि ". . . . . यह विभागीय निष्क्रियता और निकम्मेपन का द्योतक है . . . . . " तो आपको शिकायत विभाग के बारे में है, न कि शासन से, फिर भी इसे कार्यवाही के लिये मंत्री जी के पास भेज दे रहे हैं ।

एक माननीय बाबूलाल वर्मा का है--जरवल रोड, बहराइच स्थित चीनी मिल के ऊपर श्रमिकों का बकाया वेतन । इस पर भी यहां बहस हो चुकी है, माननीय सदस्य प्रश्न कर सकते हैं ।

श्री बाबूलाल वर्मा (जिला बहराइच)--

इसे वक्तव्य के लिये स्वीकार कर लीजिये. . . . . .

श्री अध्यक्ष--

कल तो बहस हो चुकी है । आप प्रश्न कर लें ।

एक माननीय दयाराम भास्कर का है श्री जे0 पी0 निगम, अधीक्षण अभियन्ता, आजमगढ़ द्वारा किये गये कर्मचारियों की पदोन्नति में हरिजन अभ्यर्थी का न होना । यह अस्वीकार है । प्रश्न कर लें ।

अब आइटम 13 लिया जायेगा, 1 घंटा चर्चा वाला । दूसरा जो दो घंटा वाला है वह कल ले लिया जाय, मैं समझता हूं सदन की सहमति है इसमें । (कोई आपत्ति न होने पर) दो घंटा वाला कल लिया जायेगा ।

कानपुर के छात्र प्रदर्शनकारियों पर लाठी चार्ज एवं गिरफ्तारी के विषय पर नियम ५३ के अन्तर्गत चर्चा

श्री मुलायम सिंह यादव (जिला इटावा)--

मान्यवर, पिछले 27 वर्षों से यह कांग्रेस दल जिस तरह से शासन चला रहा है, जिस ढंग से जो नीतियां उसकी चल रही हैं उससे प्रदेश और देश की तमाम मान्यतायें भंग हो गयी हैं । उसके कारण प्रदेश की आम जनता अनिश्चितता की तरफ चली गयी है । आम जनता को जागरूक रहने से रोकने की कोशिश इस सरकार ने की है । छात्रों तक को लाठी और गोली के बल पर जागरूक होने से रोकने की कोशिश की है । मैं आपके सामने कानपुर में हुई लाठी चार्ज की घटना को रखना चाहता हूं जिसमें श्री महेश चन्द्र बसंतानी को ताजियादारों ने मार दिया और होस्टल में घुस कर ताजियादारों ने तमाम सामान को तोड़ा-फोड़ा । एक बस जला दी गयी, दो स्कूटर जलाये गये । वहां के छात्रों ने मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया और उन्हीं की मांग को लेकर प्रदर्शन करने पर लखनऊ विश्वविद्यालय में भी लाठी चार्ज हुआ तथा 20 फरवरी को जब बी0एस0एस0डी0 के छात्रों ने प्रदर्शन किया और शान्त तरीके से प्रदर्शन किया और जहां चौराहे पर वे सभा कर रहे थे, वहां उन पर लाठी चार्ज किया गया तथा 9 छात्र गिरफ्तार किये गये । उसके जवाब में सरकार की तरफ से बराबर एक ही जवाब आता है, एक ही बहाना मिलता है कि सरकार की पुलिस पर छात्रों ने आक्रमण किया । उस बहाने गिरी को लेकर २० फरवरी को लाठीचार्ज किया गया । जैसा कि यहां बयान दिया गया है उसमें यह बतलाया गया है कि छात्रों ने सरकारी आफिसरों को उनके बंगले में घुस कर मारा । जहां सरकारी बंगले में घुस कर आफिसरों को मारने की

[श्री मुलायम सिंह यादव]

बात बतलायी गयी है और जहां पर छात्रों के ऊपर लाठी चार्ज हुआ, इन दोनों स्थानों में लगभग 3 मील का अन्तर है ।

मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि 3 मील तक सरकार ने छात्रों को कैसे चलने दिया जहां बंगले में लड़के घुसे थे और छात्रों ने तोड़-फोड़ की, वहां पुलिस क्या देखती रही ? मैं कहना चाहता हूं कि यह बहानेगीरी है । छात्रों को दबाने की सरकार की एक पूर्व नियोजित योजना है । पूरब से युवा आक्रोश की लहर जो चली है वह आप जान लें कि लाठी, गोली, मीसा, गुंडा ऐक्ट और अन्य दमनकारी नीतियों से दबायी नहीं जा सकती । अगर इसी तरह से यह मामला रहा तो हो सकता है कि केवल विश्वविद्यालय और कालेजों तक ही पुलिस कैम्प न लगाना पड़े बल्कि गांव से लेकर कस्बे, शहर तक पुलिस कैम्प लगाने पड़ेंगे । अगर सरकार किसी तरह से येनकेन प्रकारेण कुर्सी पर बनी रहती है तो हो सकता है कि उसके लिये भी पुलिस कैम्प लगाने पड़ेंगे तब जाकर थोड़ी बहुत आपकी सरकार को बचने का मौका मिले । यह जो लाठी चार्ज हुआ है इससे छात्रों के सामने एक अनिश्चितता की स्थिति हो गयी है, उनको अपने भविष्य के बारे में कुछ भी नहीं मालूम । उनका अन्धकारमय भविष्य हो गया है । अभी तक बी0 एस0 सी0 के छात्र आन्दोलन नहीं करते थे । वे समझते थे कि पढ़ाई खतम होने के बाद तुरन्त उनको नौकरी मिल जायेगी । कालेज खुलते ही शुरू में ही वे आन्दोलन करते थे और उनको आशा रहती थी कि दो साल के बाद उनको नौकरी तो मिल ही जायेगी लेकिन आज इतनी बेकारी की स्थिति हो गयी है कि छात्रों को आगे चल कर अपने भविष्य के सम्बन्ध में अनिश्चितता है । माननीय अध्यक्ष महोदय, युवा आक्रोश का कारण निश्चित ही सामाजिक और आर्थिक है । इसके समाधान के लिये लाठी, गोली, डी0 आई0 आर0, मिसा या गुंडा ऐक्ट नहीं है । इसके लिये जो हमारे शिक्षावेत्ता है, जो बड़े-बड़े लोग शिक्षा में माहिर हैं और जो विरोधी लोगों में हैं, वे भी इस बात को समझते हैं कि वे लोग जो शिक्षा में विशेष दिलचस्पी रखते हैं, वे सब मिल कर छात्र, प्रोफेसर और प्रिंसिपल इसका समाधान निकाल सकते हैं ।

लेकिन आज यह सरकार लाठी, गोली के बल पर ही सारे छात्रों को दबाना चाहती है । इसका मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं । अजीतमल महाविद्यालय, इटावा के छात्रों पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया । उसका दुष्परिणाम हुआ कि तमाम लड़के घायल हो गये । एक लड़का चन्द्र प्रकाश द्विवेदी, जो बी0 ए0 का छात्र था पुलिस द्वारा लाठी चार्ज किये जाने पर बुरी तरह से घायल हो गया और विक्षिप्तावस्था में रहने लगा । जब वह सोता था तो सोते में कहता था कि पुलिस मुझे मारती है । इस तरह से बकता था और एक दिन जाकर, 21 फरवरी को दिबियापुर रेलवे स्टेशन पर जाकर, ट्रेन के सामने लेटकर उसने आत्महत्या कर ली । तो इस तरह से मान्यवर, युवा आक्रोश को लाठी से, गोली से रोका नहीं जा सकता । इसके लिये हमारी राय माननी होगी । आज यह सरकार अपनी कुर्सी को बचाये रखने के लिये हर तरह से जोर लगा रही है । हर तरीका अपनाने की कोशिश कर रही है । आज चाहे इलाहाबाद हो, इटावा हो या आगरा हो या कहीं हो हर एक जगह लाठी चार्ज और दमन का तरीका अपनाया जाता है । मैं कहना चाहता हूं कि दिल्ली में जब कांग्रेस का प्रदर्शन हुआ था, तमाम लोग गये थे, अखबारों में भी उसके बारे में छपा था कि किस तरीके से अराजकता फैली थी । इटावा में तमाम सामान लूट लिया गया था । मान्यवर, अगर वह कांग्रेस का प्रदर्शन न होकर किसी और का होता तो 100- 200 आदमी मारे जाते, जेलों

में डाले जाते। पर वहां किसी तरीके से लाठी चार्ज नहीं हुआ। कोई गिरफ्तारी नहीं हुयी। लेकिन आज हमारे लोग या छात्र जब अपनी मांगों को लेकर कोई प्रदर्शन करते हैं तो उन पर लाठी चार्ज किया जाता है। उन पर गुण्डा ऐक्ट, मीसा लगाया जाता है। उनके आक्रोश को हर तरीके से दबाया जाता है। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि युवा आक्रोश को इस तरह से दबाने से काम नहीं चलने वाला है। अंग्रेजों के जमाने में, उनकी हुकूमत में भी इटावा में इतने लोग नहीं मारे गये जितने बकेवर कांड में लोग मारे गये।

तो स्थिति यह है कि अपनी कुर्सियों को बचाने के लिये लाठी चार्ज, अश्रुगैस, डी0 आई0 आर0 का इस्तेमाल किया जाता है। मैं कहना चाहता हूं कि समस्या का यह समाधान नहीं है। इसके लिये हमको और आपको गंभीरता के साथ सोचना पड़ेगा। सरकार को दिमाग से काम करना पड़ेगा तभी जाकर समस्या हल होगी। दमन करके लाठी चार्ज करके, एक दिन वह आयेगा जब आपका घमंड, सत्ता का घंमंड, हुकूमत का घमंड चूर हो जायेगा। यहिया खां से ज्यादा बड़े आप तानाशाह नहीं हैं। जिस तरह से फ्रांस में विद्यार्थियों ने सत्ता पलट दी थी उसी तरह से यहां भी होगा।

(श्री राज मंगल पांडेय के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

नियम ऐसा है कि आप कहेंगे, फिर यह कहेंगे उसके बाद फिर आप कहेंगे, आपका जवाब होगा।

परिवहन मंत्री (श्री राज मंगल पांडेय)--

मान्यवर, मुलायम सिंह जी ने जो बातें कहीं उनमें कुछ की गंभीरता को हम स्वीकार करते हैं। यह सही है कि कोई भी शासन तंत्र डण्डे से, गोली से या अन्य किसी तरीके से दबाया नहीं जा सकता और न किसी लोकतंत्र को दबाना चाहिये।

प्रश्न मान्यवर, यह है कि दबाया गया है या नहीं। आज तो स्वतः हम यहां ही नहीं, जहां कहीं भी हमारे बच्चों ने मांग की है, हमने उनसे प्रार्थना की है, हमने उनसे कहा है कि हम निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आपकी मांगें मानी जायंगी। मानी गयी हैं, मानी जा रही हैं, मानी जाती रही हैं। मान्यवर, क्योंकि इन पर ही हमारे देश का भविष्य निर्भर करता है। लेकिन इसके साथ-साथ में यह भी कहना चाहता हूं कि अगर विद्यार्थियों को राजनीतिक गण अपने-अपने हाथ में न लें, उनको स्वतः सोचने दें, उनको अपने कार्यक्रम स्वयं संचालित करने दें तो मेरा ख्याल है कि हिंसात्मक प्रवृत्ति जो बढ रही है वह अपने आप कम हो जायगी। माननीय सदस्य ने इटावा की बात की। मैं उस पर कुछ नहीं कहना चाहता। कानपुर के बारे में है। जो रिपोर्ट आयी उससे साफ है कि 9-9 आदमियों ने डी0एम0 का घेराव किया। और न जाने क्या-क्या चीजें वहां की गयीं? मान्यवर, आज प्रश्न यह है कि केवल वह जो कालेजो में पढ़ते हैं, विद्यार्थी हैं उनकी ही बात मानी जाय? इस प्रदेश की 10 करोड़ जनता है, उसके संबंध में भी हमारे कुछ कर्त्तव्य हैं। इट शुड नाट बी पुट इन टू रेंसम। हमको जनता की तरफ भी देखना है।

आज मीटिंग हो तो उसमें कालेज के विद्यार्थी व्यवधान पैदा कर रहे हैं। जिस दिन की घटना है उसमें ताजिया दफनाने को जब हुआ तो उसमें कुछ ईंट और पत्थर फेंके गये। उसमें

[श्री राजमंगल पांडेय]

लोगों ने पत्थर का जवाब पत्थर फेंक कर दिया। तो इससे बलवा बढ़ गया। यदि श्री मुलायम सिंह जी यह बात समझा दें कि ताजिया वालों ने पत्थर फेंके तो कुछ बात समझ में आये। लेकिन जब ताजिया गुजर रहा है तो उसमें किसी दल से सम्बन्धित विद्यार्थी थे जिन्होंने पत्थर फेंके जिनकी प्रवृत्ति मुसलमानों के प्रति अच्छी नहीं है। पत्थर जब फेंके गये तो उसका उन्होंने जवाब दिया। जब ऐसी प्रक्रिया शुरू हुयी तो उसका अन्त हिंसात्मक वातावरण में खत्म होता है। यहीं से चीज यह शुरू हुई और कलेक्टर के वहां जाते-जाते मैजिस्ट्रेट के बंगले में नुकसान पहुंचाया और कुर्सियां व फर्नीचर को तोड़ा। वहां नारेबाजी किया। इस मजमे को नाजायज करार कर दिया गया। लेकिन मजमा जब तितर-बितर नहीं हुआ तो 9 लोग गिरफ्तार कर लिये गये। लेकिन माननीय सदस्य एक ही विद्यार्थी को बता दें जिसको कि चोट आयी हों। तथ्य जो आये उससे यह चीज सही है कि इन लोगों से कांड हुआ जिसमें कोई तैयार नहीं था। ताजिया जो दफनाने जा रहे थे इसलिये उनके धार्मिक कार्य में किसी को व्यवधान पैदा करना ठीक नहीं है। जब यह व्यवधान का कार्य शुरू होता है तो उसमें स्वाभाविक है कि यह चीजें होती हैं। सरकार का ताल्लुक इसमें नहीं था। जब वहां हिंसात्मक कार्य हुये तब पुलिस वहां पहुंची और उसने निषेधात्मक कार्य जो शांति भंग को कायम रखने के लिये किये जाते हैं उसको किया। हमारा कोई इरादा नहीं रहा कि इन बच्चों केसाथ ऐसी चीज करें। वह हमारे बच्चे हैं। लेकिन मजबूरी में करना पड़ता है, क्योंकि नैतिकता के नाम पर जो हमारा उत्तरदायित्व है उसको किया जाय, इसलिये हमें खेद है।

*श्री मोती लाल देहलवी (जिला कानपुर) –

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस संबंध में एक बयान उसी दिन दिया था जो हम लोगों को मिला था। उसको पढ़ने से मान्यवर कम से कम मुझ पर यह असर पड़ा है कि कांग्रेस का नैतिक पतन पूर्ण रूप से हो गया है। इन लोगों के अन्दर अन्तरात्मा जैसी कोई चीज नहीं रह गयी है। हमारा विश्वास है कि अगर इन दिनों गांधी जी जीवित होते और इन लोगों के इस तरह के बयान सुनते तो वह शायद आत्म हत्या कर लेते। इतना झूठा बयान दिया गया है कि उससे झूठ को भी हया पैदा हो जाती है। मान्यवर, आपने सुना होगा और मैं पढ़े भी देता हूं कानपुर के छात्रों, विशेषतः कुछ छात्रों ने 24 जनवरी, 1975 को हुयी अप्रत्याशित घटना के संबंध में कुछ लोगों को लेकर दिनांक 20 फरवरी, 1975 को जुलूस निकालने, जिलाधिकारी का घेराव करने तथा प्रशासन को ठप करने का निर्णय लिया था। कानपुर में उस समय धारा 144 के अन्तर्गत निरोधादेश लागू था जिसके द्वारा जुलूस आदि निकालने पर प्रतिबन्ध लगाया। छात्रों की उचित मांग विचार विमर्श के उपरांत पूरी की जा चुकी थीं तथा कुछ अन्य मांगों पर सक्रिय रूप से विचार हो रहा था।

श्री अध्यक्ष––

यह तो बयान दिया जा चुका है। यह बयान तो सदन के समक्ष मुख्य मंत्री ने रखा है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री मोतीलाल देहलवी--

कानपुर का जागरण अखबार है। उसके संवाददाता मौजूद थे जिनका बयान इसमें छपा है। मैं चाहता हूं कि आपकी सेवा में दोनों चीजें अर्ज कर दूं।

श्री अध्यक्ष--

हम क्या करेंगे ?

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

जो तथ्य हैं उन्हें रख रहे हैं।

श्री अध्यक्ष--

आप कानपुर के रहने वाले हैं। इसलिये आपको जानकारी होगी। अपनी जानकारी बतलायें। दोनों को पढ़ने के बाद जो निचोड़ हो वह बतलायें।

श्री मोतीलाल देहलवी--

मान्यवर, आप कानपुर बहुत बार गये हैं। आपको वहां की बाबत बहुत जानकारी है। वी0 एस0 डी0 कालेज नवाबगंज में है। कलेक्टर का बंगला सिविल लाइन्स में है। बहुत फर्क है। स्वरूपनगर में छः बंगलियों के नाम से बंगले हैं जिनमें मजिस्ट्रेट्स रहते हैं। दफा 144 लगी हुई थी। वी0 एस0 डी0 कालेज से जुलूस चला। कहीं भी दफा नहीं टूटी। विद्यार्थियों के साथ पुलिस थी। विद्यार्थी स्वरूपनगर जहां मजिस्ट्रेट्स रहते हैं वहां घुस गये और तोड़-फोड़ की। पुलिस की नजर में छात्रों का यह जुर्म नहीं था। अगर छात्रों ने मजिस्ट्रेटों के बंगलों में तोड़-फोड़ की होती तो वहीं गिरफ्तारी की जा सकती थी। इनको जानकारी मिल गयी कि 600 छात्र जुलूस उठायेंगे, कलेक्टर का घिराव करेंगे और प्रशासन को ठप्प कर देंगे। मान्यवर, अगर ऐसी कोई बात होती तो छात्रों का जुलूस कालेज से ही नहीं उठ सकता था। वहीं पर जुलूस रोक दिया जाता और गिरफ्तारियां हो जातीं। लेकिन सत्य यह है कि जुलूस आया और यह कालेज के पास सभा में परिवर्तित हो गया। छात्र नेता माइक पर भाषण कर रहे थे। उस समय गिरफ्तारी की गयी और केवल गिरफ्तारी ही नहीं की गयी, उसके बाद लाठी चलायी गयी। छात्रों को बुरी तरह से पीटा गया। मंत्री जी कह रहे थे कि कहां चोटें आयी हैं ? मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि कानपुर जेल में चले जाइये। उनका डाक्टरी मुआयना हुआ है या नहीं। अगर नहीं हुआ हो तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। छात्रों को पीटा गया। जिनको चोट आयीं उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। मान्यवर, जब उन्हें जेल भेज दिया गया तो डाक्टरी बाहर कैसे हो सकती थी ?

इस प्रकार यह कितनी गलतबयानी है, कितनी विडम्बना है, आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं। इस समय कानपुर के लाठी चार्ज का मामला पेश है। कानपुर के एक विधायक को छोड़ कर जो अभी तक विरोध पक्ष में बैठ रहे हैं, बाकी कांग्रेस का एक भी विधायक सदन में मौजूद नहीं है। माननीय मंत्रीजी ने बिना जाने समझे हुये भाषण किया और घटना का रूप बदलने की कोशिश की जिसमें कि वह दक्ष हैं। माननीय मुख्य मंत्री ने माननीय परिवहन मंत्रीजी को केवल इस काम के लिये नियुक्त कर रखा है कि दिन को रात और रात को दिन सिद्ध कर दें और उसमें वह माहिर हैं। घटना जो लाठी चार्ज की है उसका रूप कैसे बदलने की कोशिश की है उसको आप देखें कि उसको साम्प्रदायिकता का रूप देने की कोशिश कर दी।

[श्री मोतीलाल देहलवी]

इस घटना का साम्प्रदायिकता से न तो कोई अर्थ है और न मतलब। अगर उस पर भी बहस करना चाहते हैं तो एक दिन उसके लिये भी नियुक्त कर दें तो उसमें भी आपकी ज्यादती पायी जायेगी। आपके अधिकारियों और पुलिस ने अगर सतर्कता बरती होती तो यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई न होती। सतर्कता बरती नहीं जा रही है। आये दिन छात्रों पर लाठी चार्ज हो रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जब जयगुरुदेव ने कई लाख का मजमा कानपुर में फूलबाग में इकट्ठा कर लिया था कि 23 जनवरी को सुभाषचन्द्र बोस प्रकट होंगे और यह भी भाषण किया कि श्रीमती इन्दिरा गांधी को बुला लिया जाय और 5 बजे सुभाष चन्द्र बोस से उनका हाथ मिलवा दूंगा, तब 144 क्या नहीं टूटी थी, क्या गलत बयानी करके लोगों को धोखा नहीं दिया गया था। एक तरफ तो गवर्नमेंट की रिपोर्ट है कि नेता सुभाष चन्द्र बोस इस दुनियां में नहीं है, जीवित नहीं है, उस रिपोर्ट के होते हुये भी जयगुरुदेव को भाषण करने दिया गया और उस मंच से वह नेताजी अपने को बताते रहे.....

श्री अध्यक्ष--

उसमें शहादत हो जाती है.....

श्री मोती लाल देहलवी--

मैं आपको बता रहा हूं कि आये दिन लाठी चार्ज छात्रों पर होता है तो जय गुरुदेव पर क्यों नहीं हुआ ? जब जनता जयगुरुदेव के एक आदमी को पकड़ा और पिटाई की और वह जयगुरुदेव को भी पकड़ना चाहती थी, तो इनके अफसरों ने इज्जत के साथ उनको कार में बैठाकर रवाना कर दिया.....

श्री अध्यक्ष--

यह अच्छा किया या बुरा ? जब जनता किसी को मारना चाहती है तो क्या किया जाय ?

श्री मोती लाल देहलवी--

जब वहां पर सैकड़ों की संख्या में पुलिस मौजूद थी तो उसको बाकायदा हिरासत में लिया जा सकता था। जब गवर्नमेंट की यह रिपोर्ट है कि नेताजी जीवित नहीं हैं तो क्या उनको भाषण क्यों करने दिया और क्यों जाने दिया ? छात्रों पर अत्याचार करने का कारण यह है कि श्री जय प्रकाश नारायण के आह्वान पर छात्रों का एक आन्दोलन चल रहा है सारे देश के अन्दर। छात्र समुदाय इस महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और जुल्म, मंत्रियों के कुनबा परस्ती, मंत्रियों के भ्रष्टाचार से सारा देश उत्पीड़ित है छात्र समुदाय उसी उत्पीड़न को ले कर एक आन्दोलन छेड़े हुए है माननीय जय प्रकाश नारायण के नेतृत्व में। इसलिये आज उत्तर प्रदेश ही नहीं दिल्ली की महारानी इन्दिरा गांधी भी घबरा गयी हैं।.....

श्री अध्यक्ष--

महारानी नहीं हैं, प्रधान मंत्री हैं।

श्री मोती लाल देहलवी--

हम उनको इसी शक्ल में देख रहे हैं। तो वह भी विचलित और परेशान हैं, रात दिन उनको नींद नहीं आ रही है क्योंकि देश का छात्र आन्दोलित हो उठा है और पता नहीं उनकी हुकूमत रहेगी या नहीं रहेगी। यह भी वह जानती हैं कि उनके हाथ में अगर हुकूमत नहीं रही तो जितने भी मंत्री बने बैठे हैं प्रधान मंत्री तक उनके कुकृत्यों की जांच होगी।

श्री अध्यक्ष---

यह विषयान्तर है। कानपुर के छात्र सम्बन्धी कांड पर आप बोलें।

श्री मोतीलाल देहलवी---

उस जांच के परिणाम स्वरूप जब वह दोषी पाये जायेंगे अपने काले कारनामों के कारण तो भारतीय दंड विधि संग्रह में कोई धारा नहीं मिलेगी उनको दंड देने के लिये। एक नई धारा बनानी होगी उन गुनाहों के लिये जो उन्होंने किये हैं।

श्री अध्यक्ष---

आप नया कानून बनाकर एक प्रारूप भेजें।

श्री मोतीलाल देहलवी---

उनकी जगह जेल में होगी और जेल में वह इस तरह से नहीं रहेंगे जैसे हम रहते हैं और उनको मालूम है कि जेल में उनकी क्या हालत होगी। इसलिये आज उनको घबराहट तथा परेशानी है और यही वजह है कि प्रदेश में आज छात्र अपनी मांगों को ले कर अपने दुखी समुदाय के लिये कुछ करना चाहता है और यह सरकार दमन के जरिये से उनके अन्दोलन को दबा देना चाहती है जिसका संकेत मुख्य मंत्री ने मेज पर घूंसा मार कर दिया था और छात्रों पर आये दिन लाठी चार्ज के अन्तर्गत यही भावना इस सरकार की छिपी हुई है।

*श्री राम अधार (जिला आजमगढ़)---

अध्यक्ष महोदय, मैं दो तीन सवाल पूछना चाहता हूं। विद्यार्थियों के सम्बन्ध में जब कोई प्रश्न आता है तो बार-बार यह कहा जाता है कि विरोधी दल छात्रों को उखा रहे हैं। अभी माननीय मंत्री ने यह भी कहा कि विद्यार्थियों में एक निराशा है और निराशा इसलिये है कि बेकारी की समस्या मिटाने के लिये सरकार के पास कोई योजना नहीं है। तो क्या माननीय मंत्री जी इस बेकारी को मिटाने के लिये कोई योजना बना रहे हैं ताकि भविष्य के बारे में जो आज का विद्यार्थी यह सोचता है कि अन्धेरा ही अन्धेरा है वह अन्धेरा मिट सके? दूसरे पुलिस छात्रों पर लाठी चार्ज करती है अथवा गोली चलाती है तो उसके पहले क्यों नहीं सरकार फायर ब्रिग्रेड का इन्तजाम करती है ताकि पानी की छींटे उन पर फेंके जा सकें। ऐसा भी हो सकता है कि कोई लड़का बस पर ईंटा चलाता है लेकिन उसके सर पर बदले में पुलिस की लाठी पड़ती है तो बस के शीशे की और सर पर लाठी की कीमत क्या बराबर यह सरकार समझती है? अगर इस तरह की तानाशाही यह सरकार करेगी तो इससे देश व प्रदेश का हित नहीं हो सकेगा। तो मेरा यह सवाल है क्या सरकार ऐसी व्यवस्था करेगी कि लाठी न चल कर पहले दूसरा उपाय किया जाय जैसे पानी फिकवाया जाय?

श्री राज मंगल पांडेय---

मान्यवर, यह बात सही है कि मैंने किसी दल विशेष का नाम नहीं लिया। मैंने यह कहा कि अगर प्रदेश के राजनीतिज्ञ विद्यार्थियों से अपना हाथ अलग खींच लें तो अच्छा हो। उनका जो मुख्य काम विद्या-अध्ययन का है, यूनियन बनाने का है, कैरिकुलम में सुधार लाने का है, लौंजिग और बोर्डिंग का है, उसे करना चाहिये। लेकिन जब उसका संगठन उसका समुदाय राजनीतिक भावना से प्रेरित होकर शासन तंत्र को उलटने की कोशिश करता है तो उस

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राजमंगल पांडेय]

स्थिति में सरकार का कर्त्तव्य हो जाता है कि व्यवस्था बनाये रखे। प्रदेश की 10 करोड़ जनता में मुश्किल से 1 लाख विद्यार्थी ऐसे होंगे। अगर हम अपने कर्त्तव्यों को नहीं निभाते हैं, हिंसात्मक घटनाओं को होने देते हैं और जबकि 90 प्रतिशत विद्यार्थी पढ़ना चाहते हैं केवल 10 प्रतिशत विद्यार्थी ही ऐसे होते हैं जो दादागीरी के नाम पर 90 फीसदी छात्रों को भड़काते हैं, रोजमर्रा काम में व्यवधान पैदा करते हैं तो मैं भी आपसे यही पूछना चाहता हूं कि यदि आपकी सरकार हो तो आप क्या कर्त्तव्य निभायेंगे। ठीक है, आज हमारी सरकार है, कल आपकी भी हो सकती है। हमारी ऐसी परम्परा नहीं है कि जो व्यक्ति यहां से उधर चले जायं वे हमें गाली दें और जो यहां आ जायं वह भ्रष्ट हैं।

माननीय मोतीलाल जी देहलवी और माननीय मुलायम सिंह जी जैसे सदस्य जो कि यह सब जानते हैं, ऐसा कहेंगे तो और फिर क्या होगा ? कुर्सियों के बदलने पर किसी की नीयत पर, किसी के चालचलन पर हमला नहीं करना चाहिये। माननीय मोतीलाल जी के साथ तो मेरा समझौता हुआ है। जब वे जेल जायेंगे तब वे मेरा साथ नहीं करेंगे लेकिन जब मैं मंत्री के रूप में रहूंगा तब वे निश्चित रूप से मेरे साथ रहेंगे। मान्यताओं को बदलने की बात कही जाती है तो तकलीफ होती है। बजट के सिलसिले में भी मैंने कहा था कि हमने गलती की कि चौधरी साहब की दो बातों को नहीं माना। उनका निश्चित मत था कि यूनियन बनाना औप्शनल कर दिया जाय। हमने यह तय भी किया था। हिंसात्मक प्रवृत्ति की ओर जो विद्यार्थी बढ़ रहे हैं, उन पर यदि हम प्रतिबन्ध नहीं लगायेंगे तो समस्या बाद में विकट हो सकती है। हमने यह महसूस नहीं किया और समझा कि अपने ही लड़के हैं। ऐसी भावना रखने से उनके साथ न्याय नहीं हो पायेगा। हमने ऐसा नहीं किया। दूसरे उन्होंने कहा था कि शासन को मजबूत होना चाहिये और किसी प्रकार की घुड़कियों से नहीं दबना चाहिये। चौधरी साहब मजबूत शासन तंत्र के पक्षपाती रहे हैं।.....

श्री राम अवार--

आप बहस में न जायं। बहस तो हम भी कर सकते हैं। सवाल शासन चलाने का है। मैंने सवाल उठाया था कि इसके पीछे बुनियाद क्या है। आज विद्यार्थियों के सामने अन्धकार है। क्या आप चौधरी साहब की हर बात मानने के लिये तैयार हैं ? यदि ऐसी बात है तो उत्तर प्रदेश में किसी दल की जरूरत नहीं है।

श्री राजमंगल पाण्डेय--

मैंने कहा कि यह गलती की कि चौधरी साहब की बात मान लेनी चाहिये थी।

(व्यवधान)

श्री देहलवी जी की बात के उत्तर में यह बात कही।

श्री शतरुद्ध प्रकाश (जिला वाराणसी)--

मैं जानना चाहता हूं कि मंत्री जी अपनी निजी राय रख रहे हैं या सरकार की नीति रख रहे हैं। चौधरी साहब ने जो कहा था ठीक कहा था यह मानते हैं तो फिर आप सरकार की पौलिसीज से इत्तफाक नहीं करते हैं। जब सरकार आपके हाथ में है, मंत्रि-मंडल के आप सदस्य हैं फिर क्यों नहीं आप मंत्रिमंडल को भंग करते हैं। अगर यह मंत्री जी को निजी राय है तो फिर सरकार की क्या पालिसी है.....

श्री राजमंगल पाण्डेय--

सरकार उन्हीं की राय मान रही है ।

श्री शतरुद्ध प्रकाश--

अगर आप बुरा न माने तो मैं एक बात कहना चाहता हूं । श्री राज मंगल पाण्डेय जी ने सदन के अन्दर कहा कि वह छात्रों के साथ बच्चों का सा बर्ताव कर रहे हैं । तो उनकी जो मांगों का सवाल है उसमें आप बता दें कि कौन सी उचित हैं और कौन अनुचित हैं। उनका कहना है कि 18 साल की उम्र में मताधिकार हो, शिक्षा रोजगार मूलक हो, शिक्षा बुनियादी हो जिसका सीधा संबंध रोजगार से हो, वह ज्ञानवर्धक हो । जिसके मानने से आप हिचक रहे हैं। अगर वह विधान सभा के सामने प्रदर्शन करते हैं इसमें कौन सी गलत बात है । कानपुर के विद्यार्थी अगर डी0 एम0 के बंगले पर इसलिये प्रदर्शन करें कि लखनऊ में छात्रों पर जो जुल्म हुआ उसकी अभिव्यक्ति की जाय तो उस पर लाठी चलाने की कौन सी बात थी । सवाल यह नहीं है कि आप बच्चों का सा व्यवहार करते हैं । सवाल मूल्यों का है । आज मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि जो आप इतनी अच्छी तरह से बयानी कर रहे हैं अगर उसे आप लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रांगण में सरकारी पक्ष की तरफ से रखेंगे कि हम बच्चों की तरह वर्ताव उनके साथ कर रहे हैं तो मैं चुनौती के साथ कह सकता हूं कि 100 में से 99 लड़के इस बात से इतफाक नहीं करेंगे । आज तमाम विद्यार्थियों के मन में यह बात बन गई है कि प्रदर्शन का जबाब गोली से दे रही है, जहां भी जबान खोली जाती है उसे वह गोली चला कर बंद करा देती है या जेल में भर कर बंद करा देती है ।

आपने कहा विरोध पक्ष के लोग पोलिटिकल एक्सप्लायटेशन कर रहे हैं ।

श्री राजमंगल पाण्डेय--

मैंने कहा कुछ लोग एक्सप्लायटेशन कर रहे हैं । विरोध पक्ष का नाम नहीं लिया ।

श्री शतरुद्ध प्रकाश--

जब बड़े-बड़े मंत्री आयेंगे, दिल्ली से मंत्री आयेंगे तो उनका स्वागत करना पोलिटिकल एक्सप्लायटेशन नहीं है लेकिन सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन करना एक्सप्लायटेशन है ? क्योंकि वह आपके पक्ष में नहीं जा रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष--

आप प्रश्न करें ।

श्री शतरुद्ध प्रकाश--

आपने विद्यार्थियों पर आरोप लगाया कि वह उपद्रव करते हैं । तो जितने भी पोलिटिकल पार्टीज के यूथ आर्गनाईजेशन हैं । यूथ कांग्रेस से लेकर एस0 वाई0 एस0, विद्यार्थी परिषद् और कम्यूनिस्ट पार्टी के जो आर्गनाइजेशन हैं उन सारों की आप खुफिया जांच करायें कि उनमें कौन क्रिमिनल हैं और वह कौन पोलिटिकल पार्टीज की आईडियोलोजी रखते हैं तो आपको पता लग जायेगा । तो आपके जो यूथ कांग्रेस के मेम्बर हैं वह नम्बर एक पर रहेंगे । इस बात की आज जांच बैठाना चाहेंगे ?

श्री राजमंगल पाण्डेय--

खुफिया जांच की जो बात है उसमें जो हमारे पास एजेंसी है उससे हम जानते हैं कि किस-किस दल से सम्बन्धित हैं। उससे हम जांच करा लेंगे। लेकिन रही कमीशन की बात हमारे पास सी० आई० डी० और इन्टेलिजेंस इसीलिए है।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

कोई अलग से आप जांच करायेंगे और उस खुफिया की रिपोर्ट जो होगी उसे आप मंगा कर सदन में रखेंगे।

श्री अध्यक्ष--

खुफिया रिपोर्ट यहां नहीं रखी जाती है।

श्री मुलायम सिंह यादव--

आपने कहा कि आफिसर्स के डाक बंगले पर घुस गये और उसके बाद पुलिस ले गई। तो जहां से वह बंगले में घुसे वहां से उसमें और जहां आपने लड़कों को गिरफ्तार किया है 3 मील का फर्क है। तो जब वे बंगले में घुस रहे थे, तो आपकी पुलिस ने उस समय उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया? दूसरा सवाल यह है कि जेल में जो लड़के गिरफ्तार होकर गए, जिनके बारे में आपका कहना है कि चोटें नहीं आईं, तो जेल में जो मुआयना हुआ है, उसकी रिपोर्ट आपके पास है या नहीं? यदि नहीं तो क्या उसे आप जेल से मंगवाएंगे और यदि उसमें लड़कों की चोटें साबित हों तो आप क्या उन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाई करेंगे, जिन्होंने भ्रामक रिपोर्ट लिखकर भेजी है, क्योंकि यह आपका बयान है नहीं, यह तो उनका है जो उन्होंने लिखकर भेजा है?

श्री राजमंगल पाण्डेय--

पहले तो यह पूछा गया कि लड़कों को शुरू में ही क्यों नहीं रोक लिया गया। मैंने अपनी रिपोर्ट जो पढ़ी है, मैजिस्ट्रेट के घरों से जब चलने लगे तो रास्ते में अन्य बहुत से स्कूलों के लड़के उसमें शामिल हो गए। तो बाद में स्थिति और बदली। फिर जो सरकार लड़कों को अपना समझती है, उनके कार्यों को उस सीमा तक बरदाश्त करती है, जितना किया जा सके। छोटी-छोटी चीजों के लिये जैसे किसी बस पर कंकड़ फेंक दिया, हम किसी बच्चे को परेशान नहीं करना चाहते हैं और न हिंसा का कोई प्रयोग करना चाहते हैं। लेकिन उस सीमा के बाहर जब छात्र चले जाते हैं, और पूरी तरह से हिंसा पर उतारू हो जाते हैं तो सोचना पड़ता है कि इसको हम कैसे दबाएं। इसके पहले की स्टेज बर्दाश्त करने की स्टेज है। उसको हम बीसों बार बरदाश्त करते रहे हैं।

जेल में जो चोटों की बात है, मैंने बताया है कि कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ है, जेल में कैसे चोटें आईं यह गलत बात है और यह देखने की बात है। चोट नहीं लगी तो इसका मतलब यह नहीं है कि लाठी नहीं चली और लाठी चली तो इसके मतलब यह भी नहीं है कि लाठी से ही सारी चोटें लगीं। इसके अलावा लाठी न चलने पर भी भीड़ में, भगदड़ में अन्य तरीके से भी लोग घायल हो जाते हैं। भगदड़ के समय गिरने से या कंकड़ आदि लगने से भी चोटें प्रायः लग जाती हैं। कुम्भ मेले में कितने आदमी दबकर मर गये, लेकिन वहां कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ। स्टेम्पड होता है तो गिरकर, कंकड़ से लड़कर भी चोट लग जाती है। मेरे पास इत्तिला है कि कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ और पुलिस ने बल प्रयोग नहीं किया। जेल के

बारे में भी ऐसी कोई सूचना है तो मैं उसको देखूंगा और उसके बाद माननीय सदस्य को सेटिस्फाइड करने की कोशिश करूंगा कि चोटें कैसे आईं ।

श्री राम अधार--

आपकी जो रिपोर्ट पेश है, वह आपको कंफ्यूज करने वाली रिपोर्ट दी गई है और मेरी बात पर भी आपको शक है, तो इस सारी घटना पर सी0 आई0 डी0 या अन्य कोई जांच आप करवाएंगे, जिससे सारी बात बिलकुल साफ हो जाए ?

श्री अध्यक्ष--

जेल में मुआयना है, तो सी0 आई0 डी0 उसे क्या देखेगी ?

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी गढ़वाल)--

माननीय मंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया है और खासकर जो अन्तिम चरण में कहा है, उसको सुनकर मुझे अफसोस हुआ है। वह कहते हैं कि चोटें आ सकती हैं और उसका मुआयना होगा जेल के अन्दर और यह भी हो सकता है कि उनको गिरकर चोटें आई हों। तो मैं समझता हूं कि यह सदन के प्रति अन्याय है, जब मंत्री जी को यहां पर वक्तव्य आज देना था तो उन्हें जेल से सूचना मंगा लेनी थी। जिससे उन चोटों का नेचर मालूम हो जाता कि ये गिरकर आई हैं या डंडे से आई हैं या फिर बोनेट चार्ज से आई हैं। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि कृपा करके इस सदन को गम्भीरता पूर्वक लें। जो सूचना दें उसको पूरी तरह से एकत्र करके दें। और अगर अधिकारियों ने पूरी सूचना नहीं दी है तो कृपा करके उसका जवाब तलब किया जाय ।

श्री राज मंगल पांडेय---

मैंने कहा, न लाठी चार्ज हुआ, न बल प्रयोग हुआ। आपने कहा कि जेल में शायद कुछ चोटें हैं। मैंने कहा कि मैं आपको सेटिस्फाई करूंगा। बहुत सी पासिबिलिटीज हो सकती हैं। मैं स्पेसिफिकली कह रहा हूं कि बल प्रयोग और लाठी चार्ज नहीं हुआ। उसके बाद कहते हैं जेल में शायद कोई इंजरी रिपोर्ट है। उसके सिलसिले में मैंने कहा कि जांच करके सेटिस्फाई करूंगा। अगर ताजिया का झगड़ा न होता, लड़कों की मांगों में भी हैं, उनकी मांगों में एक मांग यह है कि ताजियों का रास्ता बदला जाय। यह उनकी मांग है जो मैं शुरू से कह रहा हूं। यह झगड़ा उस वक्त से शुरू हुआ जब ताजिया दफनाने के लिये जा रहे थे। वहां पर कुछ आल्टरकेशंस हुए। वहीं से झगड़ा शुरू हुआ। आपने कहा कि कोई इस किस्म की चीज नहीं है। लड़को की मांगों में एक मांग यह है कि ताजियों का रास्ता बदला जाय ।

श्री अध्यक्ष--

अब हम उठते हैं। कल 11 बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 50 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

लखनऊ :
18 मार्च 1975

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 2 का उत्तर पीछे पृष्ठ 243 पर)

तालिका

एजेन्सी का नाम	बांटी जाने वाली खाद का लक्ष्य			बांटी गयी खाद की मात्रा		
1	2	3	4	5	6	7
	(मै0 टनों में)					
	नत्र0	फा0	पो0	नत्रा0	का0	फो0
1 सरकारी —						
(कृषि विभाग)	948	238	122	1969	682	351
2 सहकारी—						
(1) प्रदेश सहकारी संघ	3796	727	487	1957	313	260
(2) गन्ना सहकारी संघ	1233	251	158	55	2	5
3 कृषि औद्योगिक निगम	2373	483	304	667	75	64

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 27 का उत्तर पीछे पृष्ठ 255 पर।)

प्रेषक : छात्र संघर्ष समिति :
पन्त नगर विश्वविद्यालय,
पन्त नगर ।

सेवा में,
माननीय मुख्य मंत्री महोदय,
उत्तर प्रदेश ।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि हम पन्तनगर के छात्र अपनी समस्याओं के संदर्भ में आपसे लखनऊ में मिले थ तथा आपने हमारी समस्याओं को शीघ्र सुलझाने का आश्वासन भी दिया था। परन्तु हमारे यहां के कुलपति श्री ध्यान पाल सिंह ने इधर बड़े जोर-शोर से छात्रों एवम् अध्यापकों पर दमन चक्र शुरू कर दिया है जिसमें कुछ निम्न बातें विशेषतया हैं :—

1—छात्रों पर झूठे-झूठे आरोप लगाकर उन्हें आरोप-पत्र दिया जा रहा है तथा हर तरह से डराया-धमकाया जा रहा है ताकि वे अपनी उचित मांगे उच्चाधिकारियों तक न पहुंचा पायें।

2—छात्रों को विश्वविद्यालय छोड़ने के लिये विवश किया जा रहा है साथ ही धमकी दी जा रही है कि छात्र यदि विश्वविद्यालय नहीं छोड़ेंगे (लगभग 25 छात्र) तो उन्हें विश्वविद्यालय से निष्कासित कर दिया जायेगा ।

3—कुलपति श्री ध्यान पाल सिंह के अत्याचारों की सीमा इतनी अधिक बढ़ गई है कि अभी विश्वविद्यालय में हुए लाठी चार्ज में घायल छात्र श्री एस0 के0 राय को देखने एक अध्यापक श्री एन0 बी0 सिंह विश्वविद्यालय चिकित्सालय गये तो उन्हें इसी बात पर विश्वविद्यालय से निष्कासित कर दिया गया तथा उनका सामान कैम्पस के बाहर फेंक दिया गया।

4—कि हमारी समस्याओं का हल निकालने के स्थान पर उन्होंने समस्त इंजीनियरिंग कालेज का प्रथम त्रैमास में रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है तथा छात्रों का पूरा वर्ष नष्ट करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है ।

5—विश्वविद्यालय को अनिश्चित काल के लिये बन्द करके छात्रों को डरा-धमका करके व रजिस्ट्रेशन कैन्सिल करके छात्रों, अध्यापकों एवम् अभिभावकों का मनोबल गिराने का षड्यंत्र रचा जा रहा है ।

6—हम निरीह छात्रों के पीछे अपने खरीदे हुए गुण्डे व सी0 आई0 डी0 लगाकर हमें डराया-धमकाया जा रहा है ।

7—पन्तनगर में हुए अत्याचारों के विरुद्ध हुए विशुद्ध छात्र आन्दोलन को जे0 पी0 समर्थक आन्दोलन एवम् अन्य विरोधी पार्टियों से सम्बन्ध बताकर विश्वविद्यालय को बदनाम व सरकार का समर्थन प्राप्त करने का कुलपति षड्यंत्र रच रहे हैं ।

ऐसे घोर कष्ट के समय में एक आप ही हैं जो हमें न्याय दिला सकते हैं। ऐसी परिस्थितियों में हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप कुछ छात्रों एवम् कुलपति को स्वयम् बुलाकर

फैसला करा दें। आप जो भी निर्णय देंगे हमें मान्य होगा अन्यथा कुलपति के दमन चक्र में हम सब निरीह छात्र कुचल जायेंगे। छात्रों की पांच वर्ष की कठोर तपस्या से मिलने जा रही डिग्रियां कुलपति द्वारा छीन ली जायेंगी।

आशा है आप शीघ्र हस्तक्षेप करके हमारे व कुलपति महोदय के बीच वार्ता आयोजित करायेंगे ताकि विश्वविद्यालय शीघ्र खुल सके।

विनीत ह0 विनय मालवीय
छात्र संघर्ष समिति, पन्तनगर
दिनांक 23-10-74

विधान सभा उत्तर प्रदेश

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 42 का उत्तर पीछे पृष्ठ 259 पर)

आरोप	जांच का परिणाम	की गई कार्यवाही
1—प्रधान ने बाग तथा अन्य ठेकों को नीलामी से 8,940 रु0 प्राप्त किये जिसकी कोई रसीद नहीं दी और न धन जमा किया।	जांच की तिथि तक 5,500 रु0 डाकखाने मे जमा किये जा चुके थे तथा इसके पश्चात् 600 रु0 और वसूल किये गये हैं।	शेष की वसूली सम्बन्धित व्यक्तियों से चल रही है।
2—1,000 रु0 बाग लगाने पर खर्च किया गया किन्तु बाग उजड़ गया। यह धन प्रधान से वसूल किया जाय।	देखभाल के लिये यह बाग ठेके पर दिया गया किन्तु गांव वालों का सहयोग न मिलने के कारण ठेकेदार छोड़कर चला गया और बाग उजड़ गया। किसी ने जानबूझ कर यह नुकसान नहीं किया है।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
3—प्रधान से 3.400 रु0 तथा श्री अतर सिंह से 4,000 रु0 वसूली के आदेश दिये गये थे किन्तु धन वसूल नहीं हुआ।	प्रधान ने 3,000 रु0 वसूल कर डाकखाने में जमा करा दिया। शेष 400 रु0 भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा माफ कर दिया गया। श्री अतर सिंह ने बताया कि 4,000 रु0 खडंजा निर्माण पर व्यय किया गया हैं। इस निर्माण की जांच रिपोर्ट से विदित होता है कि इस पर 3,541 रु0 व्यय हुए है। जांच से विदित हुआ कि श्री अतर सिंह ने ठेकेदार से 3,000 रु0 वसूल कर वह भी खड़ंजे निर्माण पर बिना स्वीकृति के लगा दिया।	श्री अतर सिंह से शेष धनराशि की वसूली जिलाधिकारी के आदेश प्राप्त करके की जायगी।

आरोप	जांच का परिणाम	की गई कार्यवाही
4—यद्यपि श्री झंडू पुत्र लाल सिंह, बेदखल कर दिये गये हैं किन्तु प्रधान ने उन्हें गांव समाज की भूमि पर बने रहने दिया है।	जांच के मौके पर प्रधान द्वारा श्री झंडू को जमीन देने का कोई प्रमाण नहीं मिला।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
5—श्री झंडू सिंह से 1,000 रु0 के पेड़ बाग लगाने के लिये प्रधान खरीद रहे हैं जबकि यह पेड़ रजिस्टर्ड नर्सरी से लेने चाहिये।	जांच से इस खरीदारी का कोई तथ्य नहीं पाया गया। पेड़ खरीदे भी नहीं गये हैं।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

अ.प्र.वि.सभा विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 9 का उत्तर पीछे पृष्ठ 263 पर)

तालिका

मेला ककोड़ा के प्रबन्ध में 1-4-71 से अब तक वर्षवार व्यय :—

वर्ष	व्यय
1971-72	63628.70
1972-73	67659.88
1973-74	63,111.64
1974-75	76400.00

मदवार आय के आंकड़े

मद	1971-72	1972-73	1973-74	1974-75
1—बाजार तहबाजारी ..	16165.00	16301.50	17702.00	23749.75
2—सुतिया पथकर ..	7739.95	10840.65	10500.00	14000.00
3—पशु नखासा ..	2240.96	5500.00	5750.00	8025.00
4—स्नान घाट	758.00	875.00	1065.00	1281.00
5—रामायण थ्येटर ..	5.50	292.90	289.10	362.70
6—दंगल	93.40	224.30	174.10	210.00
7—मोटर स्टैन्ड	1300.00	1420.00	1600.00	1400.00
योग ..	28302.81	35454.35	37080.20	49028.45

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ङ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 11 का उत्तर पीछे पृष्ठ 263 पर)

तालिका 'क'

क्रमांक	योजना का नाम	प्रगति विवरण
1	2	3
1	राबर्ट्सगंज पेयजल पुनर्गठन योजना ..	स्टाफ क्वार्टर, ओवर हेड टैंक, ग्रेविटीमेन, पम्प हाउस, सी0 डब्लू0 आर0 ट्रीटमेन्ट वर्क्स पूर्ण हो गये हैं तथा उन्हें चालू कर दिया गया है। शुद्ध जल का वितरण किया जा रहा है।
2	कोन ग्राम समूह पेयजल योजना ..	लगभग 5 किलोमीटर पाइप लाइन बिछा दी गयी है। इनटेकवेल का कार्य पूर्ण हो गया है। सामानों का प्रबन्ध किया जा रहा है।
3	कोटा ग्राम समूह पेयजल योजना ..	सामानों का प्रबन्ध किया जा रहा है।
4	बरहौली ग्राम समूह पेयजल योजना ..	जोनल वाटर वर्क्स हेतु भूमि का प्रबन्ध किया गया है केन्द्रीय वाटर वर्क्स की भूमि तथा धवराल बांध से पानी लेना एवं वहां सम्पवेल और पम्प हाउस बनाने हेतु सिंचाई विभाग से स्वीकृति मांगी गयी है।
5	कुसाही ग्राम समूह पेयजल योजना ..	—यथापरोक्त—
6	पगिया ग्राम समूह पेयजल योजना ..	योजना पूर्ण हो गयी है तथा उसका परीक्षण किया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय

7	शिवद्वार ग्राम समूह पेयजल योजना ..	एक सिरोपरि जलाशय का कार्य वाटम डोम तथा कोन तक एवं शिरोपरि जलाशय का कार्य स्टेजिमतक पूर्ण है। निर्माण कार्य प्रगति पर है। 5 राइजिंग मेन में से लगभग 3 राइजिंग मेन का कार्य लगभग पूर्ण है। एक का कार्य प्रगति पर है तथा एक का कार्य प्रारम्भ करना लगभग 58 किलोमीटर पाइप लाइन पड़ चुकी है ।
8	कड़िया 28 ग्राम समूह पेयजल योजना ..	लगभग 27 किलोमीटर डिस्ट्रीब्यूशन पाइप लाइन पड़ चुकी है। राइजिंग मेन का कार्य प्रगति पर है। ट्रीटमेन्ट का कार्य प्रगति पर है।
9	मुक्खा ग्राम समूह पेयजल योजना ..	डिस्ट्रीब्यूशन लाइन पड़ चुकी है तथा राइजिंग मेन का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है और इन्टेकवेल का कार्य भी लगभग पूर्ण हो चुका है। ट्रीटमेन्ट का कार्य प्रगति पर है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी0 एस0यू0 पी0—एल0 106 वि0 सभा—(389)—1976—840।